हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

29 अगस्त, 2016

खण्ड 2, अंक 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 29 अगस्त, 2016

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	5
स्थगन प्रस्ताव का मामला उठाना	6
स्थगन प्रस्ताव की सूचना	7
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	10
शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन	13
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	14
पूर्व विधायक का अभिनन्दन	48
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	48
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	52
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	57
घोषणाएं –	73

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा
(ख) खेल मंत्री द्वारा

(ग) सचिव द्वारा

कार्य–सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट	75
आम आदमी पार्टी के नेता और संगीतकार तथा गायक श्री विशाल डडलानी एवं तहसीन पूनावाला द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में मामला उठाना	78
विभिन्न मामले उठाना	82
सांसद का अभिनन्दन	86
नहरों द्वारा सिंचित कृषि भूमि से संबंधित अतारांकित प्रश्न संख्या 399 के उत्तर को टालना	86
विभिन्न मामले उठाना (पुनरारम्भ)	86
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना	89
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सम्बन्धी	96
वक्तव्य– कृषि मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	106
श्री करण सिंह दलाल, एम.एल.ए. द्वारा मंत्रिमंडल हरियाणा के विरूद्ध लगाए गए आरोप	145
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	164
वॉक–आउट	208
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	208
बैठक का समय बढ़ाना	212
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	213
सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र	218
सरकारी संकल्प – भारत के संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन करने संबंधी	221
वर्ष 2016–17 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना	227
प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	228
वर्ष 2016–17 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) के लिए मांगों पर चर्चा तथा मतदान	228
बैठक का समय बढ़ाना	236

वर्ष 2016–17 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) के लिए मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	236
विधान कार्य –	244
दि हरियाणा स्पोर्ट्स काउंसिल बिल, 2016	
बैठक का स्थगन	249
विधान कार्य (पुनरारम्भ)	250
बैठक का समय बढ़ाना	251
विधान कार्य (पुनरारम्भ)	251
बैठक का समय बढ़ाना	258
विधान कार्य (पुनरारम्भ)	258
बैठक का समय बढ़ाना	267
विधान कार्य (पुनरारम्भ)	267

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 29 अगस्त, 2016

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 2:00 बजे हुई । अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की ।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव रखेंगे।

हरियाणा के शहीद

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैंः–

1. हवलदार रतन सिंह, गांव नांगल मोहनपुर, जिला महेन्द्रगढ़।
2. सिपाही दीपक कुमार, गांव लहरोदा, जिला महेन्द्रगढ़।
3. सिपाही राकेश कुमार, गांव ककराला, जिला महेन्द्रगढ़।
4. सिपाही रघुबीर सिंह, गांव शाहपुर, जिला पानीपत।

यह सदन इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत–शत नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूँ। मैं उन वीर सैनिकों को नमन करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगतों को अपने चरणों में स्थान दें ताकि उनकी आत्माओं को शांति प्राप्त हो सके। मैं सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दूंगा। अब मैं

सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि इन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर एक मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया गया।)

स्थगन प्रस्ताव का मामला उठाना

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि प्रश्न काल शुरू किया जाये, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमने फसल बीमा योजना जैसे एक अति महत्वपूर्ण विषय पर काम रोको प्रस्ताव दिया था हमें ये बताएं कि उसका फेट क्या है? अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा फसल बीमा योजना नामक एक नई योजना शुरू की गई थी जिसको हरियाणा प्रदेश में भी लागू किया गया है। यह जो फसल बीमा योजना लागू की गई है वह किसान के साथ एक धोखा है। इस योजना के द्वारा किसानों को लूटा जा रहा है। गाढ़े खून पसीने की कमाई का पैसा किसान की जेब से निकालकर तीन कम्पनियों को दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री जी किसानों को प्रमोट कर रहे हैं कि आप इस बीमा योजना का लाभ उठाइए तथा इस बीमा योजना में शामिल होकर फसल की बर्बादी होने पर किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जा सकता है, उसके बारे में भी बताते हैं। किसानों के लिए बनाई गई फसल बीमा योजना के तहत जो प्रावधान किए गए हैं, उन पर सदन में चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार द्वारा यह बात बार–बार कही जा रही है कि यह योजना किसान के हित के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अतः अति लोक हित महत्व के इस मसले पर मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रश्न काल शुरू करने से पहले फसल बीमा योजना पर चर्चा करवा लेनी चाहिए ताकि सदन के माध्यम से सभी लोगों को यह पता चल सके कि किस प्रकार से फसल

बीमा योजना के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के किसानों को बर्बाद किया जा रहा है तथा लूटा जा रहा है। इस योजना को किसान हितैषी योजना कहा जा रहा है जबकि एक तरह से यह योजना किसानों के उपर जबरदस्ती थोपी जा रही है।

श्री अध्यक्षः अभय जी, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस विषय पर श्रीमती किरण चौधरी जी का कालिंग अटैंशन मोशन का नोटिस प्राप्त हुआ था जिसको मैंने स्वीकार कर लिया है। इसके अतिरिक्त श्री परमिन्दर सिंह ढुल, श्री रणबीर गंगवा, श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया, श्री अनूप धानक, श्री अभय सिंह चौटाला, श्री आनन्द सिंह दांगी, श्री जय तीर्थ, श्री ललित नागर तथा श्री जगबीर सिंह मलिक जी द्वारा भी फसल बीमा योजना पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनको मैंने स्वीकार कर लिया है।

स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर एक काम रोको प्रस्ताव दिया हुआ है, कृपया करके मुझे उसका फेट बताया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैडम, आपने जो काम रोको प्रस्ताव दिया हुआ था, उसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कंवर्ट कर दिया गया है और उसे स्वीकार भी कर लिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में केवल एक सप्लीमैंट्री पूछी जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, उस पर डिटेल में चर्चा नहीं की जा सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर प्रश्न पूछने के लिए माननीय सदस्यों को पूरा समय दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा प्रदेश के किसानों के हित से जुड़ा हुआ है इसलिए इस मुद्दे पर सबसे लम्बी चर्चा होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय सिंह चौटाला जी, सदन में पहले भी ध्यानाकार्षण प्रस्ताव पर भी काफी लम्बी चर्चाएं होती आई हैं, इसलिए इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी पूरी चर्चा करवाई जायेगी। माननीय सदस्यगण, इस बात की बिल्कुल चिंता मत करें। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, हमें किसानों की चिंता है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर 2 से 3 घंटे का समय चर्चा के लिए तय कीजिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसलिए सदन में दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऐसी बहुत सी खामियां हैं, जिनका सदन में उल्लेख करना बहुत आवश्यक है। ध्यानाकार्षण प्रस्ताव पर यदि सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बहुत सारी कमियाँ निकल कर जनता के सामने आयेंगी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक घंटा का समय तय किया जाता है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय कम से कम 3 घंटे का समय तय किया जाये।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री अपनी सीट पर बैठे–बैठे हंस रहे हैं क्योंकि इनको हरियाणा प्रदेश के किसानों के हितों की कोई चिंता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकार्षण प्रस्ताव पर कम से कम तीन घंटे का समय तय होना चाहिए।

श्री अध्यक्षः अभय जी, प्रश्न काल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता से कहूँगा कि यह योजना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ही शुरू की थी और कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने इस योजना को आगे बढ़ाया था। अध्यक्ष महोदय, इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दोनों पार्टियों की असली पोल जनता के सामने आनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसके लिए पर्याप्त समय निर्धारित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्षः ठीक है, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर डेढ़ घंटे का समय तय किया जाता है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हमने जो काम रोको प्रस्ताव दिया हुआ है उसका फेट बताया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैडम, यह असली मुद्दा तो आपके द्वारा ही सदन में दिया हुआ है, इसलिए इसके लिए डेढ़ घंटे का समय दिया तय किया गया है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह किसानों से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा है, इसलिए इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए।

श्री सुभाष बरालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की इस विषय पर पूरी चर्चा होनी चाहिए, इसलिए आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर पूरी चर्चा करवाएं।

श्री अध्यक्षः ठीक है, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर डेढ़ घंटे की चर्चा करवाई जायेगी।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है।

To Extend the New Bawana Minor

***1428. Shri Parminder Singh Dhull :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to extend the new Bawana Minor up to the Brarkhera L.I; if so, the time by which it is likely to be extended?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़:) : नहीं श्रीमान् जी, इसलिए प्रश्न के इस भाग का सवाल ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय, श्री परमिन्द्र सिंह ढुल उन योग्य विधायकों में से हैं जो जनता के अधिकतर कार्य सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से करवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर सदन के पटल पर 'ना' में दिया गया है। जब मैंने इस बारे में विभाग से बात की तो विभाग ने मुझसे कहा कि उस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए हम दोनों नहरों को जोड़ेंगे तो नहीं लेकिन उस क्षेत्र में कोई भी असिंचित क्षेत्र रहता है तो उसका विस्तार करने को तैयार है। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी इस बात को जिस तरह से सुझायेंगे उसी तरह से विस्तार कर देंगे।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार की बात स्वीकार कर ली, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहता हूँ कि यह नक्शा मैंने देखा है। इसके अंदर जो भी एरिया आपने दिखाया है वह टोटल बराड़ खेड़ा माईनर 5539

एकड़ भूमि की है, जो एल–1 आ रही है जिसमें मैं एक्सटैंशन करने की मांग कर रहा हूँ वह 3812 एकड़ भूमि है। अध्यक्ष महोदय, बराड़ खेड़ा माईनर और एल–1 के बीच लगभग 1700 या 1800 एकड़ रह गया है जो रिकॉर्ड में तो जोड़ रखा है लेकिन वहां बरसों से पानी नहीं आया है अगर यह बुआना माईनर सरकार ने जो निकाली हुई है, यह 12 बुर्जी की माईनर है अगर इसको 5 बुर्जी से मोड़कर सीधे एल–1 में मिला दें तो यह एक बहुत बढ़िया रजबाहा हो जाएगा । इसकी आपने एल–1 की 10 क्यूसिक की कैपेसिटी दे रखी है और उसकी कैपेसिटी 3 क्यूसिक है तथा बराड़ माइनर की 45.45 दी हुई है । जामनी खेड़ा, धर्म खेड़ी, इगरा गांव और बीबीपुर टेल पर हैं तथा इन्हें पानी मिले कई साल हो चुके हैं । अगर इन्हें इस रजबाहे के साथ जोड़ दिया जाए तो जो 5 बुर्जी बवाना माइनर रह जाएगा वह बराड़ खेड़ा के लिए एक सब–माइनर का काम करेगा और सारे एरिया को सिंचित करेगा । (विघ्न) मैंने बीबीपुर के लिए भी एक माइनर की रिकवैस्ट की थी और आपने हामी भी भरी थी । मेरा आपसे अनुरोध है कि आज आप सदन के पटल पर इसका आश्वासन भी दे दीजिए ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैंने इनकी मांग पर ही बवाना माइनर का पुनर्वास कराया है और इस पर 61.14 लाख रूपये खर्च किये हैं । माननीय सदस्य ने बताया है कि एक माइनर की क्षमता 3 क्यूसिक और दूसरी की क्षमता 10 क्यूसिक है । हम ने असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने के लिए इनकी कैपेसिटी को बढ़ाकर जोड़ने की मांग को स्वीकार कर लिया है ।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अगर बीबीपुर के लिए माइनर का आश्वासन दे दें तो यह बात रिकॉर्ड पर आ जाएगी । चूंकि इन्होंने मौखिक रूप से हाँ तो कर ही रखी है ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, हम उसको भी बनवा देंगे परंतु उसमें भूमि उपलब्ध नहीं है । (विघ्न)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अगर एक बार हामी भर दें तो भूमि भी मिल जाएगी ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, हाँ तो मैंने पिछले सत्र में भी भर दी थी परंतु विभाग को जमीन मिलने में दिक्कत आती है ।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, अगर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के किसानों के साथ न्याय करने को तैयार हों तो जमीन भी मिल जाएगी । इन्होंने बहादुरगढ़ में एक बयान दिया कि मार्केट रेट से 20 परसैंट ऊपर रेट देंगे । अगर आप मार्केट रेट से 50 परसेंट ज्यादा रेट दें तो हम आपको डायरैक्टली पर्याप्त भूमि दिलवा देंगे । अगर आप कलैक्टर रेट से 20 परसैंट ऊपर रेट देंगे तो जमीन नहीं मिल सकती । (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष जी, मैंने कलैक्टर रेट से ज्यादा देने की बजाय मार्केट रेट से ज्यादा रेट देने की बात कही थी । मार्केट रेट कलैक्टर रेट से ज्यादा ही होता है । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं कि किसी जमीन के मार्केट रेट और कलैक्टर रेट का कैसे पता लगाया जाएगा और इसे कौन तय करेगा ? इन रेट्स को सरकार कैसे तय करेगी ? एक ही जगह पर सौ गज के

प्लॉट का रेट 1 करोड़ होता है जबकि वहीं पर कलैक्टर रेट 2 लाख रूपये प्रति एकड़ भी हो सकता है ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हमारा विचार यह है कि हम उस क्षेत्र के लिए वहां के डी.सी. और जन प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाएंगे और वह कमेटी वहां के लोगों की सहमति से तय हुए मार्केट रेट के हिसाब से ही कलैक्टर रेट तय करेगी ।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की किसी बात का विरोध नहीं करता परंतु मैं कलैक्टर रेट और मार्केट रेट की असमानताओं का एक नमूना पेश करना चाहता हूं । हमारे जीन्द में हुडा के सैक्टर काटे गए हैं । वहां पर कलैक्टर रेट 18 हजार रूपये प्रति गज है जब कि मार्केट रेट 12 हजार रूपये प्रति गज है । इसी प्रकार से प्रदेश की बहुत–सी जगहों पर इन रेट्स में काफी अंतर है । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अगर किसी जगह पर कलैक्टर रेट मार्केट रेट से ज्यादा हो तो हमें लिखित शिकायत दे दी जाए । हम उसे ठीक करवा देंगे ।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष जी, इसका पता तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही बेहतर तरीके से लगा सकते हैं चूंकि वे इस काम के लिए जिलों के डी.सी. से भी कह सकते हैं ।

शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आज गीता निकेतन आवासीय विद्यालय, कुरूक्षेत्र के विद्यार्थी तथा शिक्षक सदन

की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं । मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री पिरथी सिंह : अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से मेरे क्षेत्र की माइनर को भाखड़ा से जोड़ने की अपील की थी और मंत्री जी ने हामी भी भरी थी लेकिन आज तक इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। इसे सिर्फ भाखड़ा कैनाल से कनैक्ट करना है। यह पानी काफी दूर से आता है और एक महीने में टेल तक पहुंचता है जिसकी वजह से आदमी और पशु सब प्यासे ही रहते हैं । अतः आप इसे भाखड़ा से जोड़ने की मेहरबानी करें । इस से लोगों को बहुत राहत मिलेगी ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य हमें अपनी मांग सौंप दें । अगर यह वायबल होगा तो हम इसे अवश्य पूरा करेंगे ।

To Supply Round the Clock Electricity

***1434. Shri Ved Narang :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to supply round the clock electricity in area of 10 KM around Rajiv Gandhi Thermal Power Plant Khedar; if so, the details thereof?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान, जुलाई, 2011 से अप्रैल, 2015 तक राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, खेदड़ के दस किलोमीटर की परिधि के अंदर आने वाले 28 गांवों को शहरी पद्यति पर बिजली आपूर्ति देने का निर्णय लिया गया था। यह सुविधा उच्च हानि और ग्रामीणों द्वारा बिजली बिलों का भुगतान न करने के कारण वापिस ली गई थी।

श्री वेद नारंगः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस बात की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने खेदड़ में स्वयं आकर की थी और उस समय यह कहा था कि इस पर हम जल्दी ही काम करेंगे । जिस प्रकार वहां के गॉवों को बिजली की समस्या आ रही है । मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार इस बात पर दोबारा से विचार करेगी ? क्या इस का कोई समाधान निकालकर वहां के गांवों को दोबारा से वह सुविधा प्रदान करने का काम करेगी ?

श्री कृष्ण लाल पंवारः स्पीकर सर, सरकार की मंशा है कि जिस प्रकार से हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत पूरे प्रदेश में जो गांव डिफैक्टिड मीटर को चेंज करवायेंगे एवं केबल लगवाएंगे और 20 प्रतिशत लाईन लौसिज कम करेंगे और उस एरिया में 90 प्रतिशत बिजली के बिलों की रिकवरी होगी उनको 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति की जायेगी । जो माननीय सदस्य के हल्के में आठ फीडर्ज के अधीन 28 गॉव आते हैं उनमें ठाणी गारण के फीडर के अन्तर्गत 7 गॉव आते हैं, इन गॉवों के लाइन लौसिज 76.42 प्रतिशत है, इसी प्रकार से धिगताना फीडर के अन्तर्गत तीन गॉव आते हैं उनका लाइन लौसिज 34.91 प्रतिशत है, बकरीखेड़ी गांव के फीडर के अन्तर्गत चार गॉव आते हैं उनके लाइन लौसिज 75.42 प्रतिशत है, इसी प्रकार बालक गॉव के फीडर के अन्तर्गत 6 गॉव आते हैं उनको लाइन लौसिज 81.14 प्रतिशत है, इसी प्रकार से श्यामसुख गॉव में लाइन लौसिज 70.10 प्रतिशत है, खेदड़ गांव जिस गाँव में यह थर्मल प्लांट लगा हुआ है उसमें लाइन लौसिज 83.75 प्रतिशत है, इसी प्रकार पनिहारी गाँव में लाइन लौसिज 74.38 प्रतिशत हैं और इसी प्रकार से बेबीपूर गॉव में 75.58 प्रतिशत लाइन लौसिज हैं । आज की मौजूदा सरकार द्वारा प्रदेश के एक हजार ऐसे गॉव हैं जिनमें 12 से 15 घण्टे बिजली दी जा रही है । जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो गॉव पुराने मीटर चेंज

करा लेंगे उन गॉवों को हम 18 घण्टे बिजली देंगे और 125 ऐसे गॉव हैं जिनमें आज के दिन हम 18 घण्टे बिजली दे रहे हैं । इसी प्रकार से 20 ऐसे गॉव हैं जिनमें हम 21 से 24 घण्टे बिजली दे रहे हैं ।

श्री वेद नारंगः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है उनमें ठाणी गारण के 6 गॉवों में तो 80 से 90 प्रतिशत बिजली के बिलों का भुगतान हो चुका है केवल एक गॉव ही ऐसा है जहां पर बिजली के बिल पता नहीं किस मजबूरी के कारण नहीं भरे जा रहे हैं। उस एक गॉव की सजा 6 गॉवों को बिजली न देकर दी जा रही है और उन गॉवों को बिजली की सुविधा से दूर रखा जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि जो गाँव बिजली के बिलों की पूरी बिलिंग कर रहे हैं क्या उनको नई स्कीम के तहत डायरेक्ट बिजली की सप्लाई करने का प्रावधान सरकार के द्वारा करने की कोई योजना है ?

श्री कृष्ण लाल पंवारः स्पीकर सर, जब कोई नया बिजली का फीडर लगाया जाता है तो उस फीडर के अन्तर्गत जितने गॉव आते हैं उनको अलग फीडर से जोड़ा जाता है । जैसे आपके ढाणी गारण गॉव के अन्तर्गत सात गॉव आते हैं तो उन सातों गॉवों का कंट्रोल रूम में एक पैनल लगाया जाता है इसलिए एक या दो गॉवों को अलग से पैनल कैसे लगेगा ? इसलिए जो फीडर बनाये जाते हैं वे गॉव के शिडयूल के हिसाब से बनाये जाते हैं कि इस फीडर पर इतने गॉव हैं उस हिसाब से सात गॉव इस फीडर के अन्तर्गत आते हैं ।

श्री वेद नारंगः स्पीकर सर, जो गॉव बिजली के बिल भर रहे हैं उनको भी बिजली नहीं दी जा रही है क्या सरकार यह चाहती है कि वे गॉव भी बिजली के बिल न भरें जब उनको बिजली नही दी जायेगी तो वे बिल क्यों भरेंगे ?

श्री अध्यक्षः नारंग साहब, एक एक गॉव को अलग से फीडर कैसे देंगे कोई एक इकाई तो बनानी ही पड़ेगी ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि नारंग साहब ने सदन में एक स्टेटमैंट दी है कि उनकी ढाणी गारण के फीडर के अन्तर्गत सात गॉव आते हैं और उन सात गॉवों में से एक ही गॉव ऐसा है जो बिजली के बिल नहीं भर रहा है । मैं आपको आपके सातों गॉवों की डिटेल बताना चाहूंगा । सातों गॉवों में ढाणी गारण, ढाणी खान बहादुर, ढाणी मिरदा, ढाणी बंगाल, ढाणी राजली, सुलखनी और बुगाना इन सातों गॉवों की जो बिजली के बिलों की कलैक्शन एफिशिएंसी है, वह 88 प्रतिशत है । मेरे पास अलग अलग गॉव की कलैक्शन एफिशिएंसी है । ढाणी खान बहादुर में 67 परसैंट, ढाणी गारण में 67 परसैंट, ढाणी मिरर्दा में 67 परसैंट, ढाणी पंगाल में 50 परसैंट, राजली में 59 परसैंट, सुलखनी में 63 परसैंट और बुगाना में 62 परसैंट यानि 40 से 50 परसैंट इनकी कलैक्शन एफीशियंसी में भी कमी है । इसका मतलब है जितने बिल आते हैं उसको भी लोग पूरा नहीं भरते । इस फीडर पर 76 परसैंट ए.टी .एंड टी. लौसिज हैं । ऐसा नहीं हो सकता कि एक गांव यदि बिजली के बिल नहीं भर रहा तथा बाकी के 6 गांव बिजली के बिल भर रहे हैं तो लोसिज 76 परसैंट आएंगे। पूरे फीडर का यदि ए.टी .एंड टी. लौसिज 76 परसैंट है तो कोई भी गांव ऐसा नहीं हो सकता जो पूरे बिल दे रहा होगा । यदि एक गांव ऐसा होता तो कुल मिलाकर ये लौसिज का आंकड़ा 20 से 25 परसैंट तक ही रहता इसलिए आंकड़ों के हिसाब से 7 गांवों के लौसिज 76 परसैंट हैं ।

प्रो. रविन्द्र बलियालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले से पिछले सत्र में मंत्री जी से प्रश्न पूछा था कि क्या जिन पंचायतों ने सरकार को जमीन दी हुई है उनको 24 घंटे

बिजली देने का प्रावधान करेंगे । मंत्री जी ने उस समय रिटन में जवाब दिया था और वह जवाब अब भी मेरे पास है । उस समय जवाब दिया गया था कि हां हमारी स्कीम है । मेरे अपने गांव बलियाला ने बिजली बोर्ड को 4 एकड़ जमीन दी हुई है लेकिन उनको अभी तक 24 घंटे बिजली नहीं दी गई है । अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सरकार द्वारा बिजली के क्षेत्र में बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जैसे दीनदयाल उपाध्याय योजना आदि । मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार कब इस दीनदयाल उपाध्याय जैसी योजनाओं को लागू करेगी । रतिया गांव का बिरडाना गांव बहुत गरीब गांव है और उस गांव में गरीब लोग रहते हैं उनको बिजली देने की बात तो दूर पीने के पानी के लिए टयूबवैल के कनैक्शन तक नहीं दिए जा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम सें मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन गरीबों के ऊपर सरकार कब दयाल होगी ?

श्री कृष्ण लाल पंवारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि जिन ढाणियों में 11 व्यक्ति भी रहते हैं उनको सरकार की क्लीयर कट पौलिसी के हिसाब अलग से कनैक्शन देने की योजना है । यदि कोई आदमी डौमैस्टिक सप्लाई के लिए कनैक्शन के लिए एप्लाई करता है तो उसको भी तुरंत कनैक्शन रिलीज कर दिया जाता है । माननीय साथी लिखित में अपना समस्या हमें दे दें । अगर कोई ढाणी ऐसी है जिन्होंने सिक्योरिटी भर रखी है लेकिन उनको कनैक्शन नहीं मिल पाया है तो उनको भी जल्दी से जल्दी कनैक्शन रिलीज कर दिया जाएगा ।

To Set up an University in Gurgaon

***1580. Sh. Umesh Aggarwal** : Will the Education Minister be pleased to state:-

a) whether there is any proposal under consideration of the government to set up an University in Gurgaon; and

b) if so, the details thereof togetherwith the time by which it is likely to start functioning ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) हां, श्रीमान्;

(ख) भूमि निश्चित करने बारे मामला विचाराधीन है ।

श्री उमेश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने गुड़गांव जिले में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है । गुड़गांव में विश्वविद्यालय पहले से ही स्थापित हो जाना था लेकिन पिछली सरकारों ने यह काम नहीं किया इसलिए इसकी आवश्यकता अब पड़ी । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि काकरोला गांव में 50 एकड़ भूमि का प्रस्ताव इस विश्वविद्यालय के लिए पंचायत ने दिया हुआ है तथा स्थानीय स्तर से प्रस्ताव मंजूर हो गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय सें पूछना चाहता हूं कि वह प्रस्ताव प्रदेश सरकार के स्तर पर कब तक मंजूर हो जाएगा और जमीन शिक्षा विभाग को दे दी जाएगी तथा यह विश्वविद्यालय कब तक प्रारम्भ हो जाएगा ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ठीक कह रहे हैं । 10 अप्रैल, 2016 को काकरोला में मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी सभा हुई थी । उस सभा में हम सब भी शामिल थे । मुख्यमंत्री जी की जो अनाउंसमैंट्स होती हैं उन पर हरियाणा सरकार प्राथमिकता से कार्रवाई करती है । काकरोला पंचायत ने विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु 398 कैनाल 3 मरले जमीन दान देने का प्रस्ताव

24.6.2016 को पारित किया है । अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत, काकरोला ने प्रस्ताव के साथ साथ 4 शर्ते भी लगाई हैं, एक तो उन्होंने कहा है कि व्यवसायिक एवं उच्च शिक्षा में गांव के बच्चों को 5 प्रतिशत की छूट दी जाये । दूसरा कहा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति केवल गांव काकरोला के बच्चों की हो । इसके अतिरिक्त अन्य श्रेणी की नियुक्तियों में गांव काकरोला के बच्चों को प्राथमिकता प्रदान की जाये और बाबा कैनाला मंदिर एवं सामुदायिक केंद्र का वर्तमान रास्ता वहीं से रहेगा । इस तरह की कंडीशन लगाकर पंचायत ने मुफ्त में जमीन देने का प्रस्ताव भेजा है । इस जमीन को एक्सचेंज करवाने की कार्यवाही चल रही है और हम युद्ध स्तर पर इस काम को करने में लगे हुए हैं ।

श्री उमेश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि गुड़गांव में विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और भूमि हस्तातंरण में समय लग रहा है । मैं इसमें पूछना चाहता हूं कि जब तक भूमि हस्तांतरण न हो तब तक किसी अन्य जगह पर विश्वविद्यालय की क्लासिज शुरू करने बारे सरकार कोई विचार कर रही है ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो काकरोला गांव है वह in the middle of Gurgaon City है । विश्वविद्यालय के लिए जो जमीन दी जा रही है यह बड़ी प्राईम जमीन है और बड़ी अच्छी मात्रा में है । वहां पर विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रक्रिया पूरी करने में हम लगे हुए हैं । इसके अतिरिक्त वहां पर कोई बनी बनाई बिल्डिंग अभी उपलब्ध नहीं है जहां पर विश्वविद्यालय की क्लासिज शुरू की जा सकें । हम इस साल के अंदर–अंदर वहां पर विश्वविद्यालय का कार्य शुरू करवा देंगे ।

श्री उमेश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सैक्टर–52 में कालेज की बिल्डिंग बनी हुई है । वहां पर मंत्री जी चाहें तो तुरंत विश्वविद्यालय शुरू किया जा सकता है । यदि वहां पर विश्वविद्यालय शुरू करवा दी जाये तो मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद होगा ।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सैक्टर–52 की जो बिल्डिंग है वह महा विद्यालय की बिल्डिंग है और वह अभी विवादित है । इस विश्वविद्यालय को वहां शुरू नहीं किया जा सकता । गुड़गांव में गर्ल्ज के दो कालेज हैं । सैक्टर–14 के गर्ल्ज कालेज में 8 हजार बेटियां पढ़ रही हैं जो कि प्रयाप्त रूप में हैं । अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले दिनों प्रदेश के 763 कालेजिज में जहां–जहां से डिमांड आई खासकर लड़कियों के कालेज से और बाकी के लिए भी पिछली बार से 20 प्रतिशत तक सीटें बढ़ाई हैं । जहां तक माननीय साथी ने दूसरी बिल्डिंग में विश्वविद्यालय की क्लासिज शुरू करने की बात कहीं है इस बारे में हम माननीय साथी से बैठकर बात कर लेंगे और यदि वहां ऐसी बिल्डिंग मिलेगी जिसमें क्लासिज शुरू की जा सकें तो उस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि नई–नई यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही हैं जो कि सराहनीय कार्य है लेकिन मैं यह पूछना चाहती हूं कि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है । वहां से कोर्सिसिज सिफ्ट किए जा रहे हैं । वहां से इंजीनियरिंग का कोर्स मुरथल सिफ्ट कर दिया गया है और ग्रांट भी कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी की कम करने जा रहे हैं । क्या यह सत्य है और ऐसा क्यों किया जा रहा है ? इसके अतिरिक्त मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जूही में महिला कालेज नहीं है । वहां की बेटियों को तोशाम जाना पड़ता है जो कि 60 कि.मी. पड़ता है । सरकार ने

बेटी बचाओ–बेटी बढ़ाओ का नारा दिया है इसलिए जूही में महिला कालेज खोला जाये ।

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रदेश के कालेजिज में 20 प्रतिशत सीटें बढ़ाई गई हैं लेकिन हिसार के अंदर तो केवल 10 प्रतिशत सीटें ही बढ़ाई गई हैं ।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी गंगवा जी को बताना चाहूंगा कि डिमांड के अनुसार 20 प्रतिशत तक सीटें बढ़ाई गई हैं । ये सीटें जो डिमांड फार्म आये उसके मुताबिक बढ़ाई गई हैं । हमने हर कालेज में सरकूलेट किया था कि जहां जितनी डिमांड है उसके मुताबिक 20 प्रतिशत तक सीटें बढ़ाई जायेंगी । अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारी आदरणीय बहन किरण चौधरी जी ने कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी की चिंता प्रकट की है इस बारे में बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों कुरूक्षेत्र में कुछ लोग मुझे मिले थे । कुरूक्षेत्र बहुत पुराना विश्वविद्यालय है और बीच में किरण जी की सरकार जाते–जाते कालेजिज में यूनिवर्सिटीज खोल गई । जींद के अंदर चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी खोली गई लेकिन बिल्डिंग नहीं बनाई । (विघ्न) स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम बहन किरण चौधरी जी को बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार अपने अंतिम समय में कुछ यूनीवर्सिटीज़ केवल मात्र कागज़ों पर ही खोलकर चली गई। वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं था। हमारे माननीय साथी श्री उमेश अग्रवाल जी की चिंता जायज़ है इसलिए हम इसके लिए हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हम आवश्यक धनराशि का भी प्रबन्ध कर रहे हैं। पिछली सरकार द्वारा ऐसे–ऐसे काम किये गये हैं कि एक कालेज की बिल्डिंग में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय खोल दिया गया और इसी प्रकार से एक कालेज की बिल्डिंग में ही चौधरी बंसी लाल

विश्वविद्यालय खोल दिया गया । जो कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मामला है यह अभी मेरे ध्यान में आया है। मैं यह सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले किसी भी कालेज को किसी भी दूसरे महाविद्यालय से सम्बद्ध नहीं करेंगे।

श्री नसीम अहमद : स्पीकर सर, (विघ्न) . . .

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : स्पीकर सर, (विघ्न) . . .

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, (विघ्न) . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हाऊस में बात करने का यह कोई तरीका नहीं है। अगर आप तीन–तीन और चार–चार सदस्यगण एक साथ बोलेंगे तो ऐसे किस प्रकार से हाऊस की कार्यवाही चल पायेगी। आप कृपया करके एक–एक अपनी बात रखें और भविष्य में भी इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाये। आप सभी बैठ जायें और सरदार जसविन्द्र सिंह संधू जी को बोलने दिया जाये।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश का जो कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय है यह बहुत पुराना विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम है और अपनी एक अलग पहचान है। पिछले दस वर्षों के दौरान शासन करने वाली सरकार ने इस विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी की महत्ता कम करने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ी है। इसी के तहत वर्ष 2015 में इस यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध लगभग 159 बी.एड. कॉलेजिज को चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध कर दिया गया जबकि उस कालेज की कोई बिल्डिंग नहीं है। पूर्व की सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में जो आदेश पारित किये गये हैं उनको जल्दी से जल्दी निरस्त किया जाये ताकि इस यूनिवर्सिटी की जो विश्वस्तरीय ख्याति, पहचान और

नाम है वह किसी भी दृष्टि कम न हो। इस सम्बन्ध में हमने एक कालिंग अटैंशन नोटिस भी दिया हुआ है। हमें उम्मीद है कि हमें उस दौरान भी इस बारे में चर्चा करने के लिए पूरा समय दिया जायेगा।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी सरदार जसविन्द्र सिंह संधू जी को बताना चाहता हूं कि उनकी कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में चिंता पूरी तरह से ज़ायज़ है। जिस प्रकार से मैंने बहन किरण चौधरी जी को आश्वासन दिया मैं सरदार जसविन्द्र सिंह संधू जी को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी इंजीनियरिंग कालेज और जितने भी बी.एड. कालेज आते हैं उनको किसी भी दृष्टि से कहीं और शिफ्ट नहीं किया जायेगा।

श्री नसीम अहमद : स्पीकर सर, जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य श्री उमेश अग्रवाल जी को आश्वासन दिया है कि गुडगांव यूनिवर्सिटी खोल दी जायेगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं पिछले 7 साल से मेवात में यूनिवर्सिटी खुलवाने के लिए बार–बार रिकवैस्ट कर रहा हूं लेकिन इसके बावजूद भी मेवात में यूनिवर्सिटी नहीं खुलवाई गई है। मेवात भी हरियाणा प्रदेश का ही हिस्सा है इसलिए उसके साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे मेवात में भी यूनिवर्सिटी खुलवायेंगे?

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, यह सैपरेट प्रश्न है इसलिए माननीय सदस्य श्री नसीम अहमद इस बारे में अलग से नोटिस दें।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, जैसे सरकार सभी जिलों में एक मैडीकल कालेज खुलवा रही है उसी प्रकार से सभी जिलों में यूनिवर्सिटीज़ भी खुलवा दी जाये । इससे प्रदेश का बहुत हित होगा ।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी श्री अभय सिंह चौटाला जी को यह बताना चाहूंगा कि मेवात में पहले से ही मैडीकल कालेज स्थापित है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी बैठ जायें। अब प्रश्न संख्या 1481 को टेक–अप किया जाये।

Loan to Non Agri members

***1481. Sh. Balwant Singh :** Will the Minister of State for Co-operation Minister be pleased to state -

(a) whether it is a fact that the loan amounting to Rs.1,25,000/- is advanced @4% to the farmers for the purchase of fertilizers and other inputs but the loan upto Rs.25,000/- is advanced to the non-agri members of SC/ST category @12% for the purchase of Horse Carts/Bullock carts etc., and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to give loan to the non-agri members of SC/ST category @4% instead of @12% for the purchase of Horse Carts/Bullock carts?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) :

क) नहीं, श्रीमान जी । किसानों व काश्तकारों को फसली ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर अधिकतम ऋण सीमा

1,50,000/–तक (1,12,500/–नकद + 37,500/– उर्वरक, बीज़, दवाई इत्यादि के लिए) उपलब्ध करवाए जा रहे हैं । शीघ्र अदायगी करने वाले किसानों को जो फसली ऋण को निर्धारित तिथि पर या पहले अदा करते हैं, 3 प्रतिशत व 4 प्रतिशत ब्याज राहत क्रमशः भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है जिससे फसली ऋण की प्रभावी ब्याज दर शून्य प्रतिशत हो गई है ।

घोड़ा गाड़ी/खच्चर गाड़ी/बैलगाड़ी की खरीद के लिए मध्यावधि ऋण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी सहित सभी सदस्यों को जिला प्रशासन द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित इकाई लागत के अनुसार प्रदान किया जाता है । वर्तमान में यह इकाई लागत 1,00,000/–है । विभिन्न केन्द्रीय सहकारी बैंकों में इसकी ब्याज दर औसतन 12 प्रतिशत है ।

ख) नहीं, श्रीमानजी ।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ किसानों को 1,25,000/– रूपये तक 3 प्रतिशत ब्याज दर पर मिल जाते हैं और दूसरी ओर गैर किसान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 25,000/– रूपये तक 12 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलते हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव है जिससे उन गैर किसान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी 3 प्रतिशत ब्याज दर पर सस्ता लोन मिल सके ।

श्री मनीष ग्रोवर : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि ये जो 1,25,000/– रूपये की बात कर रहे हैं यह सीमा 1,50,000/– रूपये है और जो इन्होंने 25,000/– की सीमा बताई है वह 1 लाख रूपये है । यह लोन केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाता है और अगर किसान उसकी अदायगी निर्धारित तिथि या उससे पहले कर

देता है तो 3 प्रतिशत ब्याज राहत भारत सरकार तथा 4 प्रतिशत ब्याज राहत राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है । जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है तो इस समय तो ऐसी कोई योजना नहीं है कि गैर किसान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी 4 प्रतिशत ब्याज दर पर सस्ता लोन मिल सके लेकिन मैं इस मामले में कई बिंदुओं पर काम कर रहा हूँ और मैंने अधिकारियों को इस बारे में आदेश दे दिये हैं । हम इस बारे में जो भी हो सकेगा अवश्य करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, इस बारे में मेरी भी सिफारिश है कि गैर किसान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी उसी ब्याज दर पर सस्ता लोन दिया जाये क्योंकि 12 प्रतिशत ब्याज दर बहुत ज्यादा है और आप जिनसे 12 प्रतिशत ब्याज ले रहे हैं वह तो किसान से भी गरीब हैं । यह आम आदमी को भी वाजिब नहीं लगता है ।

श्री मनीष ग्रोवर : अध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग किसानों, मजदूरों और दलितों से जुड़ा हुआ विभाग है । मैंने अधिकारियों को आदेश भी दे दिये हैं कि इस बारे में कोई रास्ता निकाला जाये ताकि उनको उनका हक मिल सके ।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार सहकारिता विभाग द्वारा मतस्य पालन, मुर्गी पालन और डेयरी के लिए किसानों को कम ब्याज पर लोन दिया जा रहा है । 80 प्रतिशत किसान तथा इस प्रकार के काम करने वाले लोग गांवों में रहते हैं । क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि जो गैर किसान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको स्वयं रोजगार के लिए 3 प्रतिशत ब्याज दर पर सहकारिता विभाग का सस्ता लोन मिल सके ?

श्री मनीष ग्रोवर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से सहमत हूँ और हम 18–20 बिंदुओं पर काम कर रहे हैं ताकि ग्रामीण, दलित और मजदूर समाज को उसका लाभ मिल सके । मैं पूरे सदन से और सभी सदस्यों से भी इस बारे में सहयोग की अपील करता हूँ । मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ग्रामीणों, दलितों और महिलाओं को काम अवश्य मिलेगा ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब मंत्री जी सदन को विश्वास दिला रहे हैं कि वे इस बारे में कुछ न कुछ अवश्य करेंगे तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पड़ोसी राज्यों में किसानों, दलितों और महिलाओं को किस ब्याज दर पर लोन दिया जा रहा है? क्या वह हमारे ऐट पार है या हमसे ज्यादा है या हमसे कम है?

श्री मनीष ग्रोवर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है मैंने इस बारे में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं कि इस बात का पता लगाया जाये कि पड़ोसी राज्यों में किस–किस विभाग से कितना–कितना और किस दर पर लोन दिया जा रहा है ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यहां हाउस में विभाग के सचिव बैठे हुये हैं उनसे चिट मंगवा कर इस बात का पता लगाया जा सकता है । यह एक अच्छा सवाल है और हमें पता चलना चाहिए कि हम किसानों, दलितों और महिलाओं को सहकारिता विभाग का जो लोन दे रहे हैं वह किस दर पर दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपका सवाल बिल्कुल अलग है । आपका सवाल अच्छा है लेकिन बिल्कुल अलग है ।

श्री मनीष ग्रोवर : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री करण सिंह दलाल शायद मेरी भावना को अभी तक समझे नहीं हैं । मैंने उनके प्रश्न से पहले ही यह बता दिया है

कि हरियाणा में जितने भी गांव हैं और उनमें जितने भी दलित समाज हैं, गरीब हैं और किसान हैं उनके प्रति सरकार की चिन्ता जाहिर करते हुए मैं सदन में यह चार्ट बनाकर लाया हूं । जो सवाल दलाल साहब ने किया है उसके बारे में मुझे पहले ही पता था कि दलाल साहब ये सवाल जरूर पूछेंगे क्योंकि वे मेरे साथ कमेटी में रहें हैं वह प्वायंट पर हर सवाल करते हैं । इसलिये आप चिन्ता न करें आने वाले समय में पूरे प्रदेश के अन्दर कोपरेटिव सोसायटी का एक महत्व नजर आएगा और हरियाणा प्रदेश बाकी स्टेटों से अलग ही रहेगा ।

Supply of Adequate Drinking Water

***1436. Smt. Kiran Choudhary :** Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the people of Bhiwani district especially in Tosham, Badhra, Loharu, Behal and Dadri areas are facing acute shortage of drinking water ; and

(b) if so, the steps taken by the Government to supplyadequate drinking water in Bhiwani district?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री(डा0 बनवारी लाल):

(क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) यद्यपि, इसलिए, प्रष्न के इस भाग का सवाल ही नहीं उठता, 78 गांवों में पीने के पानी के स्तर में बढ़ोतरी/सुधार के लिए 38 कार्यों पर 129.71 करोड़ रुपये की लागत से कार्य प्रगति पर हैं तथा इन पर अब तक 94.52 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि वह मुझे यह आंकड़े न बताएं कि कितना खर्च किया है और कितना खर्च किया

जा सकता है क्योंकि वह मुझे भी मालूम है । शायद उन्हें ग्राउंड रियेलिटी मालूम नहीं है । मैं आज सदन में ये सारे अखबार लेकर आई हूं जिनमें 300 गांवों के लोग पीने का पानी खरीद कर पी रहे हैं जिसके लिये लोगों द्वारा 10 हजार से 20 हजार रूपये तक दिये जा रहे हैं । इसी तरह से अखबारों की और भी खबरें हैं जैसे ग्रामीणों ने जल घर पर जड़ा ताला । गांव में पानी की मारा– मारी। जान लेवा गर्मी में पीने के पानी की जंग लड़ रही हैं महिलाएं। ग्रामीणों को 25 साल से नहीं मिला नहरी पानी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, यह आपका सवाल तो आपके ही खिलाफ हो गया ।(शोर एवं व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, 25 साल में 10 साल तो इनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है ।

श्रीमती किरण चौधरी : विज साहब, आप मंत्री जी को जवाब देने दीजिए । जो मैंने 25 साल का जिक्र किया है उसके बारे में भी मैं खुद बता रही हूं । उमरावत गांव में पेय जल के लिये मची हा–हा कार । साथ ही साथ गांव दानी माहु, संडवा, छपार सांगवान, छपार जोगियान, थाना धरनवास और उसके साथ–साथ बाकी सभी गांवों में भी पेय जल की समस्या है । विज साहब आप बीच में मत बोलिये । मैं मंत्री जी को पीने के पानी की समस्या के बारे में अवगत करा रही हूं जिसके लिये चारों तरफ लोग तराही–तराही मचा रहे हैं। (विघ्न) विज साहब, मैं मंत्री जी से प्रश्न पूछ रही हूं और आप बीच में बोल रहे हैं । (विघ्न)

श्री अनिल विज : आप पहले 25 साल वाली बात बताईये जो आप कह रही है कि 25 सालों से पानी नहीं मिल रहा है ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं 25 साल वाली समस्या के बारे में भी बताऊंगी पहले आप मेरी बात सुनिये । वह नहरी पानी का जिक्र था जो इसी प्रश्न में आ गया लेकिन मैं उसको अलग से बताऊंगी । मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि जो यह हर गांवों में पीने के पानी के लिये तराही–तराही मच रही है और आप कह रहे हैं कि पीने के पानी की कोई किल्लत नहीं है । या तो आपको ऑफिसर्ज ने सही रिपोर्ट नहीं दी है क्योंकि अभी आपने नया–नया कार्यभार संभाला है और अगर किसी ऑफिसर्ज ने आपको गल्ज रिपोर्ट दी है तो आप उन ऑफिसर्ज के खिलाफ कार्रवाई कीजिए । लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहती हूं कि असलियत में हर गांवों में पीने के पानी की समस्या है । आप मुझे यह बताईये कि आप इस समस्या को कब तक दूर करेंगे ।

डॉ0 बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो बहन जी अपनी कांग्रेस सरकार के समय में 5 वर्ष तक इस विभाग की मंत्री रही हैं और हमारी सरकार को बने तो अभी दो साल ही हुए हैं । अगर आप कह रही हैं कि पीने के पानी का इतना बुरा हाल है तो इसका मतलब पहले इस विभाग में कोई काम नहीं हुआ । वह तो आपने मान ही लिया है कि यह समस्या 25 साल से है । फिर भी अगर कहीं पीने के पानी की किल्लत है तो आप उसको लिखकर दे दें हम उसकी इन्कवायरी करवा लेंगे । अगर आप कह रही हैं कि यह झूठ है, कहीं भी पेय जल की सुविधा नहीं हैं तो हम इसकी इन्कवायरी करवा लेंगे । आप इसको लिख कर दे दीजिए ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से उनकी सरकार बनने के बाद अब दो साल की बात कर रही हूं । ये अखबार की जो खबर हैं वह सारी एक महीने पहले की हैं । जिनमें गांव के लोग पीने का पानी लेने के लिये बीस–बीस, तीस–तीस हजार रूपये दे रहे हैं ।

डॉ0 बनवारी लाल : बहन जी, आप इसको लिख कर दे दीजिए । हम इसकी जॉच करवा लेंगे ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब मैं यह बात सदन में कह रही हूं तो इससे बढ़कर मैं क्या लिख कर दूं ।

डॉ0 बनवारी लाल : ठीक है बहन जी, हम इसकी जॉच करवा लेंगे ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जॉच करवाने से काम नहीं चलेगा ।

श्री अध्यक्ष : मैडम, यह तो जॉच ही करवाएंगे और क्या कहेंगे ?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मुझे यह बताएं कि आप इस पीने के पानी की किल्लत को कब तक दूर करेंगे ?

डा. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, रिकॉर्ड के हिसाब से भिवानी में 444 गांव हैं . . (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस महान सदन में पानी की किल्लत के बारे में जो अखबारों में छपा हैं, उन अखबारों की कटिंग्ज पढ़कर माननीय मंत्री जी को बता रही हूँ। भिवानी जिले में पानी की किल्लत के बारे में अखबार में छपी खबरें क्या गलत हैं? (विघ्न)

डा. बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी तो नहीं कहा है कि अखबार में छपी खबरें गलत है, लेकिन मैं जो सदन में अपना उत्तर दे रहा हूँ वह भी तो गलत नहीं है?

श्री अध्यक्षः मैडम, देखिये अखबार की सारी खबरें सत्य नहीं होती हैं मंत्री जी के पास जानकारी है कि पानी की कोई किल्लत नहीं है। (शोर एवं विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इलाके में घूमती हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोहारू, भिवानी, तोशाम, दादरी और लगभग सारे का सारा नांगल चौधरी पानी की विकट समस्या से ग्रस्त है। इन क्षेत्रों से संबंध रखने वाले विधायक यहां सदन में बैठे हैं। मैं समझती हूँ कि उनको भी सदन में हाथ उठाकर मेरे वचन की ताईद करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में पानी की इतनी जबरदस्त किल्लत है कि लोगों को चार–चार महीने पानी नहीं मिलता है। जिन क्षेत्रों का मैंने अभी जिक्र किया है उनसे संबंध रखने वाले विधायक यदि मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो बतायें? ;शोर एवं व्यवधानद्ध

श्री अध्यक्षः किरण जी, आपकी बात ठीक है लेकिन आपको सुनना तो चाहिए। ठीक है आपके पास जानकारी है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ मंत्री जी के पास जानकारी है कि लोगों को पानी मिल रहा है। मंत्री जी ने आपको ठीक ही तो कहा है कि यदि इस तरह का विरोधाभास है तो वे एक बार सत्यता की की जांच करवा लेते है। इसमें मंत्री जी ने भला कौन सी गलत बात कह दी है।

डा. बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदस्या से निवेदन है कि पानी की किल्लत के बारे में मुझे लिखकर दे दें तथा उनके पास जो अखबार की कटिंग्ज हैं, उन कटिंग्ज को भी वह हमें प्रोवाईड करवा दें, निश्चित तौर से मामले की गहनता से जांच करवाई जायेगी और जांच करवाने के बाद अगर अखबार में छपी बात सच निकलती है तो दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप लिखवाकर क्या लेंगे । आप मंत्री है आप अभी सदन में कमिटमैंट कीजिए की लोगों को फटाफट पानी मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, पानी की किल्लत का तो जड़ से पीछा छूटना चाहिए। मैं भी इस विषय पर बोलना चाहता हूँ। सर, पिछली बार सदन में तत्कालीन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री ने जुलाना हल्के के गांवों की पीने के पानी की समस्या के बारे में विजिलेंस जांच का आश्वासन दिया था। क्या फायदा ऐसे आश्वासन का जब कोई रिजल्ट ही निकलकर सामने न आये?(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को केवल यह सुझाव देना चाहती हूँ कि जांच से नहीं, कार्यवाही करने से समस्या का समाधान होगा? (विघ्न)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय,. . . (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ढुल साहब, आप प्लीज, बैठिए। यदि एक ही प्रश्न पर हम ज्यादा समय लगायेंगे तो इस प्रकार सदन में दूसरे प्रश्नों के लिए समय ही नहीं बच पायेगा। अतः प्लीज, आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

To Construct Auto-Market in Jind City

***1456. Sh. Hari Chand Midha :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct an Auto-Market in Jind City; if so, the time by which it is likely to be constructed?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): नहीं श्रीमान जी, इसलिए प्रश्न के इस हिस्से का सवाल उत्पन्न नहीं होता ।

श्री हरि चंद मिड्ढाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री महोदया से पूछना चाहूँगा कि जींद शहर में आटो मार्किट का बहुत बुरा हाल है। वहां पर

सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों का जीना दूभर हो चुका है। ऐसी विकट परिस्थिति में मेरा पुरजोर अनुरोध है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर रखे गये दस्तावेज के हिसाब से माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर नहीं में आता है लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी जरूर कहना चाहूँगी कि मिड्ढा साहब का सवाल बहुत ही जायज है। शहरों में ऑटो मार्किट की स्थापना जनसंख्या तथा व्हीकल्ज की संख्या को ध्यान में रखकर की जाती है। वर्तमान में जींद की जनसंख्या 1,65,592 हैं और जो इसका शहर का इलाका है वह 42 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आता है। एक अनुमान के अनुसार जींद में व्हीकल्ज की संख्या तकरीबन 60,000 है। अभी जींद जिले में जो पुरानी ऑटो मार्किट है, वह मार्किट व्हीकल्ज की वर्तमान संख्या के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। इसके साथ यह भी एक सच्चाई है कि नगर परिषद, जींद के पास नई ऑटो मार्किट स्थापित करने के लिए कोई जमीन भी उपलब्ध नहीं है। मैं यह बताना भी उचित समझती हूँ कि शहरों में ऑटो मार्किट स्थापित करने के लिए हुडा द्वारा जमीन उपलब्ध करवाई जाती है और अर्बन लोकल बॉडीज विभाग द्वारा ऑटो मार्किट का निर्माण किया जाता है। नगर परिषद, जींद के पास ऐसी कोई खाली जमीन उपलब्ध नहीं है जहां पर ऑटो मार्किट का निर्माण किया जा सके। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि हुडा द्वारा ऑटो मार्किट के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करवाने संबंधी सर्वे करवा लिया जाए। जैसे ही जमीन प्राप्त हो जायेगी उस जमीन पर ऑटो मार्किट निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करवा दिया जायेगा। (विघ्न)

श्री हरि चन्द मिड्ढाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहन कविता जैन जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि बहनें बड़ी रहम दिल हुआ करती है। जींद की हालत ऐसी हो चुकी है कि यहां के बाशिंदों को कोई पूछने वाला ही नहीं है। बहन जी, जींद जिले के आपके भाई प्यासे हैं और प्यासे भाईयों को उनकी बहन पानी के लिए भी न पूछे यह तो बहुत गलत बात होगी क्योंकि हर बहन का यह फर्ज होता है कि वह अपने भाईयों का ध्यान रखे। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मिड्ढा जी, माननीया मंत्री जी ने आपके क्षेत्र पर रहमदिली कर दी है और आपकी बात को मानते हुए हुडा से भी सिफारिश की है।

श्री कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, मैंने बाकायदा माननीय सदस्य की बात का समर्थन किया है और उनकी तरफ से हुडा को सिफारिश की है कि जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध करवाई जाए ताकि आटो मार्किट का निर्माण संभव हो सके।

श्री हरि चंद मिड्ढाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीया मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूँगा कि जींद में ऑटो मार्किट का निर्माण कब तक हो जायेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की इस सदन में यह दूसरी टर्म है। पहली टर्म में वे विधायिका थीं और अब एक मंत्री है। मंत्री खुद ही सरकार होता है। यह पहला ऐसा मौका देखने को मिल रहा है कि सरकार खुद सरकार से अनुरोध कर रही है। (शोर एवं विघ्न)

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब को मालूम होना चाहिए कि मैंने अनुरोध नहीं किया है, मैं तो सिफारिश कर रही हूँ। (शोर एवं विघ्न)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, कविता जी एक मंत्री हैं और मंत्री को निर्णय लेने का खुद अख्तियार होता है। मंत्री को तो सदन में अनाउंसमैंट करनी चाहिए न कि अनुरोध। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, इन लोगों की चतुरात्मकता वाली भाषा का प्रयोग करना तो मुझे आता नहीं है। मैंने मिड्ढा जी के कार्य को अंजाम देने हेतु उनकी बात का समर्थन किया है ताकि जल्द से जल्द ऑटो मार्किट का निर्माण संभव हो सके। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बहन जी, करण सिंह दलाल जी तथा इनकी पार्टी ने बहुत लंबे समय तक शासन किया है इसलिए राज–काज की बातें आपकी समझ में नहीं आती हैं लेकिन जल्द ही आपको भी यह राज–काज की बातें समझ में आने लग जायेंगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री हरि चंद मिड्ढाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि सारा जींद शहर एक स्वर में यह बात कहता है कि डा. मिड्ढा एक बहुत ही रहम दिल आदमी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो रहम दिल हूँ, क्या बहन जी भी मेरे क्षेत्र के लिए रहम दिली दिखायेंगी? मैं उनसे पूरी–पूरी उम्मीद रखता हूँ कि वह मेरे क्षेत्र के लिए रहम दिली दिखायें? (हंसी एवं विघ्न)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, जो भाषा माननीया मंत्री जी की समझ में नहीं आई यह कौन सी भाषा है? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, दलाल जी ने ऐसी किस भाषा का प्रयोग कर दिया है जिससे माननीया मंत्री महोदया अनभिज्ञ हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः श्रीमती शकुन्तला जी, आपकी भाषा की माननीय मंत्री जी ने तारीफ की है न कि कोई आलोचना की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पिछले दिनों एक निर्णय लिया था कि हुडा के सैक्टर्ज म्यूनिसिपल कमेटी में ट्रांसफर कर दिए जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे सूचना मिली है कि कई जगह हुडा के सैक्टर्ज ट्रांसफर कर दिए गए थे लेकिन वह पुनः वापिस हुडा विभाग में ही आ गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जीन्द में भी दो सैक्टर्ज म्यूनिसिपल कमेटी में ट्रांसफर किए गए थे । म्यूनिसिपल कमेटी वालों ने बाकायदा रैजोल्यूशन डालकर इन्कार कर दिया था कि हम इन सैक्टर्ज को टेकओवर नहीं करेंगे, न ही हम इनमें कोई विकास के काम करेंगे। आज इस बात को 3–4 महीने हो गये, न तो इम्पलाईज के पास कोई काम है और न ही कोई विकास हो रहा है।

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, यह एक अलग प्रश्न है। यदि माननीय साथी को निःसंदेह इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वे मुझे अलग से लिखकर दे दें, मैं माननीय साथी को जवाब दे दूंगी ।

To Open a Government College in Raipur Rani

***1488. Smt. Latika Sharma:** Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that an announcement to open a Government college in Raipur Rani of Kalka constituency was made on 9.4.2015 by the Hon'ble Chief Minister; if so, the time by which abovesaid college is likely to be opened?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): हां श्रीमान् जी, रायपुर रानी में प्रस्तावित राजकीय महाविद्यालय भवन निर्माण पूर्ण होने उपरान्त आरम्भ होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायिका को बताना चाहता हूँ कि दिनांक 9.04. 2015 को कालका निर्वाचण क्षेत्र रायपुर रानी में राजकीय महा विद्यालय खोलने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की थी वैसे भी यह शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र का इलाका है। अध्यक्ष महोदय, शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र और मेवात क्षेत्र के इलाके में शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए जो नॉर्म्स बनाए थे सरकार उनको कम कर रही हैं । अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय साथी नसीम अहमद जी कह रहे थे कि मेवात के लिए रिलैक्शन दिया जाये । शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र के रायपुर रानी में महिला महा विद्यालय खोलने के लिए फाईनैंस का भी प्रबंध कर लिया गया है और सरकार जल्दी ही इस पर काम शुरू करने वाली है।

श्रीमती लतिका शर्माः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को राजकीय महिला महा विद्यालय के साथ–साथ शिक्षा के नॉर्म्स चेंज करने के लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेवात की तरह कालका विधानसभा क्षेत्र शिवालिक पहाड़ी के साथ–साथ लगने के कारण बहुत पिछड़ा इलाका है। राजकीय महिला महा विद्यालय खोलने से मोरनी की छात्राओं को भी विशेष रूप से फायदा होगा । राजकीय महिला महा विद्यालय खोलने के लिए 15 एकड़ जमीन जो गांव गढ़ी में है, इस कि बात मैंने डेढ़ साल पहले सरकार से की थी। अध्यक्ष महोदय, राजकीय महिला महा विद्यालय खोलने से पहले रायपुर रानी के बी.डी.पी.ओ. ऑफिस में 15 कमरों की बिल्डिंग है, उनमें बी.ए., बी. कॉप, बी.बी.ए. आदि की क्लासिज़ शुरू हो सकती हैं, जिससे यहां के लोगों को लगेगा कि सरकार काम करवा रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इन कमरों के माध्यम से उपरोक्त कोर्सिज की क्लासिज शुरू करवा दी जाये।

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी माननीय सदस्या को बताना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा रायपुर रानी ब्लॉक के साथ लगती जमीन में से 10 एकड़ जमीन को चिन्हित कर ली गई है। पंचायत विभाग से उसका सारा ब्योरा मांग लिया गया है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के अनुसार प्रदेश में 25 महिला महा विद्यालय नये प्रारम्भ करने जा रहे हैं, उसमें रायपुर रानी भी शामिल है।

श्रीमती लतिका शर्माः अध्यक्ष महोदय, जब तक रायपुर रानी के बी.डी.पी.ओ. ऑफिस की बिल्डिंग में कुछ क्लासिज़ शुरू करवा दीजिए।

To Minimize the use of Chemicals

***1486.Shri Karan Singh Dalal :** Will the Agriculture Minister be pleased to state -

(a) the steps taken by the Government to minimize the use of chemicals in Agriculture in compliance of the orders of Punjab and Haryana High Court in C.P.W. No. 12734 of 2005; and

(b) the yearswise budget allocated and utilized for providing subsidy on pesticides in various schemes from the year 2009-10 till to date by the department of Agriculture and Horticulture?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) श्रीमान् जी, 2005 की सी0डब्ल्यू0पी0 12734 में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में कृषि में रसायनों के उपयोग को

कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा **अनुलग्नक–'I'** में दिया गया हैं।

(ख) कृषि तथा बागवानी विभाग द्वारा वर्ष 2009–10 से आज तक विभिन्न योजनाओं में कीटनाशकों पर अनुदान देने के लिए वर्षवार आबंटित तथा उपयोग किये गए बजट का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक 'II' तथा 'III'** में दिया गया हैं।

अनुलग्नक–'I'

1. रसायनों के सुरक्षित एवं न्यायसंगत प्रयोग के लिए किसान मेलों, किसान गोष्ठियों, किसान खेत पाठशालाओं, जागरूकता अभियानों, विज्ञापन एवं इलैक्ट्रोनिक मिडिया आदि के माध्यम से किसान एवं आम जनता को जागरूक पहले भी किया जा चुका है और आगे भी किया जा रहा है।

2. जैव कीटनाशक, जैविक खेती, समन्वित कीट प्रबंधन एवं एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के उपयोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

3. फलों को पकाने एवं फलों और सब्जियों को चमकाने के लिए कृत्रिम रंगों/रसायनों के प्रयोग की रोकथाम के लिए फल विक्रेताओं के परिसरों/गोदामों तथा सब्जियों की दुकानों/मंडियों पर समय–समय पर निरीक्षण/छापेमारी की जा रही है।

4. किरयाना व्यापारियों/डेयरी मालिकों या अन्य दुकानों जहां ऑक्सीटोसिन उत्पादों का भंडारण/विक्रय किया जाता है, पर छापा/निरीक्षण किया गया। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा नियम 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर ड्रग लाईसैन्स रदद् किये जाने हेतू अभियोजन शुरू किया जा चुका है।

5. किसानों, उर्वरक निर्माताओं व गैर सरकारी संस्थाओं इत्यादि को केंचुए की खाद, गोबर की खाद, हरी खाद आदि के उपयोग बारे प्रशिक्षण देने हेतू व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

6. कृषि एंव बागवानी उत्पादों की बिक्री, खरीद एंव भंडारण में कीटनाशकों के प्रयोग की जांच हेतू जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारियों, सचिव–सह–प्रवर्तन अधिकारियों तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया।

7. ऑक्सीटोसिन व कीटनाशकों के उपयोग तथा धान/गेहूँ के भूसे को जलाने एंव पर्यावरण पर उनके दुषप्रभावों के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

8. राज्य स्तरीय प्रशिक्षण तथा सेमिनारों के माध्यम से सब्जी उत्पादकों, कीटनाशक विक्रेताओं, सब्जी विक्रेताओं तथा उपभोक्ताओं को नीम आधारित कीटनाशकों जोकि प्रयोग करने में सुरक्षित हैं, के उपयोग बारे शिक्षित किया जा रहा है ।

9. मृदा, जल, फल एंव सब्जियों पर कीटनाशकों के अवशेषों के प्रभाव के विश्लेषण के लिए नियमित रूप से नमूने लिये जा रहे हैं ।

अनुलग्नक–'II'

वर्ष 2009–10 से अब तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कीटनाशकों पर सब्सिडी उपलब्ध करवाने के लिए आंबटित एवं उपयोग किए गए बजट का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

(राशि लाख रूपयों में)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) के तहत गेहूँ की फसल में पीले रतूए के नियंत्रण के लिए फफूंदनाशक			
क्रम संख्या	वर्ष	आबंटित राशि	उपयोग की गई राशि
1	2009-10	00.00	00.00
2	2010-11	00.00	00.00
3	2011-12	30.00	26.57
4	2012-13	29.50	28.38
5	2013-14	00.00	00.00
6	2014-15	40.00	39.01

7	2015-16	80.00	89.37
8	2016-17	00.00	00.00
	योग	**179.50**	**183.33**

इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय तिलहन एवं पाम ऑयल मिशन, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्था, फसल विविधिकरण कार्यक्रम तथा गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के तहत फील्ड स्तर पर प्रदर्शन प्लॉटों का आयोजन किया जाता है जिनमें कीटनाशक/खरपतवार नाशक/फंफूदनाशक सामग्री के पैकेज के हिस्से के रूप में वितरण किया गया। विवरण निम्न प्रकार से है :–

(राशि लाख रूपयों में)

क्रम संख्या	वर्ष	आबंटित राशि	उपयोग की गई राशि
1	2009-10	487.38	435.66
2	2010-11	1759.79	1617.45
3	2011-12	1587.51	1484.20
4	2012-13	622.25	470.27
5	2013-14	1293.00	1090.68
6	2014-15	1316.47	768.12
7	2015-16	1418.80	1211.54
8	2016-17	953.97	263.69 (अभी तक)
योग		**9439.17**	**7341.61**

अनुलग्नक–'III'

ताजे फलों तथा सब्जियों की खेती के लिए अच्छी कृषि क्रियाओं (जी0ए0पी0) योजना के अन्तर्गत बागवानी फसलों में कीटनाशक अवशेषों के प्रभाव को कम करने के लिये जैव–कीटनाशकों को बढ़ावा देने हेतू परियोजना क्रियान्वित है।

(राशि लाख रूपयों में)

क्रम संख्या	वर्ष	आबंटित राशि	उपयोग की गई राशि
1	2009-10	शून्य	शून्य

2	2010-11	शून्य	शून्य
3	2011-12	75.00	74.75
4	2012-13	87.00	71.08
5	2013-14	84.06	84.06
6	2014-15	71.94	72.40
7	2015-16	80.00	79.96
8	2016-17	17.85*	Nil
योग		**415.85**	**382.25**

*फीरोमोन ट्रैप्स, चिपचिपे ट्रैप्स के लिए आंबटित राशि। वर्ष 2016–17 के लिए किसी भी जैव कीटनाशक के प्रयोग बारे विचार नहीं किया जा रहा है । ये जैविक नियंत्रण के तहत आते हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय करण सिंह दलाल ने जो सवाल किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, कृषि में जिन रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है उनको कम करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाएं जा रहे हैं? सब्सिडी कितनी दी जा रही है, कितना बजट आबंटित हुआ है और उसका उपयोग कैसे हुआ? इन सब बातों की पूरी जानकारी माननीय सदस्य को दे दी गई है।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए हमारे बुजुर्ग और हमारे बच्चे आज तमाम अखबारों के माध्यम से पूरी दुनिया में खाद्य–पदार्थों को पेस्टीसाइड्स से दूर रखने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2005 में एक रिट पिटिशन पी.आई.एल. के तौर पर दायर हुई जिसका माननीय मंत्री जी ने जवाब भी दिया है । अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई

कोर्ट में हरियाणा और पंजाब दोनों प्रदेशों ने लोगों के स्वास्थ्य को बचाने हेतु पेस्टीसाइड्स दवाओं का उपयोग कम करने के लिए प्रार्थना करते हुए एफीडेविट दायर किया गया कि हम इन पेस्टीसाइड्स का उपयोग कम करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें राजनीतिक पार्टियों को इनवॉल्व नहीं करूंगा चाहे उस समय हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी या आज आप लोगों की सरकार है क्योंकि सरकार पार्टी की नहीं लोगों की हुआ करती है । लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना हम सबका कर्तव्य है । एफीडेविट देने के बाद जो आंकड़ें मंत्री जी ने सदन के पटल पर रखे हैं वे बड़े चौकाने वाले हैं । हाइकोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि हम पेस्टीसाइड्स का उपयोग नहीं करेंगे परंतु ऐसा नहीं हुआ । पेस्टीसाइड्स का उपयोग केवल इस वर्ष में घटाया गया है । पेस्टीसाइड्स के उपयोग को घटाने के प्रयास में अब यह फैसला किया गया है कि सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खातों में दिया जाएगा । जो फल–सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ हैं उनमें पेस्टीसाइड्स का खतरनाक लेवल पर इस्तेमाल हो रहा है । अगर आप हरियाणा के गांवों की रिपोर्ट मंगवाकर देखें तो पाएंगे कि हरियाणा प्रदेश में कैंसर के मरीजो की संख्या इतनी बढ़ गई है कि प्रदेश एक कैंसर स्टेट बनता जा रहा है । आप देखिये कि हर वर्ष कैंसर से कितनी मौतें होती हैं और एफीडेविट देने के बाद भी किस तरीके से पेस्टीसाइड्स का खर्च बढ़ता रहा है । क्या मंत्री जी उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो हाइकोर्ट में एफीडेविट देने के बाद भी इस तरह की गुस्ताखी करते रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही लोक महत्व के विषय को उठाया है । मुझे याद है एक दिन दलाल साहब ने हाउस में पेस्टीसाइड्स से वन्य–प्राणियों पर होने वाल दुष्प्रभाव की चर्चा की थी और आज इन्होंने सदन में मानव के स्वास्थ्य पर पेस्टसाइड्स से होने वाले प्रभाव पर चिंता

जाहिर की है । अच्छी बात यह है कि इन्होंने सत्ता–निरपेक्ष भाव से सदन में इसकी चर्चा की है । इन्होंने बताया कि हमारे शासन में भी पेस्टीसाइड्स पर पैसा खर्च होता रहा । इन्होंने अच्छी बात कही है कि सत्ता पार्टी की नहीं बल्कि लोगों की होती है । मैं मानता हूं कि विकास और संतुलन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है । एक समय ऐसा था जब हम खाद्यान्नों के लिए विदेशों पर निर्भर थे और हमें विदेशों से गेहूं मंगवाना पड़ता था । देश के सामने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता के लिए चैलेंज आया और देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों को पैदावार बढ़ाने के लिए आह्वान किया । इस काम में हमारे वैज्ञानिकों और बाहर के लोगों ने भी हमारी मदद की जो अमेरिका के आइवा स्टेट के थे । उन सब ने मिलकर देश में हरित क्रांति की । उस समय देश में उच्च गुणवत्ता के बीज, पेस्टीसाइड्स और फर्टीलाइजर लाए गए । अतः मुझे यह कहने में दिक्कत नहीं है कि हमारे प्रदेश में लगभग 19.5 लाख टन यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है लेकिन इसके कारण हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हुए तथा हमारा देश अन्न का कटोरा बन गया परंतु इसके कुछ बुरे परिणाम भी सामने आए हैं । जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि उसके कारण कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है । पंजाब से एक ट्रेन भरकर बीकानेर जाती है जिसको कैंसर एक्सप्रैस का नाम दिया गया है । पी.जी. आई. रोहतक के आंकड़ें देखने पर पता चलता है कि वर्ष 2002–12 तक प्रतिवर्ष 5 हजार कैंसर के मरीज सामने आते थे परंतु अब एक वर्ष में 35 हजार मरीज सामने आ रहे हैं । इसी कारण पिछली सरकार को कैंसर की दवाइयां और ट्रैवलिंग फ्री करनी पड़ी थी । निश्चित रूप से पेस्टीसाइड्स का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव हो रहा है । माननीय न्यायालय ने भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है और आम लोगों जागरूक हो रहे हैं । कुछ परिस्थितियों में तो हम उन दुकानों से खाद्यान्न ले रहे हैं जो पेस्टीसाइड्स फ्री खाद्यान्न दे रहे हैं । ऐसी दुकानें हमारे

शहरों में चल रही हैं जो ऑर्गेनिक खाद्य–पदार्थ रखती हैं लेकिन वर्ष 2005 में दिए गए एफिडेविट का वर्ष 2013 में जो निर्णय दिया आया है वह पेस्टीसाइड्स का उपयोग बिल्कुल बंद करने की बजाय सर्वोत्कृष्ट स्तर पर करने का है । उसमें पेस्टीसाइड्स का उपयोग उस स्तर पर करने को कहा है जिससे मनुष्य की सेहत को नुक्सान न हो । हमारे अधिकारी हर 6 महीने में एफिडविट देते हैं कि हम पेस्टीसाइड्स का उपयोग केवल उसी लेवल पर कर रहे हैं जिससे सेहत को नुक्सान न हो । इससे भी आगे बढ़कर जो ऑर्गेनिक और परम्परागत खेती का चलन शुरू हो रहा है उसके लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है । अब तो ऑर्गेनिक खाद का भी इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है । प्रधानमंत्री जी ने सिक्किम स्टेट को पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया है । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा एक जनहित का मुद्दा है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या खाद्यान्नों में पेस्टीसाइड्स की मैक्सिमम परसेंटेज रखी गई है ? इसके साथ ही क्या माननीय मंत्री जी सदन को बताएंगे कि किसी भी खाद्य–पदार्थ में पेस्टीसाइड्स की कितनी परसेंटेज रखी जाएगी ? तमाम फ्रूट्स चाहे अमरूद, सेब या आम हो सभी को कोल्ड स्टोरेज में इवाइयों से पकाया जाता है । इन खतरनाक दवाइयों से आम के अंदर विषैले तत्व पैदा हो जाते हैं जिसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर होता है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ये सरकार की नोटिफिकेशन के द्वारा हर फ्रूट और खाद्य–पदार्थ का मानक तय करेंगे और उस पर लिखवाएंगे कि उसमें पेस्टीसाइड्स का कितना इस्तेमाल हो रहा है और वह मानव की सेहत के लिए हानिकारक नहीं है ? इसके अतिरिक्त क्या मंत्री जी के विभागीय अधिकारी कोल्ड स्टोरेज और गोदामों में जाकर पेस्टीसाइड्स की मैक्सिमम मात्रा और फलों को पकान के लिए निर्धारित की गई दवाओं के मानक चेक करेंगे ?

15:00 बजे **श्री ओम प्रकाश धनखड़:** अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि आज के दिन फसलों में जो पैस्टीसाईड यूज होते हैं वे सैन्ट्रल पैस्टीसाईड मैनेजमैंट बोर्ड की सिफारिश के आधार पर ही होते हैं । यह एक लोक महत्व का विषय है आगे और सजगता से इनको इस्तेमाल किया जायेगा क्योंकि कुछ दायरा मेरे से आगे चला गया है इसके बारे में हमारे फूड एण्ड सप्लाईज मंत्री हैं जितना फसलों को उगाने में पेस्टीसाईड इस्तेमाल होता है उस पर हमारे कृषि विभाग और बागवानी विभाग के अधिकारी ध्यान रखेंगे कि कोई पैस्टीसाईड ज्यादा तो यूज नहीं किया जा रहा है और जो प्रोसैस्ड फूड इस्तेमाल होता है उस पर हमारे फूड एण्ड सप्लाई विभाग के अधिकारी ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि इस बात का हम ध्यान रखेंगे । आज के दिन कोई भी पैस्टीसाईड ऐसा यूज नहीं हो रहा है जो सैन्ट्रल पैस्टीसाईड मैनेजमैंट बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है जबकि पिछली सरकार ने एक रैक्सिल नाम का पैस्टीसाईड यूज किया था जोकि सैन्ट्रल पैस्टीसाईड मैनेजमैंट बोर्ड के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं था जिसकी वर्तमान सरकार द्वारा सी.बी.आई. द्वारा जांच कराई जा रही है ।

पूर्व विधायक का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक श्री बन्ता राम बाल्मिकी सदन में मौजूद हैं, मैं उनका पूरे सदन की ओर से अभिनन्दन करता हूं ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल को एक बात बताना चाहता हूं इन्होंने बड़े साईंटिफिक तरीके से यह

प्रश्न किया है और माननीय मंत्री श्री ओमप्रकाश धनखड़ ने इसका सही जवाब दिया है कि इस पेस्टीसाईड का असर फसलों पर तो हो रहा है लेकिन कांग्रेस घास पर इसको कोई असर नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्षः इस योजना के लिए सभी पार्टियों ने राजनीति से ऊपर उठकर जनता को इस बारे में जागरुक करना चाहिए । यह बहुत महत्व का विषय है । इसको सभी पार्टिया अपने हित के लिए इस्तेमाल न करें । मैं इसके बारे में एक उदाहण देना चाहूंगा कि जब चौधरी ओमप्रकाश जी की सरकार थी तब उन्होंने फूलों की खेती पर बड़ा जोर दिया थ। वह एक बहुत अच्छी बात थी लेकिन दूसरी पार्टियों ने उस विषय को इस प्रकार से ले लिया कि जनता को उस खेती के खिलाफ कर दिया । श्री करण सिंह दलाल जी ने बहुत महत्व का विषय सदन में उठाया है इसको सारी पार्टिया मिलकर लोगों को इस बारे में जागरुक करें जोकि आम जनता के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकती है ।

Supply of Drinking Water in Dhanies

***1525.Smt. Naina Singh Chautala :** Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state whether it is a fact that there is shortage of drinking water in the Dhanies of the villages Khokhar, Sanwantkhera, Oadhan, Nilanwali, Panniwala Raldu and Lambi; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to supply the drinking water in Dhanies of abovesaid villages from the water works of the villages togetherwith the details thereof?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डा. बनवारी लाल) : जी नहीं श्रीमान्, इसलिए प्रश्न के इस भाग का सवाल ही नहीं उठता।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हूं कि सावंतखेड़ा की ढाणी, लम्बी और पन्नीवाला रूरल 2 ये कुछ गॉव ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी बिलकुल नहीं पहुंचता है क्या सरकार इन गॉवों में पीने का पानी पहुंचाने का काम करेगी ? अगर सरकार इन गॉवों तक पीने के पानी के पाईप पहुंचा दें तो आगे के गॉवों में पाइप लाइन वे अपने पैसे से खुद ले जायेंगे ।

डा. बनवारी लाल: अध्यक्ष महोदय, सभी ढाणियों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से पानी मिल रहा है तथा जहां पानी की दिक्कत है वहां भी हम पूरा पानी देने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ढाणियों में पानी है ही नहीं । मैं किरण जी के प्रश्न से सहमत हूं कि पूरे हरियाणा में पानी के लिए त्राहि त्राहि मची हुई है । लोग अपने पैसे से टैंकर लेकर जलघरों से पानी लेकर आ रहे हैं । गांव की औरतें पानी के लिए बहुत ही परेशान हैं । सरकार का बहुत बड़ा नारा 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का है तथा इसके साथ साथ सरकार का नारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी है इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए कुछ तो किया जाए । गांवों की औरतों ने पूरा गर्मी का सीजन बहुत मुश्किल से निकाला है ।

डॉ. बनवारी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को कहना चाहूंगा कि अगर कहीं पानी की कमी है तो उसके लिए हमने नजदीक के जलघरों से व्यवस्था करवा दी है ।

श्रीमती नैना सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जिन गांवों में पानी की दिक्कत है वहां नजदीक के जलघरों से पानी देने की व्यवस्था की जा रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है । हरियाणा के लोग आज पानी के लिए तरस रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगी कि डबवाली शहर के वार्ड नम्बर 8 में सीवरेज की *और* पीने के पानी की पाइप इकट्ठी जा रही हैं तथा उससे बहुत ही गंदे पानी की सप्लाई हो रही है । गंदे पानी को पीने की वजह से वहां कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं । क्या मंत्री जी इस बारे में पता करवाने की कृपा करेंगे ।

डॉ. बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि मैं विभाग से इस बारे में जानकारी लेकर इनको बता दूंगा ।

श्रीमती नैना सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी पूछना चाहती हूं कि गांव में जो पानी की डिग्गियां होती है क्या उन डिग्गियों को साल में एक बार या दो बार कोई सफाई करवाने का प्रोवीजन है । जब इन डिग्गियों में पानी खत्म होता है तो उसमें से बहुत ज्यादा गाद निकलती है और मरे हुए जानवर तथा हड्डियां भी निकलती हैं । गाद से भरी हुई डिग्गियों में दोबारा से पानी भर दिया जाता है जोकि पीने के लायक नहीं होता ।

डॉ. बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि समय समय पर इन डिग्गियों की सफाई करवाई जाती है लेकिन यदि फिर भी कहीं कोताही हो रही है तो ये इस बारे में लिखकर दे दें ।

श्रीमती नैना सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या इस बारे में विभाग की कोई गाइडलाइंस हैं या नहीं ।

डॉ. बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी महिला साथी को कहना चाहूंगा कि मैं थोड़ा समय पहले ही इस विभाग का मंत्री बना हूं इसलिए मुझे अभी इस बारे में पता नहीं है । मैं विभाग से इस बारे में पता करके इनको बता दूंगा ।

श्रीमती नैना सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को यह बात जबानी पता होनी चाहिए ।

डॉ. बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, मेरी माननीय साथी ने अभी यह सवाल पूछा है इसलिए मैं इस बारे में विभाग से पता करवा कर इनको बता दूंगा ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है ।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Construct Buildings of Veterinary Hospitals

***1465. Shri Kehar Singh :** Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the dilapidated buildings of veterinary Hospitals of villages Manpur and Bamnikhera; if so, the time by which these buildings are likely to be constructed ?

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हां, श्रीमान जी, इन पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवनों का निर्माण कार्य चालू वित्त वर्ष (2016–17) में प्रारम्भ किया जायेगा।

Construction of Tehsil Building at Rania

***1450. Shri Ram Chand Kamboj** : Will the Revenue & Disaster Management Minister be pleased to state the time by which the construction work of the building of Tehsil is likely to

be started in Rania of Rania Assembly Constituency together with the details thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): श्रीमान, रानियां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में रानियां तहसील के निर्माण का कार्य 1 सितम्बर, 2016 से शुरू किये जाने का प्रस्ताव है और 30 नवम्बर, 2017 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इस निर्माण कार्य पर 415. 33 लाख खर्च किए जाएंगे।

Arrangement of Fire Brigade

***1516. Shri Om Parkash Barwa:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether it is a fact that there are no arrangements of fire brigade in Siwani, Loharu and Behal; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to make arrangements of fire brigade in the above said towns ?

शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री (श्रीमती कविता जैन): हां श्रीमान जी, सिवानी में एक दमकल केन्द्र स्थापित करने के लिए दिनांक 22.08.2016 को ₹ 2.18 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उपायुक्त, भिवानी को गेहूं की कटाई के समय दमकल केन्द्र, भिवानी से एक दमकल गाड़ी गांव बहल में खड़ी करने के लिए उचित स्थान चिन्हित करने का परामर्श दिया गया है। वर्तमान में लोहारू में दमकल केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Functioning of Kalanwali as Sub-Division

*** 1499. Shri Balkaur Singh :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whether it is fact that Kalanwali Sub-Tehsil in District Sirsa has been upgraded to

Sub-division; if so the time by which it is likely to be made functional ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) :

(क) हां, श्रीमान् जी। उप–तहसील कालांवाली को उप–मण्डल का दर्जा देने की अधिसूचना दिनांक 28.08.2014 को जारी कर दी गई थी।

(ख) यह मामला सरकार द्वारा बनाई गई पुर्नगठित कमेटी के विचाराधीन है।

To Replace the Electricity Wires.

***1509. Shri Prithi Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state-

a) whether it is fact that the electricity wires are in obsolete condition in all the villages of Narwana Assembly Constituency; and

b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to replace abovesaid obsolete electricity wires; if so, the time by which these are likely to be replaced ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) श्रीमान, नहीं।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में तारों को आवश्यकतानुसार समय–समय पर बदला जाता है।

Pillar Box Scam in Faridabad

***1551. Shri Mool Chand Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of officers involved in Pillar Box Scam in Faridabad Electricity Department togetherwith the action taken or likely to be taken against the abovesaid officers?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान, सतर्कता जांच के आधार पर फरीदाबाद और पलवल सर्कलों के तहत पिल्लर बॉक्स मामले में 58 अधिकारी और कर्मचारी संलिप्त पाए गए थे। राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा जांच–पड़ताल और विभागीय पूछताछ प्रगति पर है।

Quota in Admission and Scholarship

***1556. Shri Jai Tirath** : Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that the admission is not being given to the children inspite of provision of the 25% reservation quota in admission and scholarship for the Haryana students in the colleges of Rajiv Gandhi Education City in Rai Constituency; if so, the reasons thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं श्रीमान जी, इसलिए प्रश्न का यह अंश उत्पन्न ही नहीं होता।

To Metal the Unmetalled Passage

***1598. Shri Anoop Dhanak :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the passage from main link road of village Balak to village Pabra upto Dhani Tara Nagar; if so, the time by which it is likely to be metalled alongwith the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड) : जी नहीं श्रीमान, इसलिए प्रश्न के इस भाग का सवाल ही नहीं उठता ।

To Increase the Yields of Pulses

*** 1573. Shri Balwan Singh Daulatpuria :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether any scheme has been formulated by the Government to increase the yield of pulses; if so, the incentives being provided to the farmers for increasing the yield of pulses ?

कृषि मन्त्री(श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हां श्रीमान् जी, दलहन की पैदावार बढ़ाने के लिये 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन' तथा 'दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिये अतिरिक्त क्षेत्र कवरेज' नामक दो योजनाएं केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के (60:40) हिस्सा आधार पर दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये लागू की जा रही हैं । वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन स्कीम के अन्तर्गत प्रोत्साहन के रूप में अनुदानित बीज, कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, जिप्सम, कृषि औजार और स्प्रिंकलर सेट आदि के माध्यम से दलहन की पैदावार एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिये 891.29/–लाख रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है।

Construction of Roads

***1553. Shri Jai Parkash :** Will the Agriculture Minister be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads-

1. Harsola to Titram;
2. Lamba Kheri to Sajuma;
3. Kole Khan to Gurusar; and

if so, the time by which the abovesaid roads are likely to be constructed ?

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :जी नहीं, श्रीमान् ।

Dilapidated Condition of School Buildings

***1588. Shri Ranbir Singh Gangwa:** Will the Education Minister be pleased to state the number of school buildings which are in dilapidated condition in the state togetherwith the number of those school buildings which are more than 40 years old alongwith the details of the steps taken by the Government to repair/reconstruct the said dilapidated buildings ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान, कुल 46 विद्यालय भवन जीर्ण–शीर्ण अवस्था मे हैं, जिसमें 17 उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और 29 प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय सम्मिलित हैं, और कुल 11368 राजकीय विद्यालय भवन हैं, जो 40 वर्ष से अधिक पुराने हैं।

शिक्षा विभाग ने जिला स्तरीय कन्डोनेशन कमेटी के माध्यम से जीर्ण–शीर्ण भवनों को कण्डम घोषित करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। वर्ष 2015–16 के दौरान अतिरिक्त कमरे बनाने और विद्यालय भवनों की मरम्मत और रख–रखाव के लिए 120. 13 करोड़ की राशि आबंटित की गई और वर्ष 2016–17 के लिए इस कार्य हेतु 305.46 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

RENOVATION OF THE M.L.A. HOSTEL

378. Sh. Parminder Singh Dhull: Will the PW (B&R) Minister be pleased to state the total expenditure incurred in the renovation of the Haryana MLA Hostel, Sector-3, Chandigarh; together with the expenditure per room ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : जी महोदय, विधायक हॉस्टल, सेक्टर-3, चंडीगढ़ पर 1141.80 लाख रुपये की प्रशासकीय अनुमोदन के विरुद्ध कुल 698.02 लाख रुपये की राशि का व्यय विधायक हॉस्टल के कमरों व सामान्य क्षेत्र के नवीनीकरण तथा साज़-सज़ा पर हो चुका है । हरियाणा विधायक हॉस्टल, प्रति कमरा 10.51 लाख रुपये नवीनीकरण पर तथा 4.66 लाख रुपये साज़-सज़ा पर खर्च हुआ है ।

Tubewells of Drinking Water in the State

347. Shri Ram Chand Kamboj: Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state-

(a) the total number of tubewells installed to supply drinking water in the state; and

(b) the time period in which the water of the tubewells is to be got tested from the laboratory to ensure its potability togetherwith the year wise details of the tubewells the water of which has been tested during the year 2014-15 and 2015-16 ?

जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी राज्य मंत्री (डॉ. बनवारी लाल) : अध्यक्ष महोदय, (क) विभाग ने राज्य में 10633 नलकूप स्थापित किये हैं जिसकी सूची संलग्न (क) में है।

(ख) प्रायः नलकूपों के पानी को वर्ष में दो बार प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाता है एक तो मानसून से पहले तथा दूसरा मानसून के बाद, ताकि जांच में पता चल सके कि पानी की गुणवता मानको अनुसार ठीक है। वार्षिक नलकूपों के विवरण के तहत वर्ष 2014–15 में 25506 तथा वर्ष 2015–16 में 27252 पानी के सैम्पलों की जांच की गई जिसकी सूची संलग्न (ख) है।

संलग्न (क)

Sr. No.	Name of Circle	Total Nos of T/Wells Installed
1	Ambala	2164
2	Mech.Ambala	565
3	Bhiwani	492
4	Gurgaon	1070
5	Hisar	0
6	Jhajjar	0
7	Jind	320
8	Karnal	1488
9	Kaithal	1316
10	Narnaul	1519
11	Palwal	1230
12	Rohtak	3
13	Rewari	560
14	Sonipat	398
15	Sirsa	502
	Total	11657

संलग्न (ख)

Sr. No.	Name of Circle	Detail of T/wells	Water tested year 2014-15	Water tested year 2015-16
1	Ambala	2194	3561	4679
2	Mech.Ambala	565	-	-
3	Bhiwani	492	1810	1819
4	Gurgaon	1070	10085	8578
5	Hisar	0	—	—

6	Jhajjar	0	—	—
7	Jind	320	374	645
8	Karnal	1488	4327	4169
9	Kaithal	1316	1711	2021
10	Narnaul	1519	161	1033
11	Palwal	1230	1335	1430
12	Rohtak	3	9	6
13	Rewari	560	644	642
14	Sonipat	398	824	782
15	Sirsa	502	665	1448
	Total	**11657**	**25506**	**27252**

Total amount spent on Sewerage System

355. Dr. Hari Chand Midha: Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state the districtwise and blockwise details of the total amount spent on sewerage system in the state during the years 2014-2015,2015-2016 and 2016-2017?

जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी राज्य मंत्री (डॉ. बनवारी लाल) : श्रीमान, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है ।

वक्तव्य

श्रीमान, वर्ष 2014–15, 2015–16 तथ 2016–17 के दौरान राज्य में सीवरेज प्रणाली पर खर्च की गई कुल राशि का जिलावार तथा ब्लॉकवार ब्यौरा अनुलग्नक (क) पर दिया गया है

अनुलग्नक (क)

जिलेवार व ब्लॉकवार व्यय का ब्यौरा

(राशि रूपये लाखों में)

क्रमांक संख्या	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	वर्ष 2014–15 के दौरान व्यय	वर्ष 2015–16 के दौरान व्यय	वर्ष 2016–17 के दौरान व्यय (31.07.2016)
1.	अम्बाला	अम्बाला– I	1976.32	738.77	158.93
2.		अम्बाला– II	361.34	180.56	0
3		बराड़ा	0	0	0
4		नारायणगढ	54.24	74.28	17.03
5		साहा	0	0	0
6		शाहजादपुर	0	0	0
7	कुरूक्षेत्र	लाडवा	169.78	365.47	21.58
8		शाहबाद	502.34	455.37	19.14
9		थानेसर	98.05	213.32	3.37
10		पेहवा	176.23	55.51	21.95
11		बाबेन	0	0	0
12		इस्माईलाबाद	0	0	0
13	भिवानी	भवानी खेड़ा	75.54	245.95	81.6
14		भिवानी	2579.41	972.24	66.8
15		दादरी–II	783.41	91.22	68.62
16		बाढडा	0	0	0
17		लौहारू	138.29	261.74	32.84

18		तोशाम	232.34	47.22	18.78
19		सिवानी	298.34	124.42	47.6
20		कैरू	0	0	0
21		दादरी –1(भाग)	0	0	0
22		बहल	0	0	0
23	महेन्द्रगढ़	कनीना	83.5	28.15	0
24		महेन्द्रगढ	129.99	232.37	0
25		अटेली नांगल	326.46	262.51	2.04
26		नारनौल	456.81	171.5	1.73
27		नांगल चौधरी	0	0	0
28		निजामपुर	0	0	0
29		सतनाली	0	0	0
30		सीहमा	0	0	0
31	फरीदाबाद	फरीदाबाद	12.5	100.06	0
32		बल्लबगढ़	0	0	0
33	मेवात	तावडू	9.07	609.02	0.08
34		नूह	287.44	1159.11	0
35		नगीना	0	0	0
36		पुनहाना	262.44	216.74	7.18
37		फिरोजपुर झिरका	218.19	69.14	26.83
38	फतेहाबाद	भट्टू कलां	0	0	0
39		टोहाना	1311.57	483.47	45.57

40		भूना	0	0	0
41		रतीया	15.98	0	0
42		फतेहाबाद	1000.36	333.41	82.3
43		जाखल	0	0	0
44	पंचकूला	रायपुररानी	0	0	0
45		पिंजौर	551.2	296.1	53.2
46		मोरनी	0	0	0
47		बरवाला	0	0	0
48	गुडगांव	पटौदी	376.01	291.63	25.57
49		फारूखनगर	0.88	0.63	0.63
50		गुडगांव	0	0	0
51		सोहना	16.23	31.61	0
52	पानीपत	बापोली	0	0	0
53		इसराना	0	0	0
54		मडलौड़ा	0	0	0
55		पानीपत	2558.07	3037.68	306.57
56		समालखा	224.85	105.09	0.56
57	हिसार	डकलाना	36.33	489.13	23.05
58		बरवाला	112.17	229.99	0
59		अगरोहा	0	0	0
60		आदमपुर	0	0	0
61		हिसार-I	1683.14	2371.42	716.47

62		हिसार-II	0	0	0
63		नारनौंद	0	74.31	21.61
64		हांसी-I	315.57	832.87	12.75
65		हांसी-II	0	0	0
66	पलवल	पलवल	509.14	309.66	73.8
67		होडल	267.17	121.5	0.16
68		हसनपुर	113.61	773.16	29.77
69		हथीन	96.24	97.5	0
70		प्रिथला	0	0	0
71	रिवाडी	बावल	58.35	0	0
72		रिवाडी	954.36	1580.62	270.78
73		जाटूसाना	0	0	0
74		नाहर	86.44	222.29	37.71
75		खोल(रिवाडी)	0	0	0
76	झज्जर	बहादुरगढ़	605.69	221.57	16.96
77		बेरी	105.0	9.67	0
78		झज्जर	627.67	633.04	1.14
79		मातनहेल	0	0	0
80		सलहावास	0	0	0
81	रोहतक	लाखन माजरा	0	0	0
82		महम	59.98	83.9	3.49
83		कलानौर	56.57	0	0

84		रोहतक	2214.14	1428.41	197.17
85		सांपला	0.89(–)	225.96	24.05
86	जींद	नरवाना	134.6	70.15	1.81
87		उचाना	208.09	175.55	1.88
88		जींद	289.27	256.4	1.11
89		जुलाना	93.58	177.51	0
90		अलेवा	0	0	0
91		पिल्लु खेडा	0	0	0
92		सफीदों	209.37	668.5	0
93	सिरसा	डबवाली	479.01	886.94	26.93
94		औड़ा	415.74	460.68	23.64
95		बडड़गुढा	0	0	0
96		सिरसा	1310.94	352.93	92.64
97		नाथुसरी चोपटा	0	0	0
98		रानियां	294.13	204.8	172.04
99		ऐलनाबाद	327.3	132.22	550.58
100	कैथल	गुहला	37.55	43.01	4.51
101		कैथल	12.37	95.26	29.64
102		पुन्डरी	15.24	54.03	0
103		राजौंद	0	0	0
104		कलायत	243.58	115.48	20.92
105		सीवन	0	0	0

106	सोनीपत	मूंडलाना	0	0	0
107		गोहाना	148.41	81.15	20.15
108		सोनीपत	1783.7	3014.41	938.69
109		कथुरा	0	0	0
110		गन्नौर	186.44	82.94	0
111		खरखौदा	15.49	107.2	0
112		राई	0	0	0
113	करनाल	असंध	144.63	7.85	7.54
114		घरौंडा(भाग)	47.92	290.03	65.29
115		इंद्री	10.53	6.63	2.42
116		करनाल	1294.49	1082.68	223.48
117		नीलोखेडी	851.03	294.2	1.65
118		निसिंगATचिराओ	369.43	277.9	16.96
119	यमुनानगर	बिलासपुर 1	0	0	0
120		छछरौली	177.88	90.9	0
121		जगाधरी	63.34	815.81	124.25
122		मुस्तफाबाद	0	0	0
123		रादौर	0	125.76	14.83
124		सढ़ौरा	0	0	0
		Total	**32491.22**	**31077.63**	**4880.36**

To Metal the 5 Karam Unmetalled Passage

371. **Sh. Om Parkash Barwa**: Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the five karam unmetalled passage from village Budhera to village Nakipur in Loharu Block of Loharu constituency; if so, the time by which it is likely to be metalled ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : जी नहीं, श्रीमान।

.....

Land Allotted to Trust

357. Shri Karan Singh Dalal: Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state:-

(a) whether it is fact that the land falling in the Industrial Area Gurgaon developed by HSIIDC was allotted to a Trust to publish "Jan Sandesh" News Paper;

(b) whether the land mentioned at 'a' above is being used for the purpose for which it was allotted or for the Commercial purposes;

(C) whether it is a fact that Jan Sandesh News Paper is not being printed or published from premises mention in 'a' above; if so, the action is being initiated against the trust; and

(d) The name & address of all the Trustees of the trust?

उद्योग मन्त्री (श्री विपुल गोयल) :

क) हॉ फेज 4, उद्योग विहार गुडगॉव में एक एकड़ का प्लाट न0 448–451 एक उच्च तकनीकी प्रिटिंग प्रैस की स्थापना करने के लिए दिनांक 21.05.1991 को मैसर्ज जनसेवा न्यास को आबंटित किया गया था।

ख) आंबटी ने इस प्लाट पर स्वीकृत परियोजना का क्रियान्वयन किया तथा एक वर्ष से अधिक समय तक उत्पादन करता रहा, परन्तु जनवरी 2001 में आबंटी ने प्रिटिंग प्रैस परियोजना को बदलकर, सोफटवेयर विकास आई. टी. सम्बन्धी

सेवाओं के लिए करने का अनुरोध किया जो तत्कालिन लागू नीति के अनुसार अनुज्ञा दे दी गई थी।

ग) हॉ वर्तमान समय में इस परिसर से कोई समाचार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। साफटवेयर विकास/आई टी सम्बंधी सेवाओं में परियोजना को परिवर्तित करने के पश्चात आंबटी ने पुरानी विल्डिग को गिराकर एक नई बिल्डिंग का निर्माण कर लिया है। तत्पश्चात तत्कालीन लागू नीति के अनुसार आबंटी को मैसर्ज इन्डिया बुल्ज फाईनेशियल सर्विसज लिमिटेड को इसके आई टी सम्बन्धि सेवाओं तथा डाटा प्रोसैसिंग परियोजना के लिए लीज पर देने की अनुज्ञा प्रदान की।

घ) निगम के रिकार्ड के अनुसार भूमि के आबंटन के समय उपरोक्त न्यास के निम्नलिखित न्यासियों थे।

1. श्री कृष्ण कुमार सुपुत्र श्री अनन्तराम 382 ई सेल्फ फाइनेन्सिग स्कीम, मयुर बिहार चरण–2 देहलीः
2. श्री कुलदीप कुमार सुपुत्र श्री जसबन्त सिंह गॉव एवं डा0 रामसारा जिला फिरोजपुरः
3. श्री बिहारी लाल जैन सुपुत्र श्री दत्ता राम गॉव एवं डा0 चौटाला जिला सिरसा।
4. श्री मनीराम सुपुत्र री कालूराम गॉव एवॅ डा0 चौटाला जिला सिरसा।
5. श्री रमेश कुमार गोदारा सपुत्र श्री भीम सिंह गोदारा, गॉव व डा0 दडोली जिला हिसार।

Ayurveda, Human Anatomy and Traffic Rules in the Syllabus

366. Shri Pirthi Singh Nambardar: Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to include the Ayurveda, human anatomy and traffic rules in the school syllabus from 6th class to 12th class; if so, the time by which it is likely to be included?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): नहीं, श्रीमान् जी, आयुर्वेद को पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। हालांकि, आयुर्वेद से सम्बन्धित एक पाठ कक्षा ग्यारहवीं की संस्कृत विषय की पाठ्य–पुस्तक में उपलब्ध है। मानव शरीर रचना और यातायात नियम से सम्बन्धित पाठ कक्षा छठी से ग्यारहवीं के मौजूदा एवं संशोधित पाठ्यक्रम में शमिल किए गए हैं।

To Open a Government Girls College in Village Tilpat

384. Shri Lalit Nagar : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government Girls College in village Tilpat of Tigaon Assembly Constituency; if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) नहीं श्रीमान् जी।

Upgradation of School

373. Shri Jasbir Singh: Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government Primary School of Village Anta up to the Government Middle School ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): हां श्रीमान् जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अंटा, तहसील सफीदों जिला जीन्द को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

Number of Tubewell Connections

375. Shri Ravinder Baliala: Will the Chief Minister be pleased to state the number of tubewell connections released, the number

of tubewell connections shifted togetherwith the number of times the verification of stocks has been made in the Urban and Sub Urban Stations in Ratia during the period from 1st January, 2015 till to date?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान, 1 जनवरी, 2015 से अब तक रतिया में आवेदकों की प्रार्थना पर 280 नलकूप कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं और 61 कनेक्शनों को स्थानांतरित किया जा चुका हैं। मांग अनुसार प्रार्थना पर स्टोर के विरूद्ध सामग्री उपमंडल को जारी की जाती है ।

Maintenance/Repair Work of the Footpath

372. Shri Zakir Hussain : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the footpath around the Christian Grave Yard at BTM road, Bhiwani has been damaged completely; and

(b) whether it is also a fact that the maintenance / repair work of this footpath has not been carried out for the last several years; if so, the reasons thereof togetherwith the time by which the abovesaid footpath is likely to be repaired/reconstructed ?

राव नरबीर सिंह मंत्री, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) यदपि, फुटपाथ का रख रखाव सामान्य मरम्मत द्वाराकिया जा रहा है, परन्तु इसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है । अतः इसके पुनर्निर्माण का अनुमान तैयार किया जा चुका है तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया में है। वर्तमान में समय सीमा नहीं दी जा सकती ।

Construction of New Building of PHC

391. Shri Rajdeep Phogat: Will the Health Minister be pleased to state the time by which the construction work of the new building of Primary Health Centre is likely to be completed in village Imlota of Dadri Assembly Constituency the announcement of which was made two years ago ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :श्रीमान जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईमलौटा की नई इमारत का निर्माण 10 बिस्तरीय आयुष हस्पताल की असुरक्षित इमारत को गिरा कर करवाया जाना प्रस्तावित है। गिराने की स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। इमारत गिराने व आवश्यक स्वीकृतियों उपरान्त निर्माण के लिए लगभग दो वर्ष का समय चाहिए।

Agriculture Land Irrigated by Canals

399. Sh. Naseem Ahmed : Will the Agriculture Minister be pleased to state -

(a) the number of acres of land under Agriculture cultivation in each district and out of this how much acres is irrigated by canals in each district; and

(b) the percentage of agriculture land irrigated by canals in each district ?

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़):

(क) और (ख) महोदय, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

वक्तव्य

(क) जिलेवार जोतने योग्य कृषि भूमि तथा नहरों द्वारा सिंचित भूमि का विवरण नीचे दिया गया हैः–

(एकड़ में)

क0 सं0	जिला	सकल बोया गया क्षेत्र (बोया गया क्षेत्र)	नहरों द्वारा सिंचित भूमि
1.	2.	3.	4.
1.	हिसार	831750	515000
2.	फतेहाबाद	553358	155358
3.	सिरसा	996333	707363
4.	भिवानी	998735	214225
5.	रोहतक	343098	185000
6.	झज्जर	351955	121248
7.	सोनीपत	378890	59250
8.	गुड़गांव	195943	2750
9.	मेवात	279063	17758
10.	फरीदाबाद	72275	0
11.	करनाल	483495	95780
12.	पानीपत	235213	77613
13.	कुरूक्षेत्र	367150	585
14.	कैथल	506780	192775
15.	अंबाला	269735	7500
16.	पंचकूला	55735	0
17.	यमुनानगर	310615	11238
18.	जींद	596343	437500
19.	महेन्द्रगढ़	381428	1925
20.	रेवाड़ी	314260	6953
21.	पलवल	268985	68000
कुल		**8791135**	**2877817.5**

(ख) प्रत्येक जिले का नहरों द्वारा सिंचित प्रतिशत क्षेत्र नीचे दिया गया हैः–

क0 सं0	जिला	नहरों द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत
1.	2.	3.
1.	हिसार	61.92
2.	फतेहाबाद	28.08

3.	सिरसा	71.00
4.	भिवानी	21.45
5.	रोहतक	53.92
6.	झज्जर	34.45
7.	सोनीपत	15.64
8.	गुड़गांव	1.40
9.	मेवात	6.36
10.	फरीदाबाद	0.00
11.	करनाल	19.81
12.	पानीपत	33.00
13.	कुरूक्षेत्र	0.16
14.	कैथल	38.04
15.	अंबाला	2.78
16.	पंचकूला	0.00
17.	यमुनानगर	3.62
18.	जींद	73.36
19.	महेन्द्रगढ़	0.50
20.	रेवाड़ी	2.21
21.	पलवल	25.28
कुल		**32.73**

State Nutrition Mission

389. Shri Balwan Singh Daulatpuria: Will the Health Minister be pleased to state whether the Government has formulated any scheme under the State Nutrition Mission to eradicate malnutrition and deficiency of blood amongst the children, girls and women during the period from October, 2014 till to date; if so, the details thereof ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : श्रीमान जी, राज्य पोषण मिशन बनाया जा रहा है।

Construction of Multi-Story Parking

390. Smt. Shakuntla Khatak : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the time by which Multi-Story Parking on Bhiwani Stand, Rohtak in Place of Police Station is likely to be constructed as per the announcement made by the Hon'ble Chief Minister ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : हां श्रीमान जी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कॉम्प्लेक्स तथा पुराने पुलिस स्टेशन रोहतक में बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण के लिए रोहतक वृत के अधीक्षक अभियन्ता, पी0डब्लू0डी0 (बी0 एंड आर0) द्वारा पार्किंग के निर्माण हेतु व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना डिजाईन रिपोर्ट, ड्राईंग, विस्तृत प्राक्कलन तथा निविदा के कागजात तैयार करने के लिए सलाहकार की सेवाएं लेने हेतु दिनांक 23.05.2016 को नगर निगम रोहतक में एक प्राक्कलन दिया गया है जिसका आयुक्त, नगर निगम रोहतक द्वारा दिनांक 13. 07.2016 को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है एवंम 37.99 लाख रू0 की राशि कार्यकारी अभियन्ता, प्रांतीय मंडल नं0 3, बी0 एंड आर0 रोहतक में जमा करा दी गई है। सलाहकार की सेवाएं लेने के लिए निविदाएं पी0डब्लू0डी0 (बी0 एंड आर0) कार्यालय द्वारा आमंत्रित की जाएगी। इस अवस्था में निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, परन्तु निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण किया जाएगा।

To Regularize the Illegal Colonies

402. Dr. Pawan Saini.:

Shri Ghanshyam Dass: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether it is fact that many illegal colonies

have developed adjacent to the cities; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize these colonies; if so, the time by which the said colonies are likely to be regularized ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : हां श्रीमान्, यह एक तथ्य है कि शहरों के साथ लगती बहुत सी अवैध कॉलोनियां विकसित हो गई है। सरकार द्वारा हरियाणा नगर पालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2016 लागू किया गया है जिससे नगर पालिकाओं के क्षेत्रों में पड़ने वाली अवैध कॉलोनियों को नागरिक सुख सुविधाओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्र घोषित करके इन कॉलोनियों में मूल भूत सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, मल निष्कासन तथा गलियों में बिजली का प्रबन्ध किया जा सके।

46 नगरपालिकाओं की सीमा में पड़ने वाली 605 अवैध कॉलोनियों के प्रस्ताव शहरी स्थानीय निकाय विभाग में विचाराधीन है। जिन कॉलोनियों के प्रस्ताव विचाराधीन है, उनको अप्रैल, 2017 तक नागरिक सुविधाओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्र घोषित कर दिया जायेगा।

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा–

चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बंधी नियमों के नियम 13(1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापतियों की सूची में सभापति के रूप में कार्य करने के लिए नामांकित करता हूं:–

1. श्री ज्ञान चंद गुप्ता, विधायक
2. श्रीमती संतोष चौहान सारवान, विधायक
3. श्री आनन्द सिंह दांगी, विधायक
4. श्री जाकिर हुसैन, विधायक

(ख) खेल मंत्री द्वारा –

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, आज खेल दिवस के अवसर पर हरियाणा के 6 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दिया है जिनमें साक्षी मलिक को रैसलिंग में ब्रांज पदक के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, रानी रामपाल, शाहबाद से हॉकी की प्लेयर है जिसको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। विनेश फोगाट जिनको चोट लग गई थी अन्यथा रैसलिंग में उसका मैडल आ जाता, उसको भी अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है । अमित कुमार, रोहतक से रैसलिंग से है उसको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है । पैरा ओलम्पिक के बिजेन्द्र सिंह, झज्जर से जो रैसलिंग से हैं उसको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है । महाबीर सिंह जो रैसलिंग के हैं उसको भी द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है ।

(ग) सचिव द्वारा

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सचिव महोदय घोषणा करेंगे ।

सचिव :(i) मान्यवर, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च, 2016 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अपनी अनुमति दे दी है, सादर सदन की टेबल पर रखता हूं –

मार्च सत्र, 2016

1. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016
2. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016

3. हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2016
4. हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016
5. पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2016
6. हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016
7. हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2016
8. हरियाणा विनियोग (निरसन) विधेयक, 2016
9. हरियाणा उद्यम प्रोन्नति विधेयक, 2016
10. हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) विधेयक, 2016
11. हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2016
12. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2016
13. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2016

(ii) मैं संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन के संबंध में राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित प्रत्येक दस्तावेज की एक–एक प्रति सादर सदन की मेज पर रखता हूं :–

1. महासचिव, लोकसभा, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र दिनांकित 11 अगस्त, 2016;
2. लोकसभा में पुरः स्थापित रूप में संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 (अंग्रेजी तथा हिन्दी अनुवाद);
3. संसद के सदनों द्वारा पारित रूप में संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन विधेयक, 2014 (अंग्रेजी तथा हिन्दी अनुवाद)

कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब मैं सदन के वर्तमान सत्र के दौरान किये जाने वाले विभिन्न कार्यों के बारे कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय की गई समय सारणी सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

समिति की बैठक शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016 को दोपहर 12:00 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई ।

समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निदेश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016 को 2.00

बजे मध्याह्न–पश्चात् आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए शोक प्रस्ताव की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी ।

सोमवार, 29 अगस्त, 2016 को विधान सभा की बैठक 2.00 बजे मघ्याह्न–पश्चात् आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी ।

मंगलवार, 30 अगस्त, 2016 को विधान सभा की बैठक 10.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा 2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी ।

बुधवार, 31 अगस्त, 2016 को विधान सभा की बैठक 10.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी ।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि 26, 29, 30 तथा 31 अगस्त, 2016 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगा :–

शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016	
(2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात्)	शोक प्रस्ताव ।
शनिवार, 27, अगस्त, 2016	छुट्टी
रविवार, 28, अगस्त, 2016	छुट्टी
सोमवार, 29, अगस्त, 2016	1. प्रश्न काल ।
(2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात)	2. कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना ।
	3. सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज़–पत्र ।
	4. सरकारी संकल्प ।
	5. (i) वर्ष 2016–17 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) प्रस्तुत करना

	तथा उस पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट ।
	6. विधान कार्य
मंगलवार, 30, अगस्त, 2016	1. प्रश्न काल ।
(10.00 बजे प्रातः)	2. वर्ष 2016–17 के लिए अनुपूरक अनुमानों (पहली किस्त) के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक ।
	3. विधान कार्य ।
बुधवार, 31 अगस्त, 2016	1. प्रश्न काल ।
(10.00 बजे प्रातः)	2. निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव ।
	3. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव ।
	4. रखे जाने वाले कागज–पत्र, यदि कोई हों ।
	5. विधान कार्य ।
	6. कोई अन्य कार्य ।

श्री अध्यक्ष : अब पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के साथ सहमति प्रकट करता है ।

संसदीय कार्य मंत्री(श्री राम बिलास शर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों से सहमत है ।

प्रस्ताव पारित हुआ ।

आम आदमी पार्टी के नेता और संगीतकार तथा गायक श्री विशाल डडलानी एवं तहसीन पूनावाला द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में मामला उठाना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : स्पीकर सर, जैसा कि यह पूरा महान सदन जानता है कि दिनांक 26.08.2016 को इस सम्मानित सदन में जैन संत महामुनि तरूण सागर जी का प्रवचन हुआ था। सभी पार्टियों के सभी माननीय सदस्यों की सर्वसम्मति से यह सम्भव हो पाया था। अपने प्रवचन के पश्चात् स्वयं महाराज जी ने भी सभी दलों के सभी सदस्यों को उनके इस सहयोग के लिए सभी का बहुत–बहुत धन्यवाद किया था और उनके इस प्रयास के लिए सभी को साधूवाद दिया था। मैं भी अपनी तरफ से और सारे जैन समाज की तरफ से सभी माननीय सदस्यों का उनके सहयोग के लिए अभिनन्दन करती हूं, अभिवादन करती हूं और बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं। सर, इसके बाद जिस प्रकार से विशाल ददलानी और तहसीन पूनावाला द्वारा जो विवादित टिप्पणी की गई और जो गैर जिम्मेदाराना ब्यान दिये गये हैं, उससे पूरा अल्पसंख्यक समुदाय जैन समाज में रोष व्याप्त है । मैं स्वयं भी यह समझती हूं कि इससे पूरे समाज के अंदर रोष है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं इस सम्बन्ध में कोई कंट्रोवर्सी क्रियेट नहीं करना चाहती। सर, सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया था इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि जैन संत हरियाणा विधान सभा में आये और अपने कड़वे प्रवचनों से सभी माननीय सदस्यों को लाभान्वित करें। जो जैन धर्म की शिक्षायें हैं, जो आचार–व्यवहार है और सिद्धांत हैं, महाराजश्री ने उनके बारे में एक शब्द भी यहां पर नहीं कहा। हम सभी यहां पर चुने हुए प्रतिनिधि हैं कैसा हमें

आचरण करना चाहिए और किस प्रकार से हम देश, प्रदेश और पूरे समाज को आगे लेकर जा सकते हैं और कैसे हम अपनी, प्रदेश की, देश की और समाज की तमाम समस्याओं को हल कर सकते हैं केवल उन्हीं बातों को उन्होंने यहां पर रखा। सर, में यह समझती हूं कि यह हमारी विधान सभा का भी अपमान है इसलिए हम सभी सदस्यों को यहां से उन दोनों लोगों के प्रति एक निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करना चाहिए। जिस प्रकार से सभी दलों ने महाराजश्री को सर्वसम्मति से यहां पर आमंत्रित किया उसी प्रकार से उनके खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले शख्सों के खिलाफ भी सर्वसम्मति से एक निंदा प्रस्ताव पारित करना चाहिए। इसके अंतर्गत मैं यहां पर एक निंदा प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत करती हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, मेरा इस बारे में यही कहना है कि इस सदन से बाहर कौन किसके बारे में क्या कहता है इससे सदन का कोई लेना–देना नहीं होना चाहिए।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। Sir I have a right to say my own thinking. आपने मुझे एक मिनट का समय दिया है इसलिए आप मुझे अपनी बात कह लेने दें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रस्ताव बहन कविता जी ने रखा है उस सम्बन्ध में मैं अपनी पार्टी के तौर पर नहीं अपितु निजी तौर पर एक निवेदन करना चाहता हूं कि इतने बड़े साधु संतों को हमें विधान सभा में इस तरह की परिभाषा में नहीं लाना चाहिए। सबने उनको बुलाया, वे सभी के बुलावे पर यहां पर आये और अपनी बात कहकर चले गये । अब हमारे देश के अंदर प्रजातंत्र है इसलिए सभी को बोलने का बराबर अधिकार है। उनसे जुड़ी बातों का हम फिर से विधान सभा में जिक्र करके हम स्वयं ही उन महान संतों का ठीक तरीके से आदर नहीं कर पा रहे हैं। जो

यहां पर हुआ वह एक बहुत ही बढ़िया काम था। इसी के साथ मेरा आपसे एक निवेदन है कि अब हमारे पास हमारे मेवात से, हमारे दलित समाज से और हमारे सिक्ख समाज से जो उच्च कोटि के संत हैं और जो पहुंचे हुए संत हैं उनका भी प्रवचन के लिए निवेदन आया है इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां पर उनका प्रवचन करवाने का भी इंतज़ाम आपको करना चाहिए। यह मैं सभी से निवेदन करता हूं कि उन सभी को भी यहां पर अपना प्रवचन करने की सर्वसम्मति से इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : बहन कविता जी ने जो आज यहां पर जैन मुनि जी के विरूद्ध की गई विवादित टिप्पणियों के सम्बन्ध में निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है अर्थात सोशल मीडिया पर जो अपशब्द वॉयरल हुए उनके विरूद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यदि सदन की सहमति हो तो सदन की तरफ से इस बात की घोर निंदा की जाये। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो अभी मैंने पढ़ा था, उसमें यह भी एड किया जाता है कि 29 अगस्त, 2016 की कार्यवाही में विधान कार्य भी शामिल है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, यह महान सदन मुनि श्री तरूण सागर जी के प्रवचन करवाने के लिए भी सर्वसम्मत था और जो निन्दा प्रस्ताव बहन कविता जैन जी ने रखा है उस पर भी सर्वसम्मत है इसलिए इस प्रस्ताव को पारित किया जाये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारी सहमति यहां तक थी कि मुनि जी यहां हाउस में आयें और अपने प्रवचन दें । उससे आगे किसने उनको क्या गाली दी क्या कहा इस मामले में हमारी कोई सहमति नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री श्री रामबिलास जी ने क्या प्रस्ताव पारित करने के लिए कहा है वह हमें सुनाई नहीं दिया इसलिए उस प्रस्ताव के बारे में पूरे सदन को बताया जाये कि वह प्रस्ताव क्या है?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बहन कविता जैन जी ने सदन की अवमानना का जो निन्दा प्रस्ताव सदन के सामने रखा है उसको सर्वसम्मति से पास किया जाये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में सदन की अवमानना कहां पर हुई है?

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में सदन की अवमानना कहां पर हो रही है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, इसमें सदन की अवमानना किस प्रकार हो रही है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में सदन का तो कोई मुद्दा ही नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले को यहीं पर खत्म कर देता हूं । इस मामले में अम्बाला में एक अभियोग अंकित किया गया है तथा इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में कानून अपना काम करता रहेगा इसमें सदन की अवमानना किसी प्रकार से नहीं हो रही है?

विभिन्न मामले उठाना

(i)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ । इस प्रदेश में 17 फरवरी, 2016 को जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुये दंगों की जांच के लिए सरकार द्वारा प्रकाश सिंह कमेटी बनाई गई थी और प्रकाश सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी थी और सरकार ने उस रिपोर्ट को पटल पर रखने का काम भी किया था और उसको सार्वजनिक भी किया था । उसके बाद इसी विधान सभा में सदन के नेता की तरफ से यह विश्वास दिलाया गया कि हम इसकी जांच एक आयोग से करवाना चाहते हैं । उसके लिए रिटायर्ड जस्टिस श्री एस.एन. झा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया । अब सरकार ने कहा है कि हम इस बारे में सी.बी.आई. जांच करवायेंगे । इसका मतलब यह है कि सरकार इस मामले में लीपा–पोती कर रही है और जो लोग सही मायने में इसमें शामिल थे उन लोगों के चेहरे बेनकाब न हो जायें उनको बचाने का काम किया जा रहा है अन्यथा जब प्रकाश कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और जस्टिस झा आयोग का गठन किया जा चुका है तो क्या सी.बी.आई. झा–आयोग से भी ज्यादा गहनता से जांच कर सकती है ? इसलिए सरकार इस बारे में जवाब दे कि इस मामले को सी.बी. आई. को रेफर करने की जरूरत क्यों पड़ी?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर एक विस्तृत रिपोर्ट कल सदन में पेश की जायेगी ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब झा आयोग का गठन किया गया था तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं यह बात कही थी कि अगर हाउस चाहता है तो

हम इसके लिए एक आयोग का गठन कर देंगे । इसलिए सरकार को आज ही जवाब दे देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि कल इसका डिटेल रिप्लाई दे दिया जायेगा ।

(ii)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ । इस समय यहां पर कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जी बैठे हुये हैं । हरियाणा प्रदेश में हजारों ऐसे ऑक्शनर हैं जो सरकारी दायरे में नहीं हैं । एक तो आप मार्केट कमेटी से ऑक्शन रिकॉर्डर अप्वाइंट करते हैं और दूसरे ऑक्शन रिकॉर्डर व्यापारी और सरकारी खरीददारों के बीच के होते हैं । उनको सरकार द्वारा निर्धारित एम.एस.पी. का 8 प्रतिशत कमीशन मिलता है लेकिन उनको आज उनका हक नहीं मिल रहा है । अध्यक्ष महोदय, बार–बार हरियाणा सरकार के अधिकारी यह कहकर बहाना बना लेते हैं कि एफ.सी.आई. हमें इससे ऊपर कमीशन नहीं देती । मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से निवेदन है कि इस संबंध में 4.11.2003 को कृषि विभाग के कमिश्नर साहब ने भी पत्र लिखा था लेकिन उनको भी बार–बार ये कहा गया कि जो लीगल है, वही दिया जाएगा । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार के पास भारत सरकार की तरफ से इसकी गाईडलाइन भी आई हुई है । मैं भी इस संबंध में माननीय श्री रामबिलास पासवान जी से मिला था उन्होंने मुझे कहा कि हमने स्टेट गवर्नमैंट को चिट्ठी लिख दी है । अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी इस सदन को आज यह आश्वस्त कराएं कि जिन ऑक्शनरों को उनका हक नहीं मिल रहा है उनको उनका हक मिले ताकि वे सैंकड़ों लोग जिनको यह शंका रहती है

कि उन्हें मजदूरी नहीं मिलती और भूख से उनके बच्चे और परिवार परेशान हैं उनको सांत्वना मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मेरी जो दूसरी बात है वह हरियाणा प्रदेश के अन्दर एक नया मामला है जो बहुत महत्वपूर्ण है । अध्यक्ष महोदय, गांवों व शहरों में जो तालाब होते थे उनको लेकर माननीय न्यायालयों की तरफ से बार–बार आदेश आते हैं कि जहां पर तालाबों की जगह है वह खाली करवाई जाए । अध्यक्ष महोदय, जो मकान 60–60 साल पहले बने हुए हैं जिसमें मैं एक कलायत का उदाहरण देना चाहता हूं कि कलायत में सैंकड़ों मकान ऐसे हैं जो 70 साल पहले बने थे उनके इन्तकाल हैं, रजिस्ट्री हैं, गिरदावरी हैं और म्यूनिसिपल कमेटी से उनके नक्शे भी पास हैं । इस संबंध में किसी एक आदमी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी और हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिये कि जो मकान तालाबों की जगह पर बने हुए हैं उन मकानों को गिरा दो क्योंकि वह तालाब की जमीन है । मेरा आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कम से कम जिन लोगों के मकानों के नक्शे पास हैं, रजिस्ट्रियां हुई हैं, इन्तकाल हुआ है अब उन्हें 100 साल पहले का क्या पता कि कौन सा गांव कहां बसा था और कौन सा शहर कहां बसा था लेकिन आज वहां तालाब नहीं हैं आप चाहे फिजिब्लिटी रिपोर्ट मंगवाकर देख लें । अध्यक्ष महोदय, कलायत के अन्दर 430 मकान ऐसे हैं जो 20 साल पहले से निर्मित हैं और उनको गिराने का नोटिस दिया गया । इसी तरीके से चंदाना गांव है जहां केवल गरीब शिडयूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लास के लोग बसते हैं उनको भी आदेश दे दिया गया है कि आप 5 सितम्बर तक मकान खाली कर दें नहीं तो आपके मकान गिरा दिये जाएंगे। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप लाल डोरा की सीमा बनवा दें जिससे लोगों का न्यायालय से पीछा छूट जाएगा । इसके साथ ही यह आईडैंटिफाई भी करवा दो कि जब यह

गांव बसे थे तब बहुत थोड़ी जनसंख्या थी उस समय तालाब बन गये थे । इसलिये उनका जो लैंड स्टेटस है उस लैंड स्टेटस की भी एक कमेटी गठित कीजिए क्योंकि यह कलायत, चन्दाना, मटोर इस तरह कई गांवों का मामला है । यह हरियाणा प्रदेश का मामला है । मैंने इसके बारे में एक वकील साहब से भी बात की थी । आप लाल डोरे की सीमा बढ़ा दो जिससे इस समस्या से पीछा छूट जाएगा । अध्यक्ष महोदय, कलायत म्यूनिसिपल कमेटी का एरिया है । वहां के लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे । मुख्यमंत्री जी, आप चाहे डिप्टी कमिश्नर से पता करवा लो वह मकान 30 साल, 40 साल और 60 साल पहले के बने हुए हैं जिनका इन्तकाल है, गिरदावरी है, रजिस्ट्री है, नक्शा भी पास है, बिजली का कनैक्शन भी है और पानी का कनैक्शन भी है । अध्यक्ष महोदय, वहां जो जमीन खाली पड़ी हुई है वहां पर बाहर से पानी आने के लिये कोई जगह नहीं है । वहां कोई भी इरीगेशन का नाला नहीं है । इरीगेशन मंत्री यहां बैठे हैं उस इलाके में न तो बाहर से पानी आ सकता है और न जा सकता है । जब इस तरह का प्रौविजन है तो हरियाणा प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर एक ऐसी स्टेटस रिपोर्ट देनी चाहिए कि वहां तालाब की फिजिब्लिटी ही नहीं है । अध्यक्ष महोदय, वहां पर तालाब है ही नहीं । आप चाहें तो उसकी फिजिबिलटी चैक करवा लें और उसके लिए एक कमेटी गठित कर दें लेकिन उन लोगों के निर्मित मकान गिराए न जाएं । अध्यक्ष महोदय, यह समस्या एक आध क्षेत्र को छोड़कर सभी विधान सभा क्षेत्रों में है । इसलिये आपसे अनुरोध है कि उन गरीब लोगों के मकान न गिराए जाएं, जिनके मकान नक्शे के हिसाब से सही बने हुए हैं । जैसे कि कल ही सरकार ने कहा है कि इस 28 एकड़ में तो 70 वर्ष पहले तालाब बना हुआ था । लेकिन अब वहां पर गरीब लोग आकर बसे हुए हैं अब उनको क्या पता था कि 70 वर्ष पहले यहां पर तालाब था । इसलिये आप कोई ऐसा कानून, या कोई सब–कमेटी

या कोई आयोग गठित करो ताकि हम न्यायालय को भी अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें और गरीब लोगों के मकान भी बच जाएं । सर, मेरे ये दो अनुरोध हैं । मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि मुझे आश्वस्त कर दें ताकि गरीब लोग आज रात को ठीक से खाना खा लें । आपका बहुत–बहुत धन्यवाद ।

सांसद का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, हमारे माननीय राज्य सभा सदस्य श्री सुभाष चन्द्रा आज इस महान सदन की कार्यवाही को देखने के लिये आए हुए हैं, मैं उनका पूरे सदन की ओर से स्वागत करता हूँ ।

नहरों द्वारा सिंचित कृषि भूमि से संबंधित अतारांकित प्रश्न संख्या 399 के उत्तर को टालना

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मेवात से संबंधित अतारांकित प्रश्न संख्या 399 जो कि नहरों द्वारा सिंचित भूमि के बारे में था उसका कोई भी जवाब सरकार की तरफ से सदन में नहीं आया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नसीम अहमद जी, आपके इस अतारांकित प्रश्न के सवाल पर विभाग ने 15 दिन का समय और मांगा है क्योंकि इसका जवाब बहुत लम्बा है । (शोर एवं व्यवधान)

विभिन्न मामले उठाना (पुनरारम्भ)

(iii)

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मेवात में हमारे क्षेत्र में 24 तारीख को एक बहुत बड़ी घटना घटी है । एक नाबालिक लड़की से बलात्कार किया जाता और उसके मॉ–बाप को उसके सामने मार दिया जाता है ।(विघ्न)

श्री अध्यक्षः धनखड़ साहब, अभी जय प्रकाश जी ने हरियाणा प्रदेश के ऑक्शनर कमीशन से संबंधित बात सदन में उठाई थी, उस बारे में आपका क्या आश्वासन है? (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह जीरो ऑवर है और जीरो ऑवर में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। सदन का प्रत्येक सदस्य जीरो ऑवर का इंतजार करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा विषयों पर खुले रूप से आवाज उठाई जा सके। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब, ऑक्शनर कमीशन का मामला जनहित से जुड़ा मामला है और अनेक गरीब लोगों की रोजी–रोटी इससे जुड़ी हुई है। अतः मामले की महत्ता को देखते हुए मैंने इस विषय पर मंत्री जी का स्पष्ट आश्वासन चाहा था? (विघ्न)

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): अध्यक्ष महोदय, मंडी वाले कंसैप्ट के सिलसिले में मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस संबंध में मुझे ऑक्शनर की रिक्वैस्ट प्राप्त हुई है। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, मेवात के गांव डींगरहेड़ी में गैंगरेप–हत्या जैसी घटनायें घटित हुई हैं। इस जघन्य कांड पर सदन में चर्चा जरूर होनी चाहिए ताकी इस कांड से जुड़ा कोई भी दोषी बच न सके। एक तरफ सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ जबकि दूसरी तरफ हालात इस कदर भयावह हो गये हैं कि आज बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य कृत्य को उनके परिवार के सदस्यों के सामने अंजाम दिया जा रहा है। सरे–आम लोगों को मारा जा

रहा है। (शोर एवं व्यवधान) अपराधियों में कानून के भय नाम की कोई चीज नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नसीम जी, मैं आपकी भावना समझता हूँ लेकिन आप यह भी तो देखिये कि आपकी पार्टी की तरफ से फसल बीमा योजना पर स्थगन प्रस्ताव लाया गया है। मैं समझता हूँ कि एक बार उस पर ही चर्चा हो जाये तो ज्यादा बेहतर होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, इतना जघन्य हत्याकांड मेवात जिले के डींगरहेड़ी में हुआ है उस पर पहले चर्चा होनी चाहिए। इतने ज्वलंत विषय पर बात न करके सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है जबकि सरकार को इस तरह की घटनाओं को गम्भीरता से लेना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) क्या सरकार दोषियों को बचाना चाहती है। (शोर एवं व्यवधान) आज प्रदेश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिये, नसीम जी आपकी पार्टी की तरफ से जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है आप पहले उस पर बोल लें। आपको शायद मालूम नहीं है कि आपकी पार्टी के नेता श्री अभय सिंह जी ने बहुत जोर देकर इस स्थगन प्रस्ताव पर समय बढ़वाया है अतः इस अवस्था में मैं समझता हूँ कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा एक महत्वपूर्ण मसला है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जिस विषय को नसीम जी सदन में उठाना चाह रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस विषय के लिए कल कोई समय निर्धारित कर दें। अभी तो दो दिन और सदन की कार्यवाही चलेगी। अतः आप माननीय सदस्य को आश्वस्त कर दें कि वे कल डींगरहेड़ी में गैंगरेप–हत्या कांड पर अपनी बात सदन में रखें।

श्री अध्यक्षः अभय जी, जिस विषय को नसीम जी सदन में उठाना चाह रहे हैं उससे संबंधित काम रोको प्रस्ताव मुझे आज सुबह ही प्राप्त हुआ है। मैं एक बार पूरे विषय को देख लेता हूँ। उसके बाद ही इस विषय पर कोई निर्णय लिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, सरकार को बने दो साल से ऊपर हो गए हैं लेकिन मेवात से संबंधित किसी भी प्रश्न का जवाब सदन में नहीं आया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री केहर सिंहः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में हम कालिंग अटैंशन मोशन लाये हैं, आप उस पर विचार कीजिए।

श्री अध्यक्षः अभी यह कालिंग अटैंशन मोशन विचाराधीन है।

श्री परमिन्दर सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, हमने विभिन्न विषयों पर जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा आवारा पशुओं से निजात इत्यादि बारे आपको कालिंग अटैशन मोशन दिये हैं, उनका फेट भी हमें बताया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की बेटियों को मारा जा रहा है उनकी इज्जत तार–तार की जा रही है। उनका कत्लेआम किया जा रहा है। मेवात की घटना प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था का उदाहरण है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, ऐसी बात नहीं है। जितनी उपलब्धि वर्तमान सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई। हरियाणा प्रदेश में पहले 800 से भी कम बेटियां थी। अब बेटियों की संख्या 900 से भी कुछ ज्यादा हो गई है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, आप दूसरे विषय में न जाते हुए मेवात के डींगरहेड़ी में घटी घटना के बारे में बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। यह घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, जिस विषय को मैं सदन में उठा रहा हूँ वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और आपको इस विषय पर सदन में चर्चा करवानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिये, आज समाज में बड़ी जागरूकता आई है। प्रदेश में लिंगानुपात कम होना इसका साक्षात उदाहरण है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, हमारे पार्टी के सदस्यों द्वारा बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ विषय पर चर्चा की मांग नहीं की जा रही है बल्कि इस बात पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि प्रदेश में कानून–व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। जिस प्रकार से मां–बाप की मौजूदगी में दो मासूम लड़कियों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य कृत्य को अंजाम दिया गया और माता–पिता को मार दिया गया उसके बावजूद भी वहां का प्रशासन/सरकार ने उसी वक्त दोषियों के विरूद्ध जो कार्यवाही करनी चाहिए थी, वह कार्यवाही लोगों के रोष बढ़ने के बाद की गई। सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि सरकार द्वारा इस घटना के चार दिन बाद दोषियों के नामों की पहचान की गई? (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस घटना की बात है तो मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जहां तक इस घटना का विषय है, तफ्तीश जारी है और जो भी लोग इसमें दोषी पाये जायेंगे उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के माननीय सदस्य प्रदेश की केवल एक ही घटना का जिक्र नहीं कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) यह माननीय सदस्य प्रदेश में बेटियों पर घटित अन्य घटनाओं पर भी सदन में चर्चा करवाना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) उन सभी घटनाओं पर सदन में चर्चा होनी चाहिए जिसके लिए इन्होंने काम रोको प्रस्ताव दिया है। (शोर एवं व्यवधान) विषय की महत्ता को देखते हुए हमारे माननीय साथी सदन में चर्चा करवाना चाहते है। (शोर एवं व्यवधान) मेरा तो आपको यह सुझाव है कि इसके लिए कल या परसों के लिए कोई समय निर्धारित कर दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, मैंने भी तो यही कहा है कि मैं इस विषय को देख लेता हूँ या विचार कर लेता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) अतः मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप प्लीज बैठिए और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा ज्यादा जरूरी है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हमने जो कानून व्यवस्था के बारे में काम रोको प्रस्ताव दिया हुआ है, उसका फेट बताया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैडम, आपने जो काम रोको प्रस्ताव दिया गया था उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कंवर्ट कर दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में दिनों दिन इतने अपराध हो रहे हैं इसलिए सरकार लॉ एण्ड ऑर्डर विषय पर चर्चा करवाएं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गलत बात सदन में हो रही है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में हर रोज बलात्कार की घिनौनी घटनाएं घट रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती लतिका शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहती हूँ कि हमारी सरकार का लॉ एण्ड ऑर्डर बहुत अच्छा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैडम किरण चौधरी जी, मैं आपको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपने विचार रखने के लिए कह रहा हूँ तो आप अपना विषय दूसरी तरफ ले जा रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, मैंने एवं मेरी पार्टी के चार अन्य विधायकों ने हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने व नियमित वेतनमान देने बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे रखा है उसका फेट बताने की कृपा करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ढुल साहब, आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मुझे आज ही सुबह 9:15 बजे प्राप्त हुआ है मैं उसका फेट आपको बताऊँगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, सरकार के लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में चर्चा करवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री तेजपाल तंवरः अध्यक्ष महोदय, मैं तावडू (मेवात) में जो बलात्कार व हत्या हुई उसके बारे में आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूँ कि श्रीमती सरजीना के ब्यान पर केस दर्ज हुआ कि वह अपने पिता इस्लाम के घर गांव डिंगरहेडी जिला मेवात में आई हुई थी। दिनांक 24 अगस्त, 2016 की रात जब वह अपने परिवार के साथ सो रही थी तो लगभग 12 बजे चार–पांच अज्ञात व्यक्ति घर में घुए आए और सोये हुए व्यक्तियों के साथ मारपीट की । अध्यक्ष महोदय, इब्राहिम व उसकी पत्नी

रसीदन की हत्या कर दी गई तथा उसकी और अलीसा की पुत्री के साथ बलात्कार किया गया । अध्यक्ष महोदय, लुटेरे घर से कीमती सामान, जेवरात आदि ले गए थे, तुरंत ही पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक प्रशासन अलर्ट हो गया था। अध्यक्ष महोदय, 26 अगस्त, 2016 को सत्र समाप्त होते ही हम मौके पर गए थे। इस तरह से सरकार ने तुरंत ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जब हम माननीय सदस्यों की बातें सुन रहे हैं तो इन्हें भी हमारी बात को सुनना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष जी, ये किस तरह से जवाब दे रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान) इस विषय की जानकारी तो हमें हैं । वहां पर लड़कियों का रेप हुआ है और माँ–बाप के सामने रेप हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला, बहन किरण चौधरी और अनेक विधायकों के कॉलिंग अटैंशन मोशन के लिए आपने डेढ़ घंटे का समय निर्धारित किया हुआ है । तावडू के डींगरहेड़ी में जो बड़ी दर्दनाक और खौफनाक घटना घटी है, इससे हम लोग भी बहुत चिंतित हैं । इस केस में 4 आदमी गिरफ्तार किये गए हैं । इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है । (विघ्न) मैं कोई बचाव नहीं कर रहा हूं । (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री दोषियों का बचाव कर रहे हैं । 4 दिन तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं होने दिया था । आप सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनाइये और इस घटना की जांच करवाइये । मैं गलत नहीं कह रहा हूं । केंद्रीय मंत्री के दवाब में 4 दिन तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई । पुलिस को इसकी पूरी जानकारी थी । इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा शुरू करवाइये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जाकिर जी, अब आप इस विषय को बंद कीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण चौधरी जी, आपने जो कॉलिंग अटैनशन मोशन दिया है आप उस पर चर्चा कीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विषय पर बाद में आऊंगी । वहां पर माँ–बाप दोनों को गोलियां मार दी गई । (शोर एवं व्यवधान) वहां बेटियों के साथ रेप हो रहा है । उनकी बुरी हालत है और माँ–बाप को गोलियां से मारा जा रहा है फिर भी अपराधियों का बचाव किया जा रहा है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि इस विषय पर कल अच्छी तरह से चर्चा करा ली जाए । पिछले 10 साल कांग्रेस पार्टी का शासन और उससे पहले जिन पार्टियों का शासन रहा है उनके हमारे पास सारे आंकड़ें उपलब्ध हैं । हम हर तरीके से बता सकते हैं कि किस–किस पार्टी का शासनकाल कैसा रहा है । इस पर चर्चा कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर साहब, यह तो इस बात का जवाब नहीं है ।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन के नेता ने जो बात कही है हम उनकी इस बात का स्वागत करते हैं । इस विषय पर पूरे सदन में चर्चा होनी चाहिए । इस विषय पर चर्चा होने के साथ साथ पिछले दस सालों में पिछली सरकार के कार्यकाल में जो कुछ हुआ उस पर भी चर्चा होनी चाहिए । सारी बात खुलकर सबके सामने आनी चाहिए । हम तो यहां तक कहते हैं कि जब हमारी पार्टी की सरकार थी उस समय की भी चर्चा करनी चाहिए । इस के लिए मैं एक

बात कहना चाहूंगा कि इसके लिए सदन का समय 31 अगस्त से आगे और बढ़ाना चाहिए ताकि प्रत्येक सदस्य को अपनी बात खुलकर कहने का समय मिल सके । यह 31 अगस्त तक का समय भी बड़ी मुश्किल से बढ़ाया है ।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, ऐसा मत कीजिए क्योंकि आपने एक बार इस बारे में कहा था और आपकी बात को तुरन्त स्वीकार कर लिया गया था ।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात से बिलकुल सहमत हूं और आपका स्वागत करता हूं लेकिन आप इस बात से मुड़ मत जाना इस विषय पर 100 फीसदी पूरे दिन चर्चा होनी चाहिए । हर व्यक्ति को इस विषय पर बोलने का अधिकार होना चाहिए कि वह अपने हल्के की बातों को खुलकर सदन में कहे और सरकार की तरफ से उस सदस्य का जवाब भी आना चाहिए।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने अपना काम रोको प्रस्ताव दिया था जिसे आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बदल दिया । मैं तो इस प्रस्ताव को पढ़ दूंगी लेकिन मैं तो इस बारे में एक ही प्रश्न पूछ सकूंगी ।

श्री अध्यक्षः नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपकी पार्टी के सदस्य श्री करण सिंह दलाल, श्री आनन्द सिंह दांगी, श्री जयतीर्थ भी इस विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आपने इस प्रस्ताव की चर्चा के लिए डेढ़ घण्टे का समय तय किया था । इस विषय पर डेढ़ घण्टे चर्चा करनी चाहिए ताकि प्रत्येक सदस्य अपना प्रश्न पूछ सके ।

श्री अध्यक्षः ठीक है ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मुझे श्रीमती किरण चौधरी, विधायिका द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बारे एक ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है।

स्थगन प्रस्ताव संख्या 1 जोकि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक तथा तीन अन्य विधायकों (सर्वश्री आनन्द सिंह दांगी, जयतीर्थ तथा ललित नागर) द्वारा दिया गया है, जिसको मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 में परिवर्तित कर दिया है । मैंने समान विषय का होने के कारण इसको ध्यानकर्षण सूचना संख्या 1 के साथ जोड़ दिया गया है। उपरोक्त वर्णित सभी विधायक सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव संख्या 2 जोकि सर्वश्री परमिन्दर सिंह ढुल, विधायक तथा तीन अन्य विधायकों (सर्वश्री रणबीर गंगवा, बलवान सिंह दौलतपुरिया, अनुप धानक) द्वारा दिया गया है, जिसको मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 3 में परिवर्तित कर दिया है तथा समान विषय का होने के कारण इसको ध्यानकर्षण सूचना संख्या 1 के साथ जोड़ दिया गया है। उपरोक्त वर्णित सभी विधायक भी सप्लीमैंटरी पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 जोकि श्री करण सिंह दलाल, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण वह भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–1 पर चर्चा के दौरान सप्लीमैंट्री पूछ सकते है।

स्थगन प्रस्ताव संख्या–3 जोकि श्री अभय सिंह चौटाला विधायक द्वारा दिया गया है, जिसको मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 में परिवर्तित कर दिया है। समान विषय का होने के कारण वह भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–1 पर चर्चा के दौरान सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–16 श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक द्वारा दी गई है। समान विषय का होने के कारण वह भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–1 पर चर्चा के दौरान सप्लीमैंटरी पूछ सकते हैं।

अब श्रीमती किरण चौधरी, विधायक अपनी सूचना पढ़ें।

Smt. Kiran Choudhry : Speaker Sir, I want to draw the kind attention of this House towards some lacunas the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) is beset with and which distance it from being farmer-friendly. The scheme allows the insurer not to pay compensation on account of certain losses. Under the PMFBY, heat wave, cold wave and frost are not covered as natural calamity for insurance purposes, though these account for huge losses during both kharif and rabi seasons in the state. Denying the farmers compensation for the losses due to natural calamities amounts to cheating and robbing them of their due. Why involve insurance companies in the distribution of direct subsidy to the farmers? Moreover, the scheme takes the area approach route for determining an insurance unit which would be the revenue estate (village). This is a big flaw. For example, if a farmer having three to four acres, suffers total damage to crops due to natural calamity in a part of the village while his peers turn out to be lucky, why he should be denied compensation? Make acre an insurance unit, not village. Also, the crops covered under the scheme include cotton, paddy, bajra and maize during *kharif-2016* and wheat, barley, mustard and gram during Rabi 2016-

17. Why not bring cash crops under the cover, especially when the state government is encouraging the farmers to break free from the traditional crops cycle and grow cash crops to earn more. if the entire village is not affected, then no compensation is given. Also the agencies, which will send their own people to assess the loss, so again the farmer is going to be shortchanged. When the farmer goes to co-operative society which gives loan to the farmers, he has to take insurance on crops forcibly. Similar situation he has to face when he goes to the bank for Kissan Credit Card for loan facility whereas it is not the government money but it pertains to the farmer personally yet he is forced to take crop insurance. Even the private banks, who have given loan to the farmers, are dealing with them in the same way.

I call the attention of Hon'ble Members of the House to discuss the issue and impress upon the state government to make necessary changes for the benefit of the farmers of the state.

ADJOURNMENT MOTION NO, I CONVERTED INTO CALLING ATTENTION NOTICE NO. 2 & CLUBBED/BRACKTTED WITH CALLING ATTENTION NOTICE NO. I

Smt. Kiran Choudhry, MLA, S/Shri Anand Singh Dangi, MLA, Jai Tirath, MLA and Lalit Nagar, MLA want to draw the kind attention of this august House towards a matter of urgent and great public importance that some lacunas the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) is beset with and which distance it from being farmer-friendly. The scheme allows the insurer not to pay compensation on account of certain losses. Under the PMFBY, heat wave, cold wave and frost are not covered as natural calamity for insurance purposes, though these account for huge losses during both *kharif* and *rabi* seasons in the state. Denying the farmers compensation for the losses due to natural calamities amounts to cheating and robbing them of their due. Why involve insurance companies in the distribution of direct subsidy to the farmers? Moreover, the scheme takes the area approach route for determining an insurance unit which would be the revenue estate (village). This is a big flaw. For example, if a farmer having three to four acres, suffers total

damage to crops due to natural calamity in a part of the village while his peers turn out to be lucky, why he should be denied compensation? Make acre an insurance unit not village. Also, the crops covered under the scheme include cotton, paddy, bajra and maize during *kharif-2016* and wheat, barley, mustard and gram during Rabi 2016-17. Why not bring cash crops under the cover, especially when the state government is encouraging the farmers to break free from the traditional crops cycle and grow cash crops to earn more. If the entire village is not affected, then no compensation is given. Also the agencies, which will send their own people to assess the loss, so again the farmer is going to be short-changed. When the farmer goes to co-operative society which gives loan to the farmers, he has to take insurance on crops forcibly. Similar situation he has to face when he goes to the bank for Kissan Credit Card for loan facility whereas it is not the government money but it pertains to the farmer personally yet he is forced to take crop insurance. Even the private banks, who have given loan to the farmers, are dealing with them in the same way.

ADJOURNMENT MOTION NO. 2 CONVERTED INTO CALLING ATTENTION NOTICE NO. 3 & CLBBED/BRACKTTED WITH CALLING ATTENTION NOTICE NO. I

S/Shri Parminder Singh Dhull, MLA, Ranbir Gangwa, MLA, Balwan Daulatpuria , MLA and Anoop Dhanak, MLA want to draw the kind attention of this august House towards a matter of urgent and great public importance that farmers of the State have suffered a blow because of the implement of the anti farmer Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana w.e.f. April, 2016. As per the guidelines of the PMFBY only four crops have been included for the purpose of compensation to the farmers. The other crops as Sugarcane, Jawar, Vegetable, etc have not been included which are against the interest of the farmers. The PMFBY will be operated by three private Insurance Agencies named (i) Reliance General Insurance Company Ltd. (ii) Bajaj Allianz General Insurance Company Ltd. (iii) ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. and the premium is being deducted forcibly against the wills of the farmers from their accounts of agricultural credit limits, accounts in the cooperative societies as well as in the commercial banks etc.

The Govt. is helping the private companies on the cost of the farmers which shows that the Govt. is fully safe guarding the Interest of the Corporate Houses. It is obvious that the policies of the BJP Govt. is against the farmers as well as to the laborers who are directly or indirectly attached with the agriculture. Moreover the method of calculation of crops is not practical as it will be surveyed by the Drone and with the help of Mobiles. The village unit for the calculation of the loss of crops also proves the anti-policies of the Govt. against the farmers.

CALLING ATTENTION NOTICE NO.6

Shri Karan Singh Dalal, MLA wants to draw the kind attention of this House towards the brazen loot of already indebted farmers of the state in the grab of Prime Minister Fasal Bima Yojna, by the private insurance companies in collusion with financing banks and the State Government.

As per the scheme which makes insurance compulsory, the farmers are to pay only 2% premium in Kharif and 1.5% premium in Rabi for notified crops of the sum insured and the rest is to be borne by the Centre/State Government as

subsidy. But the real fact is contrary to the above claim. The implementation of the scheme is a farce as the prescribed proforma does not provide for signatures of the farmer who is sought to be assured. Without obtaining the relevant details of crop sown by the assured farmer and khasra numbers, the farmer will not be able to claim his losses/damages from the Insurer(s) in case of occurrence of calamities etc. Similarly, the proposal/application is required to be duly signed by the assured farmers before paying premium from loan accounts of the farmers. But throughout the state the Banks have debited the accounts of the farmers without their written consent and paid premium to the Insurance companies, which is a breach of trust and a fraud played upon the farmers.

He has arequested the Government to make a statement in the House regarding the action taken or proposed to be taken in this House.

CALLING ATTENTION NOTICE NO.10

Shri Abhay Singh Chautala, MLA wants to draw the kind attention of this august House towards a matter of urgent and great public importance that farmers of the State have

suffered a blow because of the implement of the anti farmer Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana w.e.f. April, 2016. As per the guidelines of the PMFBY only four crops have been included for the purpose of compensation to the farmers. The other crops as Sugarcane, Jawar, Vegetable, etc. have not been included which are against the interest of the farmers. The PMFBY will be operated by three private Insurance Agencies named (i) Reliance General Insurance Company Ltd. (ii) Bajaj Allianz General Insurance Company Ltd. (iii) ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. and the premium is being deducted forcibly against the wills of the farmers from their accounts of agricultural credit limits, accounts in the cooperative societies as well as in the commercial banks etc. The Govt. is helping the private companies on the cost of the farmers which shows that the Government is fully safe-guarding the interest of the Corporate Houses. It is obvious that the policies of the BJP Government is against the farmers as well as to the labourers who are directly or indirectly attached with the agriculture. Moreover, the method of calculation of crops is not practical as it will be surveyed by the Drone and with the help of Mobiles.

The village unit for the calculation of the loss of crops also proves the anti-policies of the Government against the farmers.

CALLING ATTENTION MOTION NO.16

Shri Jagbir Singh Malik wants to draw the kind attention of this august House regarding the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna as introduced in Haryana by the Government without educating the people. The farmers are being forced to contribute towards crop insurance and the premium is being deducted from their account without notice to them and even the double payment is deducted if the farmer has taken loan from two financial institutions.

The farmers are facing starvation even then they have to pay premium for crop insurance while they have not grown in their fields. The barron fields are also being changed for crop insurance. The share croppers and tenants have no entry in revenue records how they will be compensated. The compensation in the scheme is regarding not sown land, before harvesting and post harvesting and the scheme if so read will not give farmer any relief.

The present Pardhan Mantri Fasal Bima Yojna is nothing but extract in of money from poor farmer and not the strengthen the farmers financially.

Keeping in view the above situation the Govt. should make a statement in the House regarding the total crop under insurance viz. compulsory insurance and voluntary insurance separately are how much premium has been collected from farmers under compulsory category and voluntary and also the details of members of LegisLative Assembly & Minister who have agriculture and land and opted for voluntary crop insurance and if these are any proposal to amend this scheme by the State Govt.

श्री अध्यक्ष : अब कृषि मन्त्री उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जबाव देंगे।

वक्तव्य –

कृषि मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 23–02–2016 द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी0 एम0 एफ0 बी0 वाई0) बनाई गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने वर्तमान संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एम0 एन0 ए0 आई0 एस0) तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन0 ए0 आई0 एस0) का स्थान लिया है। राज्य सरकार ने खरीफ 2016 सीजन तथा रबी 2016–17 सीजन के दौरान राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अधिसूचना दिनांक

17–06–2016 को जारी की गई है। खरीफ 2016 सीजन में धान, बाजरा, मक्का तथा कपास एवम् रबी 2016–17 सीजन में गेहूं, सरसों, चना तथा जौं को इस योजना में सम्मिलित किया गया है। फसल बीमा योजना को पहली बार इतने बडे पैमाने पर लागू किया गया है। सरकार द्वारा लागू करने की शुरूआत परम्परागत फसलों से की गई है जिनके बारे वास्तविक उपज के ऐतिहासिक आंकड़े उपलब्ध हैं ताकि दावों का निर्धारण सम्भव हो सके। इसके लागूकरण से प्राप्त अनुभव के आधार पर अधिक फसलों को आने वाले वर्षों में शामिल किया जा सकता है।

2. कुल क्षेत्र को तीन समूहों में विभक्त करते हुए योजना को लागू किया जा रहा है। प्रत्येक समूह में सात जिले हैं। योजना को खुली प्रतियोगी बोली प्रकिया के आधार पर चयनित रिलायन्स जनरल इन्श्योरैन्स कम्पनी लिमिटेड, बजाज एलियांज जनरल इन्श्योरैन्स कम्पनी लिमिटेड तथा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरैन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा लागू किया जा रहा है। बीमा कृत राशि, किसानो द्वारा भुगतान योग्य प्रीमियम, विभिन्न फसलों के सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान योग्य अनुदान का जिलावार ब्यौरा अनुलग्नक 1 पर रखा गया है।

3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी0 एम0 एफ0 बी0 वाई0) के परिचालन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, योजना "एरिया अप्रोच" आधार पर लागू की जा रही है। राजस्व सम्पदा (गांव) को बीमा इकाई के रुप में अधिसूचित किया गया है।

योजना के अधीन प्रीमियम का किसानो का हिस्सा 1.5 प्रतिशत रबी फसलों के लिए 2 प्रतिशत खरीफ तथा 5 प्रतिशत बागवानी व वाणिज्यिक फसलों के लिए है। बाकी का हिस्सा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर के अनुपात मे

वहन किया जाएगा। एक मौसम में सभी फसलों के लिए एक समान प्रीमियम भुगतान योग्य है। किसानो के हित में राज्य सरकार ने कपास की फसल के मामले में भी जो कि एक वाणिज्यिक फसल है तथा जो 5 प्रतिशत प्रर्वग में आती हैं किसानो से केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम लेने का निर्णय किया है। बाकी 3 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। यह 3 प्रतिशत राज्य सरकार के सामान्य हिस्से के अतिरिक्त होगा जिस का भुगतान केन्द्र सरकार के साथ–2 राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है। विभिन्न फसलों के सम्बन्धमें बीमाकृत राशि वित्तपोषण के मापमान (स्केल ऑफ फाईनैंस) के समान है। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा मुहैया की जाने वाली प्रीमियम सबसिडी पर कोई ऊपरी सीमानहीं है। पी0 एम0 एफ0 बी0 वाई0 के परिचालन दिशा–निर्देशों के अनुसार, योजना कर्जदार किसानो के लिए अनिवार्य है। कर्जदार किसानो के सम्बन्ध में प्रीमियम उनके कर्ज आवेदन में किसानो द्वारा वर्णित क्षेत्र तथा फसलों की सूचना के आधार पर बैंकों द्वारा काटा जाना है। तथापि राज्य सरकार ने अखबारों में विज्ञापन जारी करके,पैम्पलेटों का वितरण करके तथा कृषि कर्मचारियों द्वारा गांवों का दौरा करके उन द्वारा वास्तविक रुप से बोई गई फसलों यदि ये बैंक रिकार्ड में वर्णित फसलों से भिन्न हैंकी सूचना देने का अनुरोध किया है ताकि प्रीमियम वास्तविक रुप से बोई गई फसलों के लिए ही वसूल किया जा सके।

4. भारत सरकार द्वारा जारी परिचालन दिशा–निर्देशों के अनुसार पी.एम. एफ.बी.वाई. में फसल के निम्नलिखित चरण तथा फसल हानि के जोखिम सम्मिलित हैं।

(क) बुआई न हो पाना/रोपण जोखिम : बीमाकृत क्षेत्र मेंवर्षा की कमी अथवा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण बुआई/रोपण न हो पाना। निवारित बुआई

के प्रयोजन के लिए अन्तिम तिथि खरीफ के मामले में 31 अगस्त है। सदस्य के रुप में उप निदेशक कृषि तथा सम्बधित तहसीलदार सहित उपमण्डल अधिकारी (सिविल) की अध्यक्षता में एक समिति इस सम्बन्ध में 31 अगस्त 2016 तक कृषि निदेशक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी यदि कहीं ऐसी सम्भावना उत्पन्न होती है। इस प्रावधान के अर्न्तगत वहां क्लेम भुगतान योग्य है जहा राज्य सरकार किसी विशेष बीमा इकाई के लिए अधिसूचना जारी करती है।क्लेम वहीं भुगतान योग्य हैजहां किसी गांव में 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में शुरूआती अवस्था में फसलोंको हानि हो या जहां किसान फसल को बोने/रोपित करने की स्थिति में नहीं हो।

(ख) खड़ी फसल(बुआई से कटाई तक): बीमा नहीं रोके जा सकने योग्य जोखिम अर्थात सूखा, शुष्क समय, बाढ, जल भराव, कीट एवम बीमारी, भूस्खलन प्राकृतिक आग लगना तथा आसमानी बिजली, आंधी, ओलावृष्टि चक्रवात, टाइफून, तूफान, हरीकेन, बवन्डर के कारण उपज हानि को कवर करने के लिए बीमा मुहैया कराया जाता है। उपज में कमी की गणना फसल को काटने के समय पर फसल कटाई प्रयोग के माध्यम से अनुमानित ''वास्तविक पैदावार'' की''प्रारम्भिकपैदावार'' (पिछले 5 सबसे अच्छे वर्षों की औसत उपज गुणा 90 प्रतिशत हरजाना स्तर) से तुलना करके की जाएगी। दावा ''एरिया अप्रोच'' के आधार पर बीमा इकाई (गांव) स्तर पर भुगतान योग्य होगा, अर्थात उपज में कमी के मामले में गांव में उस विशेष फसल के लिए सभी बीमाकृत किसान व्यक्तिगत खेत में वास्तविक उपज को ध्यान में रखे बिना दावा प्राप्त करेंगे। फसल कटाई प्रयोग सरकार तथा बीमा कम्पनी द्वारा कराया जाएगा तथा किसान पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अवलोकन करने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

जहां सीजन के दौरान किसी गांव में ''सम्भावित उपज''के ''प्रारम्भिकउपज'' के 50 प्रतिशत से कम होने की सम्भावनाहो तो सम्भावितदावे के अधिकतम 25 प्रतिशत तक दावे का भुगतान किसानो को अन्तरिम आधार पर किया जाएगा। अन्तरिम भुगतान अन्तिम दावे के विरुद्व समायोजित किया जाएगा। हानि का आकलन सरकारी तथा बीमा कम्पनियों के अधिकारियों की सयुंक्त समिति द्वारा किया जाएगा।

(ग) **फसल कटाई के बाद हुई हानि :** रिस्क कवर चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा तथा बेमौसमी वर्षा के विशेष जोखिमके लिए फसल कटाई के अधिकतम दो सप्ताह तक की अवधि के लिए उन फसलों के लिए उपलब्ध है जो काटने के बाद खेत में फैलाई जाती हैं। हानि का निर्धारण खण्ड कृषि विकास अधिकारी, बीमा कम्पनी द्वारा नियुक्त हानि निर्धारक तथा सम्बधित किसान से मिलकर बनी टीम द्वारा सयुक्त रुप से किया जाएगा। हानि का निर्धारण व्यक्तिगत खेत के आधार पर किया जाएगा। किसानो से 48 धण्टे के भीतर हानि के बारे में बीमा कम्पनी, सम्बधित बैंक, कृषि विभाग या जिला प्रशासन को सूचना देनी अपेक्षित है। यदि किसी विशेष फसल के अधीन प्रभावित क्षेत्र गांव के कुल बीमाकृत क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक है, तो सभी बीमाकृत किसान जिन्होने 48 धण्टे के भीतर सूचना दी है दावे के लिए पात्र होंगे।

(ध) **स्थानीय आपदाए ं:** अधिसूचित क्षेत्र में ओलावृष्टि, भूस्खलन तथा जल भराव के स्थानीय जोखिमों से कुछ फार्मों (खेतों) में हुईहानि। हानि का निर्धारण खण्ड कृषि विकास अधिकारी, बीमा कम्पनी द्वारा नियुक्त हानि निर्धारक तथा संबंधित किसान से मिलकर बनी टीम द्वारा सयुक्त रुप से किया जाएगा। हानि का निर्धारण व्यक्तिगत खेत के आधार पर किया जाएगा। किसानो से 48 धण्टे के भीतर हानि के

बारे में बीमा कम्पनी, सम्बधित बैंक, कृषि विभाग या जिला प्रशासन को सूचना देनी अपेक्षित है। यदि किसी विशेष फसल के अधीन प्रभावित क्षेत्र गांव के कुल बीमाकृत क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक है, तो सभी बीमाकृत किसान जिन्होने 48 धण्टे के भीतर सूचना दी है दावे के लिए पात्र होंगे।

साधारण अपवर्जनः युद्ध तथा नाभिकीय जोखिम, विद्वेषपूर्ण नुकसान तथा अन्य रोके जा सकने योग्य जोखिमों से उत्पन्न हानियां शामिल नहीं हैं।

5. पूर्व में विभिन्न फसल बीमा योजनाएं समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई हैं। जिनके ब्यौरे निम्न अनुसार हैंः–

I. व्यापक फसल बीमा योजना (1985–1999)
II. प्रायोगिक फसल बीमा योजना (1997–1997)
III. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (1999–2012)
IV. किसान आय बीमा योजना (2003–2004)
V. मौसम आधारित फसल बीमा योजना (2007–2015)
VI. संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (2015–2015)
VII. प्रधान मन्त्री फसल बीमा योजना (2016 से आगे)

6. उपरोक्त योजनाओं में से हरियाणा में विभिन्न फसल बीमा योजनाएं लागू की गई हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन0 ए0 आई0एस0) रबी 2004–05 रबी सीजन के सिवाय खरीफ 2004 से रबी 2012–13 तक लागू की गई थी। खरीफ मौसम के दौरान मक्की, कपास, अरहर तथा बाजरा एवम् रबी सीजन के दौरान सरसों, चना तथा जौं फसलों को योजना में शामिल किया गया था।योजना केवल चयनित जिलों में लागू की गई थी। उपरोक्त कथित अवधि के दौरान योजना में 635751 किसानों ने भाग लिया था। प्राप्त प्रीमियम 2412.12 लाख रूपये था तथा 4367.97 लाख रूपये 129156 किसानों को दावे के रूप में भुगतान किए गए थे।

प्रीमियम/दावा अनुपात 181 प्रतिशत था। योजना ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य थी।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य में रबी 2009–10 से रबी 2013–14 तक 12 जिलों के 27 खण्डों में लागू की गई थी। गेहुं तथा धान योजना में शामिल किए गए थे। योजना में 358051 किसानों ने भाग लिया था। प्राप्त प्रीमियम 15945.92 लाख रुपये था तथा 6059.16 रुपये 185830 किसानों को दावे के रूप में भुगतान किए गए थे। प्रीमियम/दावा अनुपात 38 प्रतिशत था। योजना ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य थी।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ 2011 से रबी 2013–14 तक गेहूं तथा धान के लिए चार जिलों अर्थात् करनाल, कैथल, रोहतक तथा जीन्द में लागू की गई थी। योजना में 259416 किसानों ने भाग लिया था। प्राप्त प्रीमियम 6169.51 लाख रूपए था तथा 4840.46लाख रुपये 44607 किसानों को दावे के रूप में दिए गए थे। प्रीमियम/दावा अनुपात 78.45 प्रतिशत था। योजना ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य थी।

7. प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना तथा पूर्व में लागू संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में समानताएं तथा भिन्नताएं निम्न अनुसार हैं:–

(क) समानताएं

प्रावधान	**संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना**	**प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना**
बीमा इकाई	गांव/ग्राम पंचायत/से उपर राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाना है। हरियाणा में गांव स्तर पर लागू की गई।	गांव/ग्राम पंचायत/से उपर राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाना है। हरियाणा में गांव स्तर पर लागू की गई।
किसानों के लिए अनिवार्य या स्वैच्छिक	ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य तथा गैर ऋणी	ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य तथा गैर ऋणी

	किसानों के लिए स्वैच्छिक।	किसानों के लिए स्वैच्छिक।
किसानों से प्रीमियम के संग्रहण का ढंग	बैंकों द्वारा किसानों के खाते से प्रीमियम की राशि काट कर।	बैंकों द्वारा किसानों के खाते से प्रीमियम की राशि काट कर।
स्थानीय आपदाओं के मामले में दावे का निर्धारण	व्यक्तिगत फार्म (खेत) आधार पर।	व्यक्तिगत फार्म (खेत) आधार पर।
फसल कटाई के बाद हानि के मामले में दावे का निर्धारण	– (केवल तटवर्ती क्षेत्रों में लागू थी)।	व्यक्तिगत फार्म (खेत) आधार पर ।
व्यापक रूप से फैली आपदाओं के मामले में दावे का निर्धारण	बीमा इकाई (गांव) आधार पर।	बीमा इकाई (गांव) आधार पर।

(ख) भिन्नताएं

प्रावधान	**संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना**	**प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना**
किसान द्वारा भुगतान योग्य प्रीमियम	बीमा कम्पनी के वास्तविक प्रीमियम के आधार पर नियत होता था।	खरीफ फसल के लिए बीमाकृत राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत, रबी फसल के लिए 1.5 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक एवम् बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत।
किसान द्वारा भुगतान योग्य प्रीमियम की अधिकतम सीमा	कोई भी अधिकतम सीमा नहीं थी।	अधिकतम सीमा उपरोक्त अनुसार है।
एक मौसम में किसान द्वारा भुगतान योग्य फसलवार प्रीमियम	बीमा कम्पनी की वास्तविक दरों के आधार पर भिन्न फसलों के लिए भिन्न थी।	एक मौसम में सभी फसलों के लिए किसान द्वारा एक समान भुगतान योग्य प्रीमियम।
बीमाकृत राशि तथा दावों की राशि	बीमाकृत राशि खरीफ के लिए 11 प्रतिशत, रबी के लिए 9 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक फसलों के लिए 13 प्रतिशत	बीमाकृत राशि कम नहीं की जाती है तथा हानि के आधार पर दावा राशि बीमाकृत राशि तक भुगतान योग्य है।

	से अधिक वास्तविक प्रीमियम होने पर कम करदी जाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप दावा राशि भी कम हो जाती थी।	
केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा भुगतान योग्य सबसिडी तथा उसकी अधिकतम सीमा	सबसिडी विभिन्न स्लैबों में वास्तविक प्रीमियम की 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक थी।	कोई ऊपरी सीमा नहीं है। किसानों द्वारा भुगतान योग्य प्रीमियम के अतिरिक्तसम्पूर्ण प्रीमियम केन्द्रतथा राज्य सरकार द्वारा सबसिडी के रूप में भुगतानयोग्य है।
स्थानीय आपदाओं के अधीन आने वाले जोखिम	ओलावृष्टि तथा भूस्खलन	ओलावृष्टि, भूस्खलन तथा जल भराव
फसल कटाई के बाद हानि के अधीन आने वाले जोखिम	चक्रवात	चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा तथा बेमौसमी वर्षा
फसल कटाई के बाद हानि का जोखिम	केवल तटवर्ती क्षेत्रों में लागू थी।	सम्पूर्ण देश में लागू है।

अनुलग्नक–1

District wise, Crop wise Sum Insured, Farmer Share, State Share, Centre Share, Subsidy and Total Premium

Sr. No.	District	Season	Crop	Sum Insured (Rs/ Hect.)	Premium (Rs./Hect.)				
1	2	3	4	5	Farmer's Share	Subsidy			Total Premium
						State Share	Central Share	Total Subsidy	
1.	Sirsa	Kharif	Cotton	60000	1200	120	0	120	1320
			Paddy	62500	775	0	0	0	775
			Bajra	27500	550	275	275	550	1100
			Maize	25000	500	250	250	500	1000
		Rabi	Wheat	55000	825	192.50	192.50	385	1210
			Barley	25000	375	312.50	312.50	625	1000
			Mustard	27500	412.50	544.50	544.50	1089	1501.50
			Gram	25000	375	750	750	1500	1875
2.	Bhiwani	Kharif	Cotton	60000	1200	2772	972	3744	4944
			Paddy	62500	1250	856.25	856.25	1712.50	2962.50
			Bajra	27500	550	610.50	610.50	1221	1771
			Maize	25000	500	250	250	500	1000
		Rabi	Wheat	55000	825	192.50	192.50	385	1210
			Barley	25000	375	437.50	437.50	875	1250
			Mustard	27500	412.50	464.75	464.75	929.50	1342
			Gram	25000	375	1062.50	1062.50	2125	2500
3.	Faridabad	Kharif	Cotton	60000	1200	1200	0	1200	2400
			Paddy	62500	1250	81.25	81.25	162.50	1412.50
			Bajra	27500	550	35.75	35.75	71.50	621.50

			Maize	25000	500	250	250	500	1000
		Rabi	Wheat	55000	825	275	275	550	1375
			Barley	25000	375	467.50	467.50	935	1310
			Mustard	27500	412.50	229.25	229.25	478.50	891
			Gram	25000	375	312.50	312.50	625	1000
4.	Kurukshetra	Kharif	Cotton	60000	1200	1200	0	1200	2400
			Paddy	62500	775	0	0	0	775
			Bajra	27500	550	275	275	550	1100
			Maize	25000	500	250	250	500	1000
		Rabi	Wheat	55000	682	0	0	0	682
			Barley	25000	375	312.50	312.50	625	1000
			Mustard	27500	412.50	514.25	514.25	1028.50	1441
			Gram	25000	375	312.50	312.50	625	1000
5.	Kaithal	Kharif	Cotton	60000	1200	1800	0	1800	3000
			Paddy	62500	775	0	0	0	775
			Bajra	27500	550	376.75	376.75	753.50	1303.50
			Maize	25000	500	250	250	500	1000
		Rabi	Wheat	55000	682	0	0	0	682
			Barley	25000	375	312.50	312.50	625	1000
			Mustard	27500	412.50	445.50	445.50	891	1303.50
			Gram	25000	375	312.50	312.50	625	1000
6.	Panchkula	Kharif	Cotton	60000	1200	1200	0	1200	2400
			Paddy	62500	1250	393.75	393.75	787.50	2037.50
			Bajra	27500	550	412.50	412.50	825	1375
			Maize	25000	500	0	0	0	500
		Rabi	Wheat	55000	825	962.50	962.50	1925	2750
			Barley	25000	375	312.50	312.50	625	1000
			Mustard	27500	412.50	720.50	720.50	1441	1853.50
			Gram	25000	375	937.50	937.50	1875	2250
7.	Rewari	Kharif	Cotton	60000	1200	1800	0	1800	3000
			Paddy	62500	1250	81.25	81.25	162.50	1412.50
			Bajra	27500	550	610.50	610.50	1221	1771
			Maize	25000	500	250	250	500	1000
		Rabi	Wheat	55000	825	440	440	880	1705
			Barley	25000	375	437.50	437.50	875	1250
			Mustard	27500	412.50	206.25	206.25	412.50	825
			Gram	25000	375	312.50	312.50	625	1000

8	Hisar	Kharif	Cotton	60000	1200	2700	900	3600	4800
			Paddy	62500	1250	781.25	781.25	1562.50	2812.50
			Bajra	27500	550	206.25	206.25	412.50	962.50
			Maize	25000	375	0	0	0	375
		Rabi	Wheat	55000	825	412.50	412.50	825	1650
			Barley	25000	375	937.50	937.50	1875	2250
			Mustard	27500	412.50	343.75	343.75	687.50	1100
			Gram	25000	375	562.50	562.50	1125	1500
9	Sonepat	Kharif	Cotton	60000	1200	2100	300	2400	3600
			Paddy	62500	1250	468.75	468.75	937.50	2187.50
			Bajra	27500	550	550	550	1100	1650
			Maize	25000	250	0	0	0	250
		Rabi	Wheat	55000	825	357.50	357.50	715	1540
			Barley	25000	375	250	250	500	875
			Mustard	27500	412.50	343.75	343.75	687.50	1100
			Gram	25000	250	0	0	0	250
10	Gurgaon	Kharif	Cotton	60000	1200	0	0	0	1200
			Paddy	62500	1250	0	0	0	1250
			Bajra	27500	550	206.25	206.25	412.50	962.50
			Maize	25000	375	0	0	0	375
		Rabi	Wheat	55000	825	412.50	412.50	825	1650

			Barley	25000	375	937.50	937.50	1875	2250
			Mustard	27500	412.50	618.75	618.75	1237.50	1650
			Gram	25000	250	0	0	0	250
11	Karnal	Kharif	Cotton	60000	1200	0	0	0	1200
			Paddy	62500	1250	312.50	312.50	625	1875
			Bajra	27500	550	0	0	0	550
			Maize	25000	375	0	0	0	375
		Rabi	Wheat	55000	825	137.50	137.50	275	1100
			Barley	25000	375	0	0	0	375
			Mustard	27500	275	0	0	0	275
			Gram	25000	375	62.50	62.50	125	500
12	Ambala	Kharif	Cotton	60000	1200	0	0	0	1200
			Paddy	62500	1250	468.75	468.75	937.50	2187.50
			Bajra	27500	412.50	0	0	0	412.50
			Maize	25000	500	125	125	250	750
		Rabi	Wheat	55000	825	550	550	1100	1925
			Barley	25000	250	0	0	0	250
			Mustard	27500	412.50	412.50	412.50	825	1237.50
			Gram	25000	250	0	0	0	250
13	Jind	Kharif	Cotton	60000	1200	2100	300	2400	3600
			Paddy	62500	1250	468.75	468.75	937.50	2187.50
			Bajra	27500	550	137.50	137.50	275	825
			Maize	25000	500	0	0	0	500
		Rabi	Wheat	55000	825	275	275	550	1375
			Barley	25000	375	437.50	437.50	875	1250
			Mustard	27500	412.50	343.75	343.75	687.50	1100
			Gram	25000	375	437.50	437.50	875	1250
14	M.Garh	Kharif	Cotton	60000	1200	2250	450	2700	3900
			Paddy	62500	625	0	0	0	625
			Bajra	27500	550	687.50	687.50	1375	1925
			Maize	25000	375	0	0	0	375
		Rabi	Wheat	55000	825	962.50	962.50	1925	2750
			Barley	25000	375	625	625	1250	1625
			Mustard	27500	412.50	68.75	68.75	137.50	550
			Gram	25000	375	812.50	812.50	1625	2000
15	Fatehabad	Kharif	Cotton	60000	960	0	0	0	960
			Paddy	62500	1000	0	0	0	1000
			Bajra	27500	550	482	482	964	1514
			Maize	25000	500	0	0	0	500
		Rabi	Wheat	55000	825	0	0	0	825
			Barley	25000	375	62.50	62.50	125	500
			Mustard	27500	412.50	68.75	68.75	137.50	550
			Gram	25000	375	326.50	326.50	653	1028
16	Rohtak	Kharif	Cotton	60000	1200	4627.50	2827.50	7455	8655
			Paddy	62500	1250	2500	2500	5000	6250
			Bajra	27500	550	1167.50	1167.50	2335	2885
			Maize	25000	500	0	0	0	500
		Rabi	Wheat	55000	825	82.50	82.50	165	990
			Barley	25000	375	395.50	395.50	791	1166
			Mustard	27500	412.50	253.25	253.25	506.50	919
			Gram	25000	375	518.50	518.50	1037	1412
17	Jhajjar	Kharif	Cotton	60000	1200	2095.50	295.50	2391	3591
			Paddy	62500	1250	937.50	937.50	1875	3125
			Bajra	27500	550	0	0	0	550
			Maize	25000	500	0	0	0	500
		Rabi	Wheat	55000	825	0	0	0	825
			Barley	25000	375	146.50	146.50	293	668
			Mustard	27500	412.50	68.75	68.75	137.50	550
			Gram	25000	375	718	718	1436	1811

18	Mewat	Kharif	Cotton	60000	1200	0	0	0	1200
			Paddy	62500	1250	0	0	0	1250
			Bajra	27500	550	4	4	8	558
			Maize	25000	500	0	0	0	500
		Rabi	Wheat	55000	825	137.50	137.50	275	1100
			Barley	25000	375	515.50	515.50	1031	1406
			Mustard	27500	412.50	68.75	68.75	137.50	550
			Gram	25000	375	266.50	266.50	533	908
19	Palwal	Kharif	Cotton	60000	1200	0	0	0	1200
			Paddy	62500	1250	142.50	142.50	285	1535
			Bajra	27500	550	0	0	0	550
			Maize	25000	500	0	0	0	500
		Rabi	Wheat	55000	825	137.50	137.50	275	1100
			Barley	25000	375	521.50	521.50	1043	1418
			Mustard	27500	412.50	312.25	312.25	624.50	1037
			Gram	25000	375	414	414	828	1203
20	Panipat	Kharif	Cotton	60000	1200	0	0	0	1200
			Paddy	62500	1250	312.50	312.50	625	1875
			Bajra	27500	550	64.50	64.50	129	679
			Maize	25000	500	0	0	0	500
		Rabi	Wheat	55000	825	137.50	137.50	275	1100
			Barley	25000	375	62.50	62.50	125	500
			Mustard	27500	412.50	68.75	68.75	137.50	550
			Gram	25000	375	414.50	414.50	829	1204
21	Y.Nagar	Kharif	Cotton	60000	1200	0	0	0	1200
			Paddy	62500	1000	0	0	0	1000
			Bajra	27500	550	0	0	0	550
			Maize	25000	500	39.50	39.50	79	579
		Rabi	Wheat	55000	825	0	0	0	825
			Barley	25000	375	62.50	62.50	125	500
			Mustard	27500	412.50	68.75	68.75	137.50	550
			Gram	25000	375	342	342	684	1059

(इस समय उपाध्यक्ष महोदया पदासीन हुई।)

उपाध्यक्ष महोदया, बहुत ही महत्व के विषय पर किरण चौधरी जी ने कालिंग अटैंशन मोशन दिया है । सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी ये इस विषय को उठाती रही हैं । इन्होंने बाढड़ा में बोलते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद हमने 133 करोड़ रूपये का मुआवजा दिया है इस बात की चर्चा इन्होंने वहां की, जिसके लिए मैं इनकी प्रशंसा करूंगा । हालांकि इन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं का वहां दौरा हुआ इसलिए यह मुआवजा दिया गया । माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मुआवजे को 12 हजार रूपये प्रति एकड़ करते हुए 1092 करोड़ रूपये का मुआवजा गेहूं की फसल के नुकसान का दिया तथा 995 करोड़ रूपये सफेद मक्खी

के प्रकोप से खराब हुई कपास की फसल का मुआवजा दिया गया यानि डेढ़ साल में 2200 करोड़ रूपये का मुआवजा इस सरकार द्वारा दिया गया ।

Smt. Kiran Choudhry: Madam Deputy Speaker, I would also like to point out here that I have borught four signed letters. मेरे पास ये चार साइन्ड लैटर्ज हैं जिनमें यह लिखा है कि

> निवेदन है कि मेरा बैंक में के.सी.सी. अकाउंट नम्बर 889400, अनीता के नाम से है, मैं प्रधान मंत्री किसान फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल बीमा नहीं करवाना चाहता फिर भी उसके अकाउंट से पैसा काटा गया ।

उपाध्यक्ष महोदया, फिर भी उसके अकाउंट से पैसा काटा गया । मंत्री जी ने बाढड़ा की बात कही इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जब हरियाणा प्रदेश के 14 जिलों में सूखा पड़ा हुआ था तो आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि कोई सूखा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार को फटकार लगाई कि आप ये क्या कह रहे हैं प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं कि सूखा नहीं है । उपाध्यक्ष महोदया, यह सत्य है कि हम सोनिया गांधी जी को लेकर आए उसके बाद आपकी सरकार इस बारे में जागी थी और मुआवजा दिया गया था ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने 2200 करोड़ रूपये का मुआवजा देने का काम किया है । 12 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं की फसल का मुआवजा इस मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने मुआवजा दिया है और टोटल 1092 करोड़ रूपये का मुआवजा गेहूं की फसल का और 995 करोड़ रूपये सफेद मक्खी के प्रकोप से खराब हुई फसल का मुआवजा दिया गया है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी कह रहे हैं और वाह वाही लूट रहे हैं कि इन्होंने 12 हजार रूपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया है । उपाध्यक्ष महोदया, इनकी यह बात सही है और इसमें कोई दो राय नहीं है । हमारे समय में यह मुआवजा 10 हजार रूपये प्रति एकड़ था जिसको इन्होंने 12 हजार रूपये प्रति एकड़ किया है । इन्होंने 12 हजार रूपये प्रति एकड़ मुआवजा उस समय किया जब केन्द्र ने मुआवजा डबल कर दिया । यदि ये भी मुआवजा डबल करते तो 15 हजार रूपये प्रति एकड़ बनता लेकिन इन्होंने 12 हजार रूपये प्रति एकड़ किया यानि 3 हजार रूपये प्रति एकड़ का कट लगा दिया था । उपाध्यक्ष महोदया, इन्होंने स्टेट का शेयर तो घटा दिया जबकि केन्द्र का शेयर बढ़ गया यह तथ्य है । सरकार ने प्रदेश के किसानों के साथ धोखा किया । हम केन्द्र सरकार के धन्यवादी हैं जिन्होंने मुआवजे को डबल किया । जिस प्रकार केन्द्र ने मुआवजे को डबल किया था उसी प्रकार इनको भी डबल करना चाहिए था ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः उपाध्यक्ष महोदया, मैं हुड्डा जी की पहल की प्रशंसा करता हूं लेकिन इनको मालूम है कि इनके समय में किसानों को 6 हजार रूपये प्रति एकड़ से ज्यादा मुआवजा कभी नहीं दिया गया । इनके समय में दो दो या ढाई ढाई रूपये के चैक दिए जाते थे । कांग्रेस ने इस मुआवजे को बढ़ाने की केवल और केवल गोहाना रैली में घोषणा की थी और उसको क्रियान्वित नहीं कर पाए और इनकी सरकार चली गई ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदया, ये गलत बात कह रहे हैं बल्कि दो हजार से 10 हजार रूपये प्रति एकड़ हमने किया था । ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं । मैं इस सरकार की निंदा नहीं कर रहा बल्कि मैं तो यह कह रहा हूं कि जिस प्रकार सैंटर गवर्नमैंट ने मुआवजे को डबल किया था उसी प्रकार इनको

भी किसानों को मिलने वाले मुआवजे को डबल करना चाहिए था । आपने अपना शेयर कम कर दिया और सैंटर ने मुआवजे को डबल कर दिया और यह सरकार उसकी वाह वाही लूट रही है ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः उपाध्यक्ष महोदया, एक कमेटी बनी थी जिसके मुखिया हुड्डा जी थे, बादल साहब, बुद्धदेव भट्टाचार्य और नितिश कुमार जी भी उस कमेटी में थे । उस कमेटी की सिफारिश 10 हजार रूपये प्रति एकड़ की थी लेकिन ये अपने सारे समय में उसको लागू नहीं कर पाए । गोहाना रैली में इसको लागू करने की इन्होंने अनाउंसमैंट तो कर दी लेकिन इसको इम्पलीमैंट करने का समय आने से पहले ही इनकी सरकार चली गई । जो इन्होंने 10 हजार रूपये प्रति एकड़ मुआवजे की बात की थी उसको भी हमने लागू किया था। सैंटर ने बढ़ाया तो हमने बढा कर दिया और इस बात का क्रेडिट सरकार को देना चाहिए ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदया, ये उस कमेटी की रिपोर्ट पर बहस करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट का देश के किसानों को क्या फायदा हुआ उसके बारे में कभी आप कहेंगे या स्पीकर साहब समय देंगे तो मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इससे इनका कोई सम्बंध नहीं है इसलिए इस पर चर्चा न करें ।(विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, फसल बीमा योजना को लेकर सरकार ने बहुत अच्छा प्रबंधन का काम शुरू किया है । मैं उसको आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि इस पर कई सवाल खड़े किए गए हैं । यह जो फसल बीमा योजना है यह पहली बार लागू नहीं हो रही बल्कि इससे पहले भी लागू होती रही है । इस योजना को लागू करने के लिए मैं पिछली सरकारों की भी प्रशंसा करूंगा। हुड्डा साहब और चौटाला साहब की सरकार के समय में भी फसल बीमा

योजना लागू की गई थी । हम जो फसल बीमा योजना लेकर आये हैं यह पुरानी फसल बीमा योजना का सुधरा हुआ रूप है । हमने इसमें ऐसी कोई नई शर्त लागू नहीं की है जो पिछली फसल बीमा योजना में नहीं थी ।

श्री आनंद सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी जवाब तो बाद में दे दें पहले मैंबर्ज को सप्लीमैंटरी तो पूछने दें । ऐसा करने से सदन का समय भी बचेगा । मैंबर्ज जो–जो सवाल करें उसको मंत्री जी नोट कर लें और बाद में जवाब दे दें ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा विपक्ष के साथियों से अनुरोध है कि ये मेरा जवाब सुनकर जायें । कहीं ऐसा न हो की सवाल करके ये चले जायें । दांगी साहब यह जो फसल बीमा योजना है यह बहुत अच्छी योजना है इसकी प्रशंसा हम आपसे भी सुनेंगे ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदया, यदि यह फसल बीमा योजना इतनी ही अच्छी है तो हमारे साथ लगते पंजाब में इनके समर्थित सरकार है वहां भी यह योजना लागू करवायें ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, यहां डिस्कशन उस रूप में नहीं करना चाहिए लेकिन इस मामले को लागू करने के लिए पंजाब ने जो तर्क दिया है वह इस योजना को लागू करने के लिए अच्छा नहीं है । पंजाब सरकार ने तर्क दिया है कि उनका नुकसान केवल 10 प्रतिशत होता है और वह राशि इस योजना में देते समय नीचे रखी जाती है । इसलिए इसका उनको कोई लाभ नहीं है । उनका यह तर्क नदी में से परिवार निकालने वाली बात है कि नदी की औसत और परिवार की औसत जो हाइट वाला मामला था कि माप नूं का नूं और कुनबा डूबा क्यों, की तरह है । पिछली बार जो गेहूं का उत्पादन था वह अन्य सब वर्षों से अच्छा हुआ था और हमने 1092 करोड़ रुपये का मुआवजा 20 प्रतिशत खेतों के

लिए दिया । हुड्डा साहब ने जो सवाल उठाया है, उसके मुताबिक उस उत्पादन के आंकड़े को देखे तो हमारा नुकसान हुआ ही नहीं लेकिन उसके बावजूद भी नुकसान हुआ था । क्योंकि नुकसान इंडीविजुअल्ज का हुआ था । केवल 20 प्रतिशत लोगों का नुकसान हुआ था और 80 प्रतिशत एरिया में अच्छी फसल हुई थी । इसलिए जो नुकसान जहां–जहां होगा । हो सकता है पूरे प्रदेश के आंकड़े लें तो उत्पादन अच्छा हो जाये लेकिन इंडीविजुअली कुछ ब्लॉकों में, जिलों में और गांवों में नुकसान हो जाये तो उनकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए । इसलिए पंजाब का इस बीमा योजना को छोड़ने के लिए जो तर्क दिया है, वह अच्छा नहीं है ।

श्रीमती किरण चौधरी : डिप्टी स्पीकर महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहती हूं । पहला सवाल तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार ने पाले को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखा था लेकिन हरियाणा प्रदेश में फसलों का इंश्योरैंस करने वाली कम्पनीज़ ने पाले को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं रखा है। इसी प्रकार से इन इंश्योरैंस कम्पनीज़ ने फायर को भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं रखा है। क्या माननीय मंत्री जी इंश्योरैंस कम्पनीज़ से पाले व फायर को प्राकृतिक आपदा में शामिल करवायेंगे। एक बात मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या यह इंश्योरैंस पॉलिसी सभी किसानों को कम्पलसरी दी जा रही है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मैं आपके ध्यान में पूरी डिटेल के साथ कुछेक खाता नम्बर लाना चाहूंगी जो हैं के.सी.सी. खाता नम्बर 889400 अनीता, के.सी.सी. खाता नम्बर 80458800001883 विद्यानंद सुपुत्र श्री हरफूल, खाता नम्बर 881426 प्रदीप सुपुत्र श्री शशी राम और खाता नम्बर 10040850488/9394 संतोष सुपुत्र श्री प्रदीप इन सभी ने अपने प्रार्थना–पत्र में यह निवेदन किया है कि उन्हें अपनी फसल का बीमा नहीं करवाना है लेकिन इसके बावजूद भी उनके के.सी.सी. अकाऊंट से पैसे काट लिये गये। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि क्या किसी भी प्रकार की बीमा योजना के

तहत बीमा करवाया जाना स्वेच्छा से नहीं होना चाहिए । I think it should be voluntary. वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है जो किसान अपनी फसल का बीमा नहीं भी करवाना चाहते थे उनकी फसल का भी उनकी इच्छा के विपरीत बीमा कर दिया गया । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि इस बीमा योजना को जबरन किसानों के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? इसी प्रकार से पूरे गांव को ही एक यूनिट माना जा रहा है। यह भी ठीक नहीं है। ऐसे ही एक बात यह भी कही गई है कि भविष्य में इस सम्बन्ध में जो भी सर्वे करवाया जायेगा, वह ड्रोन से करवाना जायेगा। फसल के खराबे के बारे में ड्रोन ही कम्पलीट रिपोर्ट देगा। इस बात का अभी कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ड्रोन क्या रिपोर्ट देगा ? ड्रोन क्या करेगा, यह तो भगवान ही जानता है। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहती हूं कि फसल बीमा योजना के अंदर बहुत सारी अनियमिततायें हैं। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो यह फसल बीमा योजना है यह किसी भी तरह से हमारे आम किसानों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी प्रकार से जो हमारे दलित वर्ग के किसान हैं उनकी जेब में तो चार रूपये भी नहीं होते वे फसल बीमा योजना का प्रीमियम कहां से देंगे? मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रिक्वैस्ट है वे इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब देते समय इन सभी सवालों का जवाब दें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या गन्ने की फसल को भी इस बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया गया है?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, जैसा माननीय साथी ने पूछा है मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि गन्ने की फसल को बीमा योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदया, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि गन्ने की फसल को फसल बीमा योजना के तहत कवर नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में मैं कृषि मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि गन्ने की फसल के फसल बीमा योजना में शामिल न होने के बावजूद भी बहुत से ऐसे किसान है जिन्होंने अपने खेत में गन्ने की फसल लगाई हुई है उनका भी फसल बीमा योजना के तहत बीमा कर दिया गया है। अगर माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो मैं उनको इस सम्बन्ध में सभी नामों की पूरी लिस्ट इनका उपलब्ध करवा दूंगा।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, सरकार कैश क्रॉप्स को बढ़ावा देने की बात कर रही है लेकिन कैश क्रॉप्स इसमें शामिल ही नहीं हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर सरकार कैश क्रॉप्स को कैसे बढ़ावा देगी। How will you have alternative farming? There is no way that you can have alternative farming in these crops that are not covered.

श्री आनंद सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर आज के दिन इस हाउस में चर्चा चल रही है। यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सम्बन्धित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राईवेट एजेंसियों को इंवॉल्वड कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस योजना को प्राईवेट एजेंसियों को किस आधार पर सौंपा गया है जबकि सरकार के पास इस योजना को लागू करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे कर्मचारी हैं और पूरे अधिकारी हैं । इस सबके बावजूद भी फसल बीमा योजना को प्राईवेट एजेंसियों के हवाले क्यों किया गया है? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार द्वारा इस योजना के व्यापारियों को टैण्डर कर दिये गये, ऐसा करके इस योजना का व्यापारीकरण कर दिया गया है। ऐसा करके सरकार द्वारा सीधे–सीधे व्यापारियों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि कोई भी बीमा

जबरदस्ती नहीं होता बल्कि स्वेच्छा से होता है। यह भी जांच का विषय हो सकता है कि इस समय कितने लोगों ने स्वेच्छा से बीमा करवाया हुआ है। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी भी बीमा योजना को किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। किसी बीमा योजना का कोई व्यक्ति लाभ लेना चाहता है या नहीं, यह उसकी व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। आज सरकार ने यह बीमा योजना जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोपने का कार्य किया है जो कि एक तानाशाही रवैये वाली बात है तथा एक प्रकार से किसानों के साथ यह बहुत बड़ा धोखा करने वाली बात है । इसी प्रकार से जो श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि फसल कोई दूसरी बोई हुई है और बीमा किसी दूसरी फसल का किया हुआ है । खाली जमीन पड़ी हुई है उसका भी बीमा कर दिया गया है, जिसमें ईंख बोया हुआ है उसका भी बीमा दिखा दिया गया है । दूसरी बात यह है कि इस योजना में पूरे गांव को ही एक यूनिट माना गया है जिसमें हमारे सामने यह बात आई है कि अगर उस गांव में 70 प्रतिशत फसल का नुकसान होता है तभी किसानों को उसका फायदा मिलेगा वर्ना नहीं मिलेगा । इसका मतलब यह हुआ कि इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि भगवान बिल्कुल ही फसलों को नष्ट कर दे, तभी मुआवजा मिल पायेगा । तीसरी बात यह है कि इसका प्रीमियम सरकार भरेगी या बीमा कम्पनियां भरेंगी या किसान भरेगा इस बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है । इसके अलावा अगर किसी किसान ने बीमा नहीं करवाया और प्राकृतिक आपदा आ जाती है और उसकी फसल का नुकसान हो जाता है जिस प्रकार से पिछले दिनों आपने किसानों की फसल खराब होने पर मुआवजा दिया था, भगवान न करे कभी दोबारा से ऐसा हो जाये तथा ओलावृष्टि, पाला, आंधी, तूफान या बाढ़ से किसान की फसल नष्ट हो जाये तो उस मामले में क्या सरकार उस किसान की फसल का मुआवजा देगी या बीमा कम्पनी उसको मुआवजा देगी?

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से खास करके हमारे कृषि मंत्री जी की तरफ से लोगों के बीच में जा कर लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया है । इसमें जो सच्चाई थी, जो बात इसमें रखी गई थी वह न बता कर लोगों को गुमराह भी किया गया है और सरकार ने किसानों की जेब से पैसा निकालने का नया तरीका ढूंढा है । जो फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री के नाम से शुरू हुई है उसमें केवल 8 फसलों को रखा गया है । उसमें 4 फसलें खरीफ की हैं जिनमें कपास, धान, मक्का और बाजरा तथा रबी की 4 फसलें जिनमें गेहूं, जौ, सरसों और चना शामिल किया गया है । उपाध्यक्ष महोदया, हमारा प्रदेश दिल्ली से लगता हुआ है इसलिए यहां पर सब्जियां उगाने का काम भी बड़े पैमाने पर किया जाता है जो कि दिल्ली की मंडियों में जाती हैं । इस प्रकार से बहुत से किसान केवल सब्जियों की खेती पर निर्भर रहते हैं । जिन लोगों की जोत छोटी है, वे सब्जियां पैदा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं । अगर सब्जियों की फसल खराब हो जाती है तो उस किसान को अपने बच्चों का पेट भरने की दिक्कत आ जाती है । मेरा कहना यह है कि सब्जियों को भी इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किया जाये । इसके साथ ही साथ हमारे प्रदेश में लोग बागवानी का काम भी बड़े पैमाने पर करते हैं। मेरा पार्टीकुलर सिरसा जिला है वहां हजारों एकड़ में लोगों के सिट्रस के बाग हैं लेकिन उसकी फसल भी जब ओलावृष्टि होती है तो ओला जब फसल के किसी एक दाने को छू जाता है तो वह दाना खत्म हो जाता है । अगर वहां ज्यादा पानी खड़ा रह जाए तो वह पूरा पौधा ही खराब हो जाता है । अगर सूखा पड़ जाए तो उसकी क्रौपिंग इतनी बड़ी हो जाती है कि किसान ने जो खर्च किया है वह भी पूरा नहीं होता । इसके अलावा बागवानी को भी इसमें कहीं नहीं रखा गया । मेरे से पहले जो बात दांगी साहब ने कही थी कि जब कहीं ओलावृष्टि होती है तो वह

किसी भी एक पूरे गांव में नहीं होती । जब भी ओलावृष्टि होती है वह एक –दूसरे खेत की जो सीमा होती है उसको भी छोड़ सकती है । जैसे मेरे खेत में ओलावृष्टि हो गई तो मेरे खेत के साथ वाला खेत ओलावृष्टि से बच सकता है । क्योंकि उसकी तो एक धार बनती है । वह एक ही लाइन में चलता है, जिसके मुआवजे के लिये सरकार ने एक गांव की 70 प्रतिशत फसल खराब होने पर कहा है कि जिस गांव में 70 प्रतिशत फसल ओलावृष्टि से खराब होगी तो उनको ही मुआवजा राशि दी जाएगी और जिसकी 70 प्रतिशत फसल खराब नहीं होगी तो उसको मुआवजा राशि नहीं दी जाएगी । मान लो किसी गांव में किसान की 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत फसल ओलावृष्टि से खराब हुई है तो उसका किसान से प्रीमियम के रूप में पैसा भी ले लिया और 500 रूपये भी किसान से ले लिये और किसी किसान ने बैंक से अपनी लिमिट बनवा रखी है उसमें से भी 2 प्रतिशत काट लिया । मान लो किसी किसान ने 50 लाख रूपये की लिमिट बनवाई है तो उससे पहले वह आदमी एक लाख रूपये आपके बैंक को दे चुका । उपाध्यक्ष महोदया, किसान से पैसा पहले ले लिया और उसको यह उम्मीद भी नहीं है कि अगर परमात्मा के प्रकोप की वजह से फसल खराब हो भी गई तो कोई नया पैसा भी उन्हें मिल जाएगा । मुख्यमंत्री जी, यह योजना केवल आपके द्वारा चलाई गई कोई नई योजना नहीं है । यह योजना बहुत पहले से वर्ष 2003 और 2004 में जब इण्डियन नैशनल लोकदल पार्टी की सरकार थी और चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इस योजना को लागू किया था । उन्होंने इस योजना को एक साल तक लागू करके देखा था कि क्या यह योजना वायबल है या नहीं ? इससे किसान को कोई फायदा पहुंच सकता है या नहीं ? जब इसको लागू किया गया था तो उस समय उसके साथ ये चीजें भी रखी गई थी कि अगर किसान की फसल खराब हो जाती है और कम्पनी के माध्यम से किसान के पास पूरा पैसा नहीं पहुंचेगा तो उस समय

यह रोक नहीं लगाई गई थी कि उसको मुआवजे के रूप में सरकार कोई पैसा नहीं देगी । उसके साथ–साथ मुआवजे को भी जारी रखा गया था कि कोई किसान अगर गल्ती से अपना इन्श्योरैंस नहीं करवाता है या वह इन्श्योरैंस से छूट जाए तो अगर उस किसान की फसल खराब हो जाती है तो कम से कम सरकार की तरफ से उसको मुआवजे के रूप में पैसा मिल जाए ताकि किसान उससे अपनी अगली फसल तैयार कर सके । इस तरह किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी कि आपने इन्श्योरैंस क्यों नहीं करवाया । इसके साथ ही किसी भी किसान के बैंक से या किसी का सोसायटी से कोई नया पैसा नहीं लिया जाता था । जैसे बहन किरण जी ने भी अभी बताया था कि ऐसे बहुत से किसान हैं जो इन्श्योरैंस नहीं करवाना चाहते । अब ये मानकर चलो कि मेरे पास जो खेती है अगर उसके इन्श्योरैंस के लिये मेरे खाते से 500 रूपये या 1000 रूपये काटा गया है और उसका मुआवजे के रूप में मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मेरा पैसा क्यों काटा गया ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे साथी जो तथ्य कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं । मेरा इनसे आपके माध्यम से अनुरोध है कि वे पहले इसकी सही जानकारी ले लें । इस बीमा योजना में शुरू से ही जहां–जहां यह योजना लागू थी, चाहे चौटाला साहब का समय था, चाहे हुड्डा साहब का समय था, बैंकों द्वारा सबका कम्पनसेशन ऐसे ही लिया गया था जैसे अब ले रहे हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, वर्ष 2003 और वर्ष 2004 के अन्दर किसी से कोई कम्पनसेशन नहीं लिया गया था।

श्री ओम प्रकाश धनखड : उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपने साथी की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि 4 करोड़ 93 लाख 36 हजार रूपये उस समय भी किसानों के बैंकों द्वारा काटे गये थे । जैसे अब काटे गये हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, उस समय किसी किसान से कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी ।

श्री ओम प्रकाश धनखड : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे साथी से अनुरोध है कि वे तथ्यों पर बोलें ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मैं बिल्कुल तथ्यों पर ही बोल रहा हूं । जिस किसान ने आपनी मर्जी से बीमा करवाया था, केवल उसी से ही पैसा लिया गया था और जिसने बीमा नहीं करवाया उससे कोई पैसा नहीं लिया गया । उपाध्यक्ष महोदया, मैं जो बात कहूंगा वह अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ कहूंगा और आपका जवाब भी जिम्मेवारी के साथ सुनकर जाऊंगा ।

श्री ओम प्रकाश धनखड : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे साथी की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं उस समय भी जिन किसानों की फसल का बीमा था उन सभी के पैसे भी उसी तरह से काटे गये थे, जैसे अब काटे गये हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, उस समय एक पैसा भी किसी किसान का नहीं काटा गया था।

श्री ओम प्रकाश धनखड : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे साथी इसकी जांच करवा लें ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, हमने जांच करवा रखी है हम जो बात कह रहे हैं उसकी पूरी जानकारी हासिल करके ही आपसे पूछ रहे हैं ।

श्री ओम प्रकाश धनखड : आपका सचिवालय बड़ा अच्छा काम करता है और आप हमेशा अच्छी जानकारी देते हो । आप सदन में सही जानकारी दीजिए ।

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, विपक्ष के नेता जो कह रहे हैं वह ठीक कह रहे हैं क्योंकि समय बदलता रहता है इसलिए जो वह कह रहे हैं उनकी बात मान लीजिये । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, वर्ष 2000 से 2004 तक जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार प्रदेश में सत्तारूढ़ थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ सरकार की सहयोगी हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाकायदा भागीदारी थी और बाकायदा तौर पर महामहिम राज्यपाल महोदय को भारतीय जनता पार्टी ने यह समर्थन की चिट्ठी लिखकर दी थी। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभय जी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को केवल उस समय सपोर्ट किया था . . . (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि सपोर्ट नहीं, भारतीय जनता पार्टी बाकायदा तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सहयोगी पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी ने इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। आप हमारे सहयोगी थे। आज अगर आप इस बात से भागना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ ? लेकिन जो सच्चाई है उसे आपको हर हाल में स्वीकार करना चाहिए और सच्चाई से नहीं भागना चाहिए। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदया, मैं समझती हूँ कि सदन को किसी भी सूरत में गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है। किरण जी मैं सदन का पुराना सदस्य होने के नाते सदन को बताना चाहूँगा कि हमने 24 जुलाई, 1999 को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मंत्री/सदस्य उस सरकार द्वारा किए गए कार्यों में भागीदार नहीं था। माननीय साथी श्री करण सिंह दलाल भी इस बात को भलीभांति जानते हैं। (हंसी एवं विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, सीधी सी बात है किसी अन्य विषय पर न जाकर, जिस विषय पर सदन में चर्चा हो रही है यदि उसी विषय पर चला जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शर्मा जी कह रहे हैं कि हम तो वर्ष 1999 तक साथ थे। अगर कोई इनसे पूछने वाला हो तो जब टिकटों का बंटवारा हुआ था, उस वक्त ये कहां थे, क्या राम बिलास शर्मा जी सोए हुए थे? जो ये उस वक्त की बातों से अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। जब टिकटों का बंटवारा हुआ था तो शर्मा जी आप लोग 31 सीटों के लिए टिकट की मांग कर रहे थे और हम आपको 26 सीटों के लिए टिकट दे रहे थे। उपाध्यक्ष महोदया, आखिर में यह फैसला हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रामबिलास शर्मा जी आज सदन में बिना मतलब की बात करके सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सच्चाई है वह सदन को क्यों नहीं बताते? इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं था, यह तो आपकी किस्मत थी कि 29 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी केवल 6 सीट ही जीत पाई थी? (शोर एवं व्यवधान) आपको निश्चित रूप से 29 सीटों के लिए टिकट दी गई थी और 29 सीटों में 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकी थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, अगर यह 29 की बात सच होती. . . (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, शर्मा जी को पुरानी बातों को याद करके डर लगने लगता है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, मैं अभय जी को बताना चाहूँगा कि पुराने जख्मों को न छेड़ा जाये तो ज्यादा बेहतर होगा। (शोर एवं व्यवधान) और रही बात डरने की तो भोले शंकर की मुझ पर अपार कृपा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री श्री रामबिलास शर्मा जी से कहना चाहूँगा कि वे सदन में गलत बातें करने की परम्परा न डालें क्योंकि गलत बातें करना सदन को गुमराह करने वाली बात होती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, मैंने अभय सिंह जी को इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी के साथ रहने संबंधी जो तारीख बताई है उसमें कोई गलत बात नहीं है। श्री रघुबीर सिंह कादियान जी भी सदन में बैठे हैं उनको भी सारी सच्चाई का भान है। यह एक महान सदन है और इसकी मर्यादा को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। किसी अन्य को मुझे इसकी मर्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, देखिये सदन में फसल बीमा योजना का विषय चर्चा में था। अतः यदि उसी विषय तक सीमित रहा जाये तो ज्यादा बेहतर होगा। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): उपाध्यक्ष महोदया, सदन में चल रही चर्चा को देखकर ऐसा लगता है कि अभय सिंह जी पुराने समय की गलतियां याद कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, मैं कैप्टन साहब को खुले मन से कहता हूँ कि वे हमारी गलतियां उजागर तो करके दिखायें? हम उनका माकूल जवाब देंगे। सदन में बिना मतलब की बात करना अच्छा नहीं होता। बेहतर तो यही है कि जिस विषय पर चर्चा चल रही हो, केवल उसी विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, व्यर्थ की बातें करना सदन का समय खराब करने वाली बात होती है।(शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु: उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो जो दर्द अभय सिंह जी की बातों से झलक रहा था, केवल उसका जिक्र कर रहा था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी किस दर्द की बात कर रहे है?

कैप्टन अभिमन्यु: उपाध्यक्ष महोदया, अभय जी ने टिकट बटवारे की बात सदन में की थी। इस बात को करते हुए इनकी पीडा को सहज ही अनुभव किया जा रहा था। मैं तो टिकट बटवारे वाली बात कहना चाहता था।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, जो मैंने टिकट बटवारे वाली बात की थी, वह बिल्कुल ठीक कही थी और मंत्री जी जो कटाक्ष करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस वक्त तो इसको राजनीति की ए.बी.सी.डी. तक भी मालूम नहीं हुआ करती थी। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु: उपाध्यक्ष महोदया, अभय सिंह जी को आज यह महसूस हो रहा है और इनका मन बार–बार इनको कचोट रहा है कि सत्ता में रहते हुए यदि उस

समय इनसे गलतियां न होती तो आज इनके इतने बुरे हालात न होते? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः उपाध्यक्ष महोदया, हमारे विपक्ष के नेता के व्यवहार से कोई टीस तो अवश्य झलक ही रही है।(शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः धनखड़ साहब, ज्यादा बड़ी बातें करना ठीक नहीं है। आपको तो जानकारी होगी कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 1000–1500 वोट ही मिला करती थी।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः संधू साहब, छोड़िये। पुरानी बातों को छेड़कर क्यों इनको दर्द दे रहे हो ? (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्रीः (श्री कृष्ण कुमार बेदी): उपाध्यक्ष महोदया, मैं चौटाला साहब को इस मौके पर यह बात जरूर बताना चाहूँगा कि चाहे जो भी हालात रहे हो, अबकी बार भारतीय जनता पार्टी ने छक्का मार दिया है और आप इस सफलता को नकार नहीं सकते हैं?

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि एक बार छक्का लग गया है तो कोई बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) यह छक्का बार–बार नहीं लगा करता है। (शोर एवं व्यवधान) अब की बार तुम्हें छक्के का अच्छी तरह से पता चल जायेगा।(शोर एवं व्यवधान) प्रदेश की जनता अबकी बार भारतीय जनता पार्टी की अच्छी तरह से तसल्ली कर देगी।(शोर एवं व्यवधान) जनता तो मौके की तलाश में बैठी है। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बार फिर से विषय पर आता हूँ। बहुत सी फसलें ऐसी होती हैं जिनका सूखे की वजह से, किसी अन्य कारण से जमीन के खाली रहने से, समय पर बारिश न होने तथा कईं बार सेम की वजह से नुकसान हो जाता है। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में

30 से 32 ऐसे गांव हैं जहां पर सेम की वजह से फसल नहीं हो पा रही है। फसल बीमा योजना में इन हालात से लड़ने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है। इसी तरह से फसल बीमा योजना को तीन अलग–अलग जोन में बांट दिया गया है लेकिन यह तय नहीं किया गया है कि फसल का जो नुकसान होगा उसके आंकलन की जिम्मेदारी किस स्तर के अधिकारी की होगी। किस–किस अधिकारी की कहां–कहां पर ड्यूटियां लगाई जायेंगी। किस कम्पनी का तथा किस स्तर का अधिकारी खेत में जाकर नुकसान का जायजा लेगा तथा क्या जायजा लेने वाला अधिकारी कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा या नहीं ? क्योंकि कृषि कार्य से जुड़े व्यक्ति को ही यह भान होता है कि किस तरह की जमीन में किस प्रकार की फसल को उगाया जा सकता है तथा उस फसल के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है, फसल कितने समय में तैयार होती है तथा कितने समय में फसल पानी नहीं मिलने की वजह से खराब हो जाती है। इस तरह का ज्ञान रखने वाले अधिकारियों का फसल बीमा योजना में कोई जिक्र नहीं किया गया है । इस देश में फसल बीमा योजना सबसे पहले चौधरी देवी लाल ने लागू की थी । वर्ष 1977 को जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस वक्त ओलावृष्टि हुई थी । वर्षा ज्यादा होने की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ था । उपाध्यक्ष महोदया, उस वक्त इस योजना को पहली दफा लागू किया गया था। आज मौजूदा सरकार उस योजना को यह कहकर बंद कर रही है कि वर्तमान सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसी बड़ी महत्वूपर्ण है। इस पॉलिसी की वजह से किसानों को सीधा लाभ होगा । किसानों को लाभ होने की बजाय सौ फीसदी यह मानकर के चलो कि किसानों की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। मौजूदा राज्य सरकार ने किसानों की जेब से पैसा निकाल करके सीधे–सीधे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए तीन निजी बीमा एंजेसियां

संचालित की है, उनको लाभ पहुँचाने का काम किया गया है। उपाध्यक्ष महोदया, भगवान न करें कि किसान की फसल खराब हो, लेकिन मौजूदा सरकार ने तो उसके ऊपर कैप चढ़ा दिया है कि 70 प्रतिशत से ज्यादा अगर किसी किसान की फसल खराब होगी तो संचालित बीमा एजेंसी के तहत मुआवजा राशि देंगे। उपाध्यक्ष महोदया, यदि किसान की फसल का 70 प्रतिशत से कम नुकसान हुआ तो उसमें सरकार क्या करेगी? क्या सरकार किसानों को खराब हुई फसल की कोई मुआवजा राशि देगी? अभी माननीय कृषि मंत्री, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के सवाल के दौरान सदन में बड़ी जोर–शोर से एक बात कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने तो मुआवजा राशि को 10 हजार रूपये किया था लेकिन मौजूदा सरकार ने मुआवजा राशि को 12 हजार रूपये किया है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः उपाध्यक्ष महोदया, हमने मुआवजा राशि को 6 हजार रूपये से बढ़ाकर 12 हजार रूपये किया था।

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, मौजूदा सरकार ने एक दफा किसानों को मुआवजा दिया था।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः उपाध्यक्ष महोदया, हमने दो दफा किसानों को मुआवजा राशि दी है।

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, यह बात भी मैं मानता हूँ कि मौजूदा सरकार ने दो दफा मुआवजा राशि दी होगी। उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा प्रदेश के 12 जिलों में कपास, बाजरा और गवार फसल की खेती होती है, जब उन किसानों की फसल को नुकसान हुआ था, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो इस समय सदन में उपस्थित नहीं है, मैं उनसे कहता कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में हम सभी को आश्वस्त किया था कि अबकी बार जो फसलों का नुकसान हुआ है

चाहे वह सफेद मक्खी के प्रकोप से हुआ हो, चाहे वह जीन्द जैसे इलाके में पानी की वजह से हुआ हो या चाहे ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान हुआ हो जैसे पिछला मुआवजा किसानों को दिया गया है उसी प्रकार से स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा राशि देने का काम सरकार करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जब किसानों को मुआवजा बांटने की बात आई तो उस समय सरकार ने किसानों की फसल पर कैप लगा दिया जैसे मेरी 20 एकड़ की जमीन में कपास की फसल थी और 20 की 20 एकड़ जमीन की फसल को सफेद मक्खी के प्रकोप के कारण फसल को नुकसान हुआ है तो मुझे 20 एकड़ जमीन का मुआवजा देने की बजाय सिर्फ 5 एकड़ जमीन का ही मुआवजा सरकार ने दिया है।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, भिवानी के अंदर तो 5 एकड़ जमीन तक का भी मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया है।

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, मैंने स्वयं पिछले सत्र की प्रोसिडिंग्ज की कॉपी निकलवा कर देखी है कि सरकार ने सदन में 12 जिलों को चिन्हित किया था लेकिन सिर्फ 5 जिलों को ही मुआवजा राशि दी गई। उपाध्यक्ष महोदया, मौजूदा सरकार द्वारा कपास की फसल के साथ–साथ ग्वार और बाजरा की फसल के नुकसान को भी मुआवजा राशि देने की बात कही थी। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री को बताना चाहता हूँ कि गवार और बाजरा वहां होता है जहां पर नहर का पानी नहीं पहुँचता है। इस फसल के लिए किसान केवल परमात्मा पर ही निर्भर रहता है या ट्यूबवैल लगाकर या किसी से पानी मांग कर गवार और बाजरा की फसल पैदा करने का काम करता है। ऐसे किसानों की भी फसल खराब हुई है और मौजूदा सरकार ने सदन में कहा था कि सरकार इन किसानों को भी सौ फीसदी मुआवजा राशि देगी। जब मुआवजा राशि देने की बात

आई तो किसानों के साथ अन्याय किया गया । उपाध्यक्ष महोदया, जब हमने इस बारे में दोबारा से सदन में मौजूदा सरकार से पूछा तो हमें जवाब मिला कि यह सरकार का आखिरी मुआवजा था । इस प्रकार से हमें लगता है कि सरकार मुआवजे के रूप में किसानों को एक पैसा भी नहीं देगी और इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की जेब में जो कुछ बचा है वह भी मौजूदा सरकार द्वारा संचालित बीमा कम्पनियों को देगी। उपाध्यक्ष महोदया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से किसानों के विरोधी रही है, उसने सदा किसानों का विरोध किया है। माननीय कृषि मंत्री जी जब किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे तो उस समय किसानों के बारे में बड़ी–बड़ी बातें कहा करते थे।

कैप्टन अभिमन्यु: उपाध्यक्ष महोदया, माननीय साथी सदन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कह रहे थे और हम सभी सदस्यगण बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। जब पार्टी की बात सामने आई तो मैं आपके माध्यम से माननीय नेता को कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने इसी सदन में आंकड़ों सहित यह प्रमाण दिया है कि हरियाणा बनने के बाद आज तक प्राकृतिक आपदाओं के कारण जितना मुआवजा मात्र दो साल के कार्यकाल में दिया है पिछली सरकारें अगर ब्याज भी लगा ले तो भी उस मुआवजा राशि का मुकाबला नहीं कर पाई है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला मुआवजा के बारे में किसान विरोधी की बात करेंगे तो मैं सदन में एक–एक बात को आंकड़ों सहित गलत साबित कर दूंगा। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, किसानों के नाम पर झूठे वोट लेकर, किसानों के ऊपर गोलियां चलाकर, किसानों के ऊपर राजनीति करके और किसानों को धोखा देकर आज किसानों की बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, किसान की जेब से पैसा निकाला जा रहा है । इससे उसको एक भी नया पैसा मिलने वाला नहीं है क्योंकि सरकार ने इस बीमा योजना में कंडीशंज ही इस किस्म की लगा दी हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, यह एक बहुत अच्छी योजना है और एक दिन माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला भी इसकी प्रशंसा करेंगे । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया जी, सरकार के लिए तो यह योजना अच्छी है परंतु किसान को इससे नुक्सान ही होगा । (विघ्न)

श्री तेजपाल तंवर : उपाध्यक्ष महोदया, ... (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, इनसे पूछिये, कौन हैं ये ? क्या बना रखा है आपने इनको ? क्या ये मंत्री हैं जो मेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए खड़े हो गए हैं ? आप इनको इनकी सीट बिठाइये । क्या इनको पता नहीं है कि कब बैठना है और कब बोलना है ? (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : अभय सिंह जी, आप अपनी बात कहिये । (विघ्न)

श्री तेजपाल तंवर : उपाध्यक्ष महोदया, ... (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया जी, क्या मैंने इनसे कुछ पूछा है जो ये खड़े हो गए हैं । ये किसलिए खड़े हो गए हैं ? आपको मेरी बात ठीक लगती है मगर इनको मेरी बात गलत लग रही है । आप इनको बिठाइये ।

उपाध्यक्ष महोदया : अभय सिंह जी, आप अपनी बात कहिये । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा । मेरे से पहले चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने स्वामीनाथन आयोग

की रिपोर्ट की बात उठाई थी । भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले अपने एजेंडे में यह बात रखी थी कि सत्ता में आने पर हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे । भाजपा के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष और बराला साहब ने कुर्ता निकालकर साइकिल पर चढकर प्रदर्शन किया था और कहा था कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि वह प्रदर्शन केवल ढोंग था या आप लोगों के हितों की लड़ाई लड़ रहे थे । मैं उम्मीद करूंगा कि आप हाउस में सही ढंग से जवाब देंगे और सच्चाई को बताने का काम करेंगे । जिस तरह से आपने लोगों को गुमराह किया है उस तरह से आप हाउस को गुमराह मत कीजिएगा ।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस प्रकार से शुरू की गई है । इससे किसान जो पहले से ही बेहाल और बेबस है उस टूटते हुए किसान को और दुखी किया गया है । इस योजना के बारे में साथियों ने भी कहा है कि कंपलसरी क्लॉज नाजायज है, किसान से एक एकड़ जमीन का बीमा प्रीमियम ले रहे हैं परंतु पूरे गांव को एक यूनिट बनाया गया है इत्यादि। (विघ्न) मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब इस काम के लिए बिडिंग शुरू हुई तो सरकार की जनरल इंश्योरेंस की 4 बड़ी कंपनियों को, जिनका कारोबार बहुत बड़ा है, को उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, क्यों मात्र 3 कंपनियों को ही बिडिंग में शामिल किया गया है जबकि इनका कारोबार इतना बड़ा नहीं है ? इसके अतिरिक्त इन कंपनियों के कार्यालय भी सभी गांवों में नहीं हैं । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति ठेके पर खेती करते हैं उनके लिए इसमें कोई सेफगार्ड नहीं रखा गया है । अगर ठेके पर खेती करने वाले को जमीन के मालिक ने क्लेम नहीं किया तो उसका इंश्योरेंस जीरो परसेंट होगा । हमारे प्रदेश के लगभग 70–80 परसैंट किसान ठेके पर खेती करते हैं परंतु आपने उनके लिए

बीमा योजना में कोई सेफगार्ड नहीं रखा है । इसके अतिरिक्त मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें किसान को कितना कंपलसरी बीमा करवाना पड़ेगा ? जिस प्रकार दुर्घटना बीमा, जीवन बीमे का प्रीमियम, टूयबवैल बीमे का प्रीमियम, घर का बीमा और बच्चों की पढ़ाई का बीमा इस प्रकार से इस फार्मूले के हिसाब से किसानों को इस बीमे के साथ और 7–8 बीमों के पैसे इन्श्योरैंस कम्पनी को देने पड़ेंगे तो क्या यह जबरदस्ती नहीं है कि इस फसल बीमे के साथ और दूसरे बीमे भी किसान को करवाने पड़ेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, किसान आत्महत्या क्यों करता हैं । अगर किसी किसान की दो एकड़ जमीन की फसल बर्बाद हो जाती है तो वह आत्म हत्या कर लेता है । उस किसान का जीवन बीमा इस बीमा योजना में शामिल नहीं है । इस प्रकार से मरते हुए किसान के लिए इस फसल बीमा योजना में कोई सेफगार्ड नहीं रखा गया है। माननीय मंत्री जी अपने जवाब में यह बात भी सदन को बतायें कि किस प्रकार से वे किसान को सेफगार्ड देंगे। मंत्री जी यह भी बतायें कि एक किसान एक एकड़ जमीन बोने में कितना खर्चा करता है ? आपने जीरी की फसल के लिए 25 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा रख दिया कि अगर जीरी की एक एकड़ फसल किसान की खराब होती है तो उसे 25 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा । आपके कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक एक किसान का एक एकड़ भूमि में जीरी पैदा करने के लिए शुरू से आखिर तक 25 हजार रूपये का खर्चा आ जाता है। मान लिया कि आपने 25 हजार रूपये एक एकड़ के लिए दे दिया तो उस किसान के सारे परिवार को जिसने मेहनत की है, क्या मिला? वह तो भूख मर जाता है क्योंकि एक एकड़ जीरी के लिए उसने कर्जा तो पहले से ही ले रखा है । अगर उसे 25 हजार रूपये ही मिलें जोकि उस फसल पर पहले से ही खर्चा हो गया है तो उसका परिवार क्या खायेगा? उसको घर में खाने के लिए पैसा नहीं मिला तो फिर यह किस चीज का

बीमा है? मंत्री जी मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इस बीमा योजना में कहीं पर विविध खेती का जिक्र नहीं किया गया । थोड़े पैमाने पर आज खेती का विविधिकरण हो रहा है । जब तक पूरे एरिया के अन्दर फसल बर्बाद नहीं होगी तब तक उस फसल का बीमा नहीं होगा । आपने इस योजना में कहीं पर भी यह शामिल नहीं किया कि इस बीमा योजना में जो दोषपूर्ण बातें हैं उनको दूर करके इस बीमा योजना को कैसे पूरा किया जायेगा ? आप सदन को यह बतायें कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर कितने स्वेच्छा से बीमे हुए हैं । 13 अगस्त 2016 तक मेरे अपने जिले में 44125 किसानों के जबरदस्त बीमे किये गये हैं उनमें से केवल 36 किसानों ने अपनी स्वेच्छा से फसल का बीमा करवाया है। अगर स्वेच्छा से कराने वाले इतने कम किसान हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार की यह योजना बिलकुल असफल है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बारे में सदन में अपना पूरा जवाब दें । (शोर एवं व्यध्यान)

श्री तेजपाल तंवर : उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो अपनी एक बात कहना चाह रहा हूं । माननीय श्री करण सिंह दलाल तो कई बार इस सदन के सदस्य रह चुके हैं जबकि मैं तो पहली बात इस विधान सभा का सदस्य बनकर आया हूं इसलिए मुझे अपनी बात कह लेने दें और माननीय सदस्य को मेरी बात सुननी भी चाहिए। पिछली सरकार किसानों की हितैषी रही है और किसानों के बारे में बार बार नारा देती रहती थी । किसानों के हित की इन्होंने एक भी बात की हो तो ये सदन में बता दें । (विघ्न) मैं किसानों के बारे में ही बात कर रहा हूं लेकिन हमारी सरकार को बने हुए मात्र दो साल ही हुए हैं । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत बड़ा मुआवजा किसानों को दिया है । (शोर एवं व्यध्यान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): उपाध्यक्ष महोदया, फसल बीमा योजना के ऊपर आदणीय बहन किरण चौधरी जी का ऐडजर्नमैंट मोशन था जिसे कालिंग अटैंशन मोशन में बदल दिया गया , इसमें कई माननीय विधायकों का भी मोशन शामिल था। इस मोशन पर कितनी बड़ी बहस हो रही है और आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी ने स्वयं यह माना है कि यह फसल बीमा योजना हरियाणा में सबसे पहले माननीय चौधरी देवी लाल जी ने शुरू की थी ।

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बीमा योजना के बारे में नहीं कहा बल्कि मुआवजा देने के बारे में अपनी बात कही थी कि यह प्रथा चौधरी देवीलाल जी ने शुरू की थी ।

श्री राम बिलास शर्मा: उपाध्यक्ष महोदया, यह सवाल आज तो बना नहीं । श्रीमती किरण चौधरी ने अपने हल्के के चार ऐफीडेविट्स दिये हैं जिनमें एक ऐफीडेविट श्रीमती अनीता और एक श्रीमती सन्तोष के नाम हैं और दो किसी और के हैं जोकि माहों की ढाणी गॉव के हैं और तोशाम हल्के में ये गांव पड़ते हैं जिन्होनें ये सारे ऐफीडेविट्स दिए हैं । उपाध्यक्ष महोदया, इस सरकार को बने हुए 22 महीने हो गए हैं । हमने इस सदन में तारीख बताई थी कि चौधरी देवीलाल से लेकर भूपेन्द्र सिंह हुड्डा तक की सरकार इस समय से लेकर इस समय तक रही । हरियाणा की स्वर्ण जयंती हम मनाने जा रहे हैं । 50 सालों में किसी माई के लाल ने 1192 करोड़ रूपये 3 महीनों में हरियाणा के किसानों को गेहूं की फसल के नुकसान का मुआवजा नहीं बांटा होगा । अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि सफेद मक्खी के प्रकोप से खराब हुई कपास की फसल का अकेले सिरसा में 350 करोड़ रूपये का मुआवजा इस सरकार ने दिया है । (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, बातों से या ऊंचा बोलने से कोई बात नहीं बनती । यह सदन बहुत सी

ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी है । 2200 करोड़ रुपये इन महीनों में सरकार ने किसानों के घर में मुआवजे का पहुंचाया है । कांग्रेस की सरकार के समय में साढे 6–6 रूपये के चैक बांटे जाते थे जिन्हें लोगों ने लेने से भी इन्कार कर दिया था । लोगों ने कहा था कि इतने रूपये में तो बीड़ी का बंडल भी नहीं आता । हमारी सरकार ने 500 रूपये से कम का कोई चैक नहीं दिया । (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, दलाल साहब इन बातों के बारे में सब जानते हैं लेकिन ऊपर ऊपर से ये कुछ और बोल रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मैने जो नाम बताए हैं वे सारे माहो ढाणी के हैं इसलिए मैं इनसे कहना चाहूंगी कि ये नाम कहीं के भी हों लेकिन हैं तो हरियाणा प्रदेश के ही । जहां तक मंत्री जी सफेद मक्खी के प्रकोप से नुकसान हुई फसल के मुआवजे की बात कर रहे हैं तो मैं इनको कहना चाहूंगी कि भिवानी के अंदर पूरे का पूरा जो मुआवजा बंटना चाहिए था वह नहीं बांटा गया और यह रिकार्ड की बात है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मेरे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर दिए गए कालिंग अटैंशन मोशन पर बोलने के लिए समय दिया है । उपाध्यक्ष महोदया, आज मैं अपने आप में बहुत परेशानी महसूस कर रहा हूं । हम लोगों के नुमाइंदे हैं । मैंने पहले भी कहा था और फिर दोहरा रहा हूं कि यह पार्टियां धरी रह जाएंगी । हमें पार्टी से ऊपर उठकर इस प्रदेश की ढाई करोड़ जनता का भला सोचना है । अगर हमें लोगों का भला सोचना है तो चाहे हम किसी भी पार्टी से हों, हममें हिम्मत होनी चाहिए कि हम खड़े होकर कहें कि यह काम ठीक है और हम इस काम को करेंगे लेकिन यहां कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है ।

श्री करण सिंह दलाल, एम.एल.ए. द्वारा मंत्रिमंडल, हरियाणा के विरूद्व लगाए गए आरोप

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री फसल बीमा पोलिसी की जो गलत बात है मैं उस बारे में जरूर कुछ कहना चाहता हूं । मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था उस समय टेलीविजन पर एक सीरियल आया करता था उसमें इस सरकार की कारगुजारी, सरकार बनने से पहले का रवैया और जो कुछ इनका ताम झाम था, सब दिखाई देता था । उस सीरियल का टाइटल था खांदी छोले ते डकार बादामां दी । इसी तरह यह सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है । उपाध्यक्ष महोदया, मैं भगवान को हाजिर नाजिर करके कहता हूं और समझता हूं कि ये समझते भी नहीं हैं कि ये क्या गुनाह कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदया, यहां बहस चल रही है कि किसने कब क्या किया, चौधरी देवीलाल ने इसकी शुरूआत की या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इसको शुरू किया । उपाध्यक्ष महोदया, ये भी उस वक्त इनके साथ हुआ करते थे । इस नोटिफिकेशन की क्लाज 6 जो है मुझे उस पर एतराज है और हरियाणा के लोगों का भी एतराज है । इस क्लाज में लिखा हैः–

> "All the farmers including sharecroppers and tenant farmers growing the notified crops in the notified areas are eligible for coverage. However, farmers should have insurable interest on the insured crops.
>
> (b) All farmers availing Seasonal Agricultural Operations (SAO) loans from Financial Institutions (i.e. loanee farmers) for the crops notified would be compulsorily."

कभी भी देश और दुनिया के अंदर यह नहीं हुआ कि किसानों को मजबूर किया जाए और यह कानून बनाकर कहा जाए कि बीमा तो आपको कराना ही

पड़ेगा । उपाध्यक्ष महोदया, किसानों के लिए काला कानून बनाने वाले ये कौन होते हैं । यह इस सरकार का जजिया कर है जो जख्मों पर नमक डालने जैसा है । उपाध्यक्ष महोदया, मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में जो इंश्योरैस की गवर्नमैंट स्पोंसर्ड एजैंसीज हैं उनसे यह काम क्यों नहीं कराया गया और क्यों प्राइवेट कम्पनीज को इसके लिए चुना गया । मैं इस बात के लिए जिम्मेवारी के साथ इल्जाम लगाता हूं कि इंश्योरैंस एजैंट जो गांवों और शहरों में घूम रहे हैं उनको सरेआम 25 प्रतिशत लाभ मिलता है जो एजैंट बीमा करता है उसको पहली किस्त में से 50 प्रतिशत लाभ मिलता है । यह सरकार इन कंपनियों की एजैंट है और 30 प्रतिशत पैसा हरियाणा के मंत्रिमंडल की जेब में जायेगा । इस तरह से यह सरकार किसानों का खून चूसने का काम कर रही है । इन्होंने जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर को हटाया उसके बारे में आज तक नहीं बताया कि उनको क्यों हटाया गया ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य बिलकुल निराधार बात कह रहे हैं । ये बिना प्रमाण के अपनी बात कह रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं । ये अपनी इस बात को विद्ड्रा करें । (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने जो गलत ब्यानी की है वह सदन की कार्यवाही से निकाल देनी चाहिए ।

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपको सबूत देने के लिए तैयार हूं । (शोर एवं व्यवधान) इनको अगर सुनने में भी दिक्कत है तो इसका मतलब है कि जो मैं कह रहा हूं वह सही कह रहा हूं । यह मेरी आवाज नहीं है बल्कि हरियाणा की अढ़ाई करोड़ जनसंख्या में जो डेढ़–दो करोड़ किसान हैं उनके बाल बच्चों और परिवार के खून के आसुओं की आवाज है । यह सरकार जो लोगों से भीख मांगकर

बनी और आज वही सरकार जबरदस्ती काले कानून बनाकर लोगों को अपमानित करे यह गलत है । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : दलाल साहब, आप बैठें । मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : उपाध्यक्ष महोदया, मुझे लगता है कि भाई करण सिंह दलाल जी की स्मृति का लौस हो गया है । ये स्वयं भी कृषि मंत्री रहे हैं । इनकी पिछली सरकार के समय में रिलायंस, आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड, इफको टोकियो, एच.डी.एफ.सी. और कोरा मण्डलम कंपनियों को बीमे का ठेका दिया गया था । बीमा लेना अब जिस तरह से लोनी फार्मर के लिए जरूरी है उसी तरह से इनकी सरकार के समय में भी लोनी फार्मर को बीमा लेना जरूरी था । इनके समय में किसानों का 97 करोड़ रुपये बीमा कंपनियों को गया था । इनके पास उसमें से कितना आया उसका ये हिसाब दें । यह बात मैं रिकार्ड के आधार पर कह रहा हूं । पहले ये उसका हिसाब दें, उसके बाद अपनी बात रखें । ये सदन में गलत ब्यानी करते हैं । (शोर एवं व्यवधान) ये बिलकुल झूठ बोल रहे हैं और मिथ्या आरोप लगा रहे हैं । किसानों का इनकी सरकार के समय में 97 करोड़ रुपये बीमा कंपनियों को गया था। उस समय सैंटर में भी इनकी सरकार थी और यहां भी इनकी सरकार थी । इनको पहले उसका हिसाब देना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान) जो इन्होंने कहा है उसके लिए ये माफी मांगे । (शोर एवं व्यवधान) इस महान सदन में इन्होंने गलत बात कही है इसके लिए इनको सदन से माफी मांगनी चाहिए । (शोर एवं व्यवधान) ये स्वयं झूठों के सरदार हैं । इनका ऐसा व्यवहार सदन में नहीं चलेगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे पास मंत्री जी के सवाल का सीधा सा जवाब है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : मैडम, ये सब इनकी कंपनियां हैं और इन्होंने प्रदेश को बेचा हुआ था । केन्द्र में भी इनकी सरकार थी और यहां भी इनकी सरकार थी । (शोर एवं व्यवधान) मैडम, ये गलत बात कह रहे हैं ।

श्री करण सिंह दलाल : मैडम, मेरा निवेदन है कि मंत्री जी ने जो कहा मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं । अगर इस सरकार के पास मेरे लगाये हुए इल्जामों पर जवाब देने की हिम्मत है तो इसकी सी.बी.आई. से इन्क्वायरी करवायें । यदि हमने कुछ गलत किया है तो उसकी भी सी.बी.आई. की जांच करवायें । इस फसल बीमा योजना के मार्फत जो पैसा खाने की फिराक में मंत्रीगण घूम रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान) हम हरियाणा की जनता को लुटने नहीं देंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : मैडम, यह आदमी सदन में गलत ब्यानी कर रहा है । इसके लिए यह सदन से माफी मांगे । ऐसा नहीं चलेगा । (शोर एवं व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : मैडम, सामने पोल पर लिखा हुआ है कि सभा में या तो प्रवेश न किया जाये और प्रवेश किया जाये तो सच बात कहनी चाहिए । इनको अपने ब्यान के लिए माफी मांगनी चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, सदन का समय बर्बाद हो रहा है । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : प्लीज आप सभी बैठें । आप सदन का समय खराब न करें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, दलाल जी सरेआम झूठ बोल रहे हैं इसके लिए इन्हें पहले सदन से माफी मांगनी चाहिए । इनको कुछ तो शर्म आनी चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : डिप्टी स्पीकर महोदया जी, पहले श्री करण सिंह दलाल जी अपने शब्दों के लिए सदन में माफी मागेंगे उसके बाद ही सदन की कार्यवाही चलने दी जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिया राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : डिप्टी स्पीकर महोदया जी, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के आचरण को देखकर ऐसा लगता है कि ये सदन से बाहर जाने की योजना बनाकर आये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : डिप्टी स्पीकर महोदया जी, इस सदन में हरियाणा प्रदेश की अढ़ाई करोड़ जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं। श्री करण सिंह दलाल जी यहां पर झूठ बोलते हैं, इसके लिए इनसे माफी मंगवाई जानी चाहिए। पहले आप इनसे इनके द्वारा प्रयोग किये गये शब्दों के लिए माफी मंगवायें तभी हम सदन की कार्यवाही को आगे चलने देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : डिप्टी स्पीकर महोदया जी, इनको तरीके से बात करनी चाहिए। मंत्री महोदय यहां पर किसी को भी ऐसे नहीं धमका सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : डिप्टी स्पीकर महोदया जी, आप करण सिंह दलाल से पहले यहां पर माफी मंगवायें। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : डिप्टी स्पीकर महोदया जी, श्री करण सिंह दलाल जी ने माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो उसके जवाब में माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी उनके ऊपर आरोप लगा दिये। अब इस सम्बन्ध में कोई विरोधाभास नहीं रहना चाहिए और सभी माननीय सदस्यों को सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान देना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : डिप्टी स्पीकर महोदया जी, आप सरदार जसविन्द्र सिंह संधू जी को यह कहें कि ये श्री करण सिंह दलाल जी से उनके द्वारा कहे गये शब्दों के लिए

माफी मंगवायें तभी हम सदन की कार्यवाही को आगे चलने देंगे। (शोर एवं व्यवधान) ये झूठे आरोप लगा रहे हैं।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : डिप्टी स्पीकर महोदया जी, जैसी श्री करण सिंह दलाल जी ने श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को सुनाई वैसी ही श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने श्री करण सिंह दलाल जी को सुना दी इसलिए अब किस बात की माफी मांगी जाये? मैं यह कहना चाहता हूं कि आप हाऊस की कार्यवाही को आगे चलायें और जिन माननीय सदस्यों को अपनी बात कहनी है उनको अपनी बात कहने का मौका दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : डिप्टी स्पीकर महोदया जी, श्री करण सिंह दलाल जी या तो अपने शब्द वापिस लें या फिर उनके लिए माफी मांगे तभी हाऊस की कार्यवाही चलेगी। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः करण सिंह दलाल जी, आपने जो शब्द कहे हैं आप उनको वापिस लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : डिप्टी स्पीकर महोदया जी, अगर श्री करण सिंह दलाल जी अपने शब्दों को वापिस लेते हैं या माफी मांगते हैं तो ठीक अन्यथा इनके विरूद्ध यहां पर निंदा प्रस्ताव लाया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : डिप्टी स्पीकर महोदया जी, मैं माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि यह हरियाणा विधान सभा है और यह आर.एस.एस. का अड्डा नहीं है इसलिए मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा। (शोर एवं व्यवधान) यह इनका बात करने का क्या तरीका है? इनको मर्यादा में रहते हुए बात करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : डिप्टी स्पीकर महोदया जी, हम श्री करण सिंह दलाल जी का झूठ यहां पर नहीं चलने देंगे। अगर इनमें दम है तो ये सच्चाई पर बहस करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : डिप्टी स्पीकर महोदया जी, हम श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी से भी पूछना चाहते हैं कि उन्होंने श्री करण सिंह दलाल जी को कितना हिस्सा दिया था और अपने मंत्रीमण्डल के दूसरे सहयोगियों को कितना हिस्सा दिया था? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : डिप्टी स्पीकर महोदया जी, पहले आप श्री करण सिंह दलाल जी द्वारा बोले गये झूठ का निपटारा करें तभी आगे के विषयों पर चर्चा होगी। (शोर एवं व्यवधान) ऐसी चर्चा का कोई फायदा नहीं कि जैसे मन में आये वैसे आरोप लगाओ और आरोप लगाकर यहां से भाग जाओ। (शोर एवं व्यवधान) इस प्रकार की चर्चा का कोई मतलब नहीं है। पहले इनके झूठे आरोपों का निपटारा होगा उसके बाद ही आगे की चर्चा होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : डिप्टी स्पीकर महोदया जी, मैं श्री करण सिंह दलाल जी से कहूंगा कि उन्होंने जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, वे उनको वापिस लें। आज इस समय यह सदन एक बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहा है इसलिए मैं उनसे पुनः कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो आपत्तिजनक बात कही है उसको वे वापिस लें। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : डिप्टी स्पीकर महोदया जी, पहले यह बात तो क्लीयर हो जाये कि इन्होंने क्या आपत्तिजनक बात कही है? (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : सरदार जसविन्द्र सिंह संधू जी, करण सिंह दलाल जी ने जो 30 प्रतिशत कमीशन की बात कही है वह आपत्तिजनक है। इन्होंने यह कहा है कि 30 प्रतिशत पैसा मंत्रियों की जेब में जायेगा, ये अपने इन शब्दों को वापिस लें। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव (डॉ. कमल गुप्ता) : डिप्टी स्पीकर महोदया जी, श्री करण सिंह दलाल जी ने कहा है कि यह आर.एस.एस. का अड्डा नहीं है। इनको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग भी यहां पर नहीं करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : डिप्टी स्पीकर महोदया जी, हरियाणा प्रदेश में आज बहुमत की सरकार है। करण सिंह दलाल जी, आपको यहां पर सरकार के बारे में सही तरीके से बात करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Karan Singh Dalal : Madam Deputy Speaker, Hon'ble Minister should address the Chair not to me. ये हमेशा ही मेरी तरफ देख कर आंख निकालकर बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) Hon'ble Minister should address the Chair.

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : डिप्टी स्पीकर महोदया जी, हम श्री करण सिंह दलाल जी को इस हाऊस का मज़ाक नहीं बनाने देंगे। (शोर एवं व्यवधान) इनको ठीक प्रकार से बात करनी चाहिए और ठीक प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी से कहना चाहूंगा कि वे यहां पर बैठे हैं और उनकी उपस्थिति में श्री करण सिंह दलाल जी द्वारा हाऊस का मज़ाक बनाया जा रहा है। यह हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) श्री करण सिंह दलाल जी हाऊस का मजाक बनाते हैं इनका यह रवैया किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : उपाध्यक्ष महोदया, एक बहुत ही गम्भीर विषय पर सदन में चर्चा चल रही थी और पूरे प्रदेश के किसानों की फसल जो इस प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना में निहित थी उस पर विपक्ष की श्रीमती किरण चौधरी और श्री अभय सिंह चौटाला जी जो प्रस्ताव ले कर आये थे उस पर गम्भीर चर्चा हो रही थी । उस

समय पर बार–बार *** की तरफ से समय बढ़ाने की बात कही गई थी तो चेयर की तरफ से यह आश्वस्त किया गया था कि इस पर चर्चा करने के लिए पूरा समय दिया जायेगा तथा मंत्री जी की तरफ से भी यह कहा गया कि इसका विस्तृत जवाब दिया जायेगा । अब मैं समझता हूं कि *** का जवाब सुनने का मन नहीं है इसलिए इस प्रकार के निराधार आरोप लगाये जा रहे हैं । माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल का यह कहना कि 30 प्रतिशत पैसा मंत्रियों की जेब में जाता है, इसका जवाब आना चाहिए । इसका मतलब यह है कि ये इस पर चर्चा होने ही नहीं देना चाहते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, श्री सुभाष बराला जी ने *** के बारे में जो बात कही है उसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाये । हम विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह से निभा रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है, श्री सुभाष बराला जी ने जो *** शब्द कहा है उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, श्री करण सिंह दलाल जी ने जो बात कही है या तो वे उसको वापिस लें या सदन से माफी मांगें । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : करण सिंह जी, आपने जो बात कही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 30 प्रतिशत पैसा मंत्रियों की जेब में जाता है, क्या आपके पास इसका कोई ऐवीडैंस है?

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, पहले मेरी पूरी बात सुन ली जाये । अगर मंत्री जी कहेंगे कि मेरी बात गलत है तो मैं अपनी बात को वापिस ले लूंगा ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, एक महत्वपूर्ण विषय पर वार्ता तय हुई थी और बहुत से सदस्य इसमें हिस्सा ले रहे थे तथा सरकार की तरफ से जो कमियां रह गई थी, उन पर चर्चा हो रही थी । जब तक मैं हाउस में उपस्थित था तब तक कोई गलत बात नहीं हुई थी । मेरे जाने के बाद जो इशू आया मैं नीचे अपने कमरे में बैठ कर सुन रहा था उसमें श्री करण सिंह दलाल जी ने जो आरोप लगाया उस आरोप को जिस ढंग से सत्ता पक्ष के लोगों को लेना चाहिए था उस ढंग से लेने की बजाय मंत्री जी ने भी तैश में आ कर उनके ऊपर भी एक ऐसा ही आरोप लगा दिया । इसी वजह से सदन का समय खराब हो रहा है । बड़ी हैरानी की बात है कि इन दोनों की आवाजें नीचे मेरे कमरे में बिना टी.वी. के भी सुनाई दे रही थी । इस प्रकार से इतनी ऊंची आवाज में हम बात करेंगे तो जो लोग हाउस के बाहर खड़े हैं अगर इस सीरियस इशू की आवाज उन तक जायेगी तो यह मानकर चलो कि लोग यह समझते हैं कि हम इस विषय पर गम्भीर नहीं हैं तथा हम केवल एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए यहां पर आते हैं। इसलिए इस विषय पर मंत्री जी को भी अपनी कही हुई बात पर खेद प्रकट करना चाहिए और श्री करण सिंह दलाल जी को भी खेद प्रकट करना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, श्री करण सिंह दलाल जी ने कहा है कि इस फसल बीमा योजना का 30 प्रतिशत पैसा मंत्री मण्डल की जेब में जायेगा उसके लिए या तो वे माफी मांगें या अपने शब्द वापिस लें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मैं श्री सुभाष बराला जी से भी एक बात कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से आज उन्होंने पूरे विपक्ष के बारे में कहा है वह

ठीक नहीं है । मैंने बराला जी का नाम भी लिया था उस समय ये हाउस में नहीं थे । मैंने कहा था कि बराला जी और कृषि मंत्री जी चुनाव से पहले साइकिल यात्रा कर रहे थे कि स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाये और बराला जी, आपने तो कपड़े उतार कर भी प्रदर्शन किया था कि स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो लेकिन आपकी सरकार बनने के बाद आपने स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया । बराला जी, आगे से आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई एक व्यक्ति आपके ऊपर कटाक्ष कर रहा है तो पूरे विपक्ष को उसमें समेटने की जरूरत नहीं है । हम विपक्ष की भूमिका को निभाना अच्छी तरह से जानते हैं । हम अपनी जिम्मेदारी को अपने तरीके से निर्वहन करते जा रहे हैं ।

श्री सुभाष बराला : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा नाम लिया गया है, मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि मैंने कहा है कि श्री अभय सिंह चौटाला और श्रीमती किरण चौधरी ने इस विषय पर चर्चा शुरू की थी । मैंने केवल यही बात कही है ।

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, ...

उपाध्यक्ष महोदया : करण सिंह जी, क्या आपने अपने शब्द वापिस ले लिये हैं?

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने यह कहा है कि अगर मेरी बात गलत है तो मैं अपनी बात को वापिस ले लूंगा लेकिन एक बार उसको सुन तो लो ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : उपाध्यक्ष महोदया, हम सदन में इस तरह के विषयों को चलाकर आखिर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं । अगर इस प्रकार के तनातनी के व्यवहार से हाउस चलेगा तो उसका कोई मैसेज न तो प्रदेश की जनता के लिये अच्छा है और न हमारे लोकतंत्र के लिये अच्छा है । जितनी बात मैंने सुनी क्योंकि मैं उस समय हाउस में नहीं बैठा था लेकिन मैंने जो बात टी.वी. पर देखी

तो उसमें देखा कि माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल ने एक आरोप लगाया है और वह आरोप बड़ा गम्भीर आरोप है । उस आरोप के नाते से मैं इतना कहूंगा कि अगर उसमें लेश मात्र भी सत्यता है तो उसका श्री करण सिंह दलाल के पास कोई न कोई प्रमाण तो निश्चित रूप से होगा । श्री करण सिंह दलाल जी इसका समय सीमा के अन्दर कोई प्रमाण दें और उसकी समय सीमा भी ये खुद ही तय करें क्योंकि यह कोई कोर्ट का विषय नहीं है । यह असैम्बली का विषय है क्योंकि कोर्ट में तो लम्बी अवधि की तारीखें दी जाती हैं और फिर फैसले होते हैं । यह तुरंत फैसले का विषय है । आखिर हम एक–दूसरे पर आरोप लगाते हैं परंतु उसे सही साबित करने के लिये हमारे हाथ में कुछ प्रमाण तो होने चाहिए । अगर इनके पास आरोप को साबित करने का कोई प्रमाण है तो हम इनकी बात को सत्य मानते हुए दोषी पर नियमानुसार उचित कार्रवाई करवाएंगे । अगर इनके आरोप में कोई दम नहीं है तो फिर निश्चित रूप से इस गम्भीर आरोप के प्रति हमें प्रिविलेज मोशन भी लाना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार के झूठे आरोप न लगाये जा सकें । उनसे निश्चित रूप से आरोप के प्रमाण मांगने चाहिएं ।

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है । मैंने अपनी बात इस तरीके से रखी थी जिसका आप कहीं भी पता कर सकते हैं । जितनी भी इन्श्योरैंस करने वाली प्राईवेट एजेंसियां हैं और उनके जो ऐजैंट हैं वे ऑफिशियल तरीके से 30 प्रतिशत कमीशन के इन्टाईटल्ड होते हैं । अगर ऐसा न हो तो आप देख लीजिए । (विघ्न) मैं बात कुछ कर रहा हूं लेकिन ये बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं । अगर ऐसा नहीं होता हो तो आप मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाईये । यह पूरे देश की व्यवस्था है कि प्राईवेट इन्श्योरैंस कम्पनी फर्स्ट इन्स्टॉलमैंट में से 50 प्रतिशत प्रीमियम ऐजैंट को देती हैं । मुख्यमंत्री जी,

आप इसका पता करवा लीजिए कि ये कम्पनीज पहली इन्स्टॉलमैंट पर ऐजैंट को 50 प्रतिशत कमीशन देते हैं या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदया : श्री करण सिंह दलाल जी, जो आपने बोला है वह यहां लिखा गया है और यह सारा सदन उसको सुन रहा था । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है । मैं कोई भगवान श्री रामचन्द्र जी नहीं हूं लेकिन पहले मेरी बात सुनिये कि मैं क्या कह रहा हूं । (विघ्न) ये गलत समझ रहे हैं इसलिये आप इनको बैठाईये । मैंने जो कहा था उसको मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जो प्राईवेट एजेन्सीज हैं उनके ऐजैंट किसानों की फसलों का इन्श्योरैंस करते हैं । (विघ्न) इसका मतलब ये सुनना नहीं चाहते । इनमें सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए । (विघ्न)

शिक्षा मंत्री(श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, सदन के नेता ने जो बात कही है वह बहुत बड़प्पन की बात है । यह नई परम्परा श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार शुरू कर रही है । सदन के नेता ने कह दिया है कि अगर श्री करण सिंह दलाल के पास इस की सत्यता को साबित करने का कोई प्रमाण है तो हम दोषी पर समय सीमा में कार्रवाई करेंगे और नहीं तो माननीय सदस्य इसके लिये खेद प्रकट करें । (विघ्न)

स्वास्थ्य मंत्री(श्री अनिल विज) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अपने विचार सदन में प्रस्तुत करने का समय दिया उसके लिये आपका धन्यवाद । उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य सदन की मर्यादा को मानने वाले व्यक्ति नहीं हैं । यहां सदन में एक पट्टिका लगी हुई है और उस पर लिखा हुआ है कि यहां या तो प्रवेश न किया जाए और प्रवेश किया जाए तो यहां स्पष्ट और सच बात कही जाए । क्योंकि यहां न बोलने से या गलत बोलने से दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति पाप का भागी

बनता है । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, हाउस में एक बड़े गम्भीर विषय पर चर्चा चल रही थी, इन्होंने जानबूझ कर उस चर्चा का विषय खराब करने के लिये एक गम्भीर मुद्दा उठाया जिसमें उन्होंने सरकार पर एक अनर्गल और झूठा आरोप लगाया है । माननीय सदस्य कहते हैं कि यह परम्परा है कि प्राईवेट इन्श्योरैंस कम्पनियों से ऑफिशियल 30 प्रतिशत कमीशन मिलता है । हम यह कहते हैं कि यह इनकी सरकार में मिलता होगा । हम कब कहते हैं कि नहीं मिलता होगा। इनकी सरकार के समय में मिलता होगा । लेकिन इन्होंने हमारी सरकार के ऊपर बिना मतलब बिना प्रमाण के झूठा आरोप लगाया है इसलिये ये अपने आरोप को वापिस लें । यदि

17:00 बजे

दलाल साहब ऐसा नहीं करते हैं तो उनको इस सदन से बाहर चले जाना चाहिए क्योंकि सदन में लिखी गई इबारत, जिसको मैंने सदन में अभी पढ़कर सुनाया था, के हिसाब से कोई भी झूठा आदमी इस सदन में बैठ नहीं सकता है, उसको तुरन्त सदन से बाहर चले जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, अनिल विज तो झूठों का बाप है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदया, झूठों का बाप तो करण सिंह दलाल है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं फिर कहता हूँ कि अनिल विज झूठों का बाप है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः दलाल जी, आप झूठे आपका बाप झूठा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः विज जी, आप झूठे आपका दादा झूठा।(शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः प्लीज, आप सभी बैठिये। दलाल साहब, आप एक सीनियर मैम्बर हैं और सदन की मर्यादाओं का आपको अच्छी तरह से भान है अतः प्लीज आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया जो बात मैंने अभी सदन में कही थी वह पूरी जिम्मेदारी के साथ कही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री(श्री कृष्ण कुमार बेदी): उपाध्यक्ष महोदया, करण सिंह दलाल जी यह भी कह रहे हैं कि वे पूरी जिम्मेवारी के साथ अपनी बात कह रहे हैं। बे–बुनियादी आरोप किसी भी स्थिति में इनकी जिम्मेदारी को परिलक्षित नहीं कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डा. कमल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, आज जो पूरी बहस रूपी चर्चा हुई उसमें एक बार तो दलाल साहब ने यह बात भी कह डाली थी कि यह आर.एस.एस. का अड्डा नहीं है। ऐसा कहने का उनका मतलब क्या था? बात–बात में किसी संगठन का नाम लेकर, उसको बदनाम करना किसी भी सूरत में जिम्मेदारी के साथ कही गई बात को नहीं दिखाता है। (शोर एवं व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री विपुल गोयल): उपाध्यक्ष महोदया, दलाल साहब का अमर्यादित आचरण इनके गलत आचरण को ही प्रदर्शित कर रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय श्री अनिल विज जी और श्री करण सिंह दलाल जी "मै तेरा बाप–मेरा बाप" जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इससे कहीं न कहीं सदन की मर्यादा को ठेस पहुंच रही है। (शोर एवं व्यवधान) सदन के नेता ने आकर सदन का माहौल ठीक करने का प्रयास किया है। (शोर

एवं व्यवधान) इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि इस माहौल को ठीक करते हुए जो अहम् व महत्वपूर्ण बात है केवल उसके ऊपर चर्चा करवाई जाये। एक दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप करना गलत है। (शोर एवं व्यवधान) मैं समझता हूँ कि इस तरह की शब्दावली को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये और सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदया, पूरे मंत्रिमंडल पर आरोप लगाना दलाल जी की कुंठित मानसिकता को दिखाता है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः गुप्ता जी, आप प्लीज बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः उपाध्यक्ष महोदया, हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने बोलने के लिए लिखकर दिया हुआ है अतः मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि सदन का समय खराब न करके सभी साथियों को बोलने का मौका दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः संधू साहब, आप प्लीज बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदया, दलाल साहब ने पूरे मंत्रिमंडल पर झूठे आरोप लगाये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः गुप्ता जी, आप प्लीज बैठिये।(शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन के समक्ष फिर कहता हूँ कि प्राईवेट एजेंसिज जो किसानों की फसलों का इंश्योरैंस करती हैं वे ऑफिशियली 30 प्रतिशत कमीशन के हकदार हो जाती हैं, अगर यह बात सही नहीं है तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, सदन में जब मैं अपनी

बात रख रहा हूँ और शोरगुल किया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि यह तो कोई न्यायसंगत बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) इस तरह से तो मेरे बोलने के अधिकार पर कुठाराघात किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः दलाल जी, आपने फसल बीमा योजना में 30 फीसदी दलाली संबंधी जो बात सदन में कही है उससे संबंधित सभी सुबूत आज के लिए अधिकारिक समय यानि शाम 6:30 बजे तक सदन में प्रस्तुत कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः ठीक है मैडम, लेकिन मैं एक बार उस बात को कंक्लूड करके सदन को बताना चाहूँगा। (शोर एवं व्यवधान) महोदया, बीच में शोर करने का क्या मतलब है। (शोर एवं व्यवधान) क्या मेरे बोलने के अधिकार को भी छीना जायेगा? (शोर एवं व्यवधान) मैंने आपका हुकम मान लिया है और शाम 6.30 बजे तक मैं सभी सुबूत दे दूंगा। (शोर एवं व्यवधान) जो बातें मैंने कहीं हैं मैं उन सभी बातों को एक बार फिर से कंक्लूड करके सदन को बताना चाहूँगा। (शोर एवं व्यवधान) सरकार का जो नोटिफिकेशन है उसमें कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बहुत अच्छी बातें लिखी गई है। इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि it is also added that the consent be obtained from the KCC holders regarding debit their account for the premium. कोआपरेटिव बैंक्स के लिए जब सरकार की यह नोटिफिकेशन निकली तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जितने कॉमर्शियल बैंक हैं, उन्होंने किसान की फसल बीमा के लगभग 80 प्रतिशत कार्य को अंजाम दे दिया। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस नोटिफिकेशन का जो 11–ए पार्ट है उसमें बाकायदा लिखा गया है कि इस

नोटिफिकेशन के साथ जो फार्म के रूप में अनुलग्नक लगाया गया है उस फार्म रूपी अनुलंग्नक में किसान द्वारा अपनी फसल का नाम भरा जाना आवश्यक किया गया है। इसके अतिरिक्त इस फार्म में कई दूसरी कंडीशंज का भी वर्णन किया गया है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके मार्फत सरकार से पूछना चाहूँगा कि क्या जिन कमर्शियल बैंक्स ने वह फार्म किसानों से नहीं भरवाया, क्या उसकी जांच सरकार करवायेगी ? उपाध्यक्ष महोदया, वास्तविकता यह है कि पांच फीसदी किसानों द्वारा भी यह फार्म नहीं भरवाया गया है। कॉमर्शियल प्राईवेट बैंक खूनी भेड़िये की तरह किसानों के गाढ़े खून–पसीने की कमाई को चूस लेते हैं। मैं समझता हूँ कि यह कहना गलत नहीं होगा कि वास्तव में यह कॉमर्शियल बैंक्स एक तरह से किसानों पर अनावश्यक बोझ की तरह लाद दिये गए है और इसको काला कानून या जजिया कर कह दिया जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर नोटिफिकेशन के हिसाब से किसानों द्वारा भरा जाने वाला फार्म कॉमर्शियल बैंकों द्वारा नहीं भरवाने संबंधी बात झूठ साबित हो जाती है तो हमारे खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कीजिए, हमें गालियां दीजिए या सदन से बाहर ही क्यों न निकाल दीजिए। उपाध्यक्ष महोदया, किसानों के साथ कॉमर्शियल बैंकों द्वारा बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। सरकार की नोटिफिकेशन को कॉमर्शियल बैंको द्वारा धता बताया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, क्या ऐसे कॉमर्शियल बैंकों/ बीमा कंपनियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने का काम किया जायेगा? किस कानून के तहत इन कॉमर्शियल बैंकों/बीमा कंपनियों ने जबरन किसानों के खून पसीने की कमाई को केवल मात्र बैंक के अधिकारियों से साइन करवाकर उनके खाते से काट लिया। इस पूरे मामले में सरकार मूकदर्शक नज़र आती है। वास्तविकता तो यह है कि सरकार केवल विपक्ष को धमका सकती है। विपक्ष के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर सकती है। विपक्ष पर जब एफ.आई.आर दर्ज होती

है तो किसी प्रकार के सबूत की कोई जरूरत नहीं समझी जाती लेकिन जब विपक्ष कोई आरोप लगाता है तो सबूत मांगे जाते है। उपाध्यक्ष महोदया, सुबूत जरूर दिया जायेगा। मोहतरमा, भारतीय जनता पार्टी को सुबूत तो तीन साल के बाद ऐसे मिलेंगे कि सत्ता पक्ष में बैठे चेहरे सदन में कहीं नजर भी नहीं आयेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, मैं पांचवीं बार जनता के द्वारा चुनकर विधान सभा में आया हूँ। अगर इस तरह से सरकार का व्यवहार रहा तो आगे से मैं हरियाणा विधान सभा में आना भी पसंद नहीं करूँगा । उपाध्यक्ष महोदया, मैंने इतनी बेरुखी और बेरहम सरकार आज तक नहीं देखी है। यह सरकार हरियाणा के किसानों की ही नहीं बल्कि हरियाणा के लोगों की भी दुश्मन है। अक्ल के मारे टेढ़े हुए पड़े हैं । गधी मरी पड़ी है, भाड़ा सोनीपत का ले रखा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ । जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई है तब से किसान असमंजस की स्थिति में हैं। किसान को यह नहीं पता कि कौन सी कम्पनी फसल का बीमा कर रही है और उस बीमा कम्पनी का कार्यालय कहां पर है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, जो शब्द माननीय करण सिंह दलाल ने कहे हैं उनको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए। माननीय करण सिंह दलाल ने जो इतने गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं वे या तो शाम 6:30 बजे तक इन आरोपों को साबित करें वरना माननीय करण सिंह दलाल की स्पीच को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन में सभी आरोप साबित कर दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः करण सिंह दलाल जी, आपने जितने आरोप सरकार पर लगाएं हैं उनको आज शाम 6:30 बजे तक साबित करें।

श्री करण सिंह दलालः ठीक है, मैडम।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री बलवान सिंह दौलतपुरियाः उपाध्यक्ष महोदया, किसानों को आज तक यह नहीं पता कि सरकार द्वारा फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फायदा पहुँचाया जा रहा है या बीमा कम्पनियों को फायदा पहुँचाया जा रहा है। किसानों को तो डराकर कहा जा रहा है कि यदि इस बार किसानों ने अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया तो अगली बार उनको बैंकों से लोन नहीं मिलेगा। इस प्रकार से सरकार किसानों को डरा धमका कर अनावश्यक रूप से फसल बीमा कर रही है। माननीय कृषि मंत्री जी ने जिक्र किया था कि यह योजना वर्ष 2003–04 में लागू हुई थी। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री को बताना चाहूँगा कि उस समय यह फसल बीमा योजना किसी किसान पर धक्के से थोपने का काम नहीं किया गया था । उपाध्यक्ष महोदया, हमने फसल बीमा योजना में मुआवजा प्रथा भी लागू रखी थी। मैं माननीय कृषि मंत्री से पूछना चाहूँगा कि अब भी फसल बीमा योजना में पहले की तरह मुआवजा प्रथा लागू रहेगी या नहीं रहेगी? इसके साथ–साथ फसल बीमा योजना में आग से, पाले से, आवारा पशुओं से तथा प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या भविष्य में इन आपदाओं से किसानों की फसल के होने वाले नुकसान को भी

इस फसल बीमा योजना में शामिल किया जायेगा? उपाध्यक्ष महोदया, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 10 कम्पनियों को चिन्हित किया था, उनमें से नौ कम्पनीज़ प्राईवेट सैक्टर और एक पब्लिक सैक्टर की एस.बी.आई. नाम की कम्पनी थी। लेकिन हरियाणा सरकार ने सिर्फ 3 ही प्राईवेट बीमा कम्पनियों को चिन्हित किया है । उपाध्यक्ष महोदया, मेरा निवेदन है कि इसमें एक पब्लिक सैक्टर की बीमा कम्पनी को भी शामिल किया जाए ताकि कहीं न कहीं जनता का पैसा जनता के खाते में जाये। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी मुआवजे के बारे में बड़ी–बड़ी बातें कर रहे थे। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो पिछले दिनों इतनी बड़ी राशि फसलों के नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में वितरित की गई है, वह कितने गांवों में दी गई? इसके साथ–साथ 70 प्रतिशत मुआवजा कितने गांवों को दिया गया है, यह बात भी सदन को बताने का काम करें। मेरी आज 50 साल की उम्र हो गई है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी गांव में 70 प्रतिशत मुआवजा दिया गया हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इस फसल बीमा योजना को धक्के से क्यों लागू कर रही है और किसानों की इच्छा क्यों नहीं पूछी जा रही है। **(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)** अध्यक्ष महोदय, मुझे दिनांक 27 अगस्त, 2016 के दैनिक ट्रिब्यून अखबार से पता चला है कि किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल फसल बीमा योजना के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने गया और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहा कि फसल बीमा योजना के तहत बीमा राशि किसानों की इच्छा के विरूद्ध बलपूर्वक उनके खातों से क्यों काटी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनको जवाब दिया है कि जिन किसानों ने बैंकों से लोन ले रखा है चाहे उनकी जमीन खाली ही क्यों न पड़ी हो, उनकी भी बीमा राशि का पैसा काटा जायेगा और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि तुम महंगे से महंगे कपड़े

पहनते हों और बड़ी से बड़ी कोठियों में रहते हो तो फिर इस तरह से बीमा राशि का पैसा कटने से तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल निराधार है । अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ सदन में कहता हूँ कि मेरी उनसे कपड़े की या कोई और इस तरह की बात नहीं हुई हैं। जिसने भी यह खबर छापी है, वह बिल्कुल गलत है। जो भी अनर्गल बातें अखबार में छपी हैं, उसकी जांच करवायेंगे क्योंकि इस तरह की कोई भी बात मैंने नहीं कही है।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरियाः अध्यक्ष महोदय, माननीय करण सिंह दलाल ने सरकार के मंत्री मंडल पर एक गंभीर आरोप लगाया है जिससे पूरा का पूरा मंत्रिमंडल अपना आपा खो चुका है। अध्यक्ष महोदय, एक बात सदन भी अच्छी तरह से जानता है कि जब हम अपना या अपने किसी वाहन का बीमा करवाते हैं तो उसकी 30 प्रतिशत राशि एजैंट लेता है। यदि बैंक वाले फसल का बीमा कर रहे हैं तो 30 प्रतिशत राशि किसके खाते में जा रही है । इस प्रकार सरकार एजैंट के रूप में काम कर रही है। इस प्रकार से इन सारी बातों का उत्तर माननीय मंत्री जी सदन में बताएं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे फसल बीमा योजना के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ ।

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष जी, इस योजना के तहत जो फसल आग, पाले और आवारा पशुओं तथा अन्य प्राकृतिक कारणों से नष्ट होगी उसकी भरपाई नहीं होगी । सरकार को प्राकृतिक कारणों से नष्ट होने वाली फसल की भी भरपाई करनी चाहिए । किसान एक मेहनती जमात है जो दिन–रात पसीना बहाकर देश का पालन–पोषण करता है । उसकी फसल की सफलता–असफलता प्रकृति पर निर्भर करती है । किसान की मेहनत की कमाई खुले आसमान के नीचे रहती है

तथा विपरीत परिस्थितियों से प्रभावित होती है इसलिए मेहनतकश किसान की फसल की प्राकृतिक रूप से होने वाले नुक्सान की भरपाई होनी चाहिए । इस बात को मद्देनजर रखते हुए चौधरी देवीलाल जी ने फसल बीमा योजना के साथ–साथ मुआवजा देने की प्रथा शुरू की थी । इसके तहत फसल के खराब होने पर किसान को फसल का मुआवजा दिया जाता था । उनकी सोच हमेशा कमेरे वर्ग के कल्याण की रहती थी । चौधरी देवीलाल की यह योजना पूर्ण रूप से बंद होने पर कमेरा वर्ग हताश है । अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना को किसानों पर थोपने की जो कार्यवाही चल रही है इस कार्यवाही को बंद किया जाएगा या चालू रखा जाएगा ? चौधरी देवीलाल जी ने फसल का बीमा करवाने की योजना जब शुरू की थी तो वह थोपी नहीं जाती थी बल्कि किसानों द्वारा स्वेच्छा से करवाई जाती थी । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार किसी स्कूटर, कार आदि का बीमा होता है और उसके डैमेज होने पर कंपनी द्वारा उसका भुगतान किया जाता है उसी प्रकार सरकार को एक एकड़ को एक इकाई मानकर बीमा करवाया जाए । धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय ।

श्री रणबीर गंगवा : स्पीकर महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । यह बीमा योजना पूरे एरिया के हिसाब से होनी चाहिए । खासकर हमारा जो एरिया है वह ड्राई एरिया है और ड्राई एरिया में नुक्सान सबसे ज्यादा होता है । ड्राई एरिया में जो ग्वार और मूंग होती है उसको इस योजना में कवर नहीं किया गया है । इन फसलों का जो नुक्सान होता है उस नुक्सान को भी फसल बीमा योजना में शामिल किया जाना चाहिए । दूसरा विषय यह है कि अभी सभी माननीय सदस्यगण ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि एक एकड़ को इकाई माना जाना चाहिए क्योंकि बीमा एक एकड़ का किया जाता है । सारे सदन के विचार जानने के बाद क्या मंत्री महोदय एक एकड़ को इकाई

मानेंगे क्योंकि बीमे का पैसा एक एकड़ का काटा जाता है । अब जो बीमा किया जा रहा है उसकी खामियों को मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करूंगा । मेरे गांव भेरिया का एक निवासी सत्यवान पानू है । उसकी पत्नी और भाभी के नाम तकरीबन सवा 5 एकड़ जमीन है और उनके बैंक खातों से 2350 रूपये के करीब काट लिए गए जबकि उन्होंने वे 4 फसलें बोई हुई भी नहीं थी जो इसमें शामिल की गई है । उन्होंने तो मूंग और ग्वार बोया हुआ था । हमने इसकी डी.सी. से शिकायत करके उनके पैसे वापिस कराए । अध्यक्ष महोदय, इस तरह के और बहुत–से किसान होंगे चूंकि जमीनें हमारे बुजुर्गों के नाम पर हैं और के.सी.सी. बुजुर्गों के नाम बने हुए हैं । उन्हें तो पता भी नहीं चलता कि उनके खाते से पैसे काटे जा रहे हैं और किन फसलों के लिए काटे जा रहे हैं । मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने कितने लोनीज के बीमे किये हैं और कितने लोगों ने स्वेच्छा से आकर इस बीमा योजना का लाभ लेने का प्रयास किया है । इसके अलावा जिसने अपना बीमा नहीं करवाया और उसकी फसल खराब हो जाती है तो क्या उसको फसल का मुआवजा दिया जाएगा ? जिस तरीके से चौधरी देवीलाल जी ने मुआवजा देना शुरू किया था क्या सरकार किसानों को मुआवजा देने की उस प्रक्रिया को जारी रखने का काम करेगी ? मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उपर्युक्त विषयों को गम्भीरता से लेते हुए इन पर सदन में अपना स्पष्टीकरण दें ।

(वित्त मंत्री) कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने फसलों के नुक्सान के मुआवजे के बारे में चर्चा की है । बड़ी हैरानी की बात है कि पूर्व की सरकार के मुख्यमंत्री आज भी सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं । अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार में वर्ष 2007 तक प्रति एकड़ मुआवजे की दर 4 हजार रूपये थी और वर्ष 2010 में जुलाई तक वह राशि बढ़ाकर साढ़े 4 हजार रूपये कर दी गई थी तथा कांग्रेस

शासन के आखिरी वर्ष में 1.1.2014 तक इस राशि को 10 हजार रूपये प्रति एकड़ करने की घोषणा की गई थी ।

कैप्टन अभिमन्युः (जारी) उस पूरे दस साल के कार्यकाल में अनेक बार सूखा पड़ा होगा, बाढ़ भी आई होगी और उससे नुक्सान भी हुआ होगा उस पूरे कार्यकाल में उन्होंने 1130 करोड़ रूपये के करीब किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की थी और उस मुआवजा राशि में से 270 करोड़ रूपये की राशि वह तत्कालीन सरकार देकर भी नहीं गई थी । वह 270 करोड़ रूपये की राशि वर्तमान सरकार ने देने का काम किया है । उस समय की सरकार ने पूरे दस साल में 860 करोड़ रूपये की राशि मुआवजे के रूप में किसानों को दी है । इस प्रकार जो मुआवजे की एवरेज राशि है वह 86 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की बनती है । उससे पिछली सरकार के 6 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा भी मैं सदन में बड़ी जिम्मेवारी के साथ बता देता हूं। उस समय प्रति वर्ष मुआवजा राशि की एवरेज 40 करोड़ रूपये भी नहीं बनती । ऐसे में जो वर्तमान सरकार है जिसका अभी दो साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ है वह सरकार 270 करोड़ रूपये तो पिछली सरकार के समय के और 2400 करोड़ रूपये अपने कार्यकाल का मुआवजे के रूप में किसानों को अब तक दे चुकी है । अगर केवल 2400 करोड़ रूपये का हिसाब लगायें तो पिछली सरकार के 86 करोड़ रूपये के हिसाब से हमने 15 गुणा ज्यादा मुआवजा अभी तक किसानों को देने का काम किया है । इस प्रकार केवल मात्र झूठ बोल कर के माननीय सदस्यों द्वारा सदन को गुमराह करने की कोशिश हो रही है । अध्यक्ष जी, सदन की जानकारी के लिए इस प्रकार के आंकड़े मैंने पिछले सत्र में भी सदन के पटल पर रखे थे, उसके बावजूद भी माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं । जब ये पक्ष में थे तब भी झूठ और विपक्ष में रहकर भी झूठ बोल रहे हैं इसलिए उनकी इस तरह की बात सदन कभी स्वीकार नहीं करेगा ।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में माननीय वित्त मंत्री जी ने आंकड़े बताये हैं । यह ठीक है कि इस सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया है। इसके लिए हमने इस हाउस में भी इनको बधाई दी थी । जब सफेद मक्खी के प्रकोप से 12 जिलों की फसलें खराब हुई थी तब भी सदन में हमने आपसे एक बात कही थी कि क्या आप अब की बार भी किसानों को इसी प्रकार से मुआवजा देंगे । उस समय आपने यह बात दोहराई थी कि जरूर हम सौ फीसदी किसानों को उनकी फसल का जो नुक्सान हुआ है, उसका मुआवजा देंगे । लेकिन उसके बाद सरकार ने कैप लगाया और सिर्फ पांच एकड़ का ही किसानों को मुआवजा दिया गया । उस पांच एकड़ के मुआवजे की कंडीशन के कारण बहुत से किसान मुआवजा लेने से वंचित रह गये थे । मंत्री जी, केवल आंकड़े देकर के आप इस बात को खत्म नहीं कर सकते । अगर यह सरकार सही मायने में किसान हितैषी सरकार है तो फिर इस मुआवजे की राशि को देना इसी तरह से जारी रखा जाना चाहिए । परमात्मा न करे जब भी किसान की दोबारा से अगर फसल खराब हो जाती है तो बीमे के साथ साथ अगर कोई किसान अपनी फसल का बीमा नहीं कराता है तो भी उसको उसकी जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा सरकार देने का काम करे । इस फसल बीमा योजना में आपने एक शर्त लगा दी कि किसान की फसल का जब तक 70 प्रतिशत तक खराबा नहीं होगा यानी जब तक 70 प्रतिशत लोगों की जमीन की फसल खराब नहीं हो जायेगी तब तक उनको एक इकाई नहीं माना जायेगा । आपने एक गॉव को तो इकाई मान लिया लेकिन अगर किसी किसान की एक एकड़ जमीन की फसल खराब हो जाती है तो उसको आपने इकाई नहीं माना । इस एक एकड़ जमीन को इकाई मानने में सरकार को क्या तकलीफ है । अगर किसी किसान के पास एक एकड़ जमीन है और उसकी फसल खराब हो जाती है तो उसको मुआवजा देने में सरकार को क्या तकलीफ है ? उस

किसान को मुआवजा नहीं दिया जा रहा और केवल और केवल बीमा कम्पनियों को फायदा कैसे हो, उसकी बात सरकार कर रही है । आप सदन में आंकड़े प्रस्तुत करके सदन को यह मत बताओ कि आपने मुआवजे के रूप में किसानों को क्या दिया, क्योंकि इसके लिए हम आपकी बड़ाई पहले ही कर चुके हैं । अगर आगे भी आप किसानों को मुआवजा देंगे तो सौ फीसदी आपकी हम बड़ाई करेंगे । अगर आप किसी की जेब से पैसा निकालने की कोशिश करेंगे तो हम उसका सौ फीसदी विरोध करेंगे ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले कितनी जोर से बातें चल रही थी और सदन के नेता ने भी कहा कि सदन की गरिमाएं रखी जाएं । जब मंत्री द्वारा विपक्ष पर झूठा होने का इल्जाम लगाया जाता है तो आप चुप रहते हैं लेकिन जब दूसरे सदस्य सरकार के बारे में कहते हैं कि 30 प्रतिशत पैसा लेते हैं तो ये इतना शोर मचाते हैं ।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, मंत्री जी ने सदन में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं आंकड़ो से तो आप भी इन्कार नहीं कर सकते ।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैंने आंकड़ें सदन के पटल पर रखे हैं और मैं इनके झूठ को उजागर कर रहा हूं और इनके झूठ को प्रमाण देकर साबित कर रहा हूं । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, ये तो झूठ के ठेकेदार हैं इसलिए आंकड़े तो मैं देता हूं ।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब तो जब सरकार में थे तब भी इनको आंकड़े नहीं पता था तो अब इनको क्या आंकड़े पता होंगे । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इनका यह बोलने का तरीका ठीक नहीं हैं आपको इनको इस तरह बोलने पर एतराज करना चाहिए । वर्ष 2005 में मुआवजे को जो रेट था यह बाद में बढ़ता गया । 10 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा भी हमने किया लेकिन 10 हजार रूपये में से हरियाणा सरकार का कितना हिस्सा था और नैचुरल कैलेमिटीज फण्ड का कितना हिस्सा था या कितना प्रतिशत था यह भी इनको पता होना चाहिए । उसके बाद जब सरकार बदल गई तो केन्द्र सरकार से जो मुआवजा आता था उसको उन्होंने डबल कर दिया लेकिन हरियाणा सरकार ने उसमें अपना शेयर कम कर दिया । पूरे देश में यह पहली सरकार है जिसने मुआवजे में अपने शेयर को कम किया । (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, इनकी जानकारी कम है और इनकी हर जानकारी गलत है । मुआवजे में जितना परसैंट स्टेट का शेयर इनकी सरकार दे रही थी हमने उसको ही मेन्टेन किया था ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं ऑन दि फ्लोर आफ दि हाउस कह रहा हूं कि यह पहली सरकार है जिसने स्टेट का शेयर कम किया था । चूंकि सैंटर गवर्नमैंट ने प्रति एकड़ मुआवजे को बढ़ा दिया था इसलिए इन्होंने भी 10 हजार रूपये प्रति एकड़ से 12 हजार रूपये प्रति एकड़ कर दिया, जो कि अच्छी बात है ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जबानी आंकड़े मैं बता सकता हूं वह मैं बताना चाहूंगा । केन्द्र सरकार की तरफ से मैक्सीमम मुआवजा 3644 रुपये प्रति एकड़ था । उसके बाद उन्होंने इसमें 1800 रुपये बढ़ा दिए। हमने उस 1800 रुपये में 200 और जोड़कर इसको 2000 रुपये किया यानि हमने 200 रुपये बढ़ाया है न कि कम किया है । इस तरह से जो केन्द्र सरकार ने मुआवजा

दिया हमने उसको सारे का सारा पास ऑन किया तथा उसमें 200 रुपये जोड़कर दिया । हमने कोई कमी नहीं की ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं भी वही कह रहा हूं कि मुआवजा 10 हजार रूपये प्रति एकड़ से 12 हजार रूपये प्रति एकड़ किया गया और 12 हजार रूपये में से 1800 रूपये तो केन्द्र सरकार का हिस्सा था । हरियाणा सरकार ने तो केवल 200 रूपये ही बढ़ाए हैं । हरियाणा सरकार भी केन्द्र सरकार की तरह यह मुआवजा बढ़ा देती तो यह मुआवजा 15 हजार रूपये प्रति एकड़ हो जाता ।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो केवल घोषणा ही की थी दिया कुछ भी नहीं था । इन्होंने यदि कुछ दिया भी था तो केवल घोषणाओं में ही दिया था । यह बात मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं । इनके समय में प्रति वर्ष 86 करोड़ की ऐवरेज है जबकि हमारी 1500 करोड़ की एवरेज प्रति वर्ष है । क्या ये किसानों से इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि 270 करोड़ और हम देकर नहीं गए थे और केवल झूठी घोषणा करके गए थे । इन्होंने किसानों के साथ जो धोखा किया है उसके लिए क्या ये किसानों से माफी मांगे । (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मंत्री जी यही कह रहे हैं कि आपने अपने कार्यकाल में 10 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की घोषणा ही की थी लेकिन वह दिया नहीं है । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जो बात कह रहे हैं मैं भी वही बात कह रहा हूं कि जो 10 हजार प्रति एकड़ से 12 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा किया गया उसमें 1800 रूपये केन्द्र सरकार का था इसलिए इस बात को तो मंत्री जी भी मान लें ।

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, ये जो बार बार सरकार के दो सालों के बारे में बात की जा रही है कि इतना मुआवजा दे दिया, इतना मुआवजा दे दिया, मान

लो 5000 करोड़ दे दिए लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नुकसान कब हुआ है । नुकसान भी तो इस सरकार के समय में हुआ है इसलिए जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा तो देना ही पड़ेगा । सफेद मक्खी जो पिछले साल आई है उससे पहले हरियाणा में कभी सफेद मक्खी के प्रकोप से फसलों का नुकसान नहीं हुआ था ।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो मुआवजे के नाम पर 5–5 रूपये के चैक बांटे थे जिनको लेकर किसान रोता था उस समय इनको तकलीफ नहीं होती थी । (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मंत्री जी तो यही कह रहे थे कि 1100 करोड़ रूपये की अनाउंसमैंट आपने की थी, लेकिन वह पैसा दिया नहीं । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, यह ऑन गोइंग प्रोसैस है । सरकारें तो आती जाती रहती हैं । सारी सरकारें पिछले पैसे देती हैं । हमने भी पिछली सरकार के मुआवजे को दिया है । लोगों का जो नुकसान हुआ है वह तो सरकार को देना ही पड़ेगा । जो 270 करोड़ रूपया सरकार ने दिया है उसको ये वापिस ले लें, इसलिए ये कोई बात करें तो जिम्मेवारी के साथ करें । अध्यक्ष महोदय, आपकी जिम्मेवारी है कि हम कोई गलत बात कहें तो आप हमें रोक सकते हैं और हमें कोई गलत बात कहे तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको भी रोकें । हमें कोई झूठा कैसे कह सकता है । झूठ के ठेकेदार दूसरों को झूठा कहते हैं ।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके के रामकली गांव में 1200 एकड़ जमीन है और वह 1200 एकड़ की 1200 एकड़ जमीन तबाह हो गई । उसकी गिरदावरी हुई, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से रिकमैंडेशन गई और कमिश्नर की तरफ से रिकमैंडेशन आई तथा ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस उस पर चर्चा

हुई लेकिन आज तक उस रामकली गांव में एक पैसा भी मुआवजे के नाम का नहीं दिया गया ।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि जो प्रीमियम की राशि है वह राशि किसान को सब्सिडी के तौर पर दे दी जाये और प्रति एकड़ को आप इकाई मान लें, इससे झगड़ा खत्म हो जायेगा । पहले भी किसानों को सब्सिडी दी जाती रही है। ऐसा करने से किसानों का भला हो जायेगा ।

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, गांवों में जो सांड घूम रहे हैं और किसानों की फसल बरबाद कर रहे हैं उनका भी सरकार को कोई इलाज करना चाहिए ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाये । मैं बीमा योजना के 60 के 60 पेज पढ़कर आया हूं । मैंने एक–एक लाइन पढ़ी है। मैं इसकी कमियों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आप दो मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, इस योजना का ऑब्जैक्ट है कि किसानों को उनकी फसल का नुकसान होने पर पैसा दिया जाये लेकिन बीमा कंपनियों का मकसद किसान से पैसा निकालने का है । अध्यक्ष महोदय यह योजना तो बढ़िया है लेकिन इनकी नीयत 100 प्रतिशत गलत है । क्योंकि इस योजना को किसी किसान एजैंसी ने नहीं बनाया । इसमें सरकार का भी हाथ नहीं है । यह बीमा कंपनियों द्वारा सरकार को दिया हुआ प्रोविजन है । जो बीमा कंपनियों ने लिखकर दिया उस पर केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मुहर लगा दी है । मंत्री जी इस बारे में जवाब दें क्योंकि इसमें एक–एक बात टैक्नीकल है । इन बातों को एक आम वकील तो क्या सीनियर वकील भी इंटरप्रेट नहीं कर सकता और सरकार इस

योजना को किसानों पर लागू करना चाहती है । मंत्री जी जवाब में बतायें कि कितनी नोटिफिकेशन इस एक्ट के तहत किस–किस डेट में की गई हैं । जब तक प्रोपर नोटिफिकेशन नहीं होगी तब तक किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा । इसके तहत एस.एल.सी.सी.एल. का नोटिफिकेशन, कैलेमिटी ईयर का नोटिफिकेशन, ए.डब्ल्यू. का नोटिफिकेशन, ए.आर.जी. का नोटिफिकेशन, बिड नोटिफिकेशन आदि बहुत से ऐसे नोटिफिकेशन हैं यदि ये नहीं होते तो किसान को लाभ मिलने वाला नहीं था । इसके अतिरिक्त वोलेंटरी इंश्योरैंस और कंपलसरी इंश्यारैंस के बारे में भी मंत्री जी बतायें । हमारे सोनीपत जिले में वोलेंटरी इंश्योरैंस केवल 3 हुई हैं और कंपलसरी इंश्यारैंस 66470 के करीब हुई हैं । यदि यह फायदे वाली स्कीम होती तो क्या केवल तीन आदमी ही इंश्योरैंस करवाते । मंत्री जी जवाब में बतायें की हर जिले में वौलेंटरी इंश्योरैंस कितनी हुई हैं और कंपलसरी इंश्योरैंस कितनी हुई हैं । कंपलसरी तो मजबूरी है क्योंकि पैसे काट लिये गये। जिन लोगों की जमीन की फर्द 5–10 साल पहले बैंक में जमा थी और आज उस जमीन पर सफेदा खड़ा है या भट्टा लगा हुआ है उनके भी बाजरा और धान के पैसे काट लिये गये । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कौन सी फसल लगी है इसकी इन्क्वायरी करने कौन गया था ? रिवैन्यू विभाग के बगैर यह सर्वे नहीं हो सकता । बैंक ने अपने आप ही पैसे काट लिये जबकि बैंक वालों को यह मालूम नहीं होता कि किसान के खेत में क्या पैदावार हो रही है । यह पैसा क्यों काटा गया और यह पैसा कहां गया ? स्पीकर महोदय, इसके अलावा इसमें यहां तक भी कहा गया है कि यदि लॉस 35 प्रतिशत से ज्यादा होता है तो बीमा कम्पनीज़ को उसकी भरपाई केन्द्र सरकार और राज्य सरकार करेगी। इस बारे में चैप्टर 10 के क्लॉज 4 में लिखा गया है। क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वर्तमान हरियाणा सरकार बीमा कम्पनियों की एजेंट है। अगर 35 प्रतिशत से ज्यादा लॉस होगा तो सरकार इन

बीमा कम्पनीज़ को दोबारा से प्रीमियम देगी। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार दोबारा प्रीमियम क्यों देगी? होना तो यह चाहिए कि जितना भी नुक्सान होगा उसकी भरपाई ये बीमा कम्पनीज़ ही करें। इस प्रकार से जो बीमा स्कीम बीमा कम्पनीज़ द्वारा तैयार करके केन्द्र सरकार को दी गई थी उसको केन्द्र सरकार ने उसी रूप में स्वीकार कर लिया । इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस भी प्राईवेट कम्पनीज़ से कराया जायेगा। किसी फसल की कितनी पैदावार है इसका सर्वे भी प्राईवेट कम्पनीज़ से करवाया जायेगा और बीमा कम्पनीज़ ही तय करेंगी कि यह काम किस प्राईवेट कम्पनी से करवाया जाना है। इसमें किसका फायदा होने वाला है मंत्री जी इसके बारे में भी बतायें। इतना ही नहीं लॉस असैसमैंट का काम भी प्राईवेट कम्पनीज़ से करवाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : जगबीर सिंह जी, इस विषय पर 12 से 14 सदस्य अपनी बात रख चुके हैं। आपके पास अगर उनसे अलग कुछ कहने को है तो वह आप बोलें और अगर नहीं है तो फिर आप बैठ जायें (शोर एवं व्यवधान) क्योंकि अगर आप पहले कही जा चुकी बातों को ही दोहरायेंगे तो इससे सदन का कीमती समय बिना वजह के बर्बाद होगा। स्पीकर सर, आप मेरी बात सुनिए मैं आपको अलग जानकारी देना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान) सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि लौस असैसमैंट में किसान को सम्मिलित नहीं किया गया है। मेरे विचार से लौस असैसमैंट में सम्बन्धित किसान को भी शामिल करना चाहिए। मैं यह समझता हूं कि यहां पर भी बड़ी भारी गड़बड़ है। इसके अलावा एक ऐसा प्रौविज़न है कि सम्बन्धित किसान नुक्सान के बाद 48 घंटे के अंदर–अंदर रिपोर्ट करेगा कि उसका किला नम्बर कितना है आदि इससे सम्बन्धित दूसरी जानकारियां देगा। अगर किसी कारणवश वह 48 घंटे में सारी जानकारी देने में नाकाम होता है तो वह मुआवज़े का हकदार नहीं होगा। प्रभावित किसान की कोई ऐसी मज़बूरी भी हो सकती है

जिससे वह 48 घंटे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध न करवा पाये और ऐसा भी हो सकता है कि सम्बन्धित पटवारी भी निर्धारित समय पर अवेलेबल न हो। इस प्रकार से ये सारी ऐसी कंडीशंज़ हैं जो प्रभावित किसानों के खिलाफ और बीमा कम्पनीज़ के पक्ष में जाती हैं। जैसे पूरी सरकार माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री और सभी सत्तापक्ष के विधायक साथी यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत अच्छी है। मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि ये यह डिक्लेयर करें कि इन–इन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा स्वेच्छा से करवाया है। जिन किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवाया है उन किसानों की लिस्ट सदन के पटल पर रखी जाये। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि यह सरकार हरियाणा प्रदेश के गरीब लोगों को इन बीमा कम्पनीज़ से लुटवा रही है और इसमें इन बीमा कम्पनीज़ को केन्द्र सरकार का संरक्षण भी प्राप्त है। स्पीकर सर, आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर श्रीमती किरण चौधरी, श्री अभय सिंह चौटाला जी, श्री आनंद सिंह दांगी जी, परमिन्दर ढुल जी, श्री बलवान सिंह जी, अनूप जी, श्री करण सिंह दलाल जी, गंगवा जी और आखिर में अभी श्री जगबीर सिंह मलिक जी ने बहुत अच्छे सवाल उठाये हैं। मैं यह बात भी विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि श्री करण सिंह दलाल जी इस विषय पर बोलते हुए डिरेल हो गये थे। सभी ने बहुत अच्छे तरीके से इस चर्चा में भाग लिया। मैं सभी माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि राईट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का निर्माण किया था और आज पूरी दुनिया में बहुत अच्छे हवाई जहाज़ चल रहे हैं जो कि पूरी धरती का चक्कर चला रहे हैं। राईट ब्रदर्स के बनाये जहाज़ से लेकर अब तक के जो हवाई जहाज़ हैं। वह एक सुधार

प्रक्रिया का परिणाम है। इसी प्रकार से यह फसल बीमा की प्रक्रिया है । मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह फसल बीमा की प्रक्रिया हमारी सरकार ने पहली बार शुरू नहीं की है। फसल बीमा की प्रक्रिया वर्ष 1907 में मैसूर राज्य में शुरू की गई थी। उसके पश्चात् सभी सरकारों ने इसमें सुधार करने की प्रक्रिया को जारी रखा। इसी श्रृंखला में वर्ष 1985 से 1999 तक व्यापक फसल बीमा योजना लाई गई। दूसरी योजना प्रायोगिक फसल बीमा योजना 1997 में आई थी । उसके बाद राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में आई थी और 2012 तक चली जिसको हरियाणा में श्री ओमप्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल में वर्ष 2004 में लागू किया गया । उसके बाद जब कांग्रेस सरकार आई थी तो रबी की एक फसल छोड़ कर हुड्डा साहब ने इसको फिर से लागू कर दिया और यह लगातार चलती रही । उसके बाद इसमें और सुधार किये गये तथा इसको संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का नाम दिया गया जिसको बाद में हुड्डा साहब की सरकार ने भी लागू किया । इसी बीच एक और योजना 2007 से 2015 तक चलती रही जिसका नाम था मौसम आधारित फसल बीमा योजना । हम जब सत्ता में आये तो हमें इस बात की बड़ी चिन्ता थी कि हम किसानों को कैसे संरक्षित करें । हम इन बीमा योजनाओं से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि ये योजनाएं बहुत व्यापक नहीं थी । जो बीमित राशि थी वह कम थी । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी उपस्थिति में एक बात बताना चाहूंगा कि जितनी भी फसल बीमा योजनाएं चली थी उन सभी में लोनी किसानों के लिए कम्पलसरी बीमा हर योजना में थी । हरेक बीमा योजना में किसान का पैसा ऐसे ही लिया जाता था जैसे अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लिया जाता है । किसी फसल बीमा योजना में किसानों को चॉयस नहीं थी कि वे बीमा करवायें या नहीं । वह उसी प्रकार कम्पलसरी थी जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में है । वह चाहे चौटाला साहब का शासनकाल था या हुड्डा साहब का

शासनकाल था । जब चौटाला साहब ने सभी जिलों में स्माल फार्मरस तथा मार्जिनल फार्मरस पर इसको लागू किया तब भी और जब हुड्डा साहब ने 4 जिलों में लागू की तब भी लोनी किसानों के लिए फसल बीमा योजना कम्पलसरी थी । यह उसी प्रकार से चली आ रही है । मैं किसान का बेटा हूं और मैं चाहूंगा कि मुझे चॉयस दी जाये कि मैं बीमा करवाऊं या न करवाऊं ?

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि चौटाला साहब के शासनकाल में यह योजना लागू हुई थी । यह बात ठीक है कि उनके समय में इसको केवल एक वर्ष के लिए प्रयोग के लिए लागू करके देखा गया था । मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उस समय इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था कि जिन किसानों ने फसल का बीमा नहीं करवाया था और किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसल खराब हो जाती है तो सरकार उसका मुआवजा देगी । हमने आपकी तरह नहीं किया था कि अगर किसी किसान की फसल का बीमा नहीं हुआ है और प्राकृतिक आपदा के कारण किसान की फसल खराब हो जाती है तो उसको मुआवजा भी नहीं दिया जायेगा ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, अभी तक केवल 30 प्रतिशत किसानों ने ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाया है और 70 प्रतिशत ने बीमा नहीं करवाया है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से यह घोषणा करता हूं कि जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया है उनके ऊपर वही 12 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे वाली स्कीम लागू रहेगी । ऐसे किसान प्रेमी मुख्यमंत्री जी का मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी बात है और वह स्कीम लागू है तो कपास के मुआवजे के लिए 5 एकड़ की सीलिंग क्यों लगा रखी है?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की और सदन में भी यह बात कही कि जिन किसानों की फसलों का बीमा नहीं होगा उनको उनकी फसल खराब होने पर मुआवजा नहीं दिया जायेगा । मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि वे कहीं पर भी कोई ऐसा सरकारी आदेश दिखायें जिसमें यह कहा गया हो कि जो किसान अपनी फसल का बीमा नहीं करवायेगा उसको फसल खराब होने की स्थिति में मुआवजा नहीं दिया जायेगा । बहुत दिनों से इसका दुष्प्रचार किया जा रहा है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब पूरे गांव को ही एक यूनिट मान लिया गया है तो ये मुआवजा कैसे देंगे? मुख्यमंत्री जी ने यह बात स्वयं हाउस में खड़े हो कर कही थी कि फसल बीमा योजना लागू होने के बाद हम किसान को एक नया पैसा भी मुआवजे के रूप में नहीं देंगे ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, कभी भी इस प्रकार का कोई ब्यान नहीं दिया गया ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह रिकॉर्ड की बात है, मुख्यमंत्री जी ने सदन में यह ब्यान दिया था ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना लागू होने के बाद सरकार मुआवजा नहीं देगी, इसका अर्थ यह है कि अगर 100 प्रतिशत लोग फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आते हैं तब तो सरकार मुआवजा नहीं देगी । जिन किसानों का फसल बीमा हो गया है उनको बीमा की राशि यानि जो भी उनका मुआवजा बनता है वह बीमा कम्पनियां देंगी और जिन किसानों का अभी तक कम्पनियों द्वारा फसल बीमा नहीं हुआ है उनका मुआवजा सरकार देगी । इस बार यदि 30 प्रतिशत लोगों ने फसल बीमा कराया है तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार 100 प्रतिशत

किसान फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आएं । फसल बीमा योजना का यह पहला वर्ष है इसलिये इस पहले वर्ष में जितनी भी ये भ्रांतियां चल रही हैं वह भ्रांतियां चाहे किन्हीं भी कारणों से आई हों, मुझे उन कारणों में जाने की आवश्यकता नहीं लगती। अभी शायद सभी किसानों को ये नहीं लगता कि हम बीमा कम्पनियों के माध्यम से ही फसल बीमा कराएंगे तो हमको ज्यादा लाभ होगा । आज एक मोटा सा विषय है कि एक ही क्षेत्र में यदि नुकसान होता है तो जिन किसानों का बीमा फसल बीमा कम्पनियों द्वारा किया गया है उनको 10 हजार रूपये से लेकर 25 हजार रूपये प्रति एकड़ तक यह मुआवजा मिलने वाला है । सरकार ने जो मुआवजा राशि तय की हुई है हम उसको भी बढ़ाने वाले नहीं हैं । सरकार का मुआवजा न्यूनतम साढ़े सात हजार रूपये है और मैक्सीमम 12 हजार रूपये तक रहेगा लेकिन जो बीमा कम्पनियों द्वारा मुआवजा दिया जाएगा वह मुआवजा राशि 10 हजार रूपये से 25 हजार रूपये तक रहेगा । एक ही क्षेत्र में जब इस प्रकार का अन्तर आयेगा तो मुझे लगता है कि किसान स्वयं मात्र 400–500 रूपये प्रति एकड़ जमा कराकर निश्चित रूप से वह फसल बीमा करवायेगा । इस प्रकार फसल बीमा करवाना किसान के हित में है न कि किसान के अहित में और इससे किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा । शायद सरकार उनको इतनी राशि न दे सके क्योंकि उसमें बहुत बड़ा बजट सम्मिलित है । सरकार के अपने बजट की भी एक लिमिटेशन होती है और वह लिमिटेशन शायद हमें कहीं न कहीं रोकती है इसलिये बीमा कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले फसल बीमा से किसान की फसल का जो नुकसान होगा उसका मुआवजा उनको ज्यादा मिलने वाला है । ऐसा हमको लगता है ।

श्री अध्यक्ष : जगबीर जी, आपने अपनी पूरी बात रख ली है । (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो मुआवजे का फार्मूला है उस फार्मूले के हिसाब से ये 5–6 हजार रूपये से ज्यादा मुआवजा नहीं दिला सकते हैं । आज की एवरेज और पिछले 10 साल की एवरेज निकालते हैं और उसमें से कैलेमिटीज घटाते हैं तो यह मुआवजा 5–6 हजार रूपये से ज्यादा वैसे ही नहीं बनता और सरकार पहले से ही 10 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे रही थी। इसमें कम्पनी कुछ नहीं देने वाली, यह तो इनका फार्मूला है।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, जानकारियों के अभाव में तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपकी बात मंत्री जी ने कह दी है इसलिये आप एक बार सरकार की बात भी सुन लें ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को बताना चाहता हूं कि एक बिन्दु अस्पष्ट रह गया था, जिसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं । जनवरी, 2014 से पहले जो प्रति एकड़ मुआवजा था वह 5500 रूपये था । उसमें से भारत सरकार का जो हिस्सा था वह 3644 रूपये था । लेकिन जनवरी, 2014 के बाद मुआवजे राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई । लेकिन आज श्री मनोहर लाल जी की सरकार किसानों को मैक्सिमम 12 हजार रूपये प्रति एकड़ मुआवजा दे रही है उसमें जो भारत सरकार का हिस्सा है वह सिर्फ 5466 रूपये है जिसमें हमारी सरकार साढ़े छः हजार रूपये जमा करके दे रही है । जबकि पिछली सरकार इसमें 1800 रूपये प्रति एकड़ जमा करके दे रही थी और फिर भी सदन को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है । मैं यह बात रिकॉर्ड के अनुसार बता रहा हूं । (विघ्न) आपको शायद मेरी बात दूसरी बार समझ में आ जाए इसलिये मैं

दोबारा बताता हूं । जनवरी, 2014 से पहले 9 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों को जो अधिकतम मुआवजा दिया गया वह 5500 रूपये प्रति एकड़ दिया गया था तथा यह वह मुआवजा है जो दिया गया है । जो घोषणा की गई थी वह नहीं है । 01 जनवरी, 2014 के निर्णय से पहले भारत सरकार 3644 रूपये प्रति एकड़ मुआवजा दे रही थी । श्री मनोहर लाल जी की सरकार आने के बाद 1.3. 2015 से यह मुआवजा राशि 12 हजार रूपये प्रति एकड़ तय किया गया । उसमें जो भारत सरकार का हिस्सा है वह 5466 रूपये है । इसी के साथ मैं यह भी बता दूं कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हरियाणा सरकार इसमें 1800 रूपये प्रति एकड़ मुआवजा राशि जमा कर रही थी जबकि अब राज्य सरकार साढ़े छः हजार रूपये प्रति एकड़ जमा करके दे रही है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह था कि मंत्री जी ने कहा कि पहले मुआवजा राशि 10 हजार रूपये प्रति एकड़ थी अब इन्होंने उसको बढ़ाकर 12 हजार रूपये किया है तो इसमें जो 2 हजार रूपये बढ़ा है उसमें से 1800 रूपये तो जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है कि भारत सरकार का शेयर आता है और 200 रूपये हरियाणा सरकार दे रही है ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब को गणित समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक बार फिर से उनको बताना चाहूँगा कि इनकी कांग्रेस सरकार में मुआवजे का जो स्टेट का शेयर था वह 1800 रूपये प्रति एकड़ था जिसमें कुछ और राशि शामिल करते हुए यह शेयर 6500 रूपये भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। अगर यह गुणांक हुड्डा साहब को कोई समझा दे तो शायद इनकी समझ में आ जाये लेकिन ये समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि फसल के नुकसान के लिए मुआवजा 10000 रूपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 12000 रूपये किया गया है। बढ़े हुए 2000 में स्टेट का कितना हिस्सा है और सैंटर का कितना हिस्सा है, यह बात सदन को बताई जाये?

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैने पहले भी निवेदन किया था और अब फिर निवेदन कर रहा हूँ कि आंकड़े तो हुड्डा साहब को अपनी सरकार में रहते हुए भी समझ में नहीं आया करते थे, इनको अब क्या समझायें? (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए सबूत तक भी दे सकता हूँ। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि माननीय हुड्डा जी हमारी सरकार के साथ होड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भपूेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आज सदन में बार–बार बातों को तोड़–मरोड़कर, सदन का गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सदन के नेता ने जिस बात को कहा था मैंने उसकी हामी भरी थी। जब वास्तविकता बताई जाती है तो इसके द्वारा बातों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, सदन को किसी भी प्रकार से गुमराह करने की कोशिश नहीं की जा रही है। क्या महज घोषणा करना ही सब कुछ होता है। हुड्डा साहब, आपने सरकार से जाते–जाते मुआवजा बढ़ाने की घोषणा मात्र की थी। उस घोषणा को बेहतरीन ढंग से अमलीजामा पहनाने का काम तो हमारी ही सरकार ने किया था। (शोर एवं व्यवधान) अब आप ही बताये कि घोषणा करना महत्वपूर्ण है या फिर उसको अमलीजामा पहनाना? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार तो फैसला करके गई थी। फैसला लेने की क्षमता को किसी भी कीमत पर कम नहीं आंका जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि वे सरकार से जाते–जाते फैसला कर गए थे लेकिन उनको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि फैसले के बिनाह पर आपने एक पैसा भी नहीं दिया था। हम अगर श्रेय लेना चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि जो 10000 रूपये प्रति एकड़ मुआवजे की घोषणा थी उसको 10000 रूपये ही रखकर किसानों को बांट सकते थे, लेकिन आपने अपनी घोषणा की हुई मुआवजे की राशि को नहीं बांटा। यह इस सरकार की दरियादिली को ही दिखाता है कि हमने केवल घोषणा की गई राशि को ही नहीं बांटा बल्कि घोषणा की गई राशि में कुछ अतिरिक्त राशि मिलाकर किसानों को मुआवजा राशि दी है और दे भी रहे हैं। इसमें बहस का कोई विषय नहीं है। कांग्रेस की सरकार के समय में अधिकतम 5500 रूपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता था जिसमें केन्द्र सरकार से 3644 रूपये मुआवजा मिलता था। हमारी सरकार आने के बाद यह मुआवजा 12000 रूपये प्रति एकड़ तय किया गया जिसमें से 5466 रूपये प्रति एकड़ केन्द्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इस प्रकार से केन्द्र सरकार का हिस्सा 3644 रूपये प्रति एकड़ से बढ़ते हुए 5466 रूपये प्रति एकड़ तय कर दिया तथा राज्य सरकार का हिस्सा 1856 रूपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 6534 रूपये प्रति एकड़ तय कर दिया जिससे कुल मुआवजा प्रति एकड़ 5500 रूपए से बढ़कर 12000 रूपए हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अब सब कुछ साफ हो गया है। आपने मुआवजे की घोषणा कर दी लेकिन उसको लागू हमने किया है और बढोत्तरी के साथ लागू किया है। हमें श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। श्रेय लेना हमारे लिए कोई औचित्य नहीं रखता है। घोषणा आपने की या हमने की, उसको आपने लागू किया या हमने लागू

किया इन सबको दरकिनार करते हुए इतना याद रखना जरूरी है कि मुआवजा प्रति एकड़ ज्यादा करके दिया हमारी ही सरकार ने है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कही है मैं उसको मानता हूँ और मुझे कोई एतराज भी नहीं है। 10000 रूपये फसल के नुकसान का मुआवजा देने का फैसला हमारी कांग्रेस सरकार ने लिया था और उस फैसले को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 12000 रूपये प्रति एकड़ के रूप में बढ़कार लागू करने का काम किया। 10000 रूपये प्रति एकड़ मुआवजे की घोषणा हमारी सरकार ने की थी तथा 12000 रूपये प्रति एकड़ मुआवजा आपकी सरकार ने लागू किया है। अंतर 2000 रूपये प्रति एकड़ का निकला जिसके बारे में अभी सदन के नेता ने भी कहा था कि इस 2000 रूपये प्रति एकड़ मुआवजे की राशि में से 1800 रूपये की राशि केन्द्र सरकार से मिलती है, तो इस प्रकार प्रदेश की सरकार ने तो महज 200 रूपये प्रति एकड़ मुआवजे की राशि ही किसानों के लिए बढ़ाई जबकि वास्तव में यह राशि डेढ़ गुणा बढ़नी चाहिए थी। अगर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार की एवरेज के हिसाब से मुआवजा राशि बढ़ाती तो जो मुआवजा राशि 12000 रूपये बनती है वह 15000 रूपये बनती यानि आज हम 3000 रूपये पीछे हैं (हंसी व विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को उपरोक्त बातों के अतिरिक्त कुछ और भी बताना चाहूँगा। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही किसान का चार प्रतिशत ब्याज खत्म करके उसे शून्य करने का काम किया है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं) मैं यह बात कहना नहीं चाहता था लेकिन सदन में कुछ इस तरह के हालात बन गए कि मुझे यह बात कहनी पड़ रही है। अध्यक्ष महोदय, हमने सत्ता में आते ही सबसे पहले यह काम किया। किसान द्वारा कृषि ऋृण पर दिया

जाने वाला चार प्रतिशत ब्याज सरकार अपने पल्ले से देगी। आप लोगों ने तो ऐसा कभी नहीं किया था? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय हुड्डा साहब को एक जानकारी और देना चाहता हूँ। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता था लेकिन मजबूरन मुझे भी अब ऐसा करना पड़ रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, बात तो बहुत बढ़िया हो रही है लेकिन फायदा तभी है जबकि उसका रिजल्ट धरातल पर आए।(शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, हम काम भी बढ़िया करेंगे और उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। सदन में अब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि मैं समझता हूँ कि अब मामले की परत–दर–परत खुल जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले मैं समझता था कि जो बातें कही जा चुकी है उससे हमारे कांग्रेस के मित्रों को तसल्ली हो जायेगी लेकिन परिस्थितिवश मैं अब एक जानकारी और देना चाहूँगा। जनवरी, 2012 या यूं कहें कि 16.1.2012 में केन्द्र सरकार 2430 रूपये प्रति एकड़ मुआवजा देती थी और उस समय राज्य सरकार द्वारा कुल मिलाकर 4500 रूपये प्रति एकड़ फसल खराब होने पर मुआवजा दिया जाता था। इसके बाद केन्द्र सरकार ने 3644 रूपये प्रति एकड़ मुआवजा देना शुरू कर दिया। राज्य सरकार को जो हिस्सा केन्द्र सरकार की मुआवजा राशि के साथ मिलाकर देना था, उस वक्त केन्द्र सरकार के हिस्से में राज्य सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं बढ़ाया? आज अपने समय की बातों को भुलाकर ये लोग हमें नसीहत दे रहे हैं? जब ये लोग पावर में थे तब इन्होंने इस तरह की नसीहत क्यों नहीं सीखी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडाः अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने यह नसीहत इसलिए नहीं सीखी थी क्योंकि यह तो किसान हितैषी सरकार थी और इस तरह की बातों पर तो ये

लोग ध्यान हीं नहीं देते थे? अध्यक्ष महोदय, वास्तव में कांग्रेस सरकार महज कागजों में ही किसान हितैषी सरकार थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, एक चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए कि कांग्रेस सरकार ने किसान का कभी नुकसान नहीं होने दिया था?(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दांगी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लेकिन दूसरी सरकार की नीयत पर शंका भी तो ठीक नहीं है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में मंत्री जी यह कह रहे थे कि 12000 रूपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जब कपास की फसल खराब हो रही थी तो इसी सदन में आप लोगों ने यह माना था कि हरियाणा प्रदेश में 12 जिलें ऐसे हैं जिनमें कपास, गवार तथा बाजरे की फसलें खराब हुई है तथा उस समय मुआवजा देने की भी घोषणा इस सदन के माध्यम से की गई थी। लेकिन अब मुआवजे की राशि देने की एवज में 5 एकड़ जमीन पर ही कैप लगा दिया गया है। उदाहरण के लिए मान लो मेरे पास 20 एकड़ जमीन है और मेरी 20 एकड़ फसल खराब हो गई है तो मुझे 5 एकड़ की खराब फसल के लिए मुआवजा न देकर 20 एकड़ में खड़ी खराब फसल के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिन किसानों की गवार और बाजरे की फसल खराब हुई उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, सदन में जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं उनमें से तकरीबन किसान के घर से आये हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि जो बारानी जमीनें होती हैं वहां पर न तो नहर का पानी उपलब्ध होता है और न ही ट्यूबवैल्ज का कोई साधन उपलब्ध होता है। ऐसे बारानी जमीनों की काश्त करने वाले किसान केवल मात्र परमात्मा की कृपा पर निर्भर करते हैं। जब

बारिश होती है तब वे गवार और बाजरा की फसलों को बोते हैं। खासकर शर्मा जी का जो इलाका है वह सारे का सारा ग्वार और बाजरे की फसल पर निर्भर रहता है। ग्वार और बाजरे के इलाकों में किसानों की जो फसल खराब हुई हैं उसका एक पैसे का मुआवजा नहीं दिया गया है। इस प्रकार से जो गरीब आदमी था, जिसके पास सबसे कम जोत की भूमि थी उसे तो मुआवजे से बिल्कुल वंचित कर दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, जो बातें सरकार आज कह रही है कि उस स्थिति में किसान की फसल को 12 हजार रूपये प्रति एकड़ मुआवजे के दायरे में रखेंगे, तो क्या यह मुआवजा कागजों तक सीमित तो नहीं रहेगा? क्योंकि सरकार ने ग्वार, बाजरा के अलावा कपास की फसल के नुकसान के मुआवजे पर भी कैप लगा दिया। आज सदन में माननीय मंत्री जी यह चीज क्लीयर करें कि मुआवजा राशि सिर्फ 5 एकड़ जमीन तक ही देंगे या किसान की जितनी एकड़ में फसल का नुकसान हुआ है उसके हिसाब से मुआवजा राशि देंगे।

श्री ओम प्रकाश धनखड : अध्यक्ष महोदय, रबी की फसल में जो गेहूं आदि की फसलें आती हैं और वे प्राकृतिक आपदाओं के कारण 20 प्रतिशत खराब हुई हैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े उदार हृद्य का परिचय देते हुए उसमें मिलने वाले मुआवजे के कैप को हटवाया था। अध्यक्ष महोदय, पहले की सरकारे भी इसका अनुसरण कर रही थी। यह डिजास्टर मैनेजमैंट का फंड है जो केवल पांच एकड़ तक ही सीमित रहता है और केन्द्र की सरकार से भी पांच एकड़ जमीन तक मुआवजा मिलता है। मौजूदा राज्य सरकार को इसलिए इसको अगली फसल के लिए लागू करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, आगे भी डिजास्टर मैनेजमैंट का फंड केवल पांच एकड़ तक ही मिलेगा।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, चाहे किसान बर्बाद हो जाये, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि फसल बीमा पहले भी हुआ करता था इसलिए मौजूदा सरकार कोई नया काम नहीं कर रही है। फसल बीमा पहले भी कम्पनियों के द्वारा ही किया जाता रहा है। प्रारम्भ में भारत सरकार की एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी इस क्षेत्र में आई थी लेकिन वह थोड़े से ही एरिया को कवर कर पाई थी। अध्यक्ष महोदय, जब केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय उन्होंने ही इन कम्पनियों की लिस्ट बनाई थी जो बढ़कर 11 कम्पनियां हो गई थी, इन कम्पनियों के लिए कहा गया था कि ये कम्पनियां भी फसल बीमा कर सकती हैं। हरियाणा प्रदेश में भी आई.सी.आई.सी.आई. लोमबार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0, इफको टोकिया कम्पनी लि0, एच.डी.एफ.सी. कम्पनी लि0, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस भारत सरकार की कम्पनी, रिलायंस, जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 और कोरामण्डलम इंश्योरेंस कम्पनी लि0 को भिन्न–भिन्न इलाकों में और भिन्न–भिन्न सालों में जैसे वर्ष 2010–11, वर्ष 2011–12, वर्ष 2012–13 और वर्ष 2013–14 में काम मिलता रहा है। अध्यक्ष महोदय, उस समय भी सारा पैसा कम्पनियों के पास जाता था, लेकिन आज मौजूदा सरकार पर दूसरी पाटियां बेबुनियादी तौर पर आरोप लगा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में बड़ा चिन्तित था कि कहीं मुझे कोई जानकारी मिल जाये कि दुनिया के किसी मुल्क में फसल बीमा, कम्पनी न करती हो, लेकिन मुझे दुनिया के किसी मुल्क से यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई। बीमा केवल कम्पनियां ही करती हैं उसके अलावा बीमा करने का कोई प्रोविजन अभी दुनिया में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पहले यह योजना सीमित थी लेकिन अब इस योजना में कुछ अच्छे सुधार आएं हैं। हरियाणा राज्य में पहले भी फसल बीमा, कम्पनियां ही करती थी और उसकी राशि भी कम्पनी के पास

ही जाती होती थी। जैसे अब किसान की जमीन पर फसल लोन है उसकी बीमा की राशि बैंक के द्वारा काटी जाती है, वैसे पहले भी बैंक के माध्यम से फसल बीमा राशि काटी जाती रही है। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि किसान को स्वतंत्रता दी जाये क्योंकि मैं किसान का पुत्र हूँ इसलिए इस बात को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। लेकिन क्या कोई एक भी लोन दुनिया में ऐसा है जो लोनी को लोन देता हो और वह बीमा न करता हो। दुनिया में किसी भी प्रकार के लोन में यह सुविधा नहीं है कि जो लोनी को लोन दे रहा हो, वह उसका बीमा न करें। अध्यक्ष महोदय, जो भी फाईनैंस करनी वाली एजेंसियां हैं वो अपनी राशि को सुरक्षित करने के लिए बीमा करके ही लोन देती है। इस प्रकार से तर्क ठीक है लेकिन तर्क व्यवहारिक नहीं है। पिछली सरकारे भी इस तर्क को इनको व्यवहारिक नहीं बना सकी। अध्यक्ष महोदय, अभी एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि खेत को इकाई बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, यह बीमा की प्रथा इतने वर्षों से चली आ रही है और पहले भी गांव ही इकाई थी । केन्द्र सरकार के द्वारा शुरू में तो ब्लॉक स्तर पर इकाई बनाई गई थी लेकिन बाद में उसमें संशोधन करते हुए गांव स्तर पर इकाई बनाई गई। अध्यक्ष महोदय, अभी तक हम खेत की इकाई तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हमारा सपना है कि हम खेत की इकाई तक पहुँचे। अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बधाई दूंगा कि वे कुछ मामलों में खेत तक भी आए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि इस प्रकार दो मामलों में जैसे ओलावृष्टि और जलभराव तथा अतिवृष्टि होगी तो चाहे वह एक एकड़ में ही क्यों न हो तो वह खेत की इकाई है। सरकार का नुमाइंदा एस.डी.एम., तहसीलदार या कृषि अधिकारी उसका सर्वे करके रिपोर्ट देगा तो किसान को एक एकड़ का भी कंपनसेशन मिलेगा । इसी तरह यदि फसल कट चुकी है और ज्यादा बारिश हो जाए या ओलावृष्टि हो जाए या जल–भराव हो

जाए तो उस इलाके में भी एक एकड़ को इकाई माना गया है । बहन किरण चौधरी ने जिक्र किया इसलिए मैं उनको बताना चाहूंगा कि पाला पड़ने, गर्म हवा निकलने या वर्षा का दौर लम्बा होने या टैम्परेचर बढ़ जाने से फसल उगज़ (खराब होना) जाती है । इस प्रकार के सभी कारण इस बीमा योजना में शामिल है । इसमें केवल तीन चीजें शामिल नहीं हैं पहला अगर युद्ध हो जाए, दूसरा अटॉमिक अटैक हो जाए या कोई दुघर्टना हो जाए, तीसरा कोई मनुष्य द्वारा नुक्सान हो जाए या जिस नुक्सान को मनुष्य होने से बचा सकते थे, ऐसे नुक्सान इसमें शामिल नहीं हैं । इस बीमा योजना में सभी प्राकृतिक चीजें शामिल हैं । (विघ्न) अगर बिजली गिरने से आग लगती है तो वह आग इस योजना में शामिल है लेकिन अगर इलैक्ट्रिक करंट से आग लगी है तो वह नुक्सान इसमें शामिल नहीं है । (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष जी, आग मुख्यतः करंट से ही लगती है । जब गेहूं की फसल पकती है तो उसमें आग बिजली के करंट से ही लगती है । इसलिए करंट से लगने वाली आग के नुक्सान को भी इस योजना के तहत लाया जाना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी, हम आने वाले वर्षों में इस तरह से होने वाले नुक्सान को भी इस योजना में शामिल करेंगे, इस तरफ हम आगे बढ़ेंगे । यह बीमा योजना अभी पहली बार बनी है जो इसमें शामिल है, वह मैं बताऊंगा । इस योजना में 8 फसलों के अलावा एक अरहर की फसल भी शामिल थी । हरियाणा में किसी भी सरकार ने 9 फसलों से ज्यादा फसलों का बीमा नहीं किया है। हमने इस योजना की शुरूआत की है । इस बीमा योजना में और अन्य बीमा योजनाओं में बहुत फर्क है । उस फर्क को मैं एक बार बताना चाहता हूं । पहले की योजनाओं में एक सीमित राशि होती थी कि हम इतना पैसा ही बीमा पर खर्च करेंगे इससे

ज्यादा खर्च नहीं करेंगे । इस योजना में दी जाने वाली राशि की कोई सीमा नहीं है । जितने भी किसान बीमा लेंगे उसका जितना भी बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा उतना राज्य सरकार और केंद्र सरकार अवश्य देगी इसकी कोई लिमिट नहीं है। दूसरा, जब सरकार के पास पैसा कम होता था तो वे योजनाएं सीमित इलाके में लागू की जाती थी जैसे 4 जिले, मार्जिनल फार्मर्स, सीमांत फार्मर्स और स्माल फार्मर्स आदि । 90 लाख एकड़ जमीन पर जितने भी किसान हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं । हमने इस योजना को इतना व्यापक कर दिया है कि सभी किसान इसका फायदा उठा सकते हैं । पहले बीमित राशि इतनी बड़ी नहीं होती थी । अभी धान पर 25 हजार मुआवजा राशि को कम बताया जा रहा है लेकिन इतनी राशि अब से पहले कभी नहीं थी । कपास पर 24 हजार रूपये मुआवजा राशि पहले कभी नहीं दी गई थी, यह अब तक की सर्वोच्च है । पहले बीमित राशि ऐसे तय होती थी कि सरकार को 20 करोड़ रूपये देने हैं और अगर बीमे की किस्त ज्यादा हो गई तो सरकार उस राशि को घटा देती थी । इससे बीमित राशि घट जाती थी परंतु अब बीमित राशि फिक्स कर दी गई है । यह बीमित राशि अब घटेगी नहीं, आने वाले सालों में बढ़ बेशक जाए । यह किस्त की राशि अलग फसल पर अलग इलाके में अलग–अलग होती थी । यह राशि कहीं 5 परसैंट, कहीं साढ़े सात परसैंट तो कहीं 3 परसैंटट होती थी । केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अच्छी बीमा योजना लेकर आए हैं जिसको हमने लागू किया है । इस योजना में किस्त की सीलिंग की गई है । इसमें 2 परसैंट से ज्यादा राशि कोई नहीं देगा । अगर बीमा कम्पनी ने कम प्रीमियम निर्धारित किया है तो किसान एक परसैंट राशि दे सकता है या डेढ़ परसैंट दे सकता है । हमारे बहुत–से किसानों ने एक परसैंट प्रीमियम दिया है । जहां पर बीमा करने की राशि कम मिली है वहां पर एक परसैंट प्रीमियम पर भी बीमा हुआ है । खरीफ की फसल पर 2 परसैंट की

सीलिंग है और रबी की फसल पर डेढ़ परसैंट की सीलिंग है । इससे ज्यादा बीमे का प्रीमियम किसी भी किसान को नहीं देना पड़ेगा । हमारी जो कैश क्रॉप्स हैं उसमें चाहे कपास की फसल हो या बागवानी की फसल हो उसकी चाहे एक एकड़ ही फसल हो उसका मुआवजा भी देना पड़ेगा । उसमें पांच प्रतिशत की सीलिंग लगाई गई है । मैं कृषि मंत्री होने के नाते से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी दूंगा और उनका धन्यवाद भी करूंगा कि हमने उनको बताया कि धान का किसान और कपास का किसान बराबर बराबर खेती करता है इसलिए अगर धान की फसल पर पांच प्रतिशत की सीलिंग लगाई जाती है और कपास पर अगर हम दो प्रतिशत की सीलिंग लगायेंगे तो इसमें किसानों में हर्ट बर्निंग होगी इसलिए तीन प्रतिशत का शेयर राज्य सरकार को देना चाहिए तो उन्होंने इसके लिए एक मिन्ट का समय भी नहीं लगाया और हमारी इस मांग को स्वीकार कर लिया । इस प्रकार कपास के प्रीमियम की 20 करोड़ रूपये की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी । आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात की है । इससे आगे मैं कुछ और बातें सदन को बताना चाहता हूं । पिछली सरकार के समय में जो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू थी उस बीमा योजना में फारमर्स का शेयर 22 करोड़ 92 लाख रूपये गया था । यह मैं कांग्रेस की सरकार के समय की बात बता रहा हूं जो संशोधित बीमा योजना थी उसामें किसानों का शेयर 37 करोड़ 92 लाख रूपये गया था । जो मौसम आधारित बीमा योजना थी उसमें किसानों का 36 करोड़ 43 लाख रूपया गया था और 97 करोड़ 27 लाख रूपये भी उस समय किसानों के ऐसे ही गये थे, जैसे अब गए हैं। मैं माननीय हुड्डा साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि इनकी पार्टी के सदस्य ने कहा है कि अगर इनकी सरकार के समय की कोई 30 प्रतिशत की मुआवजे की स्कीम है तो ये हमें बता दें । हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके किसानों का 30 प्रतिशत का मुआवजा कम कर देंगे ।

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धूः अध्यक्ष महोदय, यह कम्पनसेशन की बात नहीं है बल्कि बीमे के प्रीमियम की बात हो रही है ।

श्री अध्यक्षः सन्धू जी, मंत्री जी प्रीमियम की ही बात कर रहे हैं ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, अगर बीमे की राशि के प्रीमियम की 30 प्रतिशत राशि मिलती थी तो ये हमें बता दें ।

श्री अभय सिंह चौटालाः मंत्री जी इसलिए कह रहे हैं कि उस समय की सरकार को वह राशि पचती नहीं थी कि कहीं किसानों के पास ज्यादा पैसा न चला जाए।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, अगर बीमे की राशि के प्रीमियम की 30 प्रतिशत राशि मिलती थी तो वह 97 करोड़ रूपये में से ही मिली होगी ऐसा कोई सिस्टम होगा । जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है । अगर कांग्रेस पार्टी के सदस्य उस 30 प्रतिशत की राशि के बारे में हमें बता दें तो हम किसानों के खातों में वह 30 प्रतिशत राशि अभी जमा करा देंगे । ऐसा मैं हाउस को आश्वस्त करता हूं ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। माननीय मंत्री जी मेरा नाम ही क्यों ले रहे हैं । जिस माननीय सदस्य ने इस प्रकार की बात की है वे उस सदस्य का नाम लेकर यह बात कहें ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब उस समय प्रदेश के मुखिया थे । अगर कांग्रेस पार्टी के सदस्य उस 30 प्रतिशत की राशि के बारे में हमें बता दें तो हम किसानों के खातों में वह 30 प्रतिशत राशि अभी जमा करा देंगे ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अगर यह ये कह रहे हैं कि मैं मुखिया था तो मुखिया का जवाब आपके सदन के नेता दे देंगे । आप अपने सदन के नेता

को तो बोलने नहीं देते । मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं की । (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, बीमा राशि के लिए क्या प्रावधान किया गया है क्योंकि बीमा कम्पनी अगर बीमा करेंगी तो क्या वे फ्री में करेंगी ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य क्या बात कर रहे हैं ? माननीय सदस्य इस बारे में हमें बता दें किसकी जेब में वह पैसा गया था हम किसानों को वह पैसा वापिस दे देंगे ।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रान्त के कोआप्रेटिव मिनिस्टर को क्यों हटाया गया उसके बारे में सरकार ने कोई सफाई नहीं दी । तत्कालीन कोऑप्रेटिव मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं और एक और भूतपूर्व मिनिस्टर बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इनके खिलाफ क्या मामले चल रहे थे ? इस प्रकार के रूल्ज विधान सभा के हैं कि सरकार को इस बारे में स्पष्ट करना चाहिए कि इनको क्यों हटाया गया ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, किसी मंत्री को हटाना है और किस मंत्री को लगाना है यह मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव है वह किसी भी मंत्री को बना सकता है और किसी भी मंत्री को हटा सकता है । विपक्ष के सदस्यों से पूछकर थोड़े ही हटायेंगे या लगायेंगे ? माननीय सदस्य को अपने शब्द वापिस लेने चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, यह आपका कोई तरीका नहीं है ।

श्री विक्रम सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, जिस बात का जिक्र दलाल साहब कर रहे हैं क्या कोई सहकारिता विभाग की कोई नई पॉलिसी हुई थी ।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब ने जो भी आपत्तिजनक बात कही है उन शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जो भी बात कहेंगें मजबूती से कहेंगे लेकिन आपने पहले भी हाउस के माहौल को खराब किया है तथा अब भी हाउस का माहौल खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं जो कि उचित नहीं है । (विघ्न)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, हाउस में पहली बार मां बाप तक बात आई है जो कि ठीक नहीं है । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटालाः विज जी, उनकी तो गलती है ही लेकिन आपने भी तो उनको ऐसा कहा है । (विघ्न)

श्री अनिज विजः चौटाला जी, पहले उन्होंने कहा था उसके बाद ही मैंने कहा है। (विघ्न)मैंने तो आवेश में आकर कहा था । (विघ्न)

श्री अध्यक्षः दलाल जी, मंत्री तो बदलते रहते हैं और यह मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है कि वह किसी को मंत्री बना सकता है और किसी को भी मंत्री पद से हटा सकता है । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा आपको एड्रस करके अपनी बात कहता हूं लेकिन ये आंख निकालकर हमसे बात करते हैं । (विघ्न)

श्री अनिल विजः दलाल साहब, आप मां बाप पर किस लिए आते हो बल्कि हमसे सीधे लड़ लो (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनको अपने शब्द वापिस लेने चाहिएं ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आप विषय की तैयारी करके नहीं आए हैं इसलिए कोई भी बात कहकर विषय से भटक कर हाउस के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, कुछ बातों की जानकारी माननीय सदस्यों को नहीं है इसलिए मैं उनसे एक बात सांझा करना चाहूंगा । इस फसल बीमा योजना पर डिपार्टमैंट ने एक्सरसाईज की है । हमारे पास सभी फसलों के उत्पादन के आंकड़े नहीं थे इसलिए हम बागवानी की सभी फसलों पर एक साथ यह योजना लागू नहीं कर सकते थे । अब डिपार्टमैंट उत्पादन के आंकड़ों को लेकर सजग हो गया है । डिपार्टमैंट के पास जो आंकड़े थे उसके 90 परसैंट को हमने हाईएस्ट इकाई माना है और वे आंकड़ें सभी कम्पनियों को दिए गए हैं । यह ओपन बिड थी । इसके लिए सरकारी कम्पनी भी आ सकती थी और प्राइवेट कम्पनी भी आ सकती थी । एल. वन. कम्पनी इस काम के लिए आगे आई है । हम तीन कम्पनियों का व्यवहार देख लें, उनका कम्पीटिशन देख लें कि कौन कितना अच्छा काम करता है इसलिए इस योजना के लिए पूरे हरियाणा को मुख्यमंत्री जी के निवेदन पर तीन हिस्सों में बांटा है और इसका काम एल. वन. कम्पनी को दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में जितने भी राज्यों में बीमा योजना लागू हुई है उसमें हरियाणा में प्रीमियम की दर सबसे कम है । सबसे कम खर्चा हरियाणा में होने वाला है । (विघ्न) माननीय सदस्य पढ़कर तो आए हैं लेकिन बात को समझने में थोड़ा अंतर रह गया है । जो उत्पादन के आंकड़े हमने दिए हैं उसको नापने के लिए क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस होगा । क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस का मतलब है कि जब फसल पकने को आएगी तो अलग से कम्पनियों को जिनका उन बीमा कम्पनियों से कोई सम्बंध नहीं है, क्रॉप कटिंग का काम दिया जाएगा । सभी सदस्य ध्यान से सुन लें कि जिन कम्पनियों को बीमे का

काम दिया गया है उन कम्पनियों को क्रॉप कटिंग का काम नहीं दिया गया है बल्कि अलग से कम्पनियों को क्रॉप कटिंग का काम दिया गया है । ये कम्पनियां क्रॉप कटिंग करके बताएंगी । क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस हर गांव में होगा । ये काम जिसके भी खेत में होगा वह किसान वहां खड़ा होगा और वह जागरूक हो जाएगा और मुझे लगता है कि सारे गांव के किसान वहां आएंगे क्योंकि सबको लगता है कि उनका भाग्य इस पर टिका हुआ है । मान लो किसी गांव में 20 क्विंटल धान होना था लेकिन हुआ 16 क्विंटल है तो जो 20 परसैंट की कमी उस गांव में आई है उस 20 परसैंट की पूरी की पूरी भरपाई वह बीमा कम्पनी करेगी । अगर धान 20 क्विंटल में से 10 क्विंटल रह गया है तो उसकी भरपाई भी कम्पनी करेगी । जितना भी धान कम होता जाएगा उसकी भरपाई कम्पनी करेगी । मान लो किसी का धान जीरो रह गया है और 25 हजार रूपये प्रति क्विंटल धान का रेट है तो 25 हजार रूपये किसान को उस कम्पनी को देने ही पड़ेंगे और उसको कोई नहीं रोक सकता । और क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस हमारे अधिकारियों की निगरानी में होगा क्योंकि उनको यह काम हम दे रहे हैं । वे हम से ठेका लेंगे, कंपनी से ठेका नहीं लेंगे । (शोर एवं व्यवधान) जो बात मैं यहां कह रहा हूं उसके एक–एक शब्द का मैं जिम्मेवार हूं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सदन को मिसलीड कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, प्लीज आप बैठें । आप सब ने अढ़ाई घंटे अपनी बात कही है । अब आप मंत्री जी का जवाब सुनें ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस का ठेका तो अभी सरकार ने देना है और अलग लोगों

को देंगे । माननीय साथी मेरी पूरी बात सुन लें ये वैसे ही खड़े हो जाते हैं । क्रॉप कटिंग का ठेका सरकार अपनी शर्तों पर देगी ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले दस साल का आंकड़ा दिया हुआ है उसका क्या हुआ ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, उसका जवाब ये हुड्डा साहब से लें । हुड्डा साहब, आप इनको समझा कर लाओ, ये कुछ भी बोलते रहते हैं । आंकड़ा किसी ने नहीं दिया । उत्पादन का आंकड़ा एग्रीकल्चर विभाग का तो है । (शोर एवं व्यवधान) इसलिए किसी भी फसल पर मुआवजा क्रॉप कटिंग के हिसाब से तय होगा और दूसरी किसी भी बात का असर नहीं पड़ेगा । कुल उत्पादन कितना होना चाहिए उसका एक आंकड़ा पहले से दिया हुआ है तथा कुल उत्पादन कितना हुआ उसके गैप को बीमा कंपनियों से पे करवायेंगे । बीमा कंपनियों से पे करवाना सरकार का दायित्व है । जैसे मैंने पहले बताया यदि ओलावृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है, जल भराव होता है तो उसका इकाई का पैमाना प्रति एकड़ के हिसाब से होगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह बतायें कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसका रिड्रैसल कैसे होगा ? जब किसान कहेगा कि फसल का नुकसान ज्यादा हुआ है और बीमा कंपनी कहेगी कि नुक्सान कम हुआ है तो उसका निपटान किस तरह से किया जायेगा ? इस तरह के डिस्प्यूट्स का जब तक फैसला होगा तब तक किसान बर्बाद हो जायेगा ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि इस मामले में किसान अकेला नहीं है । सरकार उनके हक के लिए बीमा कंपनी से लड़ेगी । भारत सरकार और हरियाणा सरकार भी प्रीमियम की हिस्सेदार

हैं । आगे जो समझने की बात है वह यह है कि कई आंकड़े ऐसे ही फैल गये हैं जैसे कहा जा रहा है कि 70 प्रतिशत नुक्सान होगा तो मुआवजा मिलेगा । इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि यह कोई आंकड़ा नहीं है । एक आंकड़ा 75 प्रतिशत का है अगर किसी गांव में या एरिया में 75 प्रतिशत फसल बुआई नहीं हुई तो यह आंकड़ा उसके लिए है । ऐसा होने पर जो उसकी बीमित राशि है उसका 25 प्रतिशत वहां के लोगों को बीमा कंपनी देगी । यह बात खेती होने के पहले के विषय पर लागू होगी । खेती होने के समय के विषय पर कोई 70–75 प्रतिशत का आंकड़ा नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डा. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यदि विपक्ष के साथी देखना चाहते हैं तो हमारे नांगल चौधरी के एरिया को देखें । वहां पर जिस साल बरसात न हो उस साल एरिया बगैर बुआई के ही रह जाता है । रबी की फसल में तो कभी भी आकर देख लो ।

श्री आनंद सिंह दांगी : सर, नांगल चौधरी तो हरियाणा का आखिरी छोर है ।

डा. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वह भी तो हरियाणा का ही हिस्सा है । शायद इन्होंने उसको हरियाणा का हिस्सा नहीं समझा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी एक और गलत जानकारी दे रहे थे। उसके बारे में मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि मान लीजिए हरियाणा में फसल बीमा योजना के तहत कुल 150 करोड़ रूपये का प्रीमियम जमा हुआ और जो हरियाणा के किसानों की राशि बीमित हुई है वह 30 हज़ार करोड़ रूपये है। यह मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं तथा यह कोई एक्चुअल आंकड़ा नहीं है। इस प्रकार से बीमा कम्पनियां इस 30 हज़ार करोड़ रूपये का 35 प्रतिशत तक देनदार होंगी। इससे ज्यादा वे नहीं दे पायेंगी अगर देंगी तो उनका दिवाला पिट

जायेगा। वे इतनी बड़ी राशि कहां से देंगी। बीमा कम्पनियों ने 150 करोड़ रूपये लिये हैं जो कि 30 हज़ार करोड़ रूपये का 35 प्रतिशत बैठता है। इस प्रकार से 10 हज़ार करोड़ रूपये तक तो बीमा कम्पनियां ही भुगतान करेंगी। इस बार भी हमने 1100 करोड़ रूपये से ज्यादा नहीं दिया है। इस प्रकार से मैं फिर से यह बात दोहराना चाहता हूं कि 35 प्रतिशत का भुगतान तो बीमा कम्पनियां करेंगी। यह भी पहले का ही फिक्स है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने यह कोई नया फिक्स नहीं किया है। यह तो श्रीमती सोनिया गांधी जी की अगुवाई में डॉ. मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार द्वारा पहले से ही फिक्स किया हुआ है। कांग्रेस के साथियों को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के साथी नये कानून को तो पढ़ आये लेकिन उन्होंने पुराना कानून नहीं पढ़ा मुझे इसी बात का सबसे ज्यादा अफसोस है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को यह बात भी ज्ञात होनी चाहिए कि पुराने कानून के हिसाब से फसलों का बीमा जबरन भी नहीं होता था लेकिन जो आज फसल का बीमा हो रहा है वह जबरन हो रहा है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस के साथियों को यह पहले ही बता चुका हूं कि उस समय भी ऐसा ही होता था। मैं एक बार इनको फिर से बताना चाहता हूं कि इनकी सरकार के समय में भी सभी लोनी फॉर्मज़ का बीमा इसी रूप में होता था। हमने इस बार यह ज़रूर किया था कि इसका प्रचार करने के लिए समाचार–पत्रों में विज्ञापन दिये थे और इसके लिए समय को 10 अगस्त, 2016 तक बढ़ाया भी था । हमने किसानों को यह सूचना दी थी कि वे अपने सम्बन्ध में कम्पलीट जानकारी जल्दी से जल्दी दे दें। अगर जानकारी सही समय पर मिल जाती है तो उसमें जो थोड़ी बहुत त्रुटियां होंगी उनको समय पर दूर किया

जा सके। यह हमने इस कारण भी किया था क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जानकारी कलैक्ट करना बैंकों के बस की बात भी नहीं थी। आगे के लिए भी हम ज्यादा से ज्यादा फसलों को जोड़ना चाहेंगे और यह भी चाहेंगे कि प्रीमियम की राशि को कम से कम किया जाये। जैसा विपक्ष के सभी माननीय सदस्य चाहते हैं हम भी चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में जो प्रक्रिया है उसको ज्यादा से ज्यादा सरल किया जाये। कुल मिलाकर हम यह चाहते हैं कि हम इस फसल बीमा योजना को इतना अच्छा बनायें कि हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक किसान आगे बढ़कर इसको अपनाना शुरू करे। इस समय इस सम्बन्ध में जिस प्रकार की बहस को विपक्ष के माननीय साथियों द्वारा प्रदेश में क्रियेट कर दिया गया है उससे मुझे लगता है कि विपक्ष के माननीय साथियों द्वारा सभी पुरानी जानकारियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। हाथरस में पीपा नाम के एक राजा हुआ करते थे और वे प्रतिदिन रामायण सुनते थे। जो पण्डित उनको रामायण सुनाने आता था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : जगबीर सिंह जी, आप बैठ जाईए हर व्यक्ति अपनी बात को कोई न कोई उदाहरण देकर समझाना चाहता है। ऐसा ही मंत्री जी कर रहे हैं । ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इनकी बात आप सभी की अच्छी तरह से समझ में आ जाये। ऐसा मंत्री जी ही कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। सभी ऐसा करते हैं। आप शांतिपूर्वक बैठकर उनकी बात को सुने। (विघ्न) जगबीर सिंह जी, आपका आचरण सही नहीं है। यह बहुत गलत बात है। आप अपनी सीट पर बैठ जायें और मंत्री जी की बात ध्यानपूर्वक सुने। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि जब हाथरस के राजा पीपा रामायण की कथा सुनते थे उस दौरान जब पण्डित जी राम वनवास की कथा सुनाते थे तो उस समय वे बहुत गुस्सा हो जाते थे। उस समय ऐसा लगता था कि जैसे वे पण्डित पर ही टूट पड़ेंगे। पण्डित जी को यह बात समझ में आ गई कि अगर उसने राजा को सीताहरण सुना दिया तो वे तो उसका गला ही काट देंगे। इसलिए वे कभी भी चित्रकूट से आगे कथा को नहीं ले जाते थे। वे बार–बार चित्रकूट तक कथा सुनाते थे और फिर दोबारा कथा शुरू कर देते थे। (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण बेदी) : धनखड़ साहब, यह कहानी फिर से सुनाइये ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, हाथरस के एक राजा थे और वे पंडित जी से हर रोज रामयण की कथा सुनते थे । पंडित जी जब भी उनको श्री राम के वनवास जाने का किस्सा सुनाते थे तो राजा गुस्सा हो जाते थे । इस बात से पंडित जी डर जाते थे कि अगर इनको सीता हरण की कथा सुना दी तो ये कुछ भी कर सकते हैं और कथा को पंचवटी से आगे नहीं सुनाते थे और वहीं से फिर वापिस शुरू से ही सुनाना शुरू कर देते थे । एक बार उस पंडित जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया और राजा को कथा सुनने के लिए किसी दूसरे पंडित जी को बुलाना पड़ा । दूसरे पंडित जी ने राजा से पूछा कि कथा कहां तक पहुंच गई है तो राजा ने बताया कि कथा पंचवटी तक पहुंच गई है । पंडित जी ने पंचवटी से कथा आगे बढ़ाई और सीता हरण तक पहुंच गई । जब पंडित जी ने सीता हरण की कथा सुनाई तो राजा को गुस्सा आ गया और उसने पंडित जी की पिटाई तो की ही साथ ही सेना को आदेश दे दिये कि लंका पर चढ़ाई कर दो ।

मेरे होते हुये रावण की ये हिम्मत कि वो माता जानकी का हरण करके ले जाये । श्री राम ने उसका गुस्सा देख कर हनुमान जी को कहा कि इनको रोको । हनुमान जी ब्राहम्ण का वेश धारण करके गये लेकिन वे हनुमान जी की कहां मानने वाले थे उनको भी पटक दिया तथा पूरी सेना के साथ लंका की तरफ कूच कर दिया । आखिर में श्री रामचन्द्र जी को अपने पूरे स्वरूप के साथ हाजिर होना पड़ा । तब हनुमान जी ने अपने असली स्वरूप में उनको रोका कि भाई रूको–रूको तो उन्होंने देखा कि सामने राम, सीता तथा लक्षमण सभी थे । उन्होंने उनको देख कर प्रणाम किया और पूछा कि हे प्रभु आप मां जानकी को वापिस ले आये तो श्री राम ने कहा कि ले तो मैं उस किताब में भी आया था लेकिन आपने उससे आगे वह किताब पढ़ी ही नहीं । इसी प्रकार से अगर मेरे विपक्ष के साथी इस फसल बीमा योजना के इतिहास के बारे में पढ़ते तो ये हमारा और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते कि बहुत अच्छी फसल बीमा योजना लागू की है । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छी फसल बीमा योजना लागू की है जिसके लिए मैं उनका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कथा तो बहुत अच्छी सुनाई लेकिन हमने जो बातें मंत्री जी से पूछी थी मंत्री जी ने उनके जवाब नहीं दिये हैं । हमने पूछा था कि इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किन–किन लोगों को मिलेगा और किसको इससे अछूता रखा गया है । मैंने बताया था कि हरियाणा एन.सी.आर. में सबसे ज्यादा आता है । हांसी से लेकर होडल तक लोग सब्जियां पैदा करते हैं और अपना सारा कारोबार दिल्ली को देते हैं तथा अपने परिवार का पेट पालते हैं । वे सभी छोटे–छोटे किसान हैं । हमने मंत्री जी से पूछा था कि क्या सब्जियों को भी इसमें शामिल किया है । इसके अतिरिक्त हमने यह भी पूछा था

कि क्या बागवानी को भी इसमें शामिल किया गया है, क्या दालों को भी इसमें शामिल किया गया है । उनमें से किसी बात का जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया है ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया । मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया था उन्होंने कहा था कि अभी यह शुरूआत है बाद में धीरे–धीरे इस स्कीम का दायरा बढ़ता चला जायेगा ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बात शुरूआत की नहीं है । जिस प्रकार से श्री अभय सिंह यादव जी बात कर रहे थे कि उनके एरिया का 75 प्रतिशत एरिया खाली पड़ा रहता है । मैंने भी वह एरिया देखा है जो कि पूर्ण रूप से बरसात पर निर्भर है और वहां पर गवार और बाजरे की फसल होती हैं । इस योजना में ग्वार को शामिल ही नहीं किया गया है । जिस प्रकार पिछले साल आपने कपास की खराब हुई फसल का मुआवजा दिया था अगर ग्वार की फसल खराब हो गई तो उसका मुआवजा कौन देगा? इसी प्रकार से हमारे इलाके में अरहर की फसल सबसे ज्यादा पैदा की जाती है । एक तरफ दालों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, रोज दालें महंगी होती जा रही हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी ने भी दालों को लेकर प्रदर्शन किया था उस समय ये सत्ता में नहीं थे लेकिन आजकल ये दालों के बारे में जिक्र ही नहीं कर रहे । इन्होंने इस योजना में इन चीजों को कहीं नहीं रखा । दूसरी बात हमने कही थी कि किसान को जो 5 एकड़ तक फसल खराब होने पर ही मुआवजा देने वाली बात है वह हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है । सरकार का यह फैसला तो किसान के खिलाफ है । अगर मुआवजा देने की बात है तो जितनी फसल किसान बोता है उसमें से उसकी जितनी फसल खराब होती है उसको उतना ही मुआवजा मिलना चाहिए । अगर आप यह नहीं करते हैं तो हम वॉक आउट करते हैं ।

वॉक–आउट

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल लोकदल पार्टी के सभी सदस्य कालिंग अटेंशन मोशन नं0–1 पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिये जाने के विरोध में सदन से वॉक–आउट कर गये।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आज इस हाऊस में आपने अब तक इस विषय पर दो घण्टे की चर्चा करवाई । सभी माननीय सदस्यों ने अपनी–अपनी बातें कही हैं । श्री जगबीर सिंह मलिक जी ने एक मांग रखी, बहन किरण चौधरी जी ने मांग रखी और श्री अभय सिंह चौटाला जी ने भी अपनी बात कही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जिस विषय पर इण्डियन नैशनल लोकदल के सदस्यों ने वॉक आउट किया उसका भी मंत्री जी ने जवाब दिया है ।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, किसान की फसल बीमा की जो रकम बनती है उसके लिये जो 70 प्रतिशत किसान फसल बीमा योजना नहीं करा सके और जो दलित हैं, जो गरीब हैं, जो मार्जिनल पीजैंट हैं उनका शेयर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को मान्यता देते हुए मंजूर कर दिया है। इससे बड़ा कम्पनसेशन, इससे बड़ी राहत और क्या हो सकती है । इसके बावजूद भी इण्डियन नैशनल लोकदल के सदस्य वॉक आउट कर गये । अध्यक्ष महोदय, यह सब उनका मिला–जुला ड्रामा था ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर काफी चर्चा हुई और सभी सदस्यों ने अपने–अपने विचार रखे । इसमें मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं इस फसल बीमा योजना के खिलाफ हूं कि यह फसल बीमा योजना लागू नहीं होनी चाहिए । मैं तो कहता हूं कि अच्छी बात है कुछ अच्छा होना चाहिए । लेकिन यह

योजना जिस रूप में लाई जा रही है वह किसानों के हित में नहीं है और न ही किसानों को इससे लाभ पहुंचने वाला है । कृषि मंत्री जी ने हमारे बारे में कहा कि यह योजना हमारे कार्यकाल में लागू हुई थी । अगर उस बारे में चर्चा करेंगे तो यह बात बहुत लम्बी हो जाएगी ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, क्या इन्होंने यह मान लिया कि ये 10 साल जिस स्कीम को चला रहे थे, वह किसानों के साथ धोखा था । क्या ये सदन में मान रहे हैं कि ये 10 साल तक किसानों को धोखा देते रहे । फिर भी ये यह कह रहे हैं कि यह योजना बेहतर नहीं है । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : हुड्डा साहब, फिर तो आप सदन में उस योजना को चलाने की गलती मान लो । हम इस पर पुनर्विचार कर लेंगे ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि आज जो यह फसल बीमा योजना चलाई जा रही है वह किसानों के हित में है या नहीं । इस विषय पर जितने भी साथी बोले हैं सबके विचार यही आए हैं कि यह योजना किसानों के हित में नहीं है । यह योजना किसान विरोधी है इसमें कोई दो राय नहीं है । यह ठीक है इस योजना को शुरू करने के पीछे आपकी नीयत अच्छी होगी लेकिन मैं कहता हूं कि यह योजना किसानों के लिये अच्छी नहीं है । अगर इस योजना को लागू करना है तो कम से कम एक्सपैरीमेंट के तौर पर इस योजना का सारा प्रीमियम हरियाणा सरकार दे दे तो मुझे यह योजना मंजूर होगी । इससे साल–दो साल में पता लग जाएगा कि सरकार ने कितना प्रीमियम दिया ।

श्री ओम प्रकाश धनखड : हुड्डा साहब, आपने तो इस योजना के तहत 97 करोड़ रूपये किसानों का दिलवाया है ।

कैप्टन अभिमन्यु : हुड्डा साहब, आपने न मुआवजा दिया और न ही प्रीमियम दिया । आपका मतलब तो केवल मांगना ही मांगना और बोलना ही बोलना है। आप तो सारी नसीहत दूसरों को दे रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, इनकी तो घोषणाओं का मुआवजा भी हम बांट रहे हैं ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर बस इतनी ही बात कहना चाह रहा हूं कि ये फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने इस बार ही लागू की है और यह कहा गया है कि जितनी भी योजनाएं हैं उनमें सुधार करते–करते संशोधित बीमा योजना के बाद प्रधानमंत्री द्वारा यह फसल बीमा योजना इस बार लागू की गई है । अध्यक्ष महोदय, आज इस विषय पर काफी चर्चा हुई । और लगभग ढ़ाई घण्टे की चर्चा होने जा रही है । एक बार तो ये मानकर चलना चाहिए कि जो कार्य इस समय तक हो गया है उसमें 30 प्रतिशत लोगों का ही प्रीमियम जमा हुआ है और 30 प्रतिशत किसान इस बार इस बीमा योजना में कवर हुए हैं । अध्यक्ष महोदय, जैसा हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा है कि पहले भी ऐसा होता रहा है और यह कोई पहला मौका नहीं है जबकि किसी लोनी फार्मर्ज का बैंक द्वारा पैसा काटा गया हो। लोनी फार्मर्ज का पहले भी बैंक द्वारा पैसा काटा गया है और अब की बार भी काटा गया है। यह तो स्वाभाविक ही है। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविंन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, सदन को यह बताया जाये कि फसल बीमा योजना के तहत कितने प्रतिशत किसानों को शामिल किया गया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना के प्रथम चरण में 30 प्रतिशत किसानों को शामिल किया गया है और जल्द ही 70 प्रतिशत किसानों को इसके

दायरे में लाया जायेगा। बैंक में 30 प्रतिशत किसानों का प्रीमियम गया है। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता की जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि ऐसे किसानों का भी पैसा काटा गया है जो न तो फसल बीमा योजना के 30 प्रतिशत के दायरे में आते थे और न ही उन्होंने किसी प्रकार का कोई लोन लिया हुआ था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे कितने ही केसिज बता सकता हूँ जिनमें फार्मर्ज लोनी भी नही थे और बावजूद इसके बैंक द्वारा उनके अकाउंट्स से पैसे काट दिये गये ।(शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस प्रकार के अनेकों केसिज बता सकता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूँ कि यदि कोई फार्मर्ज लोनी नहीं है और उसका पैसा काट लिया गया है, यदि इस बारे में कोई लिखित में शिकायत आती है तो निश्चित रूप से इसका कोई न कोई समाधान जरूर निकाला जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैडम किरण जी, संधू जी और ढुल साहब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने साफ कर दिया है कि यदि कोई फार्मर लोनी नहीं है और उसका पैसा काट लिया गया है तो उसका पैसा वापिस करवा दिया जायेगा। अतः अब आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, बड़ी सहज सी बात है यदि लोनी फार्मर्ज का पैसा काटा गया है तो ठीक है लेकिन यदि किसी गैर लोनी का पैसा काटा गया है तो उसका समाधान जल्द से जल्द कर दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की गलती क्यों हुई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की गलती को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिये, आप लोग बैठिये। जब सदन के नेता ने ही कह दिया है कि यदि कोई गलती हुई है तो उसमें सुधार कर लिया जायेगा तो मैं समझता हूँ कि अब इस विषय पर ज्यादा बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, सामान्यतः बैंक द्वारा केवल लोनी फार्मर्ज का ही पैसा काटा जाता है। लोनी फार्मर्ज फसल बोने के लिए लोन लेता है इसलिए यदि उसने लोन लेकर फसल बोई है तो स्वाभाविक है कि बैंक द्वारा उसके अकाउंट्स से पैसा जरूर काटा जायेगा।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए?

आवजेंः ठीक है, सर।

श्री अध्यक्षः सदन की बैठक का समय 30 मिनट की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जिसने लोन दिया है उसको भी अपने लोन की चिंता होती है। फसल पैदा होगी, फसल कटेगी तथा फसल बिकेगी तो ही लोनी बैंक को अपना पैसा वापिस आने की उम्मीद होगी। मान लो फसल का नुकसान हो जाता है ऐसी सूरत में किसान पर संकट के बादल छा जाते है। यदि कोई किसान लोन लेगा तो उसके अकाउंट्स से पैसे भी कटेंगे। पहले की सरकारों में भी ऐसा होता था और अब भी ऐसा किया जा रहा है। यह कोई नया प्रोसैस नहीं है। फसल बीमा योजना पर सदन में पहले ही बहुत सारी चर्चा हो चुकी है अतः अब मैं केवल एक बात और कहकर विषय को समाप्त करता हूँ। फसल बीमा योजना के अंतर्गत पहली छह माही की अवधि में किसानों का जितना इंश्योरैंस होना था वह हो गया है। इसके लिए आखिरी तिथि 10 अगस्त, 2016 निश्चित की गई थी। अब कोई नई तिथि सामने नज़र नहीं आ रही है। अब अपने हाथ में भी इस मामले में कुछ नहीं है परन्तु आज की गई चर्चा के संदर्भ में जितने सुझाव दिए गए हैं उन सुझावों में कुछ अच्छे सुझाव भी सामने आये हैं। ऐसा नहीं है कि फसल बीमा योजना केवल मात्र केन्द्र सरकार की लागू की गई बीमा योजना है। इस योजना को हरियाणा के साथ–साथ भारत वर्ष के अन्य प्रदेशों ने भी स्वीकार किया है और सदन में इस पर चर्चा के दौरान जो अच्छे सुझाव सामने निकलकर आये हैं उनको भी इस योजना में आत्मसात किया जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि फसल बीमा योजना को सभी राज्यों ने स्वीकार नहीं किया है? (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं दलाल साहब को बताना चाहूँगा कि यदि किसी राज्य ने फसल बीमा योजना को स्वीकार नहीं किया है तो क्या हुआ। हरियाणा प्रदेश ने इस योजना को स्वीकार किया है तथा इस योजना का प्रथम चरण 10 अगस्त, 2016 को पूरा हो चुका है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखडः अध्यक्ष महोदय, दलाल जी केवल आलोचना तक सीमित रह जाते हैं इनको पता होना चाहिए कि कांग्रेस सरकार ने तो किसानों को खराब फसल का मुआवजा तक नहीं दिया था? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने इस योजना को स्वीकार नही किया है, एक बात मानकर चलिए कि उनको तो इस योजना से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मान लो हमने इस योजना को अबकी बार स्वीकार किया है और अगर इसके अच्छे परिणाम सामने निकलकर आयेंगे तो भविष्य में अन्य प्रदेश भी इस योजना को स्वीकार कर सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता को तो इस योजना को स्वीकार करना ही था क्योंकि केन्द्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, यह तो कोई बात नहीं हुई। इस प्रकार से तो पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर भी तो फसल बीमा योजना को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह भी हो सकता है कि फसल बीमा योजना को स्वीकार करने बाबत हरियाणा प्रदेश भाजपा शासित सरकार की कोई मजबूरी रही हो? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं चौटाला साहब को बताना चाहूँगा कि कोई मजबूरी प्रदेश सरकार के लिए नहीं थी। हमने बाकायदा मिल–बैठकर इस योजना पर विचार किया और विचार करने के बाद जब यह निष्कर्ष निकला कि यह योजना किसान के हित में हो सकती है तभी हमने इस योजना को स्वीकार किया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, सदन में इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है कि फसल बीमा योजना ही सबसे अच्छी योजना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, हम यह नहीं कहते कि हमारी योजना ही सबसे अच्छी है। पहले भी जो योजनाएं बनाई गई थी वह भी अच्छी रही होगी। किसी भी योजना की सफलता के लिए सबसे अहम बात उसके लचीलेपन की होती है ताकी समय के साथ–साथ उसमें सुधार किए जा सके। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार से पहले की सरकारों ने भी अपने–अपने समय में नई–नई योजनाओं को बनाने संबंधी प्रयोग किए होंगे। सबको भली भांति ज्ञात होगा कि कोई भी योजना अपने आप में पूर्ण या अंतिम नहीं होती है। धीरे–धीरे प्रयोग होते रहते हैं और योजनाओं में सुधार होता रहता है। ठीक उसी प्रकार से इस योजना को हम पूर्ण मान लें, ऐसा भी नहीं है। फसल बीमा योजना को अभी प्रयोग के रूप में अपनाया जा रहा है। इस योजना की पहली छमाही है तथा सालभर में परिणाम देखने के बाद देशभर के जिन प्रांतों ने इस योजना को लागू किया है, यदि वहां से यह आवाज आती है कि यह योजना ठीक

नहीं है तो इस योजना में कोई परिवर्तन संभावित हो सकता है। अब रही बात फसल का बीमा करने की। बीमा कंपनियों के साथ बीमा करने संबंधी जो भी बात होती है उसके लिए समझौता तो करना ही पड़ता है। न तो बीमा कम्पनी हम पर कुछ थोप सकती है और न ही हम बीमा कम्पनी पर कुछ थोप सकते हैं। सरकारों व बीमा कंपनियों का आपस में बातचीत करने के बाद ही कोई समझौता लागू होता है। यदि एक पक्ष भी यह कहता है कि नहीं फलां चीज लागू नहीं हो सकती तो संभव है कि वह चीज लागू नहीं होगी। अतः यह योजना जिस रूप में भी शुरू की गई है हमें इस योजना को उसी रूप में स्वीकार तथा स्वागत करना चाहिए और आगे चलकर इसमें नित नये सुझावों के दृष्टिगत योजना में सुधार की गुजाईंश को आत्मसात करते हुए योजना को प्रभावी बनाने का काम करना चाहिए।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, जितने विस्तृत रूप में सदन के नेता ने फसल बीमा योजना के बारे में अपनी बात रखी है, मैं समझता हूँ कि इससे और अधिक अच्छी बात नही हो सकती निश्चित रूप से सदन के माननीय सदस्य इस बात से अपनी सहमति प्रकट करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो भी बातें फसल बीमा योजना के बारे में कहीं हैं, बहुत अच्छी हैं। अगर ये यह समझते हैं कि यह योजना वास्तव में किसानों के हित में है और इसमें नित नये सुझावों को शामिल करके और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, तो निश्चित रूप से मैं भी माननीय सदन के नेता की बात से सहमत हूँ और मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इससे बढ़कर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि प्रयोग के तौर पर हरियाणा सरकार को पूरे साल का प्रीमियम दे देना चाहिए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। कुल प्रीमियम 100 करोड बनेगा, 150 करोड़ बनेगा या फिर इससे ज्यादा बनेगा, इसका रिकॉर्ड तो सरकार

के पास होगा ही? किसान के हित में क्या सरकार इतना भी खर्च नहीं कर सकती है? इससे प्रयोग भी हो जायेगा और योजना के लाभ व कमियों का भी भलीभांति ज्ञान हो जायेगा। सरकार को यह प्रयोग भी कर देना चाहिए नहीं तो इस योजना को विद्ड्रा कर लेना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किसानों का कितना प्रीमियम पे किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार में तो हम देते ही रहते थे और यही नहीं दूसरी सरकारें भी प्रीमियम पे करने का काम करती ही रहती थी।(शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने भी अपने 10 साल के कार्यकाल में इसी तरह की अनेक स्कीमें प्रयोग की थी। उन स्कीमों के तहत कितना प्रीमियम पे किया गया था? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भपूेन्द्र सिंह हुड्डाः कैप्टन साहब, आप हमारा छोड़िये और अपना बताईये। मैं आपसे पूछ रहा हूँ? आप बताईये? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, क्या हुड्डा साहब का इस तरह का आचरण जिम्मेदाराना व्यवहार माना जाना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बिल्कुल नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा साहब को बताना चाहूँगा कि उन्होंने जो सुझाव देना था, दे दिया है। अब इस सुझाव पर क्या निर्णय लेना है यह फैसला हम करेंगे। किसान के हित की जो भी बात होगी उसके लिए हमारी सरकार सदैव

तत्पर है। हमारी सरकार किसानों का हित चाहती है। उनके हितों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। आपको सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, करण सिंह दलाल जी ने अपना जवाब लिखित रूप में सदन के पटल पर रख दिया है, इसको एग्जामिन करवाकर कल यानी मंगलवार दिनांक 30.08.2016 को इस पर आगामी कार्रवाई की जायेगी। (शोर एव व्यवधान)

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

श्री अध्यक्षः अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज–पत्र रखेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित कागज–पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ। (शोर एव व्यवधान)

न्यायालय फीस (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2016. (2016 का हरियाणा अध्यादेश सं.4)

1. हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) अधिनियम, 1979 के खण्ड 8 (3) में उपबन्ध के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) विनियमावली, 1979 के संबंध में राजनैतिक एवं संसदीय कार्य विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ.11/एच.ए.9/एस.8/2016, दिनांकित 5 मई, 2016 ।
2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा हिन्दी प्रारूप शुद्धिपत्र दिनांकित 26 जुलाई, 2016 के संबंध में प्रशासकीय सुधार विभाग अधिसूचना संख्या 5/4/2008–1ए.आर. दिनांकित 18 मार्च, 2016 ।
3. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 60 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन के संबंध में आबकारी तथा कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 7/एस.टी–1/एच.ए.6/2003/एस.60/2016, दिनांकित 11 मार्च, 2016 ।
4. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 60 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 में

संशोधन के संबंध में आबकारी तथा कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 15/एस.टी.–1/एच.ए.6/2003/एस.60/2016 दिनांकित 25 मई, 2016 ।

5. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की 39वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा वित्तीय स्थिति विवरण ।
6. विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2011–12 के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की लेखा परीक्षा रिपोर्ट ।
7. विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2012–13 के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की लेखा परीक्षा रिपोर्ट ।
8. विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2013–14 के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की लेखा परीक्षा रिपोर्ट ।
9. हरियाणा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 की धारा 95 (11) उपबन्ध के अनुसरण में वर्ष 2012–13 के लिए हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड की लेखा परीक्षा रिपोर्ट ।
10. हरियाणा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 की धारा 95 (11) के उपबन्ध के अनुसरण में वर्ष 2013–14 के लिए हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड की लेखा परीक्षा रिपोर्ट ।
11. हरियाणा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 की धारा 95 (11) के उपबन्ध के अनुसरण में वर्ष 2014–15 के लिए हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड की लेखा परीक्षा रिपोर्ट ।
12. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619/ए (3) के उपबन्ध के अनुसरण में वर्ष 2014–15 के लिए हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड, की 41वीं वार्षिक रिपोर्ट ।
13. जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 (4) के उपबन्ध के अनुसरण में पटौदी तथा गुड़गांव जिले के अन्य क्षेत्रों (1984 सिख विरोधी दंगे) में हिंसा घटनाओं से संबंधित माननीय न्यायाधीश टी.पी. गर्ग जांच आयोग द्वारा दिनांकित 30–04–2016 को प्रस्तुत की गई अंतिम तथा कार्यवाही रिपोर्ट ।
14. भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अनुसरण में हरियाणा सरकार की वर्ष 2014–15 के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू (पिहोवा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे क्रम संख्या 14 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद मनहूस वर्ष 1984 में सिखों के साथ जो नर संहार हुआ उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हरियाणा के हौद छिल्लर गांव में 32 लोगों का कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद गुरूग्रम (गुड़गांव) व पटौदी में इस तरह की घटनाएं हुई थी। इसकी जांच के लिए पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जस्टिस टी.पी. गर्ग की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। अध्यक्ष महोदय, 32 साल गुजरने के बाद 150 पीड़ित परिवारों को केवल 12 करोड़ रूपये की राशि देने का प्रावधान किया गया और उसका हैड क्वॉटर भी हिसार से लगभग 250 किलोमीटर दूर बनाया गया। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगें के बाद सैकड़ों पीड़ित परिवार जो उजड़ गए थे और कत्ल हो गए थे, उनको अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, 32 साल गुजर जाने के बाद पीड़ितों को मिलने वाली यह राशि बहुत कम है । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि यह राशि 50 लाख रूपये की जानी चाहिए। मौजूदा सरकार के माननीय मंत्री महोदय रेप तथा मर्डर जैसे संगीन मुकद्दमों से लिप्त बाबाओं के डेरे में जाकर 50–50 लाख रूपये देकर आते हैं । अध्यक्ष महोदय, मुझे फख्र है कि मैं सिख परिवार से हूँ । पूरे हिन्दुस्तान में मात्र 2 प्रतिशत सिखों की जनसंख्या होने के बावजूद भी चाहे जंगे आजादी की बात हो या किसी क्षेत्रवाद की बात हो । सबसे ज्यादा यदि किसी समुदाय ने कुर्बानियां और शहीदियां दी हैं तो सिख समुदाय ने ही दी हैं । हम लोगों के साथ कांग्रेस सरकार में अन्याय हुआ था लेकिन यह अच्छी बात है कि आज उन पीड़ितों को मुआवजा देने की बात की जा रही है । इसके लिए 32 साल बाद भी 150 मे से सिर्फ 42 लोगों को मुआवजा

दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस समय जो लोग मरे थे क्या उनके दोषियों को किसी तरह की सजा हुई है । इसके बारे में मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो लोग उस समय सरकार के सामने अपना पक्ष नहीं रख सके उनको दोबारा सुनने के लिए किसी आयोग का गठन करें या कोई कमेटी बनाई जाए ।

सरकारी संकल्प–

भारत के संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन करने संबंधी

श्री अध्यक्षः अब वित्त मंत्री ऑफिशियल रैजोल्यूशन पेश करेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ –

> "कि यह सदन भारत के संविधान के उन संशोधनों का अनुसमर्थन करता है जो उसके अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परन्तुक के खंड (ख) तथा (ग) की व्याप्ति में आते हैं तथा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।"

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ–

> "कि यह सदन भारत के संविधान के उन संशोधनों का अनुसमर्थन करता है जो उसके अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परन्तुक के खंड (ख) तथा (ग) की व्याप्ति में आते हैं तथा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।"

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, यह जो रैजोल्यूशन मूव हुआ है इसका हम सब समर्थन करते हैं क्योंकि हमारी पार्टी ने पार्लियामैंट में भी इसका

समर्थन किया है । हरियाणा प्रदेश इससे मोस्ट इफैक्टिटिड स्टेट होगा, इसलिए मैं सरकार से इस सम्बन्ध में कुछ बातें जानना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि यह डेस्टीनेशन टैक्स होगा । हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं और हरियाणा को अब तक इन इंडस्ट्रीज़ से सबसे ज्यादा टैक्स मिल रहा था, जी.एस. टी. के लागू होने के बाद हमें इसमें बहुत बड़ा नुक्सान होगा । यह सरकार इसकी भरपाई कैसे करेगी ? दूसरी बात स्टेट के बोर्डर्ज पर यह देखना होगा कि वहां से कौन–सी गुड्स कहां–कहां से कहां–कहां आती–जाती हैं । आप सबने देखा होगा कि आज भी सभी बोर्डर्ज पर कई–कई घंटे तक वाहन खड़े रहते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इस टैक्स की जानकारी लेने के लिए हमारे स्टेट के अधिकारी या दूसरी स्टेट के अधिकारी बोर्डर पर लगने वाले भारी जाम का क्या समाधान करेंगे ? इसके अतिरिक्त जी.एस.टी. टैक्स लगाने का फॉर्मूला तो बना दिया गया परंतु स्टेट को फिर भी टैक्स लादने का अधिकार है । आज स्टेट और सैंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए आज तो यह दिक्कत नहीं आएगी परंतु यदि भविष्य में केंद्र और राज्य में अलग–अलग दल की सरकार आती है तो स्टेट गवर्नमैंट फिर से लोगों के ऊपर टैक्स लगा सकती है क्योंकि कांस्टीच्यूशन में स्टेट को टैक्स लगाने का प्रावधान है इसलिए आपको इसमें बदलाव करना चाहिए । अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ तो भविष्य में बड़ी दिक्कत होगी । इसके अलावा जो काउंसिल्स एस्टैबलिश होंगी उन काउंसिल्स में चीफ मिनिस्टर खुद नोमिनी के तौर पर किसी मिनिस्टर को प्रतिनिधि नियुक्त करने का प्रावधान है लेकिन जो उसकी रिक्मैंडेशंज हैं वे रिक्मैंडिंग नेचर में है, बाइंडिंग नेचर में नहीं हैं । हमें इसका नुक्सान यह होगा कि जब काउंसिल्स की बैठक होगी तो इतने बड़े कंट्री के अंदर हरियाणा की छोटा स्टेट होने की वजह से बात नहीं सुनी जाएगी । इसके बारे में भी आपको विचार–विमर्श करके कोई समाधान निकालना चाहिए । तीसरी बात है जो

एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की फीस है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग यह है कि marketing fee is like a tax. हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग फीस से हमें हजारों करोड़ रूपये की आमदनी हुआ करती थी, इस जी. एस.टी. के लागू होने के बाद उसका क्या होगा ? चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें तम्बाकू पर 40 परसेंट टैक्स रखा गया है । यह ठीक है कि पूरी दुनिया में तम्बाकू को छोड़ने की बात चल रही है लेकिन जो गांवों में रहने वाले आदमी हैं वे अपनी थकान को मिटाने के लिए हुक्का पीते हैं और उनका हुक्का पीने का एक सिस्टम बना हुआ है । इस टैक्स से उन पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। अब तम्बाकू को 40 परसेंट टैक्स की कैटेगरी में रखा गया है । जो फार्मिंग स्टेट्स हैं उनके लिए आपको इस टैक्स पर पुनर्विचार करना चाहिए । आप सिगरेट–बीड़ी आदि के ऊपर टैक्स लगाइये इससे हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन गांवो में जो लोग हुक्का पीते हैं उनके ऊपर 40 परसेंट टैक्स लगाने का कोई औचित्य नहीं है । यह टैक्स कम से कम हरियाणा में लागू नहीं होना चाहिए । सर, हरियाणा के अन्दर जो बड़ी बड़ी इण्डस्ट्रीज हैं उनसे स्टेट को बहुत आमदनी होती है । जी.एस.टी. के लागू होने से इस स्टेट को बहुत बड़ा नुक्सान होगा। हालांकि इस बिल में यह कहा गया है कि स्टेट्स के घाटे की भरपाई केन्द्र सरकार पांच साल तक करेगी । मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो स्टेट पिछड़े हुए हैं उनके लिए तो यह टैक्स बहुत अच्छा है । यह टैक्स दुनिया के उन देशों में लागू हुआ है जो देश मॉडर्न हैं जिनके पास आधुनिक जानकारी हैं, तकनीकी शिक्षा है और वहां के लोगों के अन्दर टैक्स पे करने का और एजुकेशन का सिस्टम **है,** और टैक्स देने का एक रिवाज है । इस बिल में जो डैस्टीनेशन टैक्स का प्रोविजन है उसके तहत किसी एक स्टेट का व्यक्ति जिने अपनी स्टेट में टैक्स नहींभरा लेकिन वह दूसरी स्टेट में आकर कह सकता है कि

हमने तो अपनी स्टेट में टैक्स दे दिया है और इस प्रकार टैक्स की चोरी होगी तथा जिस एरिया के बोर्डर पर यह बात होगी, उस एरिया के इंचार्ज पर गाज गिरेगी । यह ठीक है कि यह बिल पार्लियामेंट का भेजा हुआ बिल है हम इसका विरोध किसी भी हिसाब से नहीं कर सकते । एक बात इसमें यह है कि अभी तक सरकार ने यह तय नहीं किया है कि अगर किसी स्टेट में इस टैक्स से सम्बन्धित कोई डिस्प्यूट होगा तो उसके एडजुडिकेशन के लिए जो अथोरिटी बनेगी वह हाई कोर्ट के किसी सीटिंग जज की होगी या किसी रिटायर्ड जज की होगी । हम इस बिल का समर्थन करते हैं लेकिन जिन बातों से हरियाणा का नुक्सान होना है उनकी भरपाई के लिए सरकार को सचेत रहना चाहिए । थैक यू सर ।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल (जुलाना): अध्यक्ष महोदय, इस बिल में पैट्रोलियम प्रोडैक्ट्स और एक्साईज जैसे कई प्रोडैक्ट्स छोड़ दिये गये हैं जबकि इनको इस जी.एस.टी. बिल में शामिल करना चाहिए । हमें पता है कि यह बिल पास तो हो ही जाना है लेकिन अगर ये पैट्रोलियम प्रोडैक्ट्स और एक्साईज जैसे कई प्रोडैक्ट्स इसमें शामिल कर लिये जाएं तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक आदमी को 17 से 18 रूपये तक का फायदा हो जायेगा । हमारी इन भावनाओं को भी केन्द्र सरकार तक पहुंचाया जाए और इस बिल में पैट्रोलियम प्रोडैक्ट्स और एक्साइर्ज जैसे कई प्रोडैक्ट्स और जोड़ दिए जाएं । इसी प्रकार से अभी तक वैट के मामले में जितने घोटाले हुए हैं वे अभी तक नहीं सुलझे हैं और इन घोटालों की कम्पलीट व्यवस्था अभी तक नहीं बनाई गई है मैं यह बात कहना चाहूंगा कि इस पर सरकार द्वारा विचार किया जाये ।

Smt. Kiran Choudhry (Tosham) Speaker Sir, we support GST. GST is genesis of the Congress Party. Our party has

always stood up for development and for something for the betterment of this country. (interruption) It is a simplified tax and it is very good but at the same time it has a lot of flaws. Now the Hon'ble Finance Minister is here so, I would like to point out a few things. May be these points should be taken into consideration next time. Speaker Sir, in this the threshold limit is about Rs.20 lac for VAT. Small businessmen i.e. somebody you know who has a business of Rs.85,000 or Rs.1.00 lac. For them it is going to become very difficult. So I think the threshold limit instead of pushing down it should be pushed up because you are planning to do it around Rs.10 lacs. So, I feel personally and for the betterment of our State that the threshold limit of VAT should be atleast Rs.25 lacs. Sir, we are a net producing State and therefore, we have a relatively bigger GST revenue as you know. And at 4% GST during 2012-13 we would have got something like Rs.7,000 crores. Sir, Rs.7,000 crores is not a small amount. And if about Rs.800 crores on levy of food grains and then another Rs.800 crores around Rs.800 crores of entry tax in lieu of octroi are added in it, the whole thing is put together, it comes to something around Rs.9000 crores. So the projection that we are giving here is that

around Rs.9,000 crores is the amount that the State stands to lose. So, I would like to request the Hon'ble Finance Minister that some mechanism should be built-in, in such a way that how you are planning to get that money because the Central Government is not going to compensate us. They will not compensate this kind of money to us. So what is the mechanism that you are building-in that this kind of revenue is not lost. You will get a lot of the revenue in the form of ISGST but is not going to be enough. So it is very important that you should look into it. Sir, at the same time there is a question of dual taxation. Now, dual taxation is a very dicey matter. The Hon'ble Finance Minister knows and he is smiling at me on this that this is something which is going to affect the common trader and he is going to be subjected to a lot of harassment. (interruption) It will come to such an extent Sir that the small trader is going to be subjected to so much of harassment because any trader whose turnover is of Rs.1.50 crores, is going to be subjected to both the Central as well as the State Government. So that means he is going to be exploited thoroughly. This Government is sweared by the small tradersand small business men. So, what do we plan to do on this ? It is very imperative that this dual taxation

should be removed forthwith. Otherwise it is going to be very difficult. Similarly, what mechanism you are going to build in, how are we going to get hold of the revenue that we are losing. Rs.9000 crores is not a small amount. So, you know we stand to lose a big amount in the beginning initial year. So I would request the Hon'ble Finance Minister to let us know how does he plan to do it, because during the past 5 years, Sir, through pains taking efforts and through deliberation we piloted this whole thing this entire GST in the empowered Committee and ofcourse the benefits are going to be reaped by you all. But it remains to be seen, Sir, that there are a lot of flaws in it and these flaws have to be removed and the interest of Haryana State must be kept in account.

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

> "कि यह सदन भारत के संविधान के उन संशोधनों का अनुसमर्थन करता है जो उसके अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परन्तुक के खंड (ख) तथा (ग) की व्याप्ति में आते हैं तथा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में संविधान (एक सौ बाइसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

वर्ष 2016–17 के लिए अनुपूरक अनुमान(प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्षः अब वित मंत्री जी वर्ष 2016–17 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) पेश करेंगे।

वित मंत्री(कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2016–17 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करता हूं ।

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्षः अब श्री हरविन्द्र कल्याण, चेयरपर्सन प्राक्कलन समिति, वर्ष 2016–17 (प्रथम किस्त) के लिए अनुपूरक अनुमानों पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति (श्री हरविन्द्र कल्याण): अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति, वर्ष 2016–17 (प्रथम किस्त) के लिए अनुपूरक अनुमानों पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं ।

वर्ष 2016–17 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) के लिए मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2016–17 के अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) पर चर्चा तथा मतदान होगा । पिछली प्रथा के अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमाड्ज (संख्या 1 से 6, 8 से 11, 13, 19 से 23, 26, 32 से 38, 42, 43 और 45) एक साथ पढ़ी गई और पेश की गई समझी जाएं । माननीय सदस्यगण किसी भी डिमांड पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे उस डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर बोलना चाहते हैं ।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **10,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 1–विधान सभा** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **6,58,50,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 2—राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **12,93,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 3—सामान्य प्रशासन्** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **659,32,24,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 4—राजस्व्** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **12,50,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 5—आबकारी एवं कराधान** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **42,50,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 6—वित्त्** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **112,66,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 8—भवन तथा सड़कें** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में

आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **912,00,41,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 9—शिक्षा** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **50,00,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 10—तकनीकी शिक्षा** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **107,65,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 11—खेलकुद तथा युवा कल्याण** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **56,78,50,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 13—स्वास्थ्य** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 115,96,00,000 **रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 19—अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **6,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 20—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान

के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **20,00,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग 21—महिला एवं बाल विकास्** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **17,07,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 22—भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **100,00,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 23—खाद्य एवं पूर्ति** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **5,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 26—खान एवं भू—विज्ञान** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **476,67,19,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 32—ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **45,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 33—सहकारिता** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान

की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,91,50,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 34—परिवहन्** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **5,27,25,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 35—पर्यटन्** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **54,12,58,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 36—गृह** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **4,84,50,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 37—निर्वाचन** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **34,60,00,000 रूपये** से अधिक न हो **मांग सं. 38—लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **8,58,10,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 42—न्याय प्रशासन्** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए

7,35,40,000 रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 43—कारागार** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **214,49,35,759 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 45—राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं. 3 पर अपनी बात कहना चाहता हूं । मेरा सरकार को सुझाव भी है और उलाहना भी है कि पिछले दिनों सरकार द्वारा जो एसोसिएटस हर जिले में बिठाए गए हैं वह ठीक तरीका नही है। देश का संविधान लिखा हुआ है और संविधान की शपथ लेकर हम सब विधान सभा में दाखिल होते हैं। मंत्रिमण्डल भी पहले शपथ लेता है । सरकार ने पिछले दिनों जो सभी जिलो में यूनिवर्सिटी के नये—नये बच्चों को एसोसियट्स के रूप में बिठा दिया जिनको पढ़ाई लिखाई का ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं जानना चाहता हूं कि यह संविधान की कौन सी धारा के तहत फैसला लिया गया है? ये लोग प्रशासन के साथ बैठकर किस तरह से काम करेंगे ? इसको लेकर हरियाणा प्रदेश में डर बना हुआ है और सरकार का मजाक बना हुआ है । जब प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं और काबिल तथा तजुर्बेकार अधिकारी हैं तो ऐसा करना उनका अपमान करना है । इन लड़कों का कुछ नहीं जायेगा और ये लोग कुछ दिनों बाद अपना कैरियर बनाने के लिए एसोसियट्स के पद को छोड़कर चले जायेंगे । यह काम कांस्टीच्यूशन से हटकर किया गया है इसको वापिस लेना चाहिए क्योंकि यह ठीक नहीं है । अध्यक्ष महोदय, अब मैं हैल्थ की डिमाण्ड संख्या 13 पर बोलना चाहता हूं । हैल्थ मिनिस्टर इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं । हरियाणा के

अंदर जो बड़े–बड़े प्राईवेट हॉस्पिटल्ज हैं उन्होंने बहुत लूट मचाई हुई है । इन हास्पिटल्ज में कोई मरीज पहुंच जाता है तो मरीज का इलाज नहीं किया जाता बल्कि उसकी जेब का इलाज कर दिया जाता है । इन हॉस्पिटल्ज में मरीजों कोबिना बताये बहुत सी दवाईयां दे दी जाती हैं और केवल ग्लुकोज लगाकर मरीज को लिटा दिया जाता है । वहां पर मरे हुए आदमियों को भी कई–कई दिन ऑक्सीजन लगाकर लिटा कर रखते हैं और लाखों रुपये का बिल ले लिया जाता है । अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार के समय में क्लीनिकल एंड एस्टैबलिशमैंट बिल पास हुआ था और वह बिल यह कहता है कि आज यदि कोई हॉस्पिटल किसी आदमी के साथ ईलाज के नाम पर या बिल के नाम पर गलती करता है तो सरकार को जिला लैवल पर और स्टेट लैवल पर अथोरिटीज कायम करनी होंगी । वे अथोरिटीज इस तरह की शिकायतों को सुनेंगी । अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी आ गये हैं । मैंने इस बारे में पिछले सैशन में भी सवाल उठाया था कि सरकार क्लीनिकल एंड एस्टैबलिशमैंट बिल के तहत इन अथोरिटीज को कब तक कांस्टीच्यूट करेगी ? इस पर स्वास्थ्य मंत्री जी ने मुझे जवाब दिया कि हां, सरकार इन अथोरिटीज को कांस्टीच्यूट करने जा रही है । आज सरकार को बने हुए पौने दो साल हो गये फिर ये मेरे उपर उल्टा इलजाम लगाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन बड़े कारखानेदारों ने मंत्री जी पर घना प्रभाव डाल रखा है जो ये इन अथोरिटीज को कांस्टीच्यूट नहीं कर रहे ? आज प्रदेश में गरीब आदमी लुट रहा है। हरियाणा के अंदर डैस्टीनेशन हॉस्पिटल्ज बने हुए हैं । हरियाणा के अंदर आम परिवारों का जीना हराम हो रखा है । लोगों की मजबूरी है कि इन हॉस्पिटल्ज में जाकर अपने मरीजों का इलाज करवायें । (विघ्न)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है आज मेरे साथी के फ्यूज उड़े हुए हैं और अनर्गल बात करने के ये आदी हो गये हैं । ये अपनी बात

को अच्छी भाषा में भी कह सकते हैं और अपनी सीनियरिटी का परिचय दे सकते हैं । इससे लगता है कि इनकी पार्टी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है । They have nothing to say. They only want to abuse and only want to distrub the House. यह बात अच्छे तरीके से भी कही जा सकती है कि सरकार द्वारा इन अथोरिटीज को कांस्टीच्यूट नहीं किया । अब इस बात को इस ढंग से कहना कि बड़े घरों के प्रभाव में हैं यह गलत बात है । इस तरह की बात करके ये सदन को मर्यादित ढंग से नहीं चलाना चाहते । (विघ्न) मैं फिर भी सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उन अथोरिटीज के सरकार रूल्ज फ्रेम कर रही है और आई.एम.ए. को कांफीडैंस में लेना चाहते हैं । इस बारे में हमारी 1–2 मीटिंग हो चुकी हैं और 1–2 मीटिंग्ज और होंगी उसके बाद हम इसको लागू कर देंगे ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को आई.एम.ए. से हमदर्दी है या हरियाणा की अढ़ाई करोड़ जनता से हमदर्दी है । यह तो बड़ी अजीब बात है कि पौने दो साल में आई.एम.ए. से सरकार बात नहीं कर पाई ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमने सबको साथ लेकर चलना है और सब पक्षों की राय लेंगे ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि सदन की सहमति हो तो बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये ।

आवाजें : ठीक है, जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बैठाया जाता है।

वर्ष 2016–17 के लिए अनुपूरक अनमानों (प्रथम किस्त) के लिए मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सदन में आश्वासन देंगे कि कब तक इन अथोरिटीज को कांस्टीच्यूट कर दिया जायेगा । (विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको इस बारे में अपनी व्यवस्था देनी चाहिए कि जिस भी माननीय सदस्य को जिस भी डिमांड पर चर्चा करनी है उसको उस डिमांड का नम्बर देकर और जो विषय उसमें आया है उस पर चर्चा करेंगे तो चर्चा सार्थक होगी। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार भाषण न देकर विषय पर ही चर्चा करें यही मेरा निवेदन है।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वह एक बहुत ही लोक महत्व का विषय है कोई अथॉरिटी कंस्टीच्यूट हो जो इन प्राईवेट अस्पतालों पर अंकुश लगा सके और हरियाणा प्रदेश की जनता को इनकी लूट से बचाया जा सके। अगर हम मौके पर जाकर देखें तो हम पायेंगे कि इन प्राईवेट अस्पतालों की लूट से प्रदेश की जनता बड़ी बुरी तरह से त्रस्त है।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड नम्बर 13 में प्राईवेट अस्पतालों के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सही तरीके से चर्चा यहां पर होगी तो इससे सदन के कीमती समय का सदुपयोग हो पायेगा।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं तो यही कह रहा हूं कि सरकार द्वारा यह काम किया जाना है इसलिए सरकार इस काम को जल्दी से जल्दी करे। इसके

अलावा मैं एक बात माईंस के बारे में कहना चाहता हूं । यह बात मांग संख्या 26 से सम्बधित है। महोदय, पिछले दिनों इस बारे में एक चर्चा लोगों के अंदर थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, इस बारे में बजट के समय पूरी चर्चा हो चुकी है। आप इसमें अगर कुछ नया कहना चाहते हैं तो वह बतायें।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । पिछले दिनों लोगों में एक चर्चा थी कि माईंस से जुड़े लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने घर बुलाकर उनका राज़ीनामा करवाया है। मैं यह बात जनरली तौर पर बता रहा हूं और यह कोई जरूरी नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री इसका जवाब दें। अगर यह झूठ है तो मैं अपनी बात वापिस लेता हूं और अगर इसमें सच्चाई है तो माननीय मुख्यमंत्री इसको स्वीकार करें।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष जी, अगर कल श्री करण सिंह दलाल जी का इनके किसी साथी से झगड़ा हो जाये और ये मेरे घर आकर मुझसे कहें कि मैं इनकी और इनके साथी की बात सुन लूं। क्या ऐसी परिस्थिति में मैं इनको अपने घरे से बाहर निकाल दूंगा। मैं इनको यही बताना चाहता हूं कि मैंने किसी को अपने पास नहीं बुलाया है क्योंकि मुझे इस प्रकार से किसी को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है। जिनकी करण सिंल दलाल जी बात कर रहे हैं मैंने उनकी बात सुनी और मेरे सामने उनका कोई फैसला भी नहीं हुआ। उनका एक सरकारी पक्ष था उन्होंने कहा कि उनको सरकार की तरफ से यह दण्ड लगाया जा रहा है। उन्होंने यह कहा कि यह दण्ड नहीं लगाया जाना चाहिए। इस पर मैंने उनको कहा कि हम इस बारे में सम्बन्धित डिपार्टमैंट से बात करेंगे और अगर

डिपार्टमैंट उसको छोड़ना चाहेगा तो छोड़ देगा । इससे ज्यादा इस विषय से हमारा कोई लेना–देना नहीं है।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो यह मांग संख्या 26 है इसमें पांच लाख की राशि का जिक्र किया गया है और उसका विषय है Additionality being provided for payment of LTC. मैं यह कहना चाहता हूं कि इस डिमाण्ड का और जो माननीय सदस्य ने चर्चा का विषय निकाला है उसका कोई कनैक्शन नही है। ये सदन का समय सिर्फ अपने राजनीति से प्रेरित आरोप और प्रत्यारोपों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। ये किसी भी विषय पर ठीक से होम वर्क नहीं करते और यहां पर आकर सदन का समय बर्बाद करते हैं। जब–जब मैं इनको नये सत्र में देखता हूं तो मुझे इनके आचरण पर बड़ी हैरानी होती है। पहले मैं समझता था कि ये बहुत सीनियर मैम्बर हैं इसलिए इनसे सभी नये माननीय सदस्यों को कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलेगा और हम इनकी तरफ बहुत आदर के साथ देखते थे लेकिन मैं देख रहा हूं कि इनकी काबलियत सत्र दर सत्र दो पॉयदान नीचे जा रही है। इनके नॉलेज का जो स्तर है वह बराबर बड़ी तेज़ी के साथ गिर रहा है।

श्री जय प्रकाश (बरवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 38 पर बोलना चाहता हूं। मैं अपने प्वायंट पर ही बोलना चाहता हूं लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारी कॉलेज बनाने की मांग को अभी तक भी स्वीकार नहीं किया है। इसके लिए ये मुझे बतायें कि मैं क्या करूं। सर, जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं वह वॉटर सप्लाई का मामला है। मेरे विधान सभा क्षेत्र कलायत में दूबल का सैनीटेशन प्रोग्राम पास कर दिया गया है लेकिन उसके लिए फण्ड नहीं रखा गया है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि इस कार्य के लिए प्रॉपर धनराशि का भी

प्रावधान किया जाये। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस डिमाण्ड में बहुत कम राशि रखी गई है कलायत विधान सभा क्षेत्र इस तरीके से स्थित है कि वहां पर कैनाल बेस्ड वॉटर सप्लाई की अति आवश्यकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे हल्के के पांडवा, कोले खां, लाम्बा खेड़ी और दो दूसरे गांवों में वॉटर सप्लाई का जल्दी से जल्दी प्रबन्ध किया जाये। जब तक मेरे पूरे कलायत विधान सभा हल्के में वॉटर सप्लाई का बंदोबस्त न हो जाये तब तक आपको इस राशि को बढाना ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप यह बतायें कि इसमें कितनी राशि बढ़ाई जाये?

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, इस राशि को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाये।

श्री रणबीर गंगवा (नलवा) : स्पीकर सर, मैं डिमांड नं॰ 9 पर बोलना चाहता हूं। वैसे तो इस सम्बन्ध में मेरा आज एक क्वैश्चन भी लिस्टिड था लेकिन समय के अभाव के कारण उसका नम्बर नहीं आ पाया । मेरे हल्के के अंदर गांव भरही है उसके प्राईमरी स्कूल की बिल्डिंग बहुत जर्जर हालत में है । यह बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और उसके नीचे बच्चे दब सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप यह बतायें कि इसमें कितनी राशि बढ़ाई जाये?

श्री रणबीर गंगवा : स्पीकर सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस राशि को कम से कम इतना तो बढ़ाया ही जाये जिससे स्कूलों की इस प्रकार की जर्जर हालत की बिल्डिंग्स का पुनर्निर्माण हो सके। मैं एक बात और कहना चाहता हूं । भिवानी में जो किताबें छपती हैं उन किताबों को बेचने के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट हैडक्वॉर्टर पर ऑफिस होता था लेकिन अब सारा सिस्टम ऑनलाईन हो गया है तथा अब सरकार द्वारा पूरे हरियाणा में इन किताबों को बेचने के लिए केवल 6 केन्द्र खोले गये हैं । उनको सरकार की तरफ से इन किताबों पर 20 प्रतिशत कमीशन देना होता है । अखबारों में भी यह खबर छपी थी कि बिना मतलब के इस पर करोड़ों रूपये खर्च

किये जा रहे हैं । मैं यही कहना चाहता हूं कि 6 जिलों में केन्द्र खोल कर किसी ऐजेन्सी को 20 प्रतिशत कमीशन देने की बजाय सीधे भिवानी से भी ये किताबें ली जा सकती हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण् अब विभिन्न डिमांड्ज को सदन में वोटिंग के लिए रखा जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **10,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 1–विधान सभा** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **6,58,50,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 2–राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **12,93,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 3–सामान्य प्रशासन्** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **659,32,24,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 4–राजस्व्** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को

समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **12,50,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 5—आबकारी एवं कराधान** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **42,50,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 6—वित्त्** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **112,66,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 8—भवन तथा सड़कें** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **912,00,41,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 9—शिक्षा्** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **50,00,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 10—तकनीकी शिक्षा** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **107,65,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 11—खेलकुद तथा युवा कल्याण** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **56,78,50,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 13—स्वास्थ्य** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 115,96,00,000 **रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 19—अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **6,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 20—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **20,00,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग 21—महिला एवं बाल विकास्** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **17,07,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 22—भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **100,00,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 23—खाद्य एवं पूर्ति** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **5,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 26—खान एवं भू—विज्ञान** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **476,67,19,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 32—ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **45,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 33—सहकारिता** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,91,50,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 34—परिवहन** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **5,27,25,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 35—पर्यटन** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **54,12,58,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 36—गृह** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **4,84,50,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं.**

37—निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **34,60,00,000 रूपये** से अधिक न हो **मांग सं. 38—लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **8,58,10,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 42—न्याय प्रशासन्** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **7,35,40,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 43—कारागार** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **214,49,35,759 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 45—राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधान कार्य

दि हरियाणा स्पोर्टस काउंसिल बिल, 2016

श्री अध्यक्ष : अब खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हरियाणा क्रीड़ा परिषद् विधेयक, 2016 प्रस्तुत करेंगे और यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा क्रीड़ा परिषद् विधेयक, 2016 प्रस्तुत करता हूँ । मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ–

कि हरियाणा क्रीड़ा परिषद् विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा क्रीड़ा परिषद् विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाये ।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद): अध्यक्ष महोदय, यह जो हरियाणा क्रीड़ा परिषद् विधेयक, 2016 प्रस्तुत हुआ है उस पर चर्चा कल कर ली जाये क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको एक बार पढ़ने की जरूरत है । यह खेल से जुड़ा हुआ मामला है । इस पर बहुत से सदस्य चर्चा भी करना चाहते हैं इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि इस पर आज की बजाय कल डिस्कशन कर लिया जाये । आज बिल प्रस्तुत कर दिया गया है और कल इस पर चर्चा करवा ली जाये ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आज एक अच्छा दिन है । आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन भी है इसलिए बिल आज ही पास हो जाये तो यह बहुत बड़ा तोहफा होगा ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर तोहफा होता तो कोई बात ही नहीं थी हम भी इस बिल को बिना डिस्कशन किये ही पास करवा देते । मैंने इसको पढ़ लिया है और इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है । इस तरह का बिल केवल हरियाणा विधान सभा में ही नहीं आया है । यह बिल राजस्थान में भी आया था और बिहार में भी आया था और वहां की सरकारों को इसको वापिस लेना पड़ा था । मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा होनी चाहिए । इस पर कल चर्चा करवा ली जाये और कल चर्चा करने के बाद ही यह बिल पास करवाया

जाये । सरकार इस बिल को पास तो वैसे भी करवा लेंगे क्योंकि आपके पास बहुमत है लेकिन अभी इसके बारे में सभी सदस्यों को जानकारी नहीं है ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य को इस पर कोई ऑब्जैक्शन है तो ये हमें बता दें हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, केवल मैं ही नहीं बल्कि इस बिल पर और बहुत सारे साथी चर्चा करना चाहते हैं । यह मामला खेलों से जुड़ा हुआ मामला है और हमारा ही अकेला प्रदेश है जो ऑलम्पिक तक जाता है और देश के लिए मैडल जीत कर देश की इज्जत बचाता है। इसके ऊपर इस तरह का बिल ला कर थोपा जा रहा है और इस पर चर्चा भी नहीं हो रही है ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह बिल थोपा नहीं जा रहा है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर थोपा नहीं जा रहा है तो इस पर कल चर्चा की जा सकती है ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के बारे में बता देता हूं जिससे नेता प्रतिपक्ष की शंकाएं दूर हो जायेंगी ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमें बिल का प्रारूप अभी 15 मिनट पहले ही प्राप्त हुआ है । इतने कम समय में हम इसके बारे में कैसे चर्चा कर सकते हैं इसलिए इसको पढ़ने के लिए समय चाहिए और इस पर कल चर्चा करवा ली जाये ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं बिल के बारे में बता देता हूं । पहली बात तो यह है कि जो खेल ऐसोसिएशन्ज और फैडरेशन्ज हैं उनकी ऑटोनोमी में हम बिल्कुल भी दखल नहीं देना चाहते हैं । आज की तारीख में खेल और खिलाड़ियों

की देख–रेख करने के लिए कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं बनी हुई है । एट दी मोस्ट उपायुक्त के लेवल पर एक जिला स्पोर्टस काउंसिल बनी हुई है लेकिन उसका भी कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है और उपायुक्त ही उसका सर्वेसर्वा है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा ओलम्पिक एसोसिएशन में पहले डिप्टी कमीशनर डिस्ट्रिक्ट ऑलम्पिक एसोसिएशन का प्रैजीडैंट होता था और हरियाणा प्रदेश की ऑलम्पिक एसोसिएशन की एफीलियेशन आई.ओ.ए. के साथ थी लेकिन वह एफीलियेशन खत्म कर दी गई थी ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता को बताना चाहता हूं कि मैं ऑलम्पिक एसोसिएशन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा बल्कि वह ऐसे की ऐसे ही रहेंगी ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एक कमीशन डिप्यूट करके जब ऑलम्पिक एसोसिएशन के चुनाव हुए थे उसमें जो अधिकारी इसमें हिस्सा लिया करते थे उनकी एफीलियेशन खत्म करके नये लोगों को जो खेल से जुड़े हुए थे इसका मैम्बर बनाया गया था । पहले तो यह होता था कि एक डिप्टी कमीशनर को डिस्ट्रिक्ट ऑलम्पिक एसोसिएशन का प्रैजीडैंट बना दिया जाता था । एक डिप्टी कमीशनर को चाहे उसका खेलों में इन्ट्रैस्ट है या नहीं है किसी भी समय एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता था। इस वजह से पूरी डिस्ट्रिक्ट में कोई स्पोर्टस एक्टीविटिज नहीं हो पाती थी । यह देखे बिना आज दोबारा फिर वही बात होने जा रही है ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इस बिल का इनकी ऑलम्पिक से, ऑलम्पिक संघों से, ऑलम्पिक फैडरेशनों से, कोई संबंध नहीं है । (विघ्न) अभय जी, आप मेरी बात सुन तो लीजिये । अब बिल तो पेश हो चुका है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनको इस विषय पर कल चर्चा कराने में क्या दिक्कत है ? अगर ये इस बात पर अडिग हैं कि इस बिल पर आज ही चर्चा हो तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है । आपको यह बिल पास करने की क्या जल्दी है? (विघ्न) आज यहां खेल दिवस की बात की जा रही है लेकिन क्या आपने 23 जून को ऑलम्पिक डे मनाया था । ऑलम्पिक डे वाले दिन तो आपकी सरकार सोई हुई थी और आज जब ध्यान चन्द का जन्मदिन आ गया तो आप बिल लेकर आ गये । इस तरह तो आप खिलाडियों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा देंगे । इस तरह आप किसी भी नैशनल टूर्नामैंट में हरियाणा प्रदेश का एक भी खिलाड़ी नहीं भेज पाएंगे । इस तरह तो आप किसी भी ऑलम्पिक में अपने खिलाड़ियों को नहीं भेज सकते । आप केवल खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट बनाकर दे सकते हो । यह जो पहले से ही खिलाड़ियों की एसोसिऐशन बनी हुई है, आप उसका गला दबाने पर तुले हुए हैं ।

श्री अनिल विज : अभय जी, हम एसोसिएशनों में कोई दखल नहीं दे रहे हैं ।

(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हाउस का निर्णय है कि बिल आज ही प्रस्तुत होगा ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपके तीन सदस्यों ने श्याम सिंह राणा को इस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुन दिया और आपने इनको अध्यक्ष चुनकर भेज दिया । (विघ्न)

श्री अनिल विज : अभय जी, आप चर्चा कीजिए मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप इस बिल पर कल चर्चा करवाईये ।(विघ्न)

श्री अनिल विज : अभय जी, अब यह नहीं हो सकता क्योंकि अब तो यह बिल पेश हो चुका है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपको इस बिल पर कल चर्चा करवाने में क्या दिक्कत है । अभी हम इस बिल की बारीकियों की जांच करेंगे कि किस तरह से आप खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अब तो बिल पेश हो चुका है ।

बैठक का स्थगन

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप ऐसा कीजिए कि आधे घण्टे के लिये हाउस को एडजोर्न कर दीजिए ताकि हम इस बिल पर बारीकी से अध्ययन कर सकें । हम आधे घण्टे में अपनी तैयारी कर लेते हैं । यह ठीक बात नहीं है कि आपने हमारे सामने बिल लाकर रख दिया और कह दिया कि इस पर चर्चा करें ।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आपको एक बजे बिल दे दिया गया था ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास तो 15 मिनट पहले ही यह बिल आया है ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, एक बजे यह बिल सबके पास आ गया था ।(विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर कल चर्चा कराने में आपको क्या दिक्कत है?(विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता श्री अभय सिंह चौटाला का सुझाव ठीक है क्योंकि वे ऑलम्पिक संघ में रहे हैं इसलिये आप इस बिल पर 20 मिनट के बाद चर्चा करवा लें । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है

कि आप 20 मिनट के लिए सदन को स्थगित कर दें ताकि मैम्बर्ज इस बिल को अच्छी तरह से पढ़ लें और बाद में उस पर चर्चा कर सकें।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि सदन को 20 मिनट की बजाय 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया जाये। 30 मिनट का समय हमारे लिए स्पोर्टस बिल पर तैयारी करने के लिए काफी होगा। इस बिल पर चर्चा से सही और गलत का अंदाजा हो जायेगा और कुछ बेहतरीन सुझाव भी प्राप्त किए जा सकेंगे।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, बिल पेश तो कर ही दिया गया है इसलिए अब तो केवल चर्चा का विषय है। इसलिए आपको बिल की महता को देखते हुए सदन का उचित स्थगन कर देना चाहिए।

श्री अध्यक्षः ठीक है, माननीय सदस्यगण, अब सदन 20 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है।

(तत्पश्चात् सदन 20 मिनट के लिए स्थगित हुआ तथा 7.35 बजे रि–असैम्बल्ड हुआ)

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, मेरा सबमिशन यह है कि काफी स्टेटों की स्टडी करने के बाद ही इस बिल को बनाया गया है । यदि किसी माननीय सदस्य को इस पर कोई ऑब्जैक्शन है या कोई माननीय सदस्यगण इस पर अपने सुझाव देना चाहता है तो दे सकता हैं। हम उसका जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अच्छा बिल आया है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बिल को आज ही पारित किया जाये।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः यदि सदन की सहमति हो तो बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें:: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद): अध्यक्ष महोदय, माननीय खेल मंत्री ने खेल से संबंधित बिल आज सदन में पेश किया है, उसमें खासतौर पर जो स्टेट में स्पोटर्स काउंसिल का गठन करने की बात है इसमें सारी चीजें इन्क्ल्यूड की है कि स्पोटर्स स्टेट काउंसिल बॉडी में कौन–कौन से सदस्य होंगे, जिला स्तर पर तथा ब्लॉक स्तर पर कौन–कौन से सदस्य होंगे । मैं इस बिल को समय अवधि कम होने के कारण अच्छी तरह से तो नहीं पढ़ पाया हूँ लेकिन मोटा–मोटा मैंने देखा है इसके अंदर कोई भी एक सदस्य ऐसा नही हैं जो सीधे तौर पर स्पोटर्स के साथ जुड़ा हुआ हो। जिस तरह से स्पोटर्स काउंसिल के गठन की बात है तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, इसके साथ–साथ खेल युवा मंत्री को उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री को सदस्य, शिक्षा मंत्री को सदस्य, विकास पंचायत मंत्री को सदस्य, स्वास्थ्य मंत्री को सदस्य मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को सदस्य और बहुत से अफसरों को भी इसमें शामिल किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जिसने कभी स्पोटर्स को बढ़ावा दिया हो या जिसने लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया हो, ऐसा कोई भी आदमी इसमें शामिल नहीं किया गया है। जिला स्तर की स्पोटर्स बॉडी में भी इसी तरह का प्रोविज़न किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ब्लॉक

स्तर पर स्पोटर्स बॉडी का अध्यक्ष ब्लॉक समिति का चेयरमैन तथा बी.डी.पी.ओ.को सचिव बना दिया गया है। इस तरह से बी.डी.पी.ओ. का कभी भी तबादला हो सकता है। एक बी.डी.पी.ओ. जिसको खेल का अनुभव है वह खेल का आगे बढ़ा सकता है और एक बी.डी.पी.ओ. जिसको खेल का अनुभव नहीं है वह खेल का भट्ठा भी बिठा सकता है। इसी तरह से पहले जो हरियाणा ओलम्पिक एसोसिएशन हुआ करती थी, उसके सदस्य सरकारी अधिकारी हुआ करते थे । अध्यक्ष महोदय, इनको इसलिए विद्ड्रा किया गया था क्योंकि जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नर जैसे ऑफिसर्ज आते थे, जिनका स्पोटर्स में कोई रूचि नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण जिला स्तर की सारी की सारी स्पोटर्स एक्टीविटीज रूक जाया करती थी। अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सरकार लेकर आई है, ठीक है बहुत सी जांच पड़ताल और बहुत से राज्यों से तालमेल करके ही लाई होगी कि कौन–कौन से सदस्य इसके मैम्बर्ज होंगे। यह बिल जिन राज्यों ने बनाया था, उनका एक ही कारण था कि वहां के मुख्यमंत्री और खेल मंत्री ये चाहते थे कि उनके राज्य में स्पोटर्स की डिवैल्पमैंट बढ़े और स्टेट के खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा मैडल लेकर आयें । अध्यक्ष महोदय, उन स्टेटों में सरकार का स्पोटर्स कांउसिल बनाने का कारण केवल एक ही था कि जो ओलम्पिक के प्रेजीडेंट व सेक्रेटरी थे, उनका सरकार से कहीं ना कहीं पोलिटिक्ल लैवल पर विवाद रहता था क्योंकि सरकार अपने आदमियों को ओलम्पिक संघ में नहीं चुन सकती थी, और इसी कारण सरकार ने ओलम्पिक के सामान्तर एक बॉडी खड़ी करके उसको स्टेट स्पोटर्स कांउसिल का नाम दे दिया । यह बॉडी केन्द्र सरकार में भी बनी थी और आज भी है। केन्द्र सरकार में जब सुश्री उमा भारती जी, खेल मंत्री थी तो भारतीय ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष श्री विजय कुमार मल्होत्रा थे और मैं उसका उपाध्यक्ष था। भारतीय ओलम्पिक संघ के पास जब ये सारी स्टेट कांउसिलें बनी थी उनको संवैधानिक मान्यता के लिए भेजा गया

था तो भारतीय ओलम्पिक संघ ने तुरंत उस पर कार्यवाही करते हुए सभी राज्यों की सरकारों को लिखकर यह कहा गया था कि आपके द्वारा गठित कांउसिलों की भारतीय ओलम्पिक संघ से कोई भी मान्यता नहीं है। यदि कोई नैशनल फैडरेशन का टूर्नामैंट होगा या कोई कॉमनवैल्थ गेम होगा या कोई नैशनल गेम होगा या कोई एशियाड या ओलम्पिक गेम होगा तो उनमें आपके द्वारा चुना हुआ कोई भी खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले सकता । उन्होंने कहा कि जब तक उनकी अपनी फैडरेशन की तरफ से उस खिलाड़ी को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा तब तक उस खिलाड़ी का सलैक्शन नहीं होगा । इससे सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि जो काउंसिल में खेलेगा जिसको आप अपनी टीम में खिलाना चाहोगे दूसरी एसोसिएशन उस पर तुरंत रोक लगा देगी कि तु उनकी टीम में खेलकर आया है इसलिए हम तुझे अपनी टीम में नहीं लेंगे । मैं इस चीज को भुगत चुका हूं । अब सदन में हुड्डा साहब उपस्थित नहीं है । अगर वे यहां होते तो मैं यह बात उनके सामने ही क्लीयर करता । मैं तब हरियाणा ओलम्पिक एसोसिएशन का प्रैजीडेंट था । मुझे पद से हटाने के लिए उन्होंने अनेक हथकंडे अपनाए थे । मेरे खिलाफ एक समानान्तर हरियाणा ओलम्पिक एसोसिएशन बना दी गई थी । हमारा जो ओलम्पिक भवन था, उस ऑफिस पर भी कब्जा कर लिया गया था । हमने एफ.आई.आर भी दर्ज करवाई लेकिन उससे भी काम नहीं चला क्योंकि केन्द्र में भी इनकी सरकार थी । मामला कोर्ट में चला गया । कोर्ट ने भी जब इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से पूछा तो उन्होंने हमें मान्यता दी और कहा कि ये तो पहले से ही बनी हुई एसोसिएशन है इसलिए हम इसी को अपना मैम्बर मानते हैं । इन्होंने अपनी तरफ से दस साल तक पूरा जोर लगाया परंतु इनको वहां एक मीटिंग अटैण्ड करने के लिए भी एंट्री नहीं मिली । (विघ्न) मैं आपको काम की बात बता रहा हूं । इससे दिक्कत यह होती थी कि जो हमारे खिलाड़ी थे जैसे कोई पुलिस डिपार्टमैंट का

खिलाड़ी था या किसी और महकमें में नौकरी कर रहा था सरकार उस पर दबाव डालती थी और उसको रोकने का काम करती थी । ये पर्टिकूलर उनको कहते थे कि आप हमारी ओलम्पिक एसोशिऐशन के बैनर के नीचे नैशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करो । जब टीम खेलने चली जाती थी तो वहां उनको कोई खेलने नहीं देता था लेकिन उसके बावजूद भी मैं हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों के हित को जानता–समझता था । मैं टीम पहुंचने के बाद यह कहता था कि इनमें भी बहुत–से अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन इनकी मजबूरी है और इनके ऊपर सरकार का दबाव है जिस कारण ये हमारे साथ नहीं आ सके । इनमें से जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनके ट्रायल करा लो । हम कहते थे कि इन सब खिलाड़ियों के ट्रायल कराओ और इनमें से जो अच्छे खिलाड़ी होंगे उन्हें हम हरियाणा की टीम में खिलाएंगे ताकि हरियाणा की अच्छी टीम नैशनल गेम्स में खेल सके । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये परिस्थितियां कल फिर से आएंगी । आप रोज यह बात कहते हैं कि हम नैशनल गेम्ज कराना चाहते हैं। मैं स्वयं चाहता हूं हरियाणा में नैशनल गेम्ज हों और इसके लिए मैंने बहुत लम्बे समय तक प्रयास किये हैं । इससे फायदा यह होगा कि हमारे यहां के जो खिलाड़ी हैं उनको बेहतर ग्राउंडस मिल जाएंगे तथा उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ और ज्यादा हो जाएंगी । आज खिलाड़ियों की काफी दिक्कते हैं जैसे हमारे पास कोचिज, फिजियोथैरेपिस्ट आदि नहीं है । ये सब चीजें उस बहाने से आ जाएंगी । उसमें केन्द्र सरकार का पैसा आएगा । नये स्टेडियम बनेंगे जिससे बच्चों को हौसला मिलेगा । मैंने इस विषय पर काफी काम किया था कि हरियाणा प्रदेश में खेलों को कैसे बढ़ावा मिले और कैसे हमारे खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के लिए ज्यादा मेहनत कर सकें । पूरे देश में पहली बार अगर किसी ने नकद राशि और पुरस्कार की घोषणा की थी तो वे तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी थे । उन्होंने 15 अगस्त, 2000 को घोषणा

की थी कि यदि कोई खिलाड़ी गोल्ड मैडल जीतेगा तो हम उसको एक करोड़ रूपये नकद पुरस्कार देंगे । आज वह राशि बढ़ चुकी है लेकिन अगर आप उसे वर्ष 2000 के हिसाब काउंट करें तो आज वह राशि 16 करोड़ रूपये बैठती है । यह पोलिसी हमने केवल ओलम्पिक के लिए नहीं बनाई थी बल्कि स्कूल लैवल पर खेलने वाले बच्चों के लिए भी नकद पुरस्कार के लिए बनाई थी ताकि बच्चों का भी खेलों में इंट्रस्ट बढ़ सके । जब उमा भारती जी स्पोटर्स मिनिस्टर थी तो हमने उनसे आग्रह किया था और उस समय देश में स्पोर्टस के केवल 4 रीजनल सैंटर थे । चारों सैंटर्ज इस तरह से बंटे हुए थे जैसे नार्थ, ईस्ट, साउथ और वैस्ट । पांचवां सैंटर कोई बन नहीं सकता था लेकिन हमने उसके बावजूद भी राई के अन्दर एक रीजनल सैंटर बनवाया । उस वक्त रीजनल सैंटर को बनाने पर 250 से 300 करोड़ रूपये का खर्चा आया था । लेकिन वह फैसीलिटीज आज काम आ रही है । आज हमारे जितने भी पहलवान है और दूसरे और तीसरे दर्जे के खिलाड़ी हैं जिनको कोचिंग के लिए किसी दूसरे स्टेट में जाकर धक्के खाने पड़ते थे, जिनको खाने की दिक्कत आती थी और दूसरी बहुत सी कठिनाईयां आती थी। आज वे बच्चे यहां पर अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेते हैं और उसी का आज हमें फायदा मिल रहा है कि हमारे खिलाड़ियों को आज मैडल मिल रहे हैं । जिस नेशनल गेम्ज की आप सोच रखते हैं तो जब इस स्पोर्टस काउंसिल का आप गठन कर लेंगे चाहे आपकी इस काउंसिल का दखल हरियाणा ओलम्पिक एसोसिएशन के साथ बिल्कुल नहीं होगा लेकिन इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन इम्मीडिएटली आपको एक चिट्ठी लिखकर देगी कि आज के बाद हम आपको तब तक नेशनल गेम अलॉट नहीं करेंगे जब तक हरियाणा ओलम्पिक एसोसिएशन को नये सिरे से मान्यता नहीं देंगे । ये दिक्कत आपके सामने बहुत बड़ी आयेगी । आप अगर खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हरियाणा के खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा मैडल

जीत कर लायें और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी आपके प्रदेश का नाम रोशन करें तो फिर उसका तरीका एक ही है ये सब चीजें बनाने की बजाए आप अच्छे स्टेडियम बनाओ, अच्छे कोचिज लाकर यहां लगाओ, अच्छे फिजियोथैरेपिस्ट लगाओ अच्छे ट्रेनर बुलाओ क्योंकि इन सब चीजों की तो आपके पास कमी है । खेल मंत्री जी, मैं तकरीबन हरियाणा के अन्दर जितने विभाग के कोचिज हैं उन सभी को जाति तौर पर जानता हूं । मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूं और स्पोर्ट्स कालेज का पांच साल स्टुडैंट रहा हूं और मैंने दस नेशनल गेम्ज खेली हैं । मुझे प्रदेश के एक एक खिलाड़ी की और एक एक कोच की जानकारी है । मुझे यह भी पता है कि कौन सा कोच अच्छा है और कौन सा ट्रेनर अच्छा है । आज सभी कोचिज सरकार की तनख्वाह चाटने का काम कर रहे हैं । आपने बहुत से कोचिज इधर से उधर कर दिये थे । इस बारे में मेरे पास बहुत से लोग चलकर के आये थे तब मैंने तो उनको इतना ही कहा कि ट्रांसफर की सरकार की पॉलिसी है और सरकार की मर्जी है । मैंने उनको कहा कि आपकी जहां भी डयूटी लगती है आप वहां जाकर एक खिलाड़ी तैयार करो । लेकिन एक नया खिलाड़ी तैयार करने के लिए बहुत लम्बा समय लगता है । एक दिन में खिलाड़ी तैयार नहीं होता । एक प्लेयर बनाने के लिए पहले तो उसके माता पिता को राजी करना पड़ता है । फिर उसको स्टेडियम में लाना पड़ता है और फिर उस खिलाड़ी को मैन्टली तैयार करना पड़ता है यानि उसके लिए समय लगता है । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि जो कोचिज है और जो पहले जहां जहां जिस ट्रेंनिंग सैन्टर्ज में लगे हुए थे और जिन्होने अच्छे प्लेयर्ज की टीमें तैयार की थी और अच्छे प्लेयर्ज तैयार करके प्रदेश का नाम रोशन किया उनकी आप दोबारा से लिस्ट मांग लो और उनसे पूछ लो कि कौन कौन सा कोच किस किस सैन्टर में जाना चाहता है उनको उसी जगह पर लगाओ ताकि उनको भी लाभ मिल सके । इस प्रकार नई नर्सरियां शुरू

करो , नये सैन्टर्ज बनाओ , नये हॉस्टल्ज बनाओ, तब जाकर आपके स्पोर्ट्स को कहीं जाकर बढ़ावा मिलेगा । इस तरह से बिल लाने से और स्पोर्ट्स काउंसिल बनाने से न तो आपके स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलना है और न ही इससे इस प्रदेश का कोई लाभ होना है । मैं तो आपसे फिर रिक्वैस्ट करता हूं कि आप इस पर फिर से विचार करो और आज ही इस बिल को पास कराने की बजाए इस पर गहराई से विचार करो कि इस काउंसिल का लाभ है या नुक्सान है । मेरे हिसाब से मैं यह समझता हूं कि इस स्पोर्ट्स काउंसिंल बनाने से प्रदेश को नुक्सान ही होगा । इससे मुझे कोई नुक्सान नहीं होना है। अगर कोई यह कहे कि मुझे नुक्सान होगा तो मुझे इससे एक प्रतिशत भी नुक्सान नहीं होगा या न ही इससे कोई नई चीज सामने आ पायेगी। इससे केवल हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को नुक्सान ही होगा ।

(शोर एवं व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सदन को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो स्पोर्ट्स काउंसिल हम बनाने जा रहे हैं वह काउंसिल न तो खिलाड़ियों को सिलैक्ट करेगी और न ही इस काउंसिल ने टीमें भेजनी हैं । टीमें जैसे आज ओलम्पिक एसोसिएशन भेजती हैं या फैडरेशंज या एसोसिएशंज भेजती हैं ये उन्होने ही भेजनी हैं । हम तो केवल सरकार का जो काम है उसको नीचे तक संभालने के लिए और अधिक लोगों की उसमें इन्वॉल्वमैंट करने के लिए इस काउंसिल को बना रहे हैं । जहां तक स्टेडियम की बात की गई है आज कोई समिति नहीं है जो जाकर स्टेडियम्ज़ को देखे और न ही इस प्रकार की कोई बॉडी है । स्टेडियम्ज़ को चैक करने के लिए न तो कोई समिति जिला स्तर पर है और

न ही सब डिवीजनल लैवल पर और न नगर निगम लेवल पर और न ही कमेटी लेवल पर है। इसलिए ऐसी समितियां हम बना रहे हैं ।

श्री अभय सिंह चौटालाः मंत्री जी आपके जो डी.एस.ओज. हैं उनकी भी तो कोई जिम्मेवारी है ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजेंः ठीक है जी ।

श्री अध्यक्षः ठीक है सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाता है ।

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

श्री अनिल विजः हम स्पोर्टस समितियां बना रहे हैं । अभी यहां बात की गई कि हमें खेलों की जानकारी नहीं है इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि जो स्टेट काउंसिल बनाई जा रही हैं उसमें निम्नलिखित मैम्बर्ज होंगे रू

(a) Executive Vice-President from among person having sports background;
(b) Two members from among the members of Legislative Assembly;
(c) Two members from among Vice-Chancellors of Universities in the State;
(d) President/Secretary, Haryana Olympic Association;
(e) Two President/Secretaries from among the recognized State Sports Organizations/Associations;
(f) Two members from among the NGOs working for promotion of sports in the State;

(g) One member from Director, Sports or Physical Education of a University in the State;
(h) Two members from experts in sports medicine/sports injury management/sports psychology;
(i) Two members from sports experts/awardees/medal winners in the International events of whom one shall be a woman;
(j) One member from Sports Journalism;
(k) Two woman members having interest in sports promotion;
(l) Two members from the industry interested in promotion of sports.

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं बात क्लीयर कर रहा हूं तथा इस बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं । अनिल विज जी, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वह बहुत महत्वपूर्ण बात है । आपने अभी कहा कि इसमें दो ऐसे मैम्बर्ज होंगे जो स्पोर्टस से जुड़े होंगे इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस देश में जब एशियाड गेम्ज हुए थे तब तक हमारे पास इंजरी का होस्पिटल नहीं था और न ही डॉक्टर्ज थे और न ही फीजियोथैरिपस्ट्स थे । हमारे यहां कॉमनवैल्थ गेम्ज हुए थे और उस दौरान दिल्ली के सफदरजंग होस्पिटल में स्पोर्टस इंजरी का एक सैंटर बनाया गया था जिसमें आज भी स्टाफ की कमी है । आप इसके लिए डॉक्टर्ज कहां से लाएंगे क्योंकि प्रदेश में स्पोर्टस इंजरी का कोई डाक्टर नहीं है । किसी भी डाक्टर को आप कह देंगे कि तू चलकर बैठ जा तो उसका कोई फायदा नहीं है। स्पोर्टस इंजरी डॉक्टर का मतलब है कि यदि किसी खिलाड़ी के हाथ में कोई चोट लगी है तो उसको पता हो कि उस चोट को कैसे ठीक किया जाता है । लोकल डॉक्टर चाहे वह कितना बड़ा फीजियोथैरिपस्ट हो वह खिलाड़ी के हाथ की चोट को समझ नहीं पाएगा कि इसको कैसे ठीक करना है । मंत्री जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं या ट्रेनिंग के लिए जाते हैं या कैम्प मे जाते हैं उस समय फीजियोथैरिपस्ट और इंजरी

के डाक्टर्ज विदेशों से मंगवाए जाते हैं और उसका खर्चा सरकारी खजाने से किया जाता है और बच्चों की इंजरीज को ठीक किया जाता है लेकिन इस प्रदेश में स्पोर्टस इंजरी का कोई डॉक्टर नहीं है ।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं चौटाला साहब को बताना चाहता हूं कि हम प्रदेश में स्पोर्टस इंजरीज सैंटर्ज खोलने जा रहे हैं और इसके लिए हमारी आस्ट्रेलिया के साथ बातचीत हुई थी । आस्ट्रेलिया की हाई कमिश्नर हमारे यहां आई थी । स्पोर्टस से जुड़े लोगों को इसमें शामिल करने की हमारी कोशिश है । अध्यक्ष महोदय, कोई इनसे नहीं पूछता कि पहले 4 अधिकारी बैठ जाते थे और फैसला कर लेते थे लेकिन अब हमने जिला स्तर के ओलिम्पक डिस्ट्रिक्ट प्रधान भी काउंसिल मे लिए हैं, एसोसिएट्स और डी.एस.ओज. भी लिए हैं । इस खेल परिषद का फंक्शन खेल खिलाड़ियों की चिंता करना है और उनको प्रमोट करना है और इसके पैरलल कोई स्पोर्टस ओर्गेनाइजेशन हम नहीं बनाने जा रहे हैं । जहां तक खेलों को बढ़ावा देने की बात है तो मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमने हर जिले में 20–20 नर्सरियां खोलने के लिए अखबार में एडवर्टाइजमैंट दे दी है ।

श्री अभय सिंह चौटालाः मंत्री जी, आपके पास न तो स्पोर्टस के कोच हैं और न ही ट्रेनर्स हैं इसलिए आपको पहले स्पोर्टस के कोच और ट्रेनर्स की भर्त्ती करनी पड़ेगी । कांग्रेस के राज में मार्किटिंग बोर्ड की तरफ से 80–80 लाख रूपये गांव में राजीव गांधी का नाम कैसे लिखा जाएगा इस चीज पर खर्च कर दिया गया । खेल परिषद के नाम पर गांवों में एक एक कमरा बना दिया गया था जहां आज गऊशालाएं बन गई हैं या फिर कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अभय सिंह जी मेरी बात भी सुन लें मैंने इनकी पूरी बात सुनी है । हम हर जिले में 20 खेल नर्सरियां खोलने जा रहे हैं और हर

बच्चे को 1500 रुपये स्टाईफंड देंगे । हर स्कूल में कोच को हम सैलरी देंगे और लाख सवा लाख रुपये का हर स्कूल में इक्यूपमैंट्स भी देंगे । इस तरह से 400 खेल नर्सरियां स्टेट में चलेंगी । सर, अब हम ओलम्पिक में गये तो वहां पर सैकड़ो लोगों से मेरी बात हुई । उनसे बहुत कुछ हमने जाना है । (विघ्न) हमारे पास सभी गेम्ज की टिकटें थी और हमने सारी गेम्ज़ देखी । अब कौन क्या लिखता है या छापता है यह अलग बात है । आप मेरी बात सुनें कि ए टू जैड सभी गेमों में कोई नहीं जा सकता लेकिन जिन गेम्ज की हमने टिकट ली थी वे हमने देखी हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार के मंत्री, विधायक और अधिकारी वहां गये और केवल सरकार का पैसा खर्च करके आये । उसके अलावा कुछ हासिल करके नहीं आये ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब भी अपनी सरकार के समय में गये थे ये क्या हासिल करके आये थे । इसके अतिरिक्त हुड्डा साहब के समय में भी 12 लोग गये थे वे क्या हासिल करके आये ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारा पांच साल का रिकार्ड निकालकर देख लें हमारा कोई सरकारी अधिकारी इस तरह नहीं गया था।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमने वहां जाकर खेल के बारे में बहुत कुछ हासिल किया है और बकायदा एक बुक भी लिखी है कि हम क्या–क्या देखकर आये हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात करता हूं हुड्डा साहब की बात नहीं करता । यदि प्रदेश में किसी ने खेल को बढ़ावा दिया तो वह हमारी समय की खेल पॉलिसी है जो मैडल हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं वे

हमारी खेल पॉलिसी के कारण ही लेकर आ रहे हैं । इस सरकार ने तो हमारी खेल पॉलिसी में कुछ छोटे–मोटे अमैंडमैंट किए हैं ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझे मेरी बात कहने दें । सर, आप जानते हो कि 23 मार्च को हर साल सरकार ने दंगल कराने का निर्णय लिया है । इस साल भी 23 मार्च को एक करोड़ रुपये का दंगल करवाया था । इसी तरह सितम्बर के महीने में दीन दयाल उपाध्याय जी के जन्म दिन पर हम हर साल एक करोड़ रुपये की कबड्डी करवाने जा रहे हैं । इसी तरह से खेल को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में यानि 6500 गांवों में दो–अढ़ाई एकड़ में खेल स्टेडियम बनाने जा रहे हैं और लगभ 850 स्टेडियमों का काम शुरू हो गया है जो इस साल बन भी जायेंगे । इसके अतिरिक्त हर गांव में हम योगा टीचर भी रख रहे हैं । उसके लिए हमने एडवर्टाइजमैंट भी निकाल दी है । इसी तरह से जो कोचिज की कमी है उनकी भर्ती करने के लिए भी सरकार ने 650 कोचिज की पोस्टें एडवर्टाइजमैंट की हैं । हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में हमारा हरियाणा सिरमोर बने और अभय जी को कहूंगा कि इनको खेल का अनुभव है इसलिए ये इन चीजों में सरकार का सहयोग करें । हम जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको इन्हें बढ़ावा देना चाहिए । हम यह जो काउंसिल बनाने जा रहे हैं यह ओलम्पिक की कंपीटेटर नहीं है बल्कि सहयोगी होगी । इस कांउसिल ने गेम्ज और इन्फ्रास्ट्रक्चर को देखना है । इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों के सुख दुख को देखना है । हम एक अच्छी और स्वस्थ संस्था बना रहे हैं । आज खबरें छपती हैं कि खिलाड़ियों के पास यह नहीं है वह नहीं है और उसको कोई देखने वाला नहीं है । अगर इन बातों को देखने वाली कोई संवैधानिक संस्था होगी तो इससे खिलाड़ियों को फायदा होगा । इस संस्था में सभी सुविधाएं होंगी और इस संस्था को हम फंड भी देंगे ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी खेल की बात कर रहे हैं मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा प्रदेश के 8 स्कूली बच्चे वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप खेलने के लिए गए थे । एक–एक बच्चे पर अढ़ाई–अढ़ाई लाख रुपये का खर्चा हुआ था । उनको सरकार की तरफ से एक पैसा नहीं दिया गया । उन बच्चों के पेरैंट्स आपसे मिले थे और सरकार की तरफ से कहा गया कि कोई ऐसा फंड नहीं है जिसके तहत उनको पैसे दिए जायें । उनमें से एक बच्चा मैडल भी जीतकर आया था ।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं इस बारे में श्री अभय सिंह चौटाला जी को यह बताना चाहूंगा कि स्कूल साईड के बच्चे हमारे पास नहीं हैं। हम स्कूल साईड के बच्चों की गेम्ज़ नहीं करवाते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, अगर माननीय मंत्री जी बच्चों को बिल्कुल निचले स्तर से नहीं उठायेंगे तो फिर आगे का क्या फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, इसीलिए तो सरकार यह बिल लेकर आ रही है।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि नर्सरी का मतलब यही है कि जो बच्चा जूनियर है वह नर्सरी में शामिल हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजदीप सिंह फौगाट : स्पीकर सर, जैसा कि अभी माननीय खेल मंत्री जी कह रहे थे कि खेलों के मामले में हरियाणा प्रदेश को सिरमौर बनाना है। मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि ये शायद भूल गये हैं कि हरियाणा प्रदेश कुछ साल पहले खेलों के मामले में सिरमौर था। जब एक बच्चा खिलाड़ी बनने का फैसला लेता है तो सबसे पहले तो वह अपनी पढ़ाई को खराब करता है, अपने मनोरंजन के सारे के सारे साधन खत्म कर देता है। कुल मिलाकर वह अपना भविष्य दांव पर लगा देता है। जब कोई बच्चा खिलाड़ी बनने का फैसला करता है तो वह यह काम

दिमाग से नहीं करता बल्कि अपने दिल से करता है। जब कोई खिलाड़ी अपनी यात्रा शुरू करता है तो बहुत से साथी स्टेट लैवल और नैशनल लैवल तक ही सिमट कर रह जाते हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। एक खिलाड़ी बनने के लिए 10 से 15 साल लगते हैं अर्थात लगभग 15 साल के बाद कोई खिलाड़ी ओलम्पियन बन पाता है। अभी चौटाला साहब ने बड़े विस्तार से सारी की सारी बातें यहां पर बताई । जब चौटाला साहब की सरकार थी तो यह पॉलिसी उस समय बनी थी जिसका फायदा भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने भी उठाया और प्रदेश के खिलाड़ियों ने 6 पदक जीते। तभी से ओलम्पिक में ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से जाते हैं। इस बार भी हरियाणा के खिलाडी रियो में गये। यह बहुत अच्छी बात है कि इनको रियो में जाना चाहिए था और वहां पर जाकर अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाना चाहिए था। मेरा यह सुझाव है कि ये इस बारे में यहां पर विस्तार से चर्चा करते और हमें यहां पर यह बताते कि वहां पर इनका क्या अनुभव रहा। किस–किस देश की क्या–क्या पॉलिसी थी उसके बारे में ये पूरे सदन में बताते। मैं यह कहना चाहता हूं कि पॉलिसी बनाना आसान है और नर्सरी बना देना भी आसान काम है। अभी सरकार ने यह योजना बनाई कि हर गांव में स्टेडियम होना चाहिए । पूरे हरियाणा प्रदेश में 6500 से ज्यादा गांव हैं और इसी प्रकार से शहरों की संख्या भी काफी है। अगर सभी गांवों में स्टेडियम बना दिये जायेंगे तो उनका क्या उपयोग होगा क्योंकि सरकार के पास केवल मात्र 150 कोच हैं। अगर सरकार स्टेडियम बना देगी तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी केवल मात्र ग्राऊंड में जाने से नहीं बन जाता बल्कि उसको तराशने के लिए एक अच्छा कोच भी होना चाहिए। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि अगर 150 कोचिज़ से ये पूरे हरियाणा प्रदेश में अच्छे खिलाड़ी बनाना चाहते हैं तो यह सम्भव नहीं है। हां, यह बात ज़रूर है कि

सरकार एक अच्छी पॉलिसी ज़रूर बना देगी। पॉलिसी को अच्छा बताने के लिए आंकड़ों में बात चली जायेगी कि हमने 6500 गांवों में स्टेडियम्ज़ बना दिये हैं। यह पॉलिसी तो बन जायेगी लेकिन इसका परिणाम शून्य ही होगा। यहां पर माननीय खेल मंत्री जी बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं । माननीय खेल मंत्री जी रियो में गये थे उनके साथ और माननीय साथी भी गये थे, मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी या दूसरे माननीय सदस्य जो वहां पर गये थे उनमें से एक भी क्या यह बता सकता है कि रियो ओलम्पिक में हरियाणा से किस–किस खेल में कितने खिलाड़ी गये थे। मैं समझता हूं कि सरकार के अधिकारियों को भी यह नहीं पता है कि रियो ओलम्पिक में कितने खिलाड़ी गये थे। मैं चाहता हूं कि यहां यह भी बताया जाये कि रियो ओलम्पिक में हरियाणा प्रदेश से कितने खिलाड़ी गये थे और उनके नाम क्या थे? इस समय हरियाणा में केवल मात्र पॉलिसी को ही बहुत अच्छा बनाने पर ज्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। दूसरी बात यह रही कि माननीय खेल मंत्री जी के साथ जो प्रतिनिधि मण्डल रियो ओलम्पिक में गया था उसका एक मात्र मकसद वहां सैर करके आना ही था। केवल मात्र पॉलिसी बना देना ही काफी नहीं है क्योंकि पॉलिसी को कार्यरूप देना भी बहुत जरूरी होता है। जिस प्रकार के काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने शासनकाल में किये थे मैं चाहता हूं कि इस दिशा में उसी प्रकार के प्रयास वर्तमान सरकार द्वारा किये जाने चाहिएं तभी इस दिशा में वास्तविक रूप में कुछ हो सकता है। मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि स्वयं साक्षी ने यह कहा है कि यहां तक पहुंचने के लिए उसको 12 साल लगे हैं । इस प्रकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि यह सब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की खेल नीति के कारण सम्भव हो पाया है क्योंकि आज से 12 साल पहले हरियाणा प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की ही सरकार

थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की ही सरकार ने उनको तमाम सुविधायें उपलब्ध करवाई थी और इसके साथ ही उनका भविष्य भी सुरक्षित था। साक्षी को उसी समय यह समझ में आ गया था कि उसको खिलाड़ी ही बनना था । मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार को भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार की तरह ही खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से सुविधाओं का इंतज़ाम करना चाहिए। मेरा माननीय खेल मंत्री जी से यही अनुरोध है क्योंकि मैं खुद भुगतभोगी हूं।

श्री अध्यक्ष : फौगाट जी, आप यह बतायें कि क्या स्टेडियम्ज़ का निर्माण सिर्फ ओलम्पिक गेम्ज़ को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। अगर गांवों में स्टेडियम्ज़ का निर्माण करवाया जाता है तो इससे हमारे नौजवानों का खेलों की ओर रूझान बढ़ेगा और अनावश्यक कामों से दूर रहेंगे। अगर 6500 स्टेडियम्ज़ में बच्चे खेलेंगे तो इससे उनका चहुंमुखी विकास होगा । यह सब अपने आप में अद्वितीय होगा। सरकार इसके लिए ऐसे कोचिज़ भी लगायेगी जो बच्चों को ओलम्पिक की तैयारी करवायेंगे लेकिन आज तो मुख्य बात यह है कि हरियाणा के ज्यादातर बच्चे खेल रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी गांवों में स्टेडियम बनाने की बात कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, हमें केवल ऑलम्पिक में पदक लाने के लिए ही स्टेडियम नही चाहिएं बल्कि हरियाणा के 6 हजार गांवों के बच्चों को खेलने के लिए भी स्टेडियम तो चाहिएं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हम स्टेडियम दे रहे हैं और स्टेडियम बनेंगे तो उनमें बच्चे भी खेलेंगे ।(शोर एवं व्यवधान)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर हाउस की सहमति हो सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये ।

आवाजें : ठीक है, जी, ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जिस प्रकार से ट्रेनर्ज़ की बात कर रहे थे और हर गांव में स्टेडियम बनाने की बात कर रहे थे मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हर गांव में स्टेडियम के साथ–साथ एक काम और कर दें कि आप हर स्कूल में पी.टी.आई. की नियुक्ति भी कर दें । अगर स्कूलों में पी.टी.आई. होंगे और स्कूलों में खेलों का सामान पहुंचेगा तो 100 प्रतिशत आपको अच्छे खिलाड़ी मिल जायेंगे क्योंकि स्कूल अपने आप में ही एक नर्सरी है । उसके अलावा आप चाहे 20 नर्सरी खोल लें । आज मंत्री जी जो खिलाड़ियों की नर्सरी खोलने की बात कर रहे हैं उसकी तो जरूरत ही नहीं है । पहले जब हम पढ़ते थे उस समय स्कूलों में खेलों का सारा सामान मिलता था तथा पी.टी.आई. होते थे जो स्पोर्टस के पीरियड में बच्चों को खेल खिलाते थे । इस तरह की बातें करने की बजाय इनको स्कूलों में पी.टी.आई. की नियुक्ति करनी चाहिए तथा खेलों का सामान पहुंचाना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है उसका स्पष्टीकरण जरूरी है । इन्होंने एक बात उठाई कि हम रियो ऑलम्पिक गये। इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि रियो ऑलम्पिक में जाने की न

ही तो मेरी कोई योजना थी और न ही हमारी सरकार की कोई योजना थी । एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें सबसे पहले अभय सिंह जी ने ही पूछा था कि आप रियो कब जा रहे हो तो मैंने कहा कि हम तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि 19 तारीख से विधान सभा का सत्र आ गया है तो इन्होंने कहा कि आपको जरूर जाना चाहिए । उसके बाद किरण चौधरी जी ने भी कहा कि जरूर जाना चाहिए । विपक्ष के सभी साथियों ने कहा कि जरूर जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, पॉलिटिक्स ऐथिक्स है । मुख्यमंत्री जी ने सभी पार्टियों की बात मानते हुये सत्र को 26 तारीख तक पोस्टपोन कर दिया अन्यथा यह सत्र 19 तारीख को शुरू होना था। जब हम रियो चले गये तो अब कहते हैं कि क्यों चले गये। अध्यक्ष महोदय, हमने इस बारे में रिपोर्ट भी बनाई है जो कि 80 पेज की बन चुकी है तथा अभी और भी बनेगी । हमने एक–एक चीज को नोट किया है । अध्यक्ष महोदय, आज तक किसी भी कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की होगी लेकिन हम 2–4 दिन में ही इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को प्रस्तुत कर देंगे और हम बतायेंगे कि हम रियो गये तो हमने क्या–क्या किया । अध्यक्ष महोदय, पहले दिन ही 15 अगस्त को हम वहां गये तो वहां के ऐम्बेसडर ने मुझे चीफ गैस्ट के तौर पर बुलाया और कहा कि सभी खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं आप जरूर आना । हम वहां खिलाड़ियों से मिले और उनके सुख–दुख भी सुने । अध्यक्ष महोदय, जीतने के बाद तो बहुत से लोग गले मिलने वाले मिल जाते हैं लेकिन हारने के बाद आदमी अपनों को ढूंढता है कि कोई सिर पर हाथ रखने वाला हो । हमने सभी की बातें सुनी और उन्हीं की बस में बैठ कर हम रात को ही खेलगांव चले गये । वहां से हम 1 बजे वापिस आये और यहां अखबारों में छपता है कि हम घूमने गये हुये हैं। यहां के लोग ब्यान देते हैं कि हम घूमने गये हुये हैं । हमारे पास रोजाना की टिकटें हैं क्योंकि हम कारों में नहीं गये बल्कि मैट्रो में जाते थे । हमारे पास जिस–जिस खेल के पास थे वे खेल हमने देखे हैं । जिस मैच में

मैंने सबसे पहले कदम रखा उसमें ही मैडल आया । जिसमें दूसरी बार कदम रखा उसमें भी मैडल आया और जब तक ये रहे एक भी मैडल नहीं आया जब हम आए तब से ही मैडल आने शुरू हो गये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि–

हरियाणा क्रीड़ा परिषद विधेयक, पर तुरंत विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

सब क्लॉज–2 ऑफ क्लाज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

सब क्लॉज–2 ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉजिज–2 से 48

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

क्लॉजिज–2 से 48 विधेयक का पार्ट हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शिड्यूल 1 से 6

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

शिड्यूल 1 से 6 विधेयक का पार्ट हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब क्लॉज–1 ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

सब क्लॉज–1 ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

टाईटल विधेयक का टाईटल बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि इस विधेयक को पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक को पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

कि विधेयक को पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन मंगलवार, दिनांक 30 अगस्त, 2016 प्रातः 10.00 बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

(अब सभा मंगलवार, दिनांक 30 अगस्त, 2016 प्रातः 10.00 बजे तक के लिये *स्थगित हुई।)

*20.13 बजे